

54th

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL
REPORT



2019-2020

मद्रास फ़र्टिलाइज़र्स लिमिटेड

मणलि, चेन्नै - 600 068



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

MANALI, CHENNAI - 600 068

निदेशक मण्डल Board of Directors



श्री यू सरवणन
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
SHRI. U SARAVANAN
Chairman & Managing Director



श्री लालसांगलूर
भारत सरकार नामित निदेशक
SHRI. LALSANGLUR
GOI Nominee Director



श्री हर्ष मलहोत्रा
निदेशक (तकनीकी)
SHRI. HARSH MALHOTRA
Director (Technical)



श्री मोहम्मद बाघर दखिली
एनआईसीओ नामित निदेशक
SHRI. MOHAMMAD BAGHER DAKHILI
NICO Nominee Director



श्री फ़ारजाद बहरामी बवानी
एनआईसीओ नामित निदेशक
SHRI. FARZAD BAHRAMI BAVANI
NICO Nominee Director



श्री बाबक बहपुर
एनआईसीओ नामित निदेशक
SHRI. BABAK BAGHERPOUR
NICO Nominee Director



निदेशक मण्डल (04.12.2020 की स्थिति)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री यू सरवणन

निदेशकगण

श्री लाल संगतूर

श्री हर्ष मलहोत्रा

श्री मोहम्मद बाघर दखिली

श्री बाबक बहपुर

श्री फ़ारजाद बहरामी बवानी

कार्यकारीगण

श्री यू सरवणन

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

श्री हर्ष मलहोत्रा

निदेशक, (तकनीकी)

श्री ए.एल.प्रभाकर

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री प्रिया रंजन पांडा

महाप्रबंधक - वित्त और लेखा (ए/सी)

डॉ. गिरीश कुमार

कंपनी सचिव



विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष का भाषण	3
ए.जी.एम का नोटिस	5
निदेशकों की रिपोर्ट	9
कार्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट	21
भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा लेखा समीक्षा	51
स्वतंत्र लेखा परीक्षाओं की रिपोर्ट	59
तुलन पत्र	67
लाभ-हानि विवरण	70
नकद प्रवाह का विवरण	72
वित्तीय विवरणों की टिप्पण	75

पंजीकृत कार्यालय

मणलि, चेन्नै - 600 068
तमिलनाडु, भारत

बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

लेखा-परीक्षकगण:

जे वी रामानुजम एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ - 1, "लक्ष्मी", नया नं.56, पुराना नं.28
तीसरा मेन रोड
राजा अण्णमलैपुरम
चेन्नै - 600 028.



मद्रास फ़र्टिलाइज़र्स लिमिटेड

मणलि, चेन्नै 600 068

54^{वाँ} वार्षिक आम बैठक

चेन्नै

29 दिसंबर 2020

अध्यक्ष का भाषण



श्री यू सरवणन

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रिय सम्मानित शेयरधारकों,

देवियों और सज्जनों, सबको नमस्कार

मुझे खुशी की बात है कि मैं इस कंपनी की 54 वॉ वार्षिक आम सामान्य बैठक में आप सबका स्वागत करता हूँ। कंपनी की कार्य निष्पादन, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रपट और लेखा परीक्षा की गई कंपनी के वार्षिक लेखाओं, को पहले ही आपको परिपत्रित किया गया है और मैं आपकी अनुमति से इसे पढ़ चुके होंगे समझ लेता हूँ।

कोविड-19 महामारी के बड़े पैमाने के प्रकोप के मद्देनजर, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करने हेतु एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है।

इससे पहले कि मैं आपसे आपकी कंपनी के निष्पादन के बारे में बात करूँ, मुझे उस आर्थिक परिदृश्य पर संक्षेप में प्रकाश डालना है जिस तरह आपकी कंपनी चल रही है।

आर्थिक परिदृश्य

2019-20 में भारत सरकार द्वारा घोषित महत्वपूर्ण आर्थिक उपयों में कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, कॉर्पोरेट कर की दर में कमी, एमएसएमई के लिए विशेष कार्यक्रम और डिजिटल भुगतान में बढ़ोतरी की गई थी।

कृषि उत्पादकता के लिए उर्वरक अपरिहार्य हैं। दूसरे शब्दों में खरीफ और रबी फसलों की बुवाई के लिए पर्याप्त उर्वरकों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक थी। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण कृषि और उर्वरक क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, देश में काफी समय तक मानसून की देरी पर भी बहुत अच्छी बारिश हुई। उत्तर और मध्य केरल, कोडगु, चिकमंगलूर और हासन में अत्यधिक बारिश हुई। जलाशयों में पर्याप्त पानी होने के

कारण, सिंचित बेल्ट में गर्मियों के दौरान रबी मौसमों की फसल कवरेज सामान्य थी और उर्वरक की अच्छी खपत देखी गई थी।

कृषि की अनुकूल स्थिति के कारण एमएफएल के क्षेत्र में यूरिया और एनपीके की खपत बढ़ गई है। यूरिया की खपत एमएफएल की क्षेत्र में पिछले साल के (सीपीएलवाई) अनुरूप अवधि में 10.5% और एनपीके में 20.3% की वृद्धि हुई है।

वित्तीय वर्ष 2019 - 20 में एमएफएल के उत्पादन में कार्य निष्पादन की विशेषताएँ

मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने काफी समय से प्रतीक्षित समय के बाद अमोनिया उत्पादन के लिए नाफ्था से आरएलएनजी तक फीडस्टॉक रूपांतरण को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

इसके अलावा, ऊर्जा के स्तर को कम करने के लिए की गई कुछ गतिविधियाँ नीचे सूचीबद्ध हैं:

- सीटी सेल की स्थापना एम व एन: जुलाई 2019 के दौरान इन दो जगहों के चालू होने के बाद पंखों की कुल संख्या की संख्या बढ़कर 14 हो गई, गर्मी के दौरान भी उच्च शीतल जल तापमान की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो गई और संयंत्र के भार को प्रभावित किए बिना पंखों का निवारक रखरखाव आसान हो गया;
- 19 अक्टूबर से सीडब्ल्यू के लिए टीटीआरओ के पानी के साथ आरओ स्ट्रीम झिल्ली के प्रतिस्थापन ने सीडब्ल्यू की गुणवत्ता और शीतलन टॉवर चक्रों में महत्वपूर्ण सुधार किया है जो रासायनिक खपत को कम करने और सीडब्ल्यू एक्सचेंजर्स की लगातार लीक/विफलता में मदद किया है। इससे एक्सचेंजर की ऑन-स्ट्रीम दक्षता में सुधार हुआ है और अंततः संयंत्र का भार;
- एफओ के स्थान पर 110 बॉयलर और पीसी बॉयलर के लिए ईंधन के रूप में आरएलएनजी फ्रीड, परिणामस्वरूप स्टैक तापमान



में कमी आई है, जिससे बॉयलर की दक्षता में अच्छी पर्यावरण स्थितियों में सुधार हुआ है ;

- यूरिया रिक्टर लाइनर के प्रतिस्थापना ने रूपांतरण अनुपात में सुधार किया है जिससे ऊर्जा की कमी और यूरिया संयंत्र की ऑन-स्ट्रीम दक्षता में वृद्धि हुई है;
- रिफार्मर को फ्रीड स्टॉक और ईंधन रूपांतरण करने के बाद, बर्नर रूपांतरण दक्षता में अतिरिक्त वायु स्तर में वृद्धि हुई है जिससे ईंधन की खपत में कमी हुई है ;
- अमोनिया और यूरिया संयंत्र के लिए एडवांस प्रक्रिया नियंत्रण की स्थापना से 0.2 पीकेल प्रति मेट्रिक टन यूरिया की ऊर्जा में काफी कमी हुई है;

वित्तीय वर्ष 2019 - 20 के दौरान आपकी कंपनी के परिचालन में ₹ 55.62 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि पिछले वर्ष में ₹ 83.24 करोड़ का नुकसान था जिसका कारण यह है कि भारी ब्याज लागत और कॉम्प्लेक्स फ़र्टिलाइजर संयंत्रों की क्षति के कारण पहली दो तिमाहियों में कार्याशील पूंजी संकट के कारण सीमित नहीं थे

31 मार्च, 2020 की समाप्ति पर, 7.78 मिलियन मानव-घंटे बिना किसी समय दूरी हेतु 2181 दिन पूरे हुए। (पिछले वर्ष की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति - 5.66 मिलियन मानव-घंटे)

बिक्री कार्य निष्पादन

मुझे कहने में गर्व हो रहा है कि आपकी कंपनी ने विजय नीम युक्त यूरिया के 3.24 लाख एमटी और विजय 17-17-17 के 66,000 मीट्रिक टन की बिक्री हासिल की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 139 % अधिक है।

आपकी कंपनी ने गहन प्रचार अभियान चला रही है जो हमारे उत्पादों की ब्रांडिंग को बेहतर बनाने में मदद करता है।

कृषि आदानों को बेचने के अलावा, जैसी किसान सेवाओं और मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उर्वरक की खुराक की सिफारिश, मौसम फसल बीमा और अन्य उन्नत कृषि तकनीकों पर किसानों को शिक्षित करने की पेशकश की गई।

स्वच्छ भारत मिशन के रूप में, सिटी कम्पोस्ट का विपणन, नगर पालिका/फैक्टरी अपशिष्ट से एक उत्पाद किया गया और 12040 मेट्रिक टन बेचा गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 49 % की वृद्धि है। सिटी कम्पोस्ट बिक्री के संबंध में, आपकी कंपनी तमिलनाडु में अव्वल रही और अखिल भारतीय आधार पर छठे स्थान पर पहुंच गई।

भारत सरकार की पहल से हिस्से के रूप में, एमएफएल ने राज्य के कृषि विभाग के साथ समन्वय में किसान इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया।

25 मार्च, 2020 से कोविड-19 महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन के दौरान, आपकी कंपनी के संयंत्र सफलतापूर्वक चालू थे और उत्पादों को उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार, तमिलनाडु के सहयोग से डीलर प्वाइंट पर भेज दिया गया था। उपरोक्त उपलब्धि प्रबंधन द्वारा उठाए गए उचित और पर्याप्त निवारक उपायों के साथ युग्मित कर्मचारियों के सरासर समर्पण के साथ की जा सकती है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी एस आर)

वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न सीएसआर गतिविधियों में कुल 9,24,000/- की राशि खर्च की है। नीलगिरी जिले

में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए खाद्य सामग्री का दान, सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि के लिए अंशदान, मनली में हरिकृष्णपुरम गांव में पाइपलाइन के माध्यम से पेय जल और माथुर के सरकारी स्कूल के छात्रों को स्कूल बैग और किट की आपूर्ति

भविष्य विचार

प्रिय शेयरधारकों, कंपनी ने उर्वरक विभाग के माध्यम से भारत सरकार को पुनःप्रवर्तन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

- आपकी कंपनी ने आत्म निर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए व्यापार विविधता का अध्ययन शुरू किया है। विशेषज्ञ कार्य समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श के बाद, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें तीन उत्पाद उभर कर आए हैं, मेथनाम्ल, तरल नाइट्रोजन उत्पादन और कॉम्प्लेक्स फ़र्टिलाइजर के विशेष ग्रेड का उत्पादन। इसके बाद, भविष्य में उपर्युक्त उत्पादों के निष्पादन की संभावना का पता चलाने के लिए उच्च स्तरीय निष्पादन समिति का गठन किया गया है।
- इसके अलावा, आपकी कंपनी के पास जटिल उर्वरकों के उत्पादन वे अलावा, राजस्व बढ़ाने के लिए जटिल उर्वरकों का व्यापार शुरू करने का भी प्रस्ताव है।
- आपकी कंपनी ने मेसर्स एम/एचटीएस को ऊर्जा कमी योजना अध्ययन से सम्मानित किया है ताकि ऊर्जा को घटाकर 6.3 मेट्रिक टन प्रति मेट्रिक टन तक लाया जा सके
- ई 1901 (अमोनिया कंडन्सर) और के 1601 (सीएन गैस कंप्रेसर) इंटरकूलर्स के साथ डुप्लेक्स ट्यूब में लगातार नलिका विफलताओं को रोकने और अमोनिया संयंत्र की आर्ने-स्ट्रीम दक्षता के लिए धातु विज्ञान में सुधार किया गया है।
- ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण वे अनुकूल के लिए उपयोगिता बॉयलर 2 के लिए एफओ से आरएएनजी तक ईंधन रूपांतरण
- पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए समर्पित आओ संयंत्र की स्थापना .

पावती

निदेशक मंडल की ओर से, मैं कंपनी के भावी प्रयासों में शेयरधारकों, ग्राहकों और सभी हितधारकों को उनके निरंतर समर्थन के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देता हूँ। मैं कर्मचारियों की ईमानदारी, कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता और समर्पण को रिकॉर्ड में रखता हूँ। मैं उनकी सहायता और सहयोग के लिए भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार का आभारी हूँ।

मैं नियमित रूप से एसईबीआई, एनएसडीएल, स्टॉक एक्सचेंज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिय ऑयल कॉर्पोरेशन और संस्थानों को कंपनी को दिए गए समर्थन और समन्वय के लिए धन्यवाद देता हूँ। सभी हितधारकों को लाभान्वित करने वाली कंपनी की निरंतर वृद्धि, विस्तार और समृद्धि के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का हमारा प्रयास निश्चित रूप से होगा।

मैं अगले वर्ष एजीएम में आपको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए उत्सुक हूँ। धन्यवाद और जय हिंद।

यू.सरवणन
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

भारत सरकार का उपक्रम

सीआईएन - एल 32201टीएन 1966 जीओई 1005469

पंजीकृत कार्यालय, पोस्ट बैग नं. 2, मणल, चेन्नै - 600 068. दूरभाष: 25942281 / 25945489

वेबसाइट: www.madrasfert.co.in ई मेल: cs@madrasfert.co.in

नोटिस

एतद्वारा नोटिस दिया जा रहा है कि मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की 54 वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) 29 दिसंबर 2020 को 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल के माध्यम (ओएवीएम) से निम्नलिखित कारोबार चलाने के लिए आयोजित की जाएगी।

साधारण कारोबार

- 31 मार्च 2020 के अनुसार लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और निदेशकगण की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के साथ समाप्त वर्ष के लिए लाभ / हानि विवरणों को प्राप्त करके उस पर विचार करने के बाद स्वीकृत करना और ग्रहण करना
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को ठीक करने के लिए और इस बारे में विचार करने के लिए क्या विचार संशोधन के साथ या बिना पारित होने के लिए उपयुक्त है, एक मूल संकल्प के रूप में निम्न संकल्प:

“संकल्प किया जाता है कि धारा 142 (1) के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है और इसके बाद ₹ 4,00,000/- निर्धारित किया गया है - मेसर्स आनंदन एण्ड पोन्नप्पण कंपनी (एमडी 0327), वैधानिक लेखा परीक्षकों, सी एव एजी द्वारा अपने पत्र संख्या सी.ए.वी./काय/केंद्र सरकार, एमएफएल (1)/89 दि.10.08.2020 में निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन है।”

- श्री लालसंगलूर (डीन 08118636), निदेशक जो आवर्तन पर सेवानिवृत्त होते हैं वे पुनःनियुक्ति के लिए अर्ह होंगे और इस संबंध में विचार करने के लिए और यदि विचार किया जाता है तो निम्नलिखित प्रस्ताव को सामान्य रूप से स्वीकृत करने के लिए एक संकल्प जारी

“संकल्प किया जाता है कि श्री लालसंगलूर (डीन 08118636) जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 के अनुसार आवर्तन पर सेवा निवृत्त हो रहे हैं और योग्य होने पर, कंपनी के नियमों के अनुसार उन्हें निदेशक के रूप में पुनःनियुक्ति किया जाता है बशर्ते कि वे नियुक्ति के बाद आवर्तन पर सेवा निवृत्त होंगे”

विशेष कारोबार

- विचार करने के लिए, अगर योग्य पाए गए, अगर संशोधन हो या न हो, निम्नलिखित सामान्य संकल्प जारी:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अंतर्गत तथा कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखा परीक्षा) नियम 2014 के साथ पडा जाय, श्रीमती अरुणा प्रसाद, (सदस्यता नं.11816) को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के उर्वरक संबंधी कास्ट लेखापरीक्षा की देखरेख के लिए बोर्ड द्वारा कास्ट लेखा परीक्षक

के रूप में केद्र सरकार द्वारा ₹ 1,00,000/- करोड़ के अलावा के पारिश्रमिक में तथा उनके वास्तविक रूप से हुए स्वयं खर्च की प्रतिपूर्ति को छोड़कर नियुक्त करने के लिए अनुमोदन दिया है।”

बोर्ड के आदेशानुसार

यू. सरवणन

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीन: 07274628

चेन्नै

दिसंबर 04, 2020

टिप्पणियाँ:

- कोविड 19 महामारी के मद्देनजर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 5 अप्रैल, 2020 के परिपत्र को, 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों के साथ पढे (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र') के रूप में संदर्भित एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एजीएम को रखने की अनुमति दी। इन एमसीए परिपत्रों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों और सेबी (लिस्रिंग अक्विजेशन एण्ड डिशक्लोशर रिव्वायरमेंट्स) विनियम, 2015 के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों की एजीएम वीसी/ओईएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र सं. 14/2020, 08 अप्रैल, 2020 के अनुसार इस एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने का हकदार एक सदस्य अपनी ओर से मतदान करने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार नहीं है। चूंकि यह एजीएम एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने और उसके बाद भाग लेने के हकदार हैं और ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मत डालते हैं।
- सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद वीसी/ओएवीएम माध्यम में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी की सुविधा 1000 सदस्यों के लिए आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक हिस्सेदारी वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना एजीएम में भाग लें।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कोरम के लिए गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 20 के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) और सेबी के विनियमन 44 (सूचीबद्ध आवश्यकताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के नियम 108 के प्रावधानों के अनुसार 2015 (संशोधित) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 05 मई, 2020 को जारी किए गए परिपत्रों के तहत, कंपनी एजीएम में लेनदेन करने के लिए अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजन के लिए, कंपनी ने अधिकृत साधनों के रूप में,



इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ एक समझौता किया है। दूरस्थ ई-मतदान प्रणाली के साथ-साथ एजीएम की तारीख पर मतदान स्थल का उपयोग करके एक सदस्य द्वारा मत डालने की सुविधा एनएसडीएम द्वारा प्रदान की जाएगी।

6. 'कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा (एमसीए) के परिपत्र सं. 17/2020, दि. 13 अप्रैल, 2020 के अनुसार, एजीएम के आयोजन संबंधी सूचना कंपनी के वेबसाइट www.madrasfert.co.in पर अपलोड कर दिया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर सूचना को भी प्राप्त किया जा सकता है और एजीएम सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com (दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी) पर भी उपलब्ध है।
7. कंपनी का सदस्य और शेयर ट्रांसफर बहियों का रजिस्टर 23.12.2020 से 29.12.2020 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा।
8. सेबी सूचीकरण नियमावली, नियम 40 के अनुसार, संशोधित, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के लिए अनुरोध के मामले को छोड़कर, 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी रूप में केवल डीमैटरियालाइज्ड रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे देखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने के लिए और पोर्टफोलियो प्रबंधन में आसानी के लिए, भौतिक रूप में शेयरों को रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग को डीमैटरियालाइज्ड रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। सदस्य कंपनी या मेसर्स से संपर्क कर सकते हैं। एकीकृत रजिस्ट्री प्रबंधन सेवा प्राइवेट लिमिटेड आईआरएमएसपीएल किंग्स टावर्स, द्वितीय मंजिल, नंबर.1, रामकृष्ण स्ट्रीट, टी-नगर, चेन्नै - 600 017, इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और सभी पत्राचार भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक शेयरों आदि के हस्तांतरण के संबंध में उन्हें सीधे संबोधित किया जा सकता है।
9. 'ग्रीन इनिशिएटिव' का समर्थन करने के लिए, जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक रूप में उनके द्वारा शेयर रखे गए हैं, तो वे अपने डीपी के लिए उसी को पंजीकृत करें। यदि शेयर उनके द्वारा भौतिक रूप में रखे जाते हैं, तो सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना ईमेल पता आईआरएमएसपीएल, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट और कंपनी के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को पंजीकृत करें।
10. सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके नाम, डाक पते, ईमेल पते, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, पावर ऑफ अटॉर्नी, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, इत्यादि उनके डीपी को उनके द्वारा शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में तथा शेयरों के भौतिक रूप में रखे जाने पर और आईआरएमएसपीएल को सूचित करनी है।
11. सदस्यों ने भौतिक रूप में शेयरों को धारण किया, नामों के समान क्रम में, एक से अधिक पर्ची में कंपनी या आईआरएमएसपीएल को भेजने का अनुरोध किया जाता है, ऐसे पर्चियों के विवरण को एक पर्ची में अपने होल्डिंग को समेकित करने के लिए प्रमाण-पत्र के साथ साझा जाता है। आवश्यक परिवर्तन करने के बाद ऐसे सदस्यों को एक समेकित शेयर प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
12. संयुक्त धारकों के मामले में, वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में प्रकट होता है, एजीएम में वोट देने का हकदार होगा।
13. खातों के संबंध में कोई भी जानकारी या एजीएम में रखे जाने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी से cs@madrasfert.co.in पर ईमेल के माध्यम से 23.12.2020 पर या उससे पहले लिखें। इसका जवाब कंपनी द्वारा उपयुक्त तरीके से दिया जाएगा।

14. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और एस आईबी ई परिपत्र 12 मई, 2020 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ एजीएम की सूचना केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य नोट कर सकते हैं कि सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कंपनी की वेबसाइट www.madrasfert.co.in, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। एनएसडीएल की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com>
15. निदेशक मंडल ने एजीएम और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान की जांच करने के लिए स्कूटिनो.जर के रूप में प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव के रूप में मेसर्स वो.ई.सकी एण्ड एसोसिएट्स (एम नं. 30353) को नामित किया है।
16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत वीसी/ओवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को कोरम के लिए गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।
17. चूकि एजीएम वीसी/ओवीएम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, इस नोटिस से रूटमैप को एनेक्स नहीं किया गया है।

रिमोट ई-वोटिंग हेतु सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:-

- 1) 26.12.2020 के सुबह 09.00 बजे से रिमोट ई-वोटिंग की अवधि प्रारंभ होगी और 28.12.2020 के सायं 05.00 बजे को अंत होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के शेयरधारकों जिनके पास शेयरों के भौतिक या डिमैटरियालाइज्ड के रूप में हो वे संबंधित तारीख में अर्थात् 22.12.2020 तक रिमोट ई-वोटिंग की माध्यम मतदान दे सकते हैं यानि कट-आफ-तारीख, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मतदान कर सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग प्रणाली बंद की जाएगी।।

मैं एनएसडीएल प्रणाली का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे वोट करू ?

एनएसडीएम ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने का तरीका दो चरण शामिल हैं जो नीचे दिया गया है:

पद्धति 1 <https://www.evoting.nsdl.com/>: पर एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली में लॉग-इन करें

पद्धति 2: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें।

पद्धति 1 पर विवरण नीचे दिए गए हैं:

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं और निम्नलिखित URL: <https://www.evoting.nsdl.com> को पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर टाइप करके ब्राउजर खोलें।
2. एक बार ई-वोटिंग प्रणाली के मुख पृष्ठ खुलने के बाद, आईकान 'लॉगिन' र क्लिक करें जो 'शेयरधारकों' सेक्शन के तहत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको यूजर आईडी, अपना पासवर्ड और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाएं यानी आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस लॉगिन से पर लॉगइन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉगइन क्रेडेन्शियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल की सेवाओं में लॉगइन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप स्टेप 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत डाल सकते हैं।



4. आपकी उपयोगकर्ता आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

- ए) एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए 8 अक्षर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी, उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी आईएन300**** है और क्लाइंट आईडी 12**** है तो आपकी यूजर आईडी आईएन300**** 12**** है।
- बी) सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए 16 अंकों की लाभदायक आईडी। उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभदायक आईडी 12**** हो तो उसकी उपयोगकर्ता आईडी 12**** है।
- सी) भौतिक फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, कंपनी के साथ पंजीकृत पर्ची संख्या के बाद इवेन संख्या, उदाहरण के लिए, अगर इवेन 123456 है और पर्ची संख्या 001**** है तो यूजर आईडी 123456001* है।

5. आपके पासवर्ड का विवरण नीचे दिया गया है:

- ए) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग लॉगिन और अपना मत डाल सकते हैं।
- बी) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं तो आपको पारसवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड 'पुनः प्राप्त करना होगा, जो एनएसडीएल द्वारा आपको सूचित किया गया था। एक बार आप अपने 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपने पासवर्ड बदलने के लिए सूचित करेगा।
- सी) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?
- i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर आपको भेज दिया जाता है। अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल से भेजे गए ईमेल को evoting@nsdl.com से ट्रेक करें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट यानी .pdf फाइल खोलें। .pdf फाइल को खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए अपनी 8 अंकों की ग्राहक आईडी है, जो सीएसडीएल खाते के लिए ग्राहक आईडी का अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रख गए शेयरों के लिए पर्ची संख्या है। .pdf फाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' है।
- ii) यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, तो कृपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

6. यदि आप या प्रारंभिक पासवर्ड प्राप्त करने या प्राप्त करने में असमर्थ हैं 'या अपना पासवर्ड भूल गए हैं':

- ए) 'उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए?' पर क्लिक करें। (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
- बी) 'भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पारसवर्ड' यदि आप भौतिक मोड में शेयर धारण कर रहे हैं www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प।

सी) यदि आप अभी भी दो विकल्पों में से पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपना डीमैट खाता संख्या/पर्ची नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करके अनुरोध भेज सकते हैं।

d) सदस्य एनएसडीएल के ई-वोटिंग प्रणाली पर मत डालने के लिए वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके 'नियम और शर्तों' के लिए सहमत पर क्लिक करें।

8. अब, आपको 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करना होगा।

9. 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

पद्धति 2 पर विवरण नीचे वर्णित हैं

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से अपना मत कैसे डालें?

1. पद्धति 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे। ई-वोटिंग पर क्लिक करें। फिर, एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करें।
2. एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करने के बाद, आप सभी कंपनियों को 'ईवेन' देख पाएंगे, जिसमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और जिनका वोटिंग साइकिल सक्रिय स्थिति में है।
3. कंपनी का 'ईवेन' चुनें जिसके लिए आप अपना मत डालना चाहते हैं। पद्धति 2 एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत डालें।
4. अब आप वोटिंग पेज खुलते ही ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
5. उपयुक्त विकल्पों का चयन करके अपने मत का चयन करें, यानी सहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें, जिनके लिए आप अपना मत डालना चाहते हैं और संकेत दिए गए 'सबमिट' करें और 'पुष्टि' करें पर क्लिक करें।
6. पुष्टि होने पर, 'मत सफलतापूर्वक डाला गया' सूचना प्रदर्शित होगा।
7. आप पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए मत का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
8. एक बार जब आप संकल्प पर अपने मत की पुष्टि करते हैं, तो आपको आपका मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्था-संबंधी/कॉर्पोरेट शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएच, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड को संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति पीडीएफ/जेपीजी फॉर्मेट में भेजने की आवश्यकता होती है, जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के प्रमाणित हस्ताक्षर होंगे (अर्थात्) जो मत करने के लिए अधिकृत हैं, पर ईमेल द्वारा स्कूटिनोजर को esakics@gmail.com और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजी जानी है।
2. यह दृढ़तापूर्वक संस्तुत की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्याधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में, आपको 'उपयोगकर्ता का विवरण भूल गए?'/पासवर्ड भूल गए' या 'भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?' पासवर्ड रीसेट करने के लिए <https://www.evoting.nsdl.com> पर विकल्प उपलब्ध है।



- ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, आप <https://www.evoting.nsdl.com> के डाउनलोड भाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए शेयरधारक और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न या संदर्भित कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ई-मेल आईडी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग के लिए ई-मेल आईडी का पंजीकरण:

- यदि शेयर भौतिक माध्यम में रखे जाते हैं तो कृपया पूर्वी संख्या, शेयरहोल्डर का नाम, शेयर प्रमाण-पत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे और पीछे) का पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की हुई प्रति) आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) corpsew@integratedindia.in-ई-मेल द्वारा प्रदान करें।
- यदि शेयर डीमैट माध्यम में होते हैं, तो कृपया डीपाआईडी-सीएलआईडी (16 अंक डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंक लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की हुई प्रति) आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) corpsew@integratedindia.in-ई-मेल द्वारा प्रदान करें।

एजीएम बैठक में वीसी/ओएवीएम माध्यम से उपस्थित सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

- एजीएम बैठक दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए निर्देशों के समान है।
- केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होंगे और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना मत नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से बाधित है, एमजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मत करने के लिए पात्र होंगे।
- जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मत करने के पात्र नहीं होंगे।
- एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति होगा।

वीसी/ओएवीएम माध्यम से एजीएम में उपस्थित सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

- सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे या एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई है। सदस्य <https://www.evoting.nsdl.com> वेबकास्ट पर अपने दूरस्थ ई-मतदान लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीएम प्रदर्शित किया जाएगा। वे सदस्य जिनके पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूत गए हैं, नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आगे के सदस्य एनएसडीएल के ई-वोटिंग प्रणाली में प्रवेश के लिए ओटीपी आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
- सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

- आगे, बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए सदस्यों को कैमरा की अनुमति देने और अच्छी गति वाले इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

- कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या लैपटॉप से मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में घट-बढ़ के कारण ऑडियो/वीडियो में धाटा हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार के पूर्वोक्त ग्लिच को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

- शेयरधारक जो अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न हैं, वे अपने नाम, डीमैट खाता संख्या/पूर्वी संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, (कंपनी ई-मेल आईडी) का उल्लेख करते हुए अग्रिम रूप से अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इसका जवाब कंपनी द्वारा उपयुक्त तरीके से दिया जाएगा।

अन्य निर्देश

- स्कूटिनीजर एजीएम में मतदान से समापन के तुरंत बाद, पहले एजीएम के दौरान डाले गए मत की गिनती करेगा, उसके बाद दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम डाले गए मत को अनब्लॉक करेगा और एजीएम के समापन के 48 घंटे बाद नहीं, एक समेकित स्कूटिनीजर की रिपोर्ट कुल मत पक्ष में या उसके विपक्ष, यदि कोई हो, अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति को, जो उसी की गणना करेगा।
- स्कूटिनीजर रिपोर्ट के साथ घोषित किए गए परिणाम को कंपनी की वेबसाइट www.madrasfert.co.in और एनएसडीएल की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर तुरंत रखा जाएगा। कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के परिणामों को एक साथ अप्रेषित कर सकती है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 4: वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के अनुसार जो कंपनी (लागत रिकार्ड एवं लागत लेखापरीक्षा) नियम, 2013 के साथ पढ़ा जाय, लागत लेखा परीक्षक को बोर्ड द्वारा ऐसे पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाना चाहिए जो सामान्य बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

तदनुसार, 13 अगस्त, 2020 को आयोजित 312 वीं बैठक में बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के संचालन हेतु श्रीमती अ#णा प्रसाद, लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति ₹ 1,00,000/- करों सहित पारिश्रमिक की मंजूरी दी है जो वास्तविक करों पा यात्रा व्यय और पैकेट खर्चों की प्रतिपूर्ति के अलावा अन्य कर। श्रीमती अ#णा प्रसाद ने भी कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 148 (3) के प्रावधानों के अनुसार लागत लेखा परीक्षक के लिए निर्धारित पारिश्रमिक को सामान्य बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना है। तदनुसार उपरोक्त प्रस्ताव सदस्यों के अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

बोर्ड के आदेशानुसार

चेन्नै
दिसंबर 04, 2020

यू सरवगन
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीन: 07274628



निदेशकगण की रिपोर्ट

शेयरधारकों,
मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

आपके निदेशकगण, 31 मार्च 2020 के अनुसार और वर्ष 2019 - 20 के लाभ हानि लेख के साथ-साथ 54 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में खुशी का अनुभव करते हैं।

वित्तीय परिणामों का संक्षेप

(₹ करोड़ में)

विषय	2019-20	2018-19
कुल विक्री	1274.39	1593.00
ब्याज, मूल्यहास, अस्थगित राजस्व व्यय और कर के पूर्व लाभ	(18.21)	(6.80)
ब्याज	90.29	100.03
मूल्यहास	26.38	22.99
असाधारण मर्दे	-	-
अन्य व्यापक आय	(79.26)	(46.58)
कर पूर्व लाभ / (हानि)	(55.62)	(83.24)
कर के लिए प्रावधान	-	-
कर पश्चात् लाभ / (हानि)	(55.62)	(83.24)
नकद लाभ / (हानि)	(29.24)	(60.25)

इस वर्ष कंपनी का परिचालन ₹ 55.62 करोड़ का हानि के साथ समाप्त हुआ।

पुन-प्रवर्तन

कंपनी ने उर्वरक विभाग, भारत सरकार को इसके विचार के लिए एक पुनरुद्धार प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

डिविडेण्ड

चूंकि 31 मार्च 2020 के अनुसार भारी संचित हानियों (₹ 805.42 करोड़) और प्रतिकूल निवल-मूल्य (₹ 630.89 करोड़) थी, कंपनी के (डिविडेण्ड के भुगतान की घोषणा) नियम 2014 के अंतर्गत वर्ष 2020 के लिए कंपनी ने शेयरधारकों के लिए डिविडेण्ड घोषित करने का प्रस्ताव नहीं रखा है।

संयंत्र निष्पादन की विशेषताएं

- वर्ष 2019-20 के दौरान एमएफएल ने 345150 एमटी के नीम युक्त यूरिया और 65000 एमटी के एनपीके 17-17-17 कांफ्लेक्स उर्वरक का उफपाद किया।
- नाफ्था के आरएलएनजी तक फीड स्टॉक रुपांतरण सफलतापूर्वक पूरा किया गया था, और संयंत्र को सुचारु से वापस शुरू कर दिया गया और 28 जुलाई,

2019 को यूरिया उत्पादन शुरू हुआ।

- फरवरी 2020 में 46040 एमटी यूरिया का उत्पादन शुरू होने के बाद वह किसी भी फरवरी महीने में सबसे अधिक है।
- एनपीके - 7 वर्ष के लंबे समय तक बंद के बाद 6 जनवरी 2020 को एनपीके ए ट्रेन से उत्पादन पुनः शुरू किया गया था।
- 25 मार्च, 2020 से कोविड 19 महामारी की स्थिति के कारण देश भर में लॉकडाउन के दौरान, प्रबंधन द्वारा उठाए गए उचित और पर्याप्त निवारक उपायों हेतु, यूरिया उत्पादन और प्रेषण प्रभावित नहीं हुआ।
- अमोनिया और यूरिया ऊर्जा की प्राप्ति क्रमशः 10.659 और 7.873 जीसीएएल/एमटी थी।
- इस वर्ष के दौरान 243 दिनों में से 146 दिनों के लिए 100 प्रतिशत के यूरिया संयंत्र का उत्पादन किया गया।
- अक्टूबर 2019 से मेसर्स सीएमडब्ल्यूएसएसबी से टीटीआरओ पानी की प्राप्ति शुरू हुई और शीतलक एकाग्रता का पानी चक्र में सुधार हुआ है, जिससे पानी की मात्रा और अन्य रसायनों में कमी आई है।
- वर्ष की समाप्ति मार्च 31, 2020 को 2181 दिन बिना किसी रिपोर्ट हेतु दुर्घटना और 7.78 मिलियन मानव-घंटे। (पिछले उत्कृष्ट उपलब्धि 5.66 मिलियन मानव-घंटे)

विपणन निष्पादन

उर्वरक विक्री

- विजय नीमयुक्त यूरिया की विक्री से 3,23,764,200 एमटी प्राप्त हुआ (वर्ष 2019-20 : 56,30671 एमटी और सीपीएलवाई 50,96,421 एमटी थी)
- कुल उपलब्ध विजय 17-17-17 की 65,516.65 एमटी की विक्री हुई है, जो सीपीएलवाई के 27,429.55 एमटी की 139% की वृद्धि हुई है।

नीम कीटनाशक, जैव उर्वरक और आर्गानिक खाद

- 'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत, कंपनी ने नगर पालिका/कारखाना से प्राप्त रददी हेतु 12040.50 एमटी का सिटी कम्पोस्ट की विक्री है जो एमएफएल के विपणन क्षेत्र में 49% का हिस्सा और सीपीएलवाई 8087 एमटी की वृद्धि है।
- सिटी कम्पोस्ट की विक्री के संबंध में, एमएफएल ने तमिलनाडु में सर्वप्रथम होने पर गर्व किया और अखिल भारतीय स्तर पर 6 वें स्थान पर पहुंच गया।
- सिटी कम्पोस्ट के अलावा, 'बास्केट अप्रोच' के अधीन 2807.80 एमटी की विजय आर्गानिक खाद की विक्री हासिल की जो पिछले वर्ष की 905 एमटी की तुलना में 210% की वृद्धि है।
- विजय नीम की 73.42 केएल की विक्री,
- विजय जैव-उर्वरक की 46.40 एमटी की विक्री



बाजार विकास एवं अग्रो-सेवा कार्यक्रम

वर्ष के दौरान एमएफएल के विपणन विभाग के कर्मचारियों ने 25107 किसानों से संपर्क किया और राज्य/केन्द्र कृषि एक्सटेंशन विभाग की समन्वयन से मुख्य फसलों की कृषि की पद्धतियों मृदाधार स्वास्थ्य तकनीकों और रसायनिक उर्वरकों, और संतुल उर्वरकों (एकीकृत पोषक प्रबंधन) तथा मिट्टी के नमूने, प्रदर्शन पद्धति और किसानों के लिए संगोष्ठियों के अनुकूलतम उपयोग और प्रयोग से उन्हें शिक्षित किया।

कृषक समुदाय की सेवा में, विपणन विभाग के कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान 4036 मृदाधार नमूनों का संग्रह करके, विश्लेषित करके उन्हें किसानों को विभिन्न फसलों के लिए माइक्रो एवं मेक्रो पोषक तत्वों की सिफारिशों को भेजा है।

प्रधानमंत्री के मिशन के अनुसरण में किसानों को सशक्त बनाने जैसे सहायता योजना और कृषि तकनीकी शिक्षा हेतु, एमएफएल ने गंगावति और शिवमोग्गा, कर्नाटक में एक " किसान सुविधा केन्द्र " खोला था। इसके अलावा कृषि उत्पाद की बिक्री, मिट्टी के नमूने का विश्लेषण और मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार उर्वरक का उपयोग, जलवायु, फसल बीमा और अन्य कृषि तकनीकी सुधार जैसे विषयों पर किसानों को सेवा प्रदान की जाती है।

कृषक समुदाय को मजबूत करने हेतु भारत सरकार की पहल के एक हिस्से के रूप में, एमएफएल ने राज्य के कृषि विभाग के समन्वय में किसानों के साथ परस्पर सत्र का आयोजन किया, जहाँ श्रीमती कनिमोळि की अध्यक्षता में रसायन और उर्वरक पर स्थायी संसदीय समिति ने 24.01.2020 का अध्ययन दौरा किया और तमिलनाडु के वेल्तूर के पास एक गाँव में लगभग 1000 किसानों के साथ बातचीत की गई और उर्वरकों की वर्तमान माँग और उपलब्धता के बारे में बताया गया।

डीबीडी का कार्यान्वयन

- ❖ थोक और रिटेल व्यापारियों की सुविधा हेतु डीबीडी योजना के अंतर्गत पैन इंडिया के कार्यान्वयन और पीओएस द्वारा किए गए बिक्री हेतु एमएफएल ने थोक और रिटेल व्यापारियों को पीओएस की महत्व के बारे में शिक्षित किया।
- ❖ अब तक के सभी सब्सिडी बिलों से आगे का कार्य पूरा हो गया है। हम अपने कई प्रतिस्पर्धियों और एनआईसी/डीओएफ के साथ लंबित डीबीडी संबंधी नहीं मुद्दें हैं।

	विजय नीमयुक्त यूरिया	विजय 17-17-17
बिलों का निर्माण-मात्रा(एमटी)	3,29,752.218	62,843.816
बिलों का निर्माण-मूल्य (करोड़)	1,062.98	48.33

समझौता ज्ञापन

वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी द्वारा उर्वरक विभाग, (डीओएफ) भारत सरकार से समझौता ज्ञापन विधिवत हस्ताक्षरित किया गया है और 05 मई, 2019 को आवश्यक वित्तीय और उत्पादन निष्पादन प्राप्त हेतु मापदंड का विवरण दिया गया।

सतर्कता

2019 - 20 के दौरान सतर्कता विभाग की गतिविधियां और उपलब्धि

- ❖ कंपनी की शिकायत-हलन-नीति/केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) निर्देशतत्वों के अनुसार, शिकायतों को प्राप्त करके रिपोर्ट समर्पित की गई।
- ❖ समय पर मामलों के निपटान के संबंध में सतर्कता विषयों पर अनुशासनिक कार्रवाईयों की प्रगति में लगातार नजर पर अनुवीक्षण किया जा रहा है।
- ❖ संदिग्ध अधिकारियों की सहमति सूची तथा संदिग्ध सत्यनिष्ठा अधिकारियों की सूची को अन्तिम रूप देकर उर्वरक विभाग को भेजा गया है।
- ❖ ठेकों पर सीवीसी निर्देशों/परिपत्र और अन्य मामलों जब कभी प्राप्त होते हैं, को, आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रबंधन को सूचित किया गया।
- ❖ केन्द्रीय सतर्कता आयोग के आवश्यकतानुसार, 21.05.2019, 27.09.2019, 13.12.2019 & 29.01.2020 को सीवीओ द्वारा एमएफएल के सीएमडी के साथ एक संरचित बैठक चलाई गई और लंबित मामलों पर चर्चा की गई तथा प्रबंधन को सुझाव दिया गया।
- ❖ ₹ 2 लाख से अधिक मूल्य वाले सभी ठेकों को ई-प्रापण और ई-रिवर्स की पद्धति अपनाई जाती है।
- ❖ केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शानुसार अधिकारियों की वार्षिक सम्पत्ति वापसी का छानबीन किया गया।
- ❖ एमएफएल ऑनलाइन एकीकृत प्रणाली (ओएलआईएस) में मुख्य सतर्कता आयोग के मार्गदर्शन/परिपत्र जो ठेकों से संबंधित हैं उन्हें सुलभ संदर्भ हेतु अपलोड किया गया है।
- ❖ मुख्य सतर्कता आयुक्त के निर्देशानुसार 28.10.2019 से 02.11.2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 मनाया गया। इस संबंधी प्रमुख बातें
 - सीवीओ के नेतृत्व में 28 अक्टूबर, 2019 को 11.00 बजे श्री ए.एल.प्रभाकर, मुख्य सतर्कता अधिकारी, एमएफएल द्वारा प्रशासनिक भवन में सभी कर्मचारियों को सतर्कता जागरूकता शपथ ली गई
 - 28 अक्टूबर, 2019 को, श्री सी.कमल कुमार, आईओएफएस, निदेशक - सतर्कता (दक्षिण), आयुध निर्माणी, चेन्नै द्वारा निवारक सतर्कता विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। एमएफएल के प्रशिक्षण केन्द्र सभा कक्ष में अधिक संख्या में कर्मचारी उपस्थित हुए।
 - 29 अक्टूबर, 2019 को प्रशिक्षण केन्द्र में कर्मचारियों को एक प्रश्न-मंच आयोजित की गई। इसके लगभग 6 टीमें थी जिसमें हरेक टीम में 2 कर्मचारी हेतु उत्साह से प्रतियोगिता में भाग लिया।
 - 30 अक्टूबर, 2019 को " सत्यनिष्ठा -जीवन का एक तरीका" पर एक अतिथि भाषण आयोजित किया गया था, जिसे श्री एम.रत्तिनसामी, आईआरएस, अपर महानिदेशक, आयकर (सतर्कता) दक्षिण, चेन्नै द्वारा दिया गया था। इस भाषण में, उन्होंने सत्यनिष्ठा के विषय पर प्रकाश डाला। एमएफएल के प्रशिक्षण केन्द्र सभा कक्ष में अधिक संख्या में कर्मचारी उपस्थित हुए।



- “सत्यनिष्ठा -जीवन का एक तरीका” (अंग्रजी, तमिल) उसी विषय पर पडोस के दो स्कूलों के छात्रों को जागरुकता पैदा करने और युवकों को सतर्कता पर शामिल करने हेतु एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।
- एमएफएल के (11) क्षेत्रीय कार्यालय सतर्कता जागरुकता सप्ताह में शामिल थे। एमएफएल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में इस संबंध में बैनर लगाए गए और नागरिकों को “सत्यनिष्ठा -जीवन का एक तरीका” पर ग्राहकों और नागरिकों को शिक्षित किया गया और ई-प्रतिज्ञा करने में सक्षम बनाया
- युवा आउटरीच के प्रयास के रूप में क्षेत्रीय कार्यालयों ने इस वर्ष के वीएएम थीम “सत्यनिष्ठा -जीवन का एक तरीका” से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए।
- 15.11.2019 को सतर्कता जागरुकता सप्ताह प्रतियोगिताओं के विजेताओं के लिए निदेशक-तकनीकी द्वारा पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र वितरित किया गया था।
- एमएफएल के सतर्कता संगठन ने निम्नलिखित तीन कार्यशालाएं चलाईं:
- एमएफएल प्रशिक्षण केन्द्र में 27.06.2019 को एफ एंड ए, तकनीकी सेवाओं, कार्मिक विपणन, रखरखाव, उत्पादन और सामग्री प्रबंधक से जुड़े अधिकारियों के साथ ‘ई-नीलामी’ पर कार्यशाला चलाई। श्रीमती ई.बबिता रानी, एम.एससी, एम.बी.ए., मुख्य प्रबंधक, एमएमटीसी लिमिटेड, भारत सरकार का उपक्रम संकाय थी।
- एमएफएल प्रशिक्षण केन्द्र में 27.08.2019 को एफ एंड ए, तकनीकी सेवाओं, कार्मिक, विपणन, रखरखाव, उत्पादन और सामग्री प्रबंधन के अधिकारियों के लिए ‘सार्वजनिक उपक्रमों में एमएसएमई से सार्वजनिक खरीद के नियम’ विषय पर कार्यशाला। डॉ. वी.रामकृष्णन, उप निदेशक, एमएसएमई-विकास संस्थान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार गिण्डि, चेन्नै, संकाय थे।
- एमएफएल प्रशिक्षण केन्द्र में 11.03.2020 को श्री के.राम सुबमोनिय पिल्लै, सेवानिवृत्त आईआरएएस, विसमुलेधि, दक्षिण रेलवे, चेन्नै द्वारा ‘निविदा अवधरणों, सार्वजनिक खरीद और पीएसयु में मध्यस्थता’ विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस उच्च इंटरैक्टिव स्तर में वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर उप महाप्रबंधक स्तर तक के लगभग 45 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में सार्वजनिक खरीद में क्या करें और क्या न करें और सामान्य खतरे, प्राक्कलन से निविदा के बाद की स्थिति के बारे में बताया। सत्र के दौरान कई मामले के अध्ययन भी साझा किए गए, जिससे प्रतिभागियों की जागरुकता बढ़ी।

मानव संसाधन और औद्योगिक संबंध

मानवशक्ति एवं प्रशिक्षण

- पिछले वर्ष 571 की तुलना में 31.03.2020 के अनुसार एमएफएल की कुल संख्या 31.03.2019 को 593 है। अप्रैल 2019 - मार्च 2020 तक की अवधि के लिए संगठन के विकास और स्थायी लाभ हेतु 522 कर्मचारियों को तकनीकी, व्यवहार और जीवन कौशल विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

औद्योगिक संबंध

- वर्ष के दौरान, कंपनी में समग्र औद्योगिक संबंध की स्थिति सामान्य और सौहार्द रही।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के कल्याण क्रियाकलाप

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति कर्मचारियों के लिए समय समय पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशों एवं विभिन्न मार्गदर्शकों का अनुपालन किया जा रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लिए सरकारी निदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक संपर्क अधिकारी को तैनात किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति कक्ष का गठन किया गया है।
- 15 अप्रैल, 2019 को हमारे बोर्ड कक्ष में डॉ. अंबेडकर जयंती मनाने के लिए ₹ 60,000/- प्रदान किया गया था और राष्ट्रीय नेता की स्मृति में एक अच्छे तरीके से आयोजित किया गया।

बीसी/एमबीसी/ओबीसी कल्याण गतिविधियां

- 17 सितंबर, 2019 को तंदै पेरियार ई वी रामसामी के जन्मदिन के अवसर पर संघ ₹ 30,000/- का भुगतान किया गया था और राष्ट्रीय नेता की स्मृति में एक अच्छे तरीके से आयोजित किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी में पत्राचार तथा अन्य कार्यान्वयन संबंधी कार्यों के लिए नियत लक्ष्य को पूर्ण रूप से लगातार किया जा रहा है। प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा पखवाडा चलाया गया। विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं और पुरस्कार वितरित किए गए। राजभाषा निरीक्षण किया गया था और हिंदी कार्यशाला का संचालन उर्वरक विभाग के सहायक निदेशक, राजभाषा श्री डी.पी. मिश्रा द्वारा किया गया था और कार्यशाला में 24 अधिकारियों ने भाग लिया था। हिंदी में नोटिंग की प्रतिशतता को सुधारने के लिए प्रयास किए गए।

निदेशक संबंधी कक्ष (आईआरसी)

आईआरसी जो मुख्य वित्तीय अधिकारी (महाप्रबंधक - एफ एण्ड ए) व कंपनी सचिव के अधीन कार्यरत है और सदस्यों के विभिन्न ग्रुपो को कंपनी की ताकत के संबंध में जागरुकता शेरधारकों को समय पर सूचित करता है।

कोविड 19 का प्रभाव

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन एमएफएल उत्पाद/सेवाएं आता है। तदनुसार, हम भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार अपने संयंत्रों और उर्वरकों के उत्पादन, इसके परिवहन और वितरण को चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कई बाधाओं के बावजूद, उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार और कर्मचारियों के परिपूर्ण समर्पण के समर्थन से एमएफएल के संयंत्र चालू हैं।



वैधानिक सूचना

बोर्ड का वार्षिक मूल्यांकन

सेबी (सूची और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के विनियमन 34 के उप-नियमन (2) के खंड (एफ) विनियम 2015 में निर्धारित किया गया है कि वार्षिक रिपोर्ट में एक पर्यावरण से सूचीबद्ध संस्था द्वारा की गई पहल का वर्णन करने वाली व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट होगी। निर्दिष्ट प्रारूप में सामाजिक और शासन परिप्रेक्ष्य। तदनुसार वित्त वर्ष 20 के लिए व्यावसायिक जवाबदेही रिपोर्ट को इस वार्षिक रिपोर्ट में जोड़ा गया है।

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

सेबी के विनियमन 34 के उप-नियमन (2) के खंड (एफ) (उपलक्ष्य और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करना) विनियम 2015, यह निर्धारित करता है कि यह निर्दिष्ट करता है कि वार्षिक रिपोर्ट में निर्दिष्ट प्रारूप में पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से सूचीबद्ध संस्था द्वारा की गई पहल का वर्णन करने वाली व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट शामिल होगी। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 20 के लिए व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट को इस वार्षिक रिपोर्ट में जोड़ा गया है।

बोर्ड की बैठक

वर्ष 2019 - 20 के दौरान, बोर्ड की सात बैठकें बुलाई गईं और आयोजित की गई थीं। कार्पोरेट गवर्नेन्स में निदेशक मंडल की बैठकें संबंधी विवरण दी गई है जो इस रिपोर्ट का एक भाग है। बैठकों के बीच की अवधि के अंतर कंपनी अधिनियम 2013 के निर्धारित अविधि में ही हुआ है।

कर्मचारी और संबंधी प्रकटन विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 (12) के अंतर्गत, कंपनी (प्रबंधकीय व्यक्ति की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 5 (2) और 5 (3) के साथ पड़ा जाय, नियम 2014, यह सूचित किया जात है कि किसी भी कर्मचारी, प्रति महीना ₹ 5 लाख से अधिक के दर पर वर्ष के किसी भी अंश के लिए पारिश्रमिक की प्राप्ति नहीं की है।

निदेशक दायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के तहत, आपके निदेशकों, द्वारा बताया जाता है कि,

- ए) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वार्षिक लेखों की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित विषयों का उचित स्पष्टिकरण लेखा मानकों (इंड एस) के अनुपालन सहित किया गया है।
- बी) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन तथा और उन्हें लगातार लागू किया है और वे निर्णय अनुमान लगाए हैं कि जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण और उस वर्ष में कंपनी के लाभ और हानि का विवरण दे सके।
- सी) कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा हेतु और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए निदेशकों ने लेखा खाताओं के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त प्रयास लिया है।
- डी) निदेशकों ने वार्षिक लेखों की तैयारी संबंधित आधार पर की है।
- ई) निदेशकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किया है जिसको कंपनी द्वारा पालन करना है और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है; और

एफ) निदेशकों ने कानून के सभी प्रावधानों के अनुपालन हेतु सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और यह प्रणाली पर्याप्त है और प्रभावी रूप से संचालित है।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण कार्पोरेट रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और विदेशी मुद्रा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के अनुसरण क्रम में ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा उपार्जन और बहिर्वाह को इस रिपोर्ट के अंग बननेवाले **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

प्रबन्धन रिपोर्ट और विश्लेषण रिपोर्ट

लिस्टिंग करार के अंतर्गत अपेक्षित प्रबन्धन रिपोर्ट और विश्लेषण रिपोर्ट **अनुलग्नक-11** में संलग्न किया गया है।

कार्पोरेट प्रशासन

कंपनी कार्पोरेट गवर्नेन्स का उच्चतम स्तर बनाए रखने और सेबी के कार्पोरेट गवर्नेन्स की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। बोर्ड, कंपनी के सभी हितधारकों के लाभ के लिए उत्तरदायित्व है। दी सेक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया (लिस्टिंग अब्लिगेशन एण्ड डिशक्लोशर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2015 के अनुसार रिपोर्ट के अंग बननेवाले **अनुलग्नक-111** में दिया गया है।

आचरण संहिता

दी सेक्युरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया (लिस्टिंग अब्लिगेशन एण्ड डिशक्लोशर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशन 2015 ("लिस्टिंग रेगुलेशन") के अनुसरण 17(5) में आचरण संहिता के साथ अनुपालन का सुनिश्चयन करनेवाली घोषणा इस रिपोर्ट के अंग बननेवाले **अनुलग्नक-IV** के रूप में संलग्न की गई है।

वार्षिक उद्धरण का विवरण

अधिनियम की धारा 92 (3) के अधीन वार्षिक वापसी का विवरण से संबंधित **एमजीटी 9 फार्म अनुलग्नक-V** में संलग्न है।

लेखा परीक्षक

- ए) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स आनंद एंड पोन्नप्पन (एमडी 0327), सनदी लेखाकार, चेन्नै को नियुक्त किया है।
- बी) वर्ष 2020 - 21 के लिए अरुणा प्रसाद, कास्ट लेखाकार, को कंपनी के कास्ट लेखा परीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।
- सी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अधीन और नियमानुसार, वर्तमान में रहे कंपनी सचिव से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त सचिवालयी लेखा परीक्षा रपट बोर्ड के रपट के साथ संलग्न किया जाना है और ध्यान में रखते हुए, 13.08.2020 को संपन्न कंपनी के बोर्ड की 312 वीं बैठक में श्री वी.इसकी एंड एसोसिएट, (एम.नं.30353), प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, को आपके कंपनी के सचिवालयी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के सचिवालयी लेखा परीक्षा रपट **(फार्म नं.एमआर - 3)**



का विवरण **अनुलग्नक-VI** में संलग्न है। इसके अलावा, सेबी एलओडीआर विनियमों के संदर्भ में, वर्ष 2019-20 के लिए श्री वी.इसकी, सचिवालयी अनुपालन रिपोर्ट भी प्राप्त की गई है।

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार और सेबी (लिट्रिंग आब्लिगेशन एण्ड डिक्लोजर रिक्वायरमेंट्स), रेगुलेशन, 2015 के अंतर्गत बोर्ड के लिए लेखा परीक्षा समिति गठित की गई है। कर्पोरेट गवर्नेन्स के रपट में विस्तार से लेखा परीक्षा से संबंधित सदस्यों/बैठकों का विवरण दी गई है। बोर्ड ने लेखा परीक्षा समिति द्वारा दिए गए सभी सुझाओं को स्वीकार किया।

पब्लिक जमाएँ

कंपनी ने पब्लिक से किसी भी प्रकार की जमा को स्वीकार नहीं किया है और इस तरह, मूल राशि के जमा पर मूलधन या ब्याज पर कोई राशि तुलन -पत्र की तारीख के अनुसार बकाया है।

संबंधित पार्टियों से करार या व्यवस्था

समीक्षाधीन वर्ष के लिए संबंधित पार्टियों के साथ दर्ज किए गए लेनदेन के सामान्य पद्धति पर करोबार की गई। रिपोर्ट में, समीक्षाधीन अवधि के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन का विवरण फार्म नं. **एओसी -2** के अंतर्गत **अनुलग्नक-VII** में संलग्न है।

कार्पोरेट समाज दायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, बोर्ड की सीएसआर समिति में 3 या अधिक निदेशक शामिल हैं, उसमें स्वतंत्र रूप से एक निदेशक है। सीएसआर समिति 05 जून, 2019 तक रहेगी। इसके अलावा, एमएफएल स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के साथ कार्य को तेजी से प्राप्त करने के प्रयास में है। डीओएफ द्वारा स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति किए जाने के बाद, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी सीएसआर समिति की पुनर्गठन करेगी।

तथापि, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित सीएसआर गतिविधियों का अनुपालन किया है। वार्षिक रपट में सीएसआर गतिविधियों संबंधी विवरण **अनुलग्नक-VIII** में संलग्न है। जो इस रपट का एक भाग है।

सामग्री परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएँ

वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 2020) और रपट की तारीख के बीच कंपनी के वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं थे।

सीईओ/सीएफओ प्रमाणिकरण

सेबी रेगुलेशन, रेगुलेशन 17 (8) के अंतर्गत, 28.08.2020 को आयोजित बैठक में वर्ष के अंत में 31 मार्च, 2019 को कंपनी के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण

प्रमाण-पत्र में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और माहप्रबंधक, वित्त और लेखा (लेखा) और कंपनी के सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करके निदेशक मंडल को सौंपे गए विवरण **अनुलग्नक-IX** में संलग्न है। जो इस रपट का एक भाग है।

सेबी विनियम (एलओडीआर), 2015 की अनुसूची V के भाग सी के खंड 10 के अनुसरण करने के लिए कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण -पत्र

मेसर्स वी. ईसकी एंड एसोसिएट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से 04 अगस्त, 2020 को प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ और इस बात की पुष्टि करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक बोर्ड के मंत्रालय/कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा नियुक्त या जारी रहने से वंचित या अयोग्य नहीं है या संवैधानिक अनुबंध के रूप में संलग्न है।

सतर्कता कार्यविधि

एमएफएल के निदेशकों और कर्मचारियों के लिए उनके संबंध के विषयों को रिपोर्ट करने हेतु सतर्क कार्यविधि है। निदेशकों और कर्मचारियों सीधे बोर्ड के अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति से संपर्क कर सकते हैं और अपने मामलों पर उचित रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। सतर्कता कार्यविधि और व्हीसिल ब्योर नीति कंपनी की www.madrasfert.co.in वेबसाइट में प्रकाशित की गई है।

इन्साइडर ट्रेडिंग का रोकथाम

आज की तारीख तक एमएफएल शेयरों पर इन्साइडर ट्रेडिंग का कोई रिपोर्ट नहीं है। एमएफएल में कोई भी निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक एमएफएल में कोई शेयर नहीं रखते हैं। इन्साइडर ट्रेडिंग के रोकथाम के लिए आचरण संहिता तथा कार्पोरेट प्रकटीकरण हेतु विवरण कंपनी के वेबसाइट www.madrasfert.nic.in पर उपलब्ध है।

प्रशंसा

आपके निदेशकगण भारत सरकार, उर्वरक विभाग, तमिलनाडु सरकार, एन.आई.ई.सी.ओ, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, जमाकर्ताओं और वर्ष के दौरान सभी दावेदारों के अनवरत और वेदगी समर्थन के लिए अपनी प्रशंसा हार्दिक रूप से प्रकट करते हैं। यह कहना अत्यन्त समीची न रहेगा कि निदेशकगण वरीयता पद्धति परिदान-बिलों के भुगतान के लिए और डीलरों और किसानों की विजय उत्पादों को उनके धारणीय समर्थन के लिए उर्वरक विभाग को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अन्त में, आपके निदेशकगण कर्मचारियों द्वारा धारणीय विश्वास के लिए प्रदत्त समर्पण, प्रतिबद्धता और निष्कपट सेवाओं के लिए अपनी प्रशंसा को दर्ज करना चाहते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार

यू सरवगन

चेनै

28 अगस्त, 2020

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीन: 07274628



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

अनुबंध - I

कंपनी (निदेशकगण के प्रतिवेदन में विवरण प्रकटन) नियम 1988
प्रपत्र - ए

ऊर्जा संरक्षण के संबंध में विवरण का प्रकटन

	वित्तीय वर्ष 2019-20	पिछले वर्ष 2018-19
अ) विद्युत एवं ईंधन का उपयोग		
1. विद्युत		
(अ) खरीदी		
यूनिटें (लाखों में)*	878.628	944.428
कुल रकम (₹ लाखों में)	6913.768	7361.449
दर / यूनिट (₹)	7.87	7.79
*टी.टी.पी कोडुंगैयूर में उपयुक्त किये गये विद्युत शामिल		
आ) निजी प्रजनन		
(i) डी.जल जनरेटर द्वारा		
यूनिटें (लाखों में)	25.968	8.154
डी.जल उपभोग (केएल)	779.040	244.620
डी.जल की प्रतिलिटर यूनिटें	3.333	3.333
लागत / यूनिट (₹)	20.56	21.36
2. कोयल	लागू नहीं	लागू नहीं
3. भट्टी तेल एवं एल एस हेच एस		
परिमाण (टणों में)	35572	104195
कुल लागत (₹ लाखों में)	10002.381	37765.446
औसत दर (₹ प्रति टन)	38118.69	36244.97
4. अन्य / प्रजनन	कुछ नहा	कुछ नहा
आ) उत्पादन के प्रति यूनिट का उपभोग		
	एफआईसीसी मानक	
	2019-20	2018-19
(क) उत्पाद : अमोनिया		
विद्युत (के डब्ल्यू हेच) *	115.000	113.912
ईंधन तेल + एचएसएचएस (एम टी)	0.2341	0.0787
नापथा (एम टी)	0.7829	0.7608
* निजी प्रजनन को मिलाकर आरएलएनजी(एमएमएससीएम)	0.001089	
(ख) उत्पाद: यूरिया		
विद्युत (के डब्ल्यू एच)	202.000	155.478
ईंधन तेल + एचएसएचएस (एम टी)	0.1309	0.0434
आरएलएनजी(एमएमएससीएम)	0.000092	
(ग) उत्पाद: एन पी के		
विद्युत (के डब्ल्यू एच)	43.410	63.145
ईंधन तेल + एचएसएचएस (एम टी)	0.0069	0.0087

54^{वाँ} वार्षिक रिपोर्ट 2019 - 20



प्रपत्र - बी

अनुसंधान एवं विकास तथा पौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में विवरण का प्रकटन

अनुसंधान एवं विकास

1	कंपनी द्वारा चालये गये अनुसंधान एवं विकास के विशेष क्षेत्र	कुछ नहीं
2	उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास के फलस्वरूप निष्पन्न लाभ	
3	भावी कार्यवाही योजना	
4	अनुसंधान एवं विकास पर व्यय	
	पूँजी	
	आवर्ती (लाखों में)	
	कुल (लाखों में)	
	कुल कारोबार की प्रतिशत के रूप में कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय	

प्रौद्योगिक अवशोषण, अनुकलन एवं नव-प्रवर्तन:

1	प्रौद्योगिक अवशोषण, अनुकलन एवं नव-प्रवर्तन की ओर किये गये प्रयत्नों का संक्षेप	कुछ नहीं
2	उत्पाद में वृद्धि, लागत घटाव, उत्पाद विकास, आयात प्रतिपूर्ति आदि जैसे उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप निष्पन्न सुविधाएँ	कुछ नहीं
3	आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण (वित्त वर्ष के प्रारंभ से गिनकर पिछले 5 वर्ष के दौरान आयातित)	कुछ नहीं

विदेशी मुद्रा उपार्जन एवं बहिर्गमन

	2019-20
1. निर्यात से संबंधित क्रिया-कलाप	कुछ नहीं
2. उपयोग की गई कुल विदेशी मुद्रा	(₹ करोड़)
कच्ची समाग्रियाँ	31.18
उपकरण एवं फुटकर पुर्जे	4.05
पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ / यात्रा	0.12
कुल	----- 35.35 -----
3. कुल विदेशी मुद्रा उपार्जन	कुछ नहीं



प्रबन्धन की चर्चाएँ और विश्लेषण

कारोबार

भारत सरकार, रसायन व उर्वरक मंत्रालय, (डीओएफ) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) वर्ष 1966 में एक उपक्रम के रूप में गठित हुआ

एम.एफ.एल में अमोनिया, यूरिया और काम्प्लेक्स उर्वरकों के उत्पाद से लगा हुआ है। एमएफएल "विजय" छापनाम के तहत जैव-उर्वरक के उत्पादन और आर्गानिक उर्वरक, और नीमयुक्त कीटनाशक जो पर्यावरण मैत्री तथा उत्पादन और विपणन में भी लगा हुआ है।

परिचय

कृषि स्थिति प्रबल:

तमिलनाडु में, खरीफ 19 के दौरान 15-20% वर्ष की कमी ने धान, मक्का, गन्ना, मूंगफली, कपास, हल्दी, टैपिओका आदि जैसी प्रमुख फसलों के कवरेज को प्रभावित किया। लेकिन रबी पर्व के दौरान हुई बारिश ने सभी बांधों विशेष रूप से कावेरी डेल्टा क्षेत्र में जल स्तर में वृद्धि की, जिसे मुख्य रूप से मेट्टूर बांध द्वारा पूरा किया गया जिसमें 19 जुलाई 2019 को 12 जून की प्रथागत तिथि पर पानी छोड़ा गया है। इसलिए कुरुवई, संवा, थलाडी और नवरै जैसे विभिन्न मौसमों में डेल्टा जिलों में प्रमुख फसल धान की बुवाई सामान्य कवरेज के अनुसार बहुत अच्छी तरह से कवर की गई थी। इसके साथ ही तमिलनाडु में समग्र फसल कवरेज और कृषि उत्पादन संतोषजनक स्तर पर था।

तेलंगाना राज्य ने खरीफ 19 में 15% की कमी बारिश देखी, हालांकि रबी मौसम के दौरान और विशेष रूप से जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश से नागार्जुन सागर, श्रीराम सागर और सभी छोटे जलाशयों जैसे प्रमुख बांधों में जल स्तर बढ़ गया। इसके साथ ही खरीफ के दौरान फसल की स्थिति सामान्य थी और रबी 2019-20 के दौरान 70-80% की वृद्धि देखी गई।

21 जून, 2019 को दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत के साथ आंध्र प्रदेश में, अगस्त और सितंबर 2019 के दौरान समग्र जिलों में अच्छी वर्ष हुई और 16 अक्टूबर, 2019 को उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत हुई। सभी प्रमुख जलाशयों अर्थात् श्रीसैलम और नागार्जुन सागर में जल स्तर पूर्ण स्तर पर पहुँच गया। कुल मिलाकर खरीफ और रबी के दौरान व्यापक फसल कवरेज पर ध्यान दिया गया। धान का रकबा बढ़ा और रबी पर्व के दौरान अच्छी कृषि उत्पादकता देखी गई।

कर्नाटक में, मानसून में देरी हुई और अप्रैल से जुलाई 2019 के बीच बहुत कम बारिश हुई, जिससे आलू, हरा चना, मक्का, सूरजमुखी, रागी, कपास की बुवाई प्रभावित हुई। हालांकि, अगस्त 2019 से बहुत अच्छी बारिश हुई, जिसके परिणामस्वरूप सभी जलाशय यानि केआरएस, काबीनी, हरंगी और हेमावति भर गए। कोडगु, चिकमंगलूर और हासन में भारी वर्षा से कॉफी, काली मिर्च और आलू की फसलों को नुकसान हुआ। इस प्रकार, 20-40% पैदावार कम हो गई। जलाशयों में पर्याप्त पानी होने के कारण, सिंचित बेल्ट में गर्मियों के दौरान धान और गन्ने की फसल कवरेज सामान्य थी। उर्वरक की अच्छी खपत देखी गई।

उत्तर और मध्य केरल में भारी बारिश के कारण जुलाई-मार्च के दौरान वाढ से प्रभावित हुए, जिससे इलायची, केला और अदरक जैसी फसले प्रभावित हुई, और कम पैदावार हुई। कम उत्पादन के कारण इलायची की कीमत रु.4000/- प्रति किलोग्राम बढ़ गई, रबड़े की कीमत रु.1200/- प्रति किलोग्राम के बराबर थी, जिसके परिणामस्वरूप उर्वरक की कीमत घट गई। कोली धान क्षेत्र कम हो गया और केरल में ग्रीष्मकालीन धान का क्षेत्र सामान्य हो गया।

उर्वरक क्षेत्र

(लाख एमटी)

उत्पाद	यूरिया		एनपीके	
	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
एमएफएल विपणन क्षेत्र में बिक्री	50.96	56.31	40.99	49.33
एमएफएल बिक्री	4.19	3.24	0.27	0.65

काम्प्लेक्स उर्वरकों के लिए, 1.4.2010 से एनबीएस लागू है, जहां सरकार द्वारा वार्षिक आधार पर सब्सिडी तय की जाती है और बाजार की गतिकी के आधार पर निर्माताओं द्वारा एमआरी को तय किया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान, 17-17-17 की नियत की गई राशि रु.7691/- थी जो 2018-19 के समान थी।

अनुकूल कृषि परिस्थिति के कारण एमएफएल क्षेत्र में यूरिया और एनपी/एनपीके की खपत बढ़ी है। यूरिया की खपत केवल एमएफएल के क्षेत्र में सीपीसी से 10.5% और एनपीके/एनपीकेएस में सीपीईसी पर 20.3% बढ़ी है। जुलाई 2019 तक फीडस्टॉक रूपांतरण प्रक्रिया के विस्तार में उत्पादन की कमी के कारण यूरिया पर एमएफएल की बाजार हिस्सेदारी 8.24% से घटकर 5.75% हो गई है और एमएफएल क्षेत्र में एनपीके की हिस्सेदारी 0.67% से बढ़कर 1.33% हो गई है।



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

- ❖ वर्ष के दौरान, एमएफएल ने 75:25 के सीपीएलवाई की तुलना में यूरिया संचालन के लिए रेल:सडक मार्ग का 83:17 अनुपात हासिल किया, जो कि उर्वरक विभाग के मानदंड के उच्चतम उपलब्धि 80:20 से भी ज्यादा है।
- ❖ एमएफएल ने छूट को काफी कम कर दिया है। पहले से ही एकत्र की गई ब्यापार अग्रिम के लिए दी जानेवाली ब्याज छूट को छोड़कर, हमने केवल रु.0.65 लाख के सीपीओ पर रु-36.54 लाख, वर्ष 2018-19 के दौरान रु.12.15 करोड़ की अनुमति दी, जिससे विपणन लागतों में भारी वृद्धि बचाया है।
- ❖ वित्तीय वर्ष के दौरान, एमएफएल द्वारा कोई प्रमुख क्रेडिट अवधि नहीं दी गई, जबकि प्रतिभागियों ने विभिन्न छूट/छूट और बहुत ही उदारतापूर्वक क्रेडिट सुविधाएं दी।
- ❖ लगातार दूसरे वर्ष 100 % प्राप्त किया, एमएफएल द्वारा किए गए सभी बिक्री लेनदेन आरटीजीएस के माध्यम से ही किए गए थे।

भूमंडलीय परिदृश्य

वर्ष 2019-20 के दौरान, 2018-19 की तुलना में यूरिया का अंतर्राष्ट्रीय एफओबी मूल्य में वृद्धि रहा। अप्रैल 19 के दौरान यह मूल्य 262 यू एस डालर पीएमटी था, जुलाई 19 तक उच्च 294 यू एस डालर पीएमटी तक पहुंचा गया, बाद में यह दिसंबर 19 में 250 यू एस डालर पीएमटी तक कम हो गया और अंत में जनवरी-मार्च 2020 के दौरान 257 यू एस डालर पीएमटी पर आ गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 260-356 यू एस डालर पीएमटी के साथ की तुलना में है। उच्च मांग और निर्यात कम होने के कारण 356 यू एस डालर तक वृद्धि हुई और अंत में 258-263 यू एस डालर तक नियत हुई

फास्फोरिक एसिड सीएफआर मूल्य कम पर था। और 2019 के दौरान यह 728 यू एस डालर पीएमटी था और बाद में हर तिमाही को कम होना शुरू हो गया और अंत में जनवरी-मार्च 2020 के दौरान 590 यू एस डालर में नियमित हो गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 678-768 यू एस डालर पीएमटी थी।

अप्रैल-अक्टूबर - 2019 के दौरान एमओपी सीएफआर की कीमत 290 यू एस डालर पीएमटी थी और वर्ष के दौरान नियमित रही और अंत नवंबर 19 - मार्च 20 के दौरान 280 यू एस डालर पीएमटी पर आ गई। यह पिछले वर्ष की तुलना में 240-290 पीएमटी के साथ की तुलना में है।

प्रमुख उर्वरकों का उत्पादन, आयात और उपभोग (अखिल भारतीय आधार पर)

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए भारत में यूरिया और काम्प्लेक्सों जैसे मुख्य उर्वरक का उत्पादन, आयात और उपभोग के आंकड़े नीचे दिये गये हैं:

(लाख एम टी)

उत्पाद	यूरिया		डी ए पी		एन पी/एन पी के (डीएपी के अलावा)		एम ओ पी *	
	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
उत्पाद	238.99	244.55	38.98	45.50	89.79	86.93	-	-
आयात	74.81	91.23	66.02	48.70	5.46	7.46	42.14	36.70
उपभोग	320.13	336.95	87.34	100.99	90.41	98.57	27.34	27.87

* केवल सीधे प्रयोग के लिए, एनपीके/कॉम्प्लेक्स उर्वरक इकाइयों के आपूर्ति को छोड़ दे।

यूरिया/ एन.पी./ एन.पी.के. उर्वरकों का एम.एफ.एल. उत्पादन

(लाख एम टी)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
एनसी यूरिया	4.07	4.68	4.19	3.94	3.45
एन पी./ एन .पी.के.	0.35	0.49	0.62	0.52	0.65

विजय बयो उर्वरकों का उत्पादन

(एम टी)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
परिमाण	349.14	276.52	110.74	83.00	150	46.400



उर्वरक पोषक तत्वों के लिए अखिल भारतीय माँग पूर्वानुमान 2019-20 - 2021 -22.

(लाख एम टी)

अवधि	एन	पी	के	कुल	अनुपात (एन पी के)
2019-20 (आ.) *	191.48	76.62	26.07	294.17	7.3:2.9:1
2020-21	194.09	77.63	27.17	298.89	7.1:2.9:1
2021-22	196.42	79.12	28.12	303.65	7.0:2.8:1

* डीबीटी बिक्री

2020-21 - 2021-22 अखिल भारतीय उत्पादवार माँग पूर्वानुमान

(लाख एम टी)

अवधि	यूरिया	डी ए पी	एस एस पी	एम ओ पी	काम्प्लेक्स उर्वरक
2019-20 (आ.)*	336.95	100.10	44.03	27.87	98.57
2020-21	340.55	102.31	45.12	29.30	101.51
2021-22	343.82	104.32	46.48	30.41	103.03

* डीबीटी बिक्री

उपर्युक्त आंकड़े अनुमानित अनुमान हैं। मौसम के शुरुआत के आधार पर, सिंचाई, उत्पादन और आयात, फसल पैटर्न आदि में परिवर्तन की उपलब्धता, उर्वरक खपत इन सभी में भिन्न हो सकती है। उर्वरक उत्पादों की मांग की अनुमान वर्तमान उत्पाद पोषक तत्व अनुपात पर आधारित है। हालांकि, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना और मिट्टी के स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे कार्यक्रम और संतुलित उर्वरक पोषक तत्वों के प्रचार, आने वाले वर्षों में उर्वरकों की मांग तर्कसंगत हो सकती है।

फास्फेटिक एवं पोटासिक उर्वरकों के लिए पोषक आधार आर्थिक (एनबीएस) सहायता

भारत सरकार ने 01.04.2010 से प्रभावी पोषक आधार हमदाद चरण - I को लागू किया। यह योजना डीएपी, एमओपी, एमएपी, एसएसपी, टीएसपी और काम्प्लेक्स उर्वरक के अन्य बारह ग्रेडों पर लागू होगी।

एनबीएस के तहत, वृद्धि/गैर-वृद्धि के बिना वर्ष के लिए सब्सिडी का निर्धारण किया गया और बाजार मूल्य खुला है। निर्माताओं को निवेश - मूल्यों के आधार पर बाजार मूल्य का निर्धारण करने की आजादी है और प्रत्येक उर्वरक थैले पर उच्चतम खुदरा मूल्य मुद्रित (एमआरपी) करने की अपेक्षा है।

2018-19, 2019-20 और 2020 - 21 के लिए 'एन' 'पी' के पोषक के लिए प्रति किलोग्राम पोषक तत्व आधारित सब्सिडी का विवरण निम्नानुसार है

क्रम सं.	न्यूट्रियन्ट	2018-19	2019-20	2020-21
1	N	18.901	18.901	18.789
2	P	15.216	15.216	14.888
3	K	11.124	11.124	10.116
4	S	2.722	3.562	2.374

तदनुसार, एनबीएस को विभिन्न पी एण्ड के उर्वरकों के लिए अंतिम रूप दिया गया और सशक्तिकृत उर्वरकों के लिए, सल्फर, बोरॉन और जस्ता जैसे माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के अतिरिक्त सब्सिडी दिया गया। तथापि, एमएफएल ने नाफ्था युक्त कैप्टिव अमोनिया के उपयोग हेतु अतिरिक्त मुआवजा को दिनांक 01.04.2012 से अब तक देने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है, जो अब भारत सरकार के विचाराधीन है। चालू वर्ष 2020-21 के लिए, भारत सरकार ने 17-17-17 एमटी के लिए ₹ 7,445/ की सब्सिडी नियत की है जो कि ₹ 246/ - एमटी की कमी है।



जोखिम प्रबंध

उर्वरक उद्योग द्वारा सामना की जानेवाली चुनौतियाँ हैं:- उर्वरक और कच्चे पदार्थों का तेजी से बढ़ते परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय बाजार, रुपए मूल्य में खड़ी मूल्यह्रास नई एनबीएस नीति के कारण एनपीके उर्वरकों के बढ़ते दाम और ग्रामीण बाजारों के साथ संबद्ध इतिहासिक चुनौतियों के अलावा उर्वरक फर्मों की कार्य-पूजी अपेक्षाओं में वृद्धि। कंपनी में बेहतर प्रबंधन पद्धतियों द्वारा शामिलगी संबंध जोखिमों को कम करने के लिए उचित रण नीतियाँ निर्धारित करने और कार्पोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जोखिम प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया सहित सुनिश्चित जोखिम प्रबंध प्रणाली है।

परिचालनीय, निवेशी, उपभोज्य, परियोजना कार्यान्वयन, व्यापार, प्रतिस्पर्धा, सम्पत्तियाँ, आन्तरिक नियंत्रण, पर्यावरणीय, वित्तीय, मानवसंसाधन, कानूनी, विनियामक, एनआईएस और बाजार - जोखिम को कंपनी के निष्पादन पर उनके प्रभाव को पहचाना गया और शेरधारकों के हित नीति के तहत जोखिम प्रबंधन और जोखिम शमन की रिपोर्टिंग समय समय पर लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी में कंपनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा और परिचालनों की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक आन्तरिक नियंत्रण प्रणालीमें दस्तावेजीकृत नीति निर्देशतत्व और मैनुअलों द्वारा नियमित रूप से अधिकार प्रदानन, पर्यवेक्षण, आर्न-लाइन एकीकरण प्रणाली (Hओएलआईएस) और जांचें एवं पद्धतियाँ शामिल हैं।

कंपनी में पेशेवरों के एक दल द्वारा प्रबंधित एक आंतरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था चातू है, जो नीतियों, पद्धतियों और संवैधानिक अपेक्षाओं के साथ पर्याप्तता और अनुपालन की जांच करने का अधिकार प्रदत्त है। आन्तरिक लेखा परीक्षा, कंपनी के परिचालनों की नियमित रूप से जांच करती है और प्रबंधन सरकारी लेखा परीक्षकों, संवैधानिक लेखा परीक्षकगण, आन्तरिक लेखा परीक्षकगण और उसके परिवर्द्धन के लिए निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करके समुचित कार्रवाई करता है।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कंपनी के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए शून्य सहिष्णुता है और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करना और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण और रोकथाम के लिए नियम है।

यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों का निवारण करने के लिए एमएफएल में आंतरिक अनुपालन समिति (आईसीसी) लागू है। सभी महिला सहयोग (स्थायी, अस्थायी, समझौते के तौर पर और प्रशिक्षु) और साथ ही कंपनी के परिसर में आनेवाले किसी भी महिला को इस प्रावधान के तहत शामिल किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान उठाए गए यौन उत्पीड़न के मुद्दों, सम्मिलित और विवादों का विवरण:-

प्राप्त शिकायतों की संख्या	:	0
निपटाई गई शिकायतों की संख्या	:	0
90 से अधिक दिनों से लंबित मामलों की संख्या	:	0



कार्पोरेट प्रशासन पर प्रमाण-पत्र

सदस्यगण, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

1. हमने, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के कार्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच निम्न उल्लिखित प्रकार से, की है। - मार्च 31, 2020 की अवधि के लिए एसइबीआई (लिस्टिंग दायित्व व विनियमन प्रकटीकरण) रेगुलेशन, 2015 के अनुसार है।
2. कार्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, कार्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं एवं कार्यान्वयन तक सीमित रही। यह न कोई लेखा परीक्षा है, न ही कंपनी के वित्तीय विवरणी पर राय की अभिव्यक्ति।
3. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार एवं प्रबंधन द्वारा किये गये प्रतिनिधित्व के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी में उपर्युक्त सूचीयन समझौते में उल्लिखित प्रकार कार्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।
4. हम आगे बताना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आशवासन है, न ही यह कंपनी के मामलों के प्रबन्ध की दक्षता अथवा प्रभावत्मकता के परिचायक है।

कृते जे वी रामानुजम एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002947S

स्थान: चेन्नै
19 जून, 2020

श्री नारायण जखोटिया
साझेदार
एम.संख्या 233192
UDIN: 20233192AAAAA19625

अनुलग्नक - IV

एसइबीआई (लिस्टिंग दायित्व व विनियमन प्रकटीकरण), 2015 के अनुसूची V के अंतर्गत आचरण-संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि की घोषणा

बोर्ड ने, बोर्ड के सभी सदस्यों तथा कंपनी के वरिष्ठ प्रबन्धन के लिए आचरण संहिता का निर्धारण किया है। आचरण संहिता कंपनी के वेबसाइट पर लगाया गया है।
बोर्ड के सभी सदस्यगण एवं वरिष्ठ प्रबन्धन कर्मचारीगण वित्त वर्ष 2019 - 20 के लिए उक्त संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

चेन्नै

28 अगस्त, 2020

यू सरवणन

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीन: 07274628



कार्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

कंपनी का उद्देश्य

कंपनी, अच्छी कार्पोरेट प्रशासन और पद्धतियों, जो समय के साथ अस्तित्व में आयी हैं, और जिनका बदलते परिदृश्य का अद्यतन किया जा रहा है। कंपनी की नागरिक चार्टर कार्पोरेट कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में पारदर्शित, निष्ठा और उत्तरदायित्व के लिए प्रावधान करता है। कंपनी का कार्पोरेट प्रशासन सिद्धांत और पद्धति में मध्यस्तरीय अधिकारीगण के आन्तरिक अधिकार प्रदान शामिल है।

दी सेक्युरेटी एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया (लिरिस्टिंग आक्विजिशन एण्ड डिशक्लोशर रिक्वायरमेंट्स) विनियमन, 2015 ('लिरिस्टिंग रेगुलेशन') के अनुसार आपका कंपनी कार्पोरेट प्रशासन के अंतर्गत अनुमेय नियमों का अनुपालन करता है।

निदेशक मण्डल

गठन

वर्तमान में, बोर्ड में विभिन्न प्रकार और अनुभवशाली 6 सदस्यगण हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (तकनीकी) कार्यकारी निदेशकगण हैं और अन्य सभी निदेशकगण गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। निदेशक मण्डल में भारत सरकार द्वारा नामित दो निदेशक और क्रियाशील निदेशक - निदेशक-तकनीकी और सीएमडी जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, नाफिट्रान इन्टर ट्रेड कंपनी लिमिटेड द्वारा नियुक्त तीन निदेशक, सह-प्रमोटर और भारत सरकार द्वारा नियुक्त चार स्वतंत्र गैर-सरकारी निदेशक शामिल हैं।

बोर्ड से संबंधित अन्य विवरण

वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशकों की कार्यावधि समाप्ति, निदेशकगण/समिति सदस्यगण (अर्थात् सेबी कार्पोरेट प्रशासन कोड के अंतर्गत लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक संबंधी समिति) संबंधी अन्य विवरण निम्नानुसार दिये गये हैं:

क्रम सं.	निदेशक	संवर्ग	अवधि		अन्य बोर्ड/समिति		
			से	तक	निदेशकगण	सदस्यगण	अध्यक्षगण
1	श्री यू.सरवणन (DIN 07274628)	सीएमडी	01.11.2018	जारी	2	-	-
2	श्री सिया शरण (DIN 07401363)	एनईडी - सरकार नामित	21.12.2018	**	-	-	-
3	श्री लाल संगलूर (DIN 08118636)	एनईडी - सरकार नामित	10.04.2018	जारी	1	-	-
4	श्री हर्ष मलहोत्रा (DIN 08520873)	निदेशक - (तकनीकी)	22.07.2019	जारी	1	-	-
5	श्री मोहम्मद बाघर दखिली (DIN 07704367)	एनईडी - सरकार नामित	18.02.2017	जारी	1	-	-
6	श्री बाबक बहपुर (DIN 08341090)	एनईडी - सरकार नामित	23.10.2018	जारी	1	-	-
7	श्री फ़ारजाद बहरामी बवानी (DIN 05352239)	एनईडी - सरकार नामित	18.02.2017	जारी	-	-	-
8	सीए.सुनिल वशिष्ठ (DIN 01967138)	गैर-कार्यकारी निदेशक	06.06.2016	05.06.2019	-	-	-
9	डॉ हेमन्त ए ठाकुर (DIN 07565337)	गैर-कार्यकारी निदेशक	06.06.2016	05.06.2019	-	-	-
10	श्री सी रमेश (DIN 06558099)	गैर-कार्यकारी निदेशक	06.06.2016	05.06.2019	-	-	-
11	श्रीमती वानति श्रीनिवासन (DIN 07614954)	गैर-कार्यकारी निदेशक	06.06.2016	05.06.2019	-	-	-



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

संपन्न बैठकें

वर्ष में, 27.05.2019, 14.08.2019, 19.09.2019, 08.11.2019 और 07.02.2020 को पांच (5) बैठकें चलाई गईं। वार्षिक सामान्य बैठक 19 सितंबर 2019 को आयोजित की गई थी। बोर्ड एवं वार्षिक साधारण बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नप्रकार है:-

क्रम सं.	निदेशक	संवर्ग	अवधि		निदेशकों की संबंधित अवधि पर चलाई गई बोर्ड बैठक		19.09.2019 को हुई वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति
			से	तक	चलाई गई बैठक	उपस्थिति	
1	श्री यू. सरवणन	सीएमडी	01.11.2018	जारी	5	5	हाँ
2	श्री सिया शरण	एनईडी - सरकार नामित	21.12.2018	**	5	1	नहीं
3	श्री लाल संगलूर	एनईडी - सरकार नामित	10.04.2018	जारी	5	4	नहीं
4	श्री हर्ष मतहोत्रा	निदेशक - (तकनीकी)	22.07.2019	जारी	4	4	हाँ
5	श्री मोहम्मद बाघर दखिली	एनईडी-एनआईसीओ सरकार नामित	18.02.2017	जारी	5	1	नहीं
6	श्री बाबक बहपुर	एनईडी-एनआईसीओ सरकार नामित	23.10.2018	जारी	5	2	नहीं
7	श्री फ़ारजाद बहरामी बवानी	एनईडी-एनआईसीओ सरकार नामित	18.02.2017	जारी	5	-	नहीं
8	सी.ए. सुनिल वशिष्ठ	गैर-कार्यकारी निदेशक	06.06.2016	05.06.2019	1	1	लागू नहीं
9	डॉ हेमन्त ए ठाकुर	गैर-कार्यकारी निदेशक	06.06.2016	05.06.2019	1	1	लागू नहीं
10	श्री सी रमेश	गैर-कार्यकारी निदेशक	06.06.2016	05.06.2019	1	1	लागू नहीं
11	श्रीमती वानति श्रीनिवासन	गैर-कार्यकारी निदेशक	06.06.2016	05.06.2019	1	-	नहीं



लेखा परीक्षा समिति

गत वर्ष 2019-20, 27.05.2019, 14.08.2019, 19.09.2019, 08.11.2019 और 07.02.2020 को 5 लेखा परीक्षा समितियों की बैठकें चलाई गईं। लेखा परीक्षा बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नप्रकार है :-

क्रम सं.	लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों का नाम	हैसियत	अवधि		चलाई गई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
			से	तक		
1	श्री लाल संगलूर	अध्यक्ष	14.08.2019	जारी	4	3
2	श्री यू.सरवणन	सदस्य	14.08.2019	जारी	4	4
3	सीए.सुनिल वशिष्ठ	अध्यक्ष	06.06.2016	05.06.2019	1	1
4	श्री सिया सरण	सदस्य	21.12.2018	**	5	1
5	श्री मोहम्मद बाघर दखिली	सदस्य	18.02.2017	जारी	5	4
6	डॉ हेमन्त ए ठाकुर	सदस्य	06.06.2016	05.06.2019	1	1
7	श्री सी रमेश	सदस्य	06.06.2016	05.06.2019	1	1
8	श्रीमती वानती श्रीनिवासन	सदस्य	06.06.2016	05.06.2019	1	-

** श्री सिया शरम (DIN No.07401363) ने 31 जुलाई, 2019 को अपने पत्र सं ओआर.ओए/फेर्ट/2019-20/पी.फाइल (सीसीए) में सूचित किया है कि उन्हें डीओएफ.भारत सरकार के मुख्य लेखा नियंत्रक के पद से भारमुक्त किया गया है और इस कारण वे 31.07.2019 प्रभावी से एमएफएल के बोर्ड में भारत सरकार के निदेशक के रूप में अपने प्रभार को त्याग दिया है। हालांकि, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग से कार्यालय आदेश की प्रतीक्षा है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम के रूप में, कार्यकारियों को प्रबंधकीय पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान भारत सरकार द्वारा नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों और बोर्ड की स्वीकृति के अनुसार है।

कंपनी द्वारा निदेशक को भुगतान किये गये वेतन, प्रोत्साहन, परिलब्धियों और अन्य सुविधाओं का कुल मूल्य ₹ 73,70,390/- है।

वर्ष के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकगण को बैठक/समिति की बैठक में भाग लेने हेतु (बैठक शुल्क के अलावा) किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

वर्ष 2019 - 20 के दौरान, 07.02.2020 को हितधारको संबंध समिति की एक बैठक निम्नप्रकार हुई:-

क्रम सं.	हितधारको संबंध समिति के सदस्यों के नाम	हैसियत	अवधि		बैठकों की संख्या
			से	तक	
1	श्री मोहम्मद बाघर दखिली	अध्यक्ष	18.02.2017	जारी	-
2	यू.सरवणन	सदस्य	13.08.2015	जारी	1
3	श्री लाल संगलूर	अध्यक्ष/ सदस्य	10.04.2018	जारी	1

दी सेक्युरिटी एण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (लिस्टिंग ऑब्जेक्शन एण्ड डिशक्लोशर रिक्वायमेंट्स.) विनियमन, 2015 के उपधारा 20 के अनुसार समिति का कार्य है।

वर्ष के दौरान, शेयर अन्तरण और शेयर संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए 11 शेयर अन्तरण समिति बैठकें आयोजित की गईं

उक्त अवधि के दौरान, कंपनी एवं अंतरण एजेंटों द्वारा सुधारी गई शिकायतों की संख्या 127 है, जिनमें शेयर प्रमाण-पत्रों के खो जाने, शेयर प्रमाण - पत्र का नकल जारी,



शेयरो के संचारन संबंधि नामांकन और पद्धति शामिल है। शिकायतों को पूरी तरह से दूर किया गया और 31 मार्च 2020 के अनुसार कोई शिकायत लंबित नहीं है।

अनुपालन अधिकारी: डॉ गिरीश कुमार को 14.अगस्त, 2019 से कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

साधारण सभा बैठक

पिछले तीन वार्षिक बैठकों के स्थान तथा प्रारंभ समय का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	स्थान	तारीख	समय
2018-2019	नारद गान सभा, नं.314, टीटीके रोड, आलवारपेट चेन्नै - 600 068	19/09/2019 (गुरुवार)	पूर्वाह्न 11.30 से
2017-2018	एमएफएल प्रशिक्षण केन्द्र प्रेक्षागृह (नार्थ गेट प्रवेश द्वार) एमएफएल सयंत्र, मललि, चेन्नै - 600 068	26/09/2018 (बुधवार)	पूर्वाह्न 11.30 से
2016-2017	राजा अण्णामलै मंड्रम (तमिल इसै संगम) 5, एस्पलनेड रोड, चेन्नै 600 108	22/09/2017 (शुक्रवार)	अपराह्न 02.30 से

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पोस्टल बैलट के माध्यम से नीचे दर्शाए गए अनुसार तीन विशेष संकल्प पारित किए गए।

संकल्प पारित करने की तारीख	उद्देश्य	संकल्प के पक्ष में मत		न संकल्प के विपक्ष में मत	
		मत की संख्या	मत का कुल %	मत की संख्या	मत का कुल %
13.08.2019	70 एकड़ भूमि की बिक्री	137515303	99.98	28505	0.02
13.08.2019	न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारित की आवश्यकता के अनुपालन में कंपनी के एसोसिएशन के लेखों में संशोधन	137525568	99.99	17740	0.01
13.08.2019	कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अपनाना	137525668	99.99	17640	0.01

कंपनी प्रबंधन और प्रशासन नियम, 2014, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 10 के प्रावधानों के अनुपालन में, के साथ पढ़ा जाए, कंपनी ने अपने शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एनएसडीएल ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वोट डालने के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की थी। पोस्टल बैलट फार्म और व्यापार लिफाफे शेयरधारकों को भेजे गए ताकि वे पोस्टल बैलट पर लिखित रूप से अपना वोट डालने में सक्षम हो सकें। कंपनी ने समाचार पत्रों में एक नोटिस भी प्रकाशित किया, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 और लागू नियमों के तहत प्रेषण और अन्य आवश्यकताओं के पूरा होने का विवरण घोषित किया था।

कंपनी ने बीपी एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, चेन्नै के पार्टनर श्री सी.प्रभाकर को पोस्टल बैलट प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करने के लिए स्क्रूटिनीजर नियुक्त किया था। स्क्रूटिनी करनेवाले ने अपनी रिपोर्ट सभापति को सौंप दी, जांच पूरी होने के बाद और मतपत्रों को पोस्ट करके मतदान के परिणाम की घेष्णा अध्यक्ष/प्राधिकृत कार्यालयों द्वारा की गई। मतदान के परिणाम को भेजे गए और कंपनी वेबसाई पर प्रदर्शित किए गए। कंपनी द्वारा परिणामों की घोष्णा की तारीख को प्रस्तावों के पारित होने की तारीख माना जाता है।

पार्टी संबंधी कार्य-संपादन :

एक संबंधित पार्टी के साथ सफल माना जाएगा, जब कंपनी के अंतिम वित्तीय लेखा परीक्षा विवरणों के अनुसार कंपनी के समेकित बिक्री से 10 प्रतिशत ज्यादा न हो जो कार्य-संपादन वैयक्तिक रूप से या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले कार्य-संपादन के साथ किया गया हो।

कंपनी के सभी पार्टी संबंधी कार्य-संपादन में जिसमें वर्तमान में चेन्नै पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) शामिल है उन्होंने वित्तीय वर्ष के दौरान सामान्य कारोबार समझौता किया। वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पार्टियों के साथ कोई समझौता जैसे करार/व्यवस्था/कार्य-संपादन किया है जो कंपनी के पार्टी संबंधी कार्य-संपादन नीति के तहत सफल माना गया है।



वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान संबंधित पाटियों से ऐसा महत्वपूर्ण कार्य-संपादन नहीं किया गया है जो कंपनी के हित के संबंध में असहमति माना गया हो।

व्हीसल ब्लोयर/सतर्कता पद्धति

कंपनी ने सतर्कता पद्धति एवं व्हीसल ब्लोयर नीति को अपनाया है, इसके अनुसरण में व्हीसल ब्लोयर नीतिशास्त्र के विरुद्ध व्यावहारिक, वास्तविक या कपट के कारण शक या कंपनी के कूट या नीति शास्त्र के बारे में रिपोर्ट दे सकते हैं। अत्याचार के विरुद्ध इस पद्धति को अपनाने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा देती है।

कंपनी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार संबंधी विषयों पर गैर-अनुपालन संबंधी ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है और इस संबंध में कोई दण्ड या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दण्ड या एसइबीआई या अन्य कोई सांख्यिक प्राधिकरण द्वारा हुआ है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी ने हमेशा कंपनी में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सुरक्षित और उत्पीड़न-मुक्त कार्यस्थल प्रदान करने के लिए विश्वास किया है। कंपनी ने पूर्वोक्त अधिनियम में लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है, जिसमें आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन भी शामिल है।

संचार के माध्यम

क्या शेयरधारकों के प्रत्येक घर को अर्धवार्षिक रिपोर्ट भेजी गई : नहीं।

तिमाही वित्तीय परिणाम :

तिमाही वित्तीय परिणामों को किसी एक राष्ट्रीय दैनिक-पत्रिका अर्थात् फैनान्सियल एक्सप्रेस और एक आंचलिक दैनिक पत्रिका अर्थात् मालै सुडर में प्रकाशित किया गया। वित्तीय परिणाम कंपनी के वेबसाइट: www.madrasfert.co.in पर उपलब्ध किये गये हैं।

संस्थागत निवेशकों अथवा विश्लेषकों को किसी प्रकार की प्रस्तुति पेश की गई है या नहीं : नहीं।

सामान्य शेयरधारक की सूचना

वार्षिक सामान्य बैठक, दिनांक, समय और स्थान:

वा.सा.बैठक दिनांक : 29, दिसंबर 2020

समय : 11.00 बजे

स्थान : वीडियो कॉन्फ्रेंस / ओएवीएम

वित्तीय वर्ष : अप्रैल 2019 - मार्च 2020

बही समाप्ति की तारीख: 23.12.2020 से 29.12.2020 (दोनों दिन शामिल हैं)

लाभांश का भुगतान : कुछ नहीं

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण इस रिपोर्ट के अंश है या नहीं: हाँ

स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग: राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड

कंपनी ने समय पर स्टॉक एक्सचेंज को लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है

स्टॉक को/चिह्न:

राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड : **MADRASFERT**



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

वर्ष 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक शेयर मूल्य में उच्च/निम्न

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड

महीना	एनएसई उच्च(₹)	एनएसई निम्न (₹)	एस व पी सीएनएक्स निफ्टी इंडेक्स उच्च	एस व पी सीएनएक्स निफ्टी इंडेक्स निम्न	परिमाण	मूल्स (₹ लाखों में)
अप्रैल 2019	23.40	19.00	11856.15	11549.10	2777410	607.46
मई	26.90	18.25	12041.15	11108.30	4304399	1008.33
जून	26.95	21.10	12103.05	11625.10	3074926	748.51
जुलाई	31.50	20.45	11981.75	10999.40	14054682	3723.85
अगस्त	23.00	17.60	11181.45	10637.15	2154175	444.23
सितंबर	25.40	18.50	11694.85	10670.25	6748720	1524.39
अक्तूबर	23.00	19.55	11945.00	11090.15	4581335	953.55
नवंबर	21.25	19.05	12158.80	11802.65	2831149	567.92
दिसंबर	20.95	18.20	12293.90	11832.30	2427972	476.62
जनवरी 2020	23.65	19.30	12430.50	11929.60	7914022	1701.63
फरवरी	21.85	13.60	12246.70	11175.05	2741200	495.96
मार्च	14.55	9.00	11433.00	7511.10	2465399	282.87

शेयर अन्तरण प्रणाली

मेसर्स इंटरग्रेटेड रेजिस्ट्री मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, एक सेबी पंजीकृत रजिस्ट्रार और शेयर अन्तरण एजन्ट, को शेयर अन्तरण तथा डिपॉजिटरी रिजिस्ट्री संबंधित क्रियाकलापों के लिए नियुक्त किया गया। शेयर अन्तरण समिति हर पखवाड़े में शेयर अन्तरण औपचारिकताओं पर विचार करती है।

शेयर अन्तरण एजन्ट एवं डिपॉजिटरी रिजिस्ट्री:

मेसर्स इंटरग्रेटेड रेजिस्ट्री मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2 मंजिल, केन्सेस टॉवर, 1, रामकृष्णा स्ट्रीट
आफ नार्थ उस्मान रोड, टी.नगर, चेन्नै 600 017
दूरभाष 091-044 - 2814 0801 से 803 तक
ई-मेल : corpser@integratedindia.in

शेयरों की डिमेटीरियलाइजेशन:

एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ एमएफएल का संपर्क है
आईएसआईएन संख्या : आई एन ई 414ए01015

15,72,88,798 ईक्विटी शेयर (कुल 97.63% शेयर का प्रतिनिधित्व) 31 मार्च 2020 के अनुसार डिमेटीरियलाइज किया गया। शेयरधारकों की संख्या के मामले में, शेयरधारकों में 75.81% शेयरों का डीमैट किया है।



शेयरधारण का वितरण:

31 मार्च, 2020 तक शेयरधारण का वितरण निम्न प्रकार है:

वितरण	भौतिक			एनएसडीएल			सीडीएसएल			कुल		
	काउंट	शेयर	%	काउंट	शेयर	%	काउंट	शेयर	%	काउंट	शेयर	%
Up to 500	427	681	0.00	3241	51763	0.03	3102	54001	0.03	6770	106445	0.06
501 - 1000	131	13088	0.01	2039	195247	0.12	1748	164359	0.10	3918	372694	0.23
1001 - 2000	3298	659600	0.41	2275	427677	0.27	1615	291035	0.18	7188	1378312	0.86
2001 - 3000	439	131700	0.08	1026	288465	0.18	783	214414	0.13	2248	634579	0.39
3001 - 4000	433	173133	0.11	554	214222	0.13	404	152283	0.09	1391	539638	0.33
4001 - 5000	1485	742500	0.46	1562	774933	0.48	991	489983	0.30	4038	2007416	1.24
5001 - 10000	1600	1564200	0.97	2079	1879475	1.17	1270	1090942	0.68	4949	4534617	2.82
10000 से अधिक	232	527600	0.33	1539	147007430	91.25	987	3992569	2.48	2758	151527599	94.07
कुल योग	8045	3812502	2.37	14315	150839212	93.63	10900	6449586	3.99	33260	161101300	100.00

31 मार्च, 2020 के अनुसार शेयरधारकों के संवर्ग निम्नानुसार है:

क्रम सं.	संवर्ग	भौतिक				इलक्ट्रॉनिक				कुल			
		शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	शेयरों	शेयरों का %	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	शेयरों	शेयरों का %	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	शेयरों	शेयरों का %
1	बैंक	13	0.04	34600	0.02	1	0.00	50	कुछ नहीं	14	0.04	34650	0.02
2	इन्वेंचर्स का कर्पोरेट	78	0.23	134000	0.08	211	0.63	1418622	0.88	289	0.87	1552622	0.96
3	विश्वविद्यालय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	61	0.18	131450	0.08	61	0.18	131450	0.08
4	सरकार/प्रभुत्व	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1	0.00	95851700	59.50	1	0.00	95851700	59.50
5	कर्मचारी	83	0.25	70900	0.04	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	83	0.25	70900	0.44
6	वित्तीय संस्था	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1	0.00	63920	0.04	1	0.00	63920	0.04
7	मुद्रास्वतंत्र	1	0.00	2400	0.00	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1	0.00	2400	0.00
8	एन.एन.आई	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	147	0.44	414359	0.26	147	0.44	414359	0.26
9	विदेशी प्रभुत्व	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1	0.00	41516500	25.77	1	0.00	41516500	25.77
10	निवासी भारतीय	7870	23.66	3570602	2.22	24790	74.53	17861197	11.09	32660	98.20	21431799	13.30
11	एनबीएसएल	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	2	0.01	31000	0.02	2	0.01	31000	0.02
	कुल	8045	24.19	3812502	2.37	25215	75.81	157288798	97.63	33260	100.00	161101300	100.00



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

दि.31.03.2020 के अनुसार मोड-वार शेयरधारण

प्रकार	काउन्ट	शेयर	%
भौतिक	8045	3812502	2.37
एसएसडीएल	14315	150839212	93.63
सीडीएसएल	10900	6449586	3.99
कुल योग	33260	161101300	100.00
संवर्ग	काउन्ट	शेयर	%
भारत सरकार	1	95851700	59.50
नाफिट्रान इन्टर-ट्रेड कंपनी लि.	1	41516500	25.77
अन्य	33258	23733100	14.73
कुल योग	33260	161101300	100.00

संयंत्र स्थल : मणली, चेन्नै - 600 068.

पत्र व्यवहार का पता:

डॉ. गिरीश कुमार

कंपनी सचिव

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

मणली, चेन्नै - 600 068.

दूरभाष : 044 2594 2281 : 044 - 2594 5489

ई-मेल: cs@madrasfert.co.in / cosec@madrasfert.co.in



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

अनुबंध- V

फार्म सं.एमजीटी .9

वार्षिक विवरणी का सार

31.03.2020 को समाप्त - वित्तीय वर्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन), 2014 नियम 12(1) के अनुसार पर

I. पंजीकरण और अन्य विवरणः

1	सीआईएन	L32201TN1966GOI005469
2	पंजीकरण की तारीख	12/8/1966
3	कंपनी का नाम	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
4	कंपनी का संवर्ग/उप संवर्ग	शेयर द्वारा पब्लिक लिमिटेड/केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम
5	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	पोस्ट बैग नं.2, मणलि, चेन्नै- 600068 दूरभाषः.044-25942281 / 25945203
6	क्या लिस्टेड कंपनी है	हाँ
7	रजिस्टार एवं ट्रान्सफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, अगर हो तो	मेसर्स इंटीग्रेटेड रेजिस्ट्री मैनेजमेन्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड , केन्स टावर, दूसरी मंजिल, 1, रामकृष्णा स्ट्रीट, नार्थ उस्मान रोड के सामने, टी.नगर, चेन्नै - 600017 , दूरभाष: 044-28140801 to 803, ई-मेल : corpserve@integratedindia.in

II. कंपनी की मुख्य कारोबार गतिविधियाँ

(कंपनी के सभी कारोबार गतिविधियाँ जो 10% या कुल उपलब्धि से संबंधित)

क्रम सं.	मुख्य उत्पादक/सेवा का नाम व विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार की %
1	रसायन उर्वरक	2012	99%

III. होल्डिंग्स, सब्सिडी और अन्य सह कंपनियों का विवरण

क्रम सं.	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग्स सब्सिडी/सह कंपनी	% की शेयरें	अनुमेय धारा
1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



IV. शेयर होल्डिंग प्रतिकरूप

(कुल ईक्विटी के प्रतिशित पर ईक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

(i) संवर्गवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों का संवर्ग	वर्ष के आरंभ में रहे शेयरों की संख्या [31 मार्च 2019 के अनुसार]				वर्ष के अंत में रहे शेयरों की संख्या [31 मार्च 2020 के अनुसार]				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	शेयरों की कुल %	डीमैट	भौतिक	कुल	शेयरों की कुल %	
अ. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
अ) व्यक्ति/एच यू एफ	9,58,51,700	-	9,58,51,700	59.50%	9,58,51,700	-	9,58,51,700	59.50%	0.00%
बी) केंद्रीय सरकार									
सी) राज्य सरकार (एस)									
डी) इकाई/निगम									
इ) बैंक/वित्तीय संस्थान									
एफ) अन्य कोई									
उप कुल (ए) (1)	9,58,51,700	-	9,58,51,700	59.50%	9,58,51,700	-	9,58,51,700	59.50%	0.00%
(2) विदेशी									
अ) एनआरआई व्यक्ति									
बी) अन्य व्यक्ति									
सी) इकाई/निगम	4,15,16,500	-	4,15,16,500	25.77%	4,15,16,500	-	4,15,16,500	25.77%	0.00%
डी) अन्य कोई									
उप कुल (ए) (2)	4,15,16,500	-	4,15,16,500	25.77%	4,15,16,500	-	4,15,16,500	25.77%	0.00%
कुल (ए)	13,73,68,200	-	13,73,68,200	85.27%	13,73,68,200	-	13,73,68,200	85.27%	0.00%
बी. सार्वजनिक शेयर होल्डिंग									
1. संस्थान									
ए) म्युचुअल निधि	-	2,400	2,400	0.00%	-	2,400	2,400	0.00%	0.00%
बी) बैंक/वित्तीय संस्थान	76,058	34,600	1,10,658	0.07%	84,161	34,600	1,18,761	0.07%	7.32%
सी) केंद्रीय सरकार									
डी) राज्य सरकार(एस)									



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

शेयरधारकों का संवर्ग	वर्ष के आरंभ में रहे शेयरों की संख्या [31 मार्च 2019 के अनुसार]				वर्ष के अंत में रहे शेयरों की संख्या [31 मार्च 2020 के अनुसार]				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	शेयरों की कुल %	डीमैट	भौतिक	कुल	शेयरों की कुल %	
इ) वैचर पूंजी निधि									
एफ) बीमा कंपनी									
जी) एफएलएलएस									
एच) विदेशी वैचर पूंजी निधि									
१) अन्य (अगर हो तो)									
उप कुल (बी)(1):-	76,058	37,000	1,13,058	0.07%	84,161	37,000	1,21,161	0.08%	7.17%
2. गैर संस्थान									
ए) इकाई/निगम									
१) भारतीय	13,36,863	1,34,000	14,70,863	0.91%	14,27,431	1,34,000	15,61,431	0.97%	6.16%
२) विदेशी									
बी) व्यक्ति									
१) रु 1 लाख तक अंकित शेयर पूंजी के व्यक्तिगत शेयरधार	1,19,79,188	37,19,169	1,56,98,357	9.74%	1,25,16,663	36,41,502	1,61,58,165	10.03%	2.93%
२) रु 1 लाख से ज्यादा अंकित शेयर पूंजी के व्यक्तिगत शेयरधार	59,17,730	-	59,17,730	3.67%	53,46,684	-	53,46,684	3.32%	-9.65%
सी) अन्य (अगर हो तो)	5,33,092	-	5,33,092	0.33%	5,45,659	-	5,45,659	0.34%	2.36%
उप कुल (बी)(2):-	1,97,66,873	38,53,169	2,36,20,042	14.66%	1,98,36,437	37,75,502	2,36,11,939	14.66%	-0.03%
कुल सार्वजनिक (बी)	1,98,42,931	38,90,169	2,37,33,100	14.73%	1,99,20,598	38,12,502	2,37,33,100	14.73%	0.00%
सी. जीडीआर और एमडीआर के अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर									
कुल योग (ए+बी+सी)	15,72,11,131	38,90,169	16,11,01,300	100.00%	15,72,88,798	38,12,502	16,11,01,300	100.00%	0.00%



(ii) प्रमोटर के शेयर होल्डिंग

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में परिवर्तन का %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %	कुल शेयरों में से गिरवी रखे/भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %	कुल शेयरों में से गिरवी रखे/भारग्रस्त शेयरों का %	
1	भारत के राष्ट्रपति	9,58,51,700	59.50%	0	9,58,51,700	59.50%	0.00%	
2	नफतिरन इंटर ट्रेड कंपनी लिमिटेड	4,15,16,500	25.77%	0	4,15,16,500	25.77%	0.00%	

(iii) प्रमोटर शेयर होल्डिंग में परिवर्तन (अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया सूचित करें)

क्रम सं.	विवरण	तारीख	कारण	वर्ष के आरंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
				कुल शेयर	शेयरों का कुल %	कुल शेयर	शेयरों का कुल %
1	वर्ष के आरंभ में			वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं है			
2	वर्ष के दौरान			वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं है			
3	वर्ष के अंत में			वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं है			

(iv) 31 मार्च, 2020 - शेयर होल्डिंग पैटर्न के प्रथम दस शेयरधारक

(निदेशकों के अलावा, जीडीआर और एडीआर के प्रमोटर एवं होल्डर):

क्रम सं.	उच्च 10 प्रत्येक के शेयरधारक		वर्ष के आरंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के अंत में संचयी शेयर होल्डिंग	
	नाम	पैन सं.	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का %
1	कालि राम गुप्ता	AHNPG3758M	13,42,087	0.83	10,52,587	0.65
2	शकुंतला गुप्ता	AHNPG3753A	10,95,420	0.68	11,05,420	0.69
3	भारत जनमदास दत्तानि	AABPD6008J	1,78,458	0.11	0	0.00
4	भारत जनमदास दत्तानि	AAAHB0495E	1,74,667	0.11	0	0.00
5	भारती भारत दत्तानि	AAAPD4798E	1,74,463	0.11	0	0.00
6	रुचित भारत पटेल	ANDPP9202F	1,70,226	0.11	1,70,226	0.11
7	करवी स्टॉक ब्रोकरिंग लिमिटेड-क्लायंट आकाउंट-बीएससी सीएम	AABCK5190K	1,62,934	0.10	11,056	0.01
8	इंडियन सिंटास इन्वेस्टमेंट्स प्र.लिमिटेड	AAACI1775K	1,31,000	0.08	1,31,000	0.08
9	युएसडी परियोजनाएँ और वित्त लिमिटेड	AAACU4199B	1,24,000	0.08	1,24,000	0.08
10	लाल तोलानी	AFJPT3594A	1,03,245	0.06	1,03,245	0.06
11	मोटिलाल ओसवाल फिनांशियल सर्विसेस लिमिटेड - ग्राहक खाता	AAECM2876P	91,537	0.06	50,438	0.03



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

क्रम सं.	उच्च 10 प्रत्येक के शेयरधारक		वर्ष के आरंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के अंत में संचयी शेयर होल्डिंग	
	नाम	पैन सं.	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का %
12	पट्टाभी रामराजू सरिकोण्डा	AGOPS2619F	87,000	0.05	0	0.00
13	विनोद कुमार अग्रवाल	AAGPA7302R	78,000	0.05	78,000	0.05
14	बालाली वी प्रसाद	ADMPV2744F	70,000	0.04	70,000	0.04
15	भानसुरी मुरुगनकुमार मेहता	AGSPD0605J	69,604	0.04	0	0.00
16	ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड	AAACG4267G	17,631	0.01	2,26,364	0.14
17	कृष्णा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	AAACK4798C	34,114	0.02	1,68,884	0.11
18	एंड्राइट फिनान्सियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	AABCA1156D	25,325	0.02	1,51,751	0.09
19	मैरा पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड	AAICM5670K	0	0.00	92,530	0.06
20	आर.के. गुप्ता एचयूएफ	AANHR8767C	22,645	0.01	79,948	0.05
21	इरुमुमति चिन्नकोण्डेया	AGWPC0724H	40,005	0.03	70,005	0.04
22	जानकीराम ए	AAAPJ3688D	51,000	0.03	68,000	0.04

(v) निदेशकों और मुख्य प्रबंध व्यक्तियों के शेयर होल्डिंग

क्रम सं.	प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंध व्यक्ति के शेयर होल्डिंग	तारीख	कारण	वर्ष के आरंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
				शेयरों की सं.	कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कुल शेयरों का %
	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

V. ऋणग्रस्तता

कंपनी के ऋणग्रस्तता जिसमें बकाया/अर्जित ब्याज शामिल है मगर भुगतान के लिए नहीं.

(₹ लाख में)

विवरण	सुरक्षित ऋण जमा को छोड़कर	अनुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल रकम	-	55,424.00		55,424.00
ii) ब्याज देय मगर भुगतान नहीं हुआ	-	60,266.00		60,266.00
iii) ब्याज अर्जित मगर देय नहीं	-	1,555.00		1,555.00
कुल (i+ii+iii)	-	1,17,245.00		1,17,245.00



वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* बढ़ना - ब्याज देय मगर भुगतान नहीं हुआ	-	5,458.00		5,458.00
* घटना	-	-		-
निवल परिवर्तन	-	5,458.00		5,458.00
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल रकम		55,424.00		55,424.00
ii) ब्याज देय मगर भुगतान नहीं हुआ		65,724.00		65,724.00
iii) ब्याज अर्जित मगर देय नहीं		1,555.00		1,555.00
कुल (i+ii+iii)	-	1,22,703.00		1,22,703.00

VI. निदेशकों और मुख्य प्रबंध व्यक्तियों के लिए पारिश्रमिक

ए.प्रबंध निदेशक, पूर्ण रूप से निदेशक और/या प्रबंधक के लिए पारिश्रमिक :

(₹)

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	यू.सरवणन अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	श्री हर्ष मलहोत्रा निदेशक (तकनीकी)
1	थोक वेतन		
	(ए) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के अधीन वेतन के लिए प्रावधान	28,69,377.00	16,22,335.00
	(बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) अंतर्गत मूल्य	1,80,000.00	कुछ नहीं
	(सी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन पर लाभ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	स्टाक विकल्प	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	स्वेट ईक्विटी	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	कमीशन		
	- लाभ का %	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	- अन्य, अगर हो तो	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5	अन्य, कृपया बताएँ	22,35,891.00	4,62,787.00
	कुल (ए)	52,85,268.00	20,85,122.00
	अधिनियम के अनुसार सीमा	-	-



बी. अन्य निदेशकगण के लिए पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम	कुल रकम (₹)
1	स्वतंत्र निदेशक		
	बोर्ड की समिति की बैठक में शामिल होने के लिए शुल्क	1. सीए सुनिल वशिष्ठ 2. डॉ. हेमन्त ए ठाकुर 3. श्री सी रमेश 4. श्रीमती वानति श्रीनिवासन	20,000.00 20,000.00 20,000.00 कुछ नहीं
	कमीशन		-
	अन्य, अगर हो तो		-
	कुल (1)		60,000.00
2	अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक		-
	बोर्ड की समिति की बैठक में शामिल होने के लिए शुल्क		-
	कमीशन		-
	अन्य, अगर हो तो		-
	कुल (2)		-
	कुल (बी) = (1+2)		60,000.00
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		60,000.00

सी. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य मुख्य प्रबंध व्यक्ति के लिए पारिश्रमिक

(₹)

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री वी.मुरलीधरन, महाप्रबंधक(एफ व ए) एवं कंपनी सचिव (13 अगस्त, 2019 तक)	श्री डॉ. गिरीशकुमार, कंपनी सचिव (14 अगस्त, 2019 से)
1	थोक वेतन		
	(ए) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के अधीन वेतन के लिए प्रावधान	8,68,140.00	8,56,439.00
	(बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत मूल्य	44,843.00	
	(सी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन पर लाभ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	स्टाक विकल्प	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	स्वेट ईक्विटी	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	कमीशन - लाभांश का % - अन्य, अगर हो तो	कुछ नहीं कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं
5	अन्य, कृपया बताएँ	3,33,745.00	3,82,921.00
	कुल	12,46,728.00	12,39,360.00



VII. जुर्माना/दण्ड/कांपाउंडिंग - अपराध

प्रकार	कंपनी अधिनियमों के अनुच्छेद	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माना/दण्ड/कांपाउंडिंग शुल्क का विवरण	प्राधिकारी [आरडी/एलसीएलटी/कोर्ट]	अगर कोई अपील की गई हो तो (विवरण दें)
ए.कंपनी					
जुर्माना	सीबी एलओडीआर नियम 2015 के अनुच्छेद 17 (1)	सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) के तहत सवतंत्र निदेशको के गैर-अनुपालन के संबंध में कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन के लिए लगाया गया जुर्माना	जून 2019 तिमाही की समाप्ति के लिए ₹ 5,31,000/- जुर्माना भुगतान किया गया था।	राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज	कुछ नहीं
	सीबी एलओडीआर नियम 2015 के अनुच्छेद 17 (1), 18 (1) और 19 (1) (2)	सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1), 18 (1) और 19 (1) (2) के तहत सवतंत्र निदेशको के गैर-अनुपालन के संबंध में कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन के लिए लगाया गया जुर्माना	सितंबर 2019 और दिसंबर तिमाही की समाप्ति के लिए जुर्माना ₹ 6,65,520/- और 31 मार्च, 2019 तिमाही की समाप्ति के लिए ₹ 9,77,040/- जुर्माना भुगतान किया गया था।	राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज	कुछ नहीं
	सेबी एलओडीआर के विनियम 34 के तहत	सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 34 के तहत गैर-अनुपालन के लिए लगाया गया जुर्माना	₹ 75,520/- जुर्माना भुगतान किया गया था।	राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज	कंपनी द्वारा की गई अपील के आधार पर एनएसई ने उनके पत्र सं. एनएससी/लिस्ट-एसओपी/आरईजी - 34/आरईवी/98622 दि. 01 जनवरी, 2020 को सेबी एलओडीआर के नियम 34 के तहत लगाया गया जुर्माना वापस ले लिया।
	राष्ट्रीय हरित अधिनियम, 2010 की धारा 20	टीएनपीसीबी ने कंपनी को पर्यावरण मानकों के उल्लंघन के लिए लगाया गया ₹ 1 करोड़ का जुर्माना को अंतरिम पर्यावरण मुआवजा के रूप में जमा करने का निर्देश दिया।	अंतरिम पर्यावरण मुआवजा ₹ 1 करोड़ का भुगतान किया गया।	तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, (टीएनपीसीबी), अंबलूर, चेन्नै	कुछ नहीं



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

दण्ड	कुछ नहीं
कांपाउंडिंग	
बी. निदेशक	
जुर्माना	कुछ नहीं
दण्ड	
कांपाउंडिंग	
सी. डिफाल्ट के रूप से अन्य अधिकारी	
जुर्माना	कुछ नहीं
दण्ड	
कांपाउंडिंग	



फार्म सं.एमआर - 3
सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31/03/2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कार्मिक) नियम 2014 के नियम सं.9 के अनुमेय]

सेवा में,
सदस्यगण,
मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
मणलि
चेन्नै-600 068

मैंने, मेसर्स मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड [CIN: L32201TN1966GOI005469] (के बाद कंपनी जाना जाए) अनुमेय सांविधिक प्रावधानों तथा अच्छे कार्पोरेट के पालन के संबंध में सचिवालयी लेखा परीक्षा की है। सचिवालयी लेख परीक्षा ऐसी पद्धति से की गई थी जिसके कारण कार्पोरेट कांडक्ट/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन करने में मेरी राय प्रकट करने के लिए उपयोगी रही।

सचिवालयी लेखा परीक्षा के दौरान मेसर्स मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के लेखा बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, फार्म और फाइल की गई वापसी विवरण तथा कंपनी के अनुरक्षण के अन्य अभिलेखों का सत्यापन किया गया और कंपनी के अधिकारीगण, एजन्ट एवं प्राधिकृत प्रतिनिधि से प्राप्त सूचना के अनुसार, मैं अपनी रिपोर्ट में अपनी राय प्रकट करता हूँ कि, कंपनी ने, वित्तीय वर्ष के अंत में 31.03.2020 को समाप्त अवधि के लिए निम्नानुसार दिए गए सांविधिक प्रावधानों तथा कंपनी के पद्धति और अनुपालन प्रक्रिया को हिसाब में लेते हुए, बाद में किए गए रिपोर्ट के मुताबिक है।

वित्तीय वर्ष के अंत में 31.03.2020 के अनुसार मैं ने निम्न प्रावधानों के अनुसार मेसर्स मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के लेखा बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, फार्म और फाइल की गई वापसी विवरण तथा कंपनी के अनुरक्षण के अन्य अभिलेखों की परीक्षा का

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा निम्न सभी नियमों के अनुसार;
कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन कंपनी ने विधिवत सभी पद्धतियों का अनुपालन किया है, फार्म, इस संबंध में फाइल की गई है
- (ii) दी सेक्युरिटी कान्ट्रैक्ट (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एसासीआरए) और अधीन नियम;
- (iii) दी डेपासिटर अधिनियम, 1996 और विनियमन तथा बनाई गई उप-विधि
- (iv) विदेशी विनियम प्रबंध अधिनियम, 1999 और बनाए गए नियम व विनियमन.
- (v) दी सेक्युरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अधिनियम, 1992 (एसइबीआर अधिनियम) के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियमन एवं मार्गदर्शन:-
 - (अ) दी सेक्युरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सबस्टाशियल अक्विशेषन ऑफ शेयर और टेकओवर) विनियमन, 2011.
 - (आ) दी सेक्युरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (प्रोहिबिशन ऑफ इंसाइडर ट्रेडिंग) विनियमन, 1992;
 - (इ) दी सेक्युरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (इश्यू ऑफ कैपिटल और डिशक्लोशर रिक्वायरमेंट) विनियमन, 2009;
 - (ई) दी सेक्युरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (रजिस्ट्रार टु एन इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजन्ट) विनियमन, 1993.
- 3) दी एसइबीआर (लिस्टिंग आक्लिकेशन एण्ड डिस्क्लोशर रिक्वायरमेंट्स.) विनियमन , 2015.
- (vi) मुझे सूचितानुसार कंपनी के लिए अनुमेय अन्य विशिष्ट विधि निम्नप्रकार है
 1. फ़ैक्टरिस अधिनियम ,1948
 2. इंड्रस्टियल डिस्प्यूट अधिनियम, 1947
 3. पेमन्ट ऑफ वेजस अधिनियम, 1936
 4. दी मिनिमम वेजस अधिनियम, 1948



5. दी एम्पलाइ प्राविडेन्ट फण्ड और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
6. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
7. इक्वल पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
8. दूकान एण्ड एस्टाब्लिशमेंट अधिनियम, 1948
9. दी पेमेंट ऑफ बोनस अधिनियम, 1965
10. दी पेमेंट ऑफ ग्रेजुवेटो अधिनियम, 1972
11. दी कान्ट्राक्ट लेबर (विनियमन एण्ड एबोलिशन) अधिनियम, 1970
12. दी मेटरनेटी बेनिफिट अधिनियम, 1961
13. दी चैल्ड लेबर प्रोहिबिशन और विनियमन अधिनियम, 1986
14. दी इंडस्ट्रियल एक्पलाइमेन्ट (स्टैंडिंग आर्डर) अधिनियम, 1946
15. दी एम्पलाइ काम्पनसेशन अधिनियम, 1923
16. दी अप्रेंटिस अधिनियम, 1961
17. दी एन्विरान्मेंट प्रोटेक्शन अधिनियम 1986
18. दी एयर (प्रीवन्शन एण्ड कंट्रोल आफ पोलूशन) अधिनियम, 1981
19. दी इण्डियन वायलर अधिनियम, 1923
20. जीएसटी अधिनियम, 2017

मैने निम्न अनुमेय खण्ड और अनुपालन की परीक्षा की:

- (i) दी इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिस ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयीय मानक.
- (ii) कंपनी द्वारा नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में किए गए लिस्टिंग करार;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियम, रेगुलेशन, मार्गदर्शन, मानक आदि में दिए गए प्रावधानों का अनुपालन किया है जो निम्न प्रेक्षण के अनुसार है:

- ए) इंडेक्स ऑफ चार्ज पर अंकित शुल्क वास्तविक नहीं है, कंपनी ने अधिकांश मामलो के लिए सीएचजी 4 (चार्ज के प्रति संतुष्टि) दायर नहीं किया है। हालांकि, कंपनी द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि उन मामलो के संबंध में जहां आरोप बनाए गए हैं, पूरी तरह से निपट गए हैं।

एनउसई द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार भुगतान किए गए दंड राशि ₹ 5,31,000/-

एनएसई द्वारा नोटिस के अनुसार बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशको की गैर नियुक्ति के लिए सितंबर 2019 और दिसंबर को समाप्त तिमाही के लिए कमश: ₹ 6,65,520/- तथा ₹ 9,77,040/-का दंड राशि का भुगतान किया गया।

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र टी4/टीएनपीसीबी/एफ2643/सीईपीआई/ईसी/एमबी/2020-14 दि.28.01.2020 के तहत अंतिम पर्यावरण मुआवजा ₹ 1.00 करोड़ का भुगतान किया।

सरकारों द्वारा लगाए गए महामारी 'कोविड 2019' और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण, लेखा परीक्षा प्रक्रिया को संशोधित किया गया है, जिसमें कुछ दस्तावेजो/अभिलेखो आदि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में सत्यापित किया गया था, और इसकी सटीकता और प्रमाणिकता के लिए कंपनी से प्राप्त अभ्यावेदन पर किया गया था।



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मण्डल में की गई परिवर्तन कंपनी अधिनियम और सेबी (एलओडाआर) विनियमों के प्रावधानों के अनुसार पर नहीं किया गया है। उपरोक्त के मद्देनजर, एनएसई ने उपयुक्त के अनुसार जुर्माना लगाया है। एक सरकारी कंपनी होने पर, इसने उर्वरक विभाग, भारत सरकार के साथ सेबी (एलओडीआर) विनियमों का पालन करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने का मामला उठाया है।

सभी निदेशकों के लिए बोर्ड की बैठक की सूचना, कार्यसूची, और कार्यसूची के आधार पर संक्षिप्त टिप्पणी पहले ही भेजी जाती है ताकि बैठक के पूर्व कार्यसूची के मुद्दों पर प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण किया जाय और बैठक में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाय

बैठक के दौरान सदस्यगण द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण सुझावों को कार्यवृत्त में शामिल किया जाता है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि, अनुमेय विधि, नियम, विनियमन और मार्गदर्शन के अनुसार कंपनी में इनका परिचालन हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि, ऊपर उल्लिखित विधि, नियम, विनियमन, मार्गदर्शन आदि में अनुमेय प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी में ऐसा कोई विशिष्ट/कार्य नहीं पाया गया जो कंपनी के आचरण संबंधी है।

आपका आभारी
वी.ई.सकी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

नाम: वी.इसकी

प्रोपराइटर/सदस्यता संख्या: 30353

UDIN: A030353B000549377

स्थान : चेन्नै

तारीख: 04/08/2020

अनुबंध 'ए'

सेवा में

सदस्यगण,

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

मणलि, चेन्नै-600 068

इस पत्र के साथ मेरी समसंख्यक रिपोर्ट साथ में पढ़ें

1. सचिवालय रिकार्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी सचिवालय लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।
2. मैंने लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवालय अभिलेखों की सामग्री के बारे में आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित थे। सचिवालय अभिलेखों में सच तथ्यों को परिलक्षित करने हेतु यह सत्यापन को परीक्षण के आधार पर किया गया है। मेरा मानना यह है कि मैंने इन प्रक्रियाओं का पालन किया है और मेरी राय के लिए उचित आधार प्रदान किया है।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड और लेखा पुस्तिका की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।
4. जहां भी आवश्यक हो, मैंने कानून, नियमों और विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. प्रबंधन की जिम्मेदारी यह है कि कॉपोरेट और अन्य कानून, नियम, विनियम, मानकों के प्रावधान का अनुपालन करना है। मेरी प्रक्रियाओं के आधार पर सत्यापन की परीक्षण समिति थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन है जिसके साथ कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

आपका आभारी
वी.ई.सकी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

नाम: वी.इसकी

प्रोपराइटर/सदस्यता संख्या: 30353

UDIN: A030353B000549377

स्थान : चेन्नै

तारीख: 04/08/2020

54^{वां} वार्षिक रिपोर्ट 2019 - 20



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

अनुबंध - VII

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

मणलि, चेन्नै-600 068

फार्म नं. एओसी - 2

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के अधिनियम एवं नियम 8 (2) की धारा 134 की उपधारा (3) के धारा (एच) के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुसार कंपनी द्वारा दर्ज ठेके/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए फार्म जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ लेनदेन शामिल हैं।

1. सुरक्षित व सुविधाजनक प्रक्रिया के आधार बिना ठेके या व्यवस्थाएँ या लेनदेन संबंधी विवरण

क्रम सं.	विषय	विवरण
ए)	संबंधित पार्टी का नाम और उनसे संबंधित विवरण	कुछ नहीं
बी)	ठेके/व्यवस्था/लेनदेन का विवरण	कुछ नहीं
सी)	ठेके/व्यवस्था/लेनदेन का विवरण	लागू नहीं
डी)	ठेके/व्यवस्था/लेनदेन की मूल्य संबंधी मुख शर्तें, अगर कोई हो	लागू नहीं
ई)	ऐसे ठेके/व्यवस्था/लेनदेन में दाखिल होने के लिए औचित्य	लागू नहीं
एफ)	बोर्ड की स्वीकृति की तारीख	लागू नहीं
जी)	अग्रिम के रूप में भुगतान की राशि, अगर कोई हो	लागू नहीं
एच)	धारा 188 के प्रथम प्रावधानों के अनुसार सामान्य बैठक में विशेष संकल्प पारित होने की तारीख	लागू नहीं

2. सुरक्षित व सुविधाजनक प्रक्रिया के आधार पर ठेके या व्यवस्थाएँ या लेनदेन संबंधी विवरण

क्रम सं.	विषय	विवरण
ए)	संबंधित पार्टी का नाम	मेसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
	उनसे संबंधित विवरण	सुरक्षित व सुविधाजनक प्रक्रिया की कीमत पर
बी)	ठेके/व्यवस्था/लेनदेन का विवरण	एलएनजी का प्रदायक
सी)	ठेके/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	निरंतर आधार
डी)	ठेके/व्यवस्था/लेनदेन की मूल्य संबंधी मुख शर्तें, अगर कोई हो	दीर्घकालिक ठेका
ई)	बोर्ड की स्वीकृति की तारीख	06.02.2019 के गैस बिक्री समझौता के आधार पर
एफ)	अग्रिम के रूप में भुगतान की राशि, अगर कोई हो	कुछ नहीं
जी)	वर्ष के दौरान व्यय किए गए राशि	₹ 914.28 करोड़

हस्ताक्षर/-

यू सरवणन

चेन्नै

अगस्त 28, 2020.

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

DIN : 07274628



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

अनुबंध - VIII

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
मणलि, चेन्नै-600 068
एमएफएल के सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट
(कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम सं.9 के अनुमेय)

- कंपनी सीएसआर नीति पर एक संक्षिप्त रूपरेखा
मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड सोसाइटी के कमजोर वर्ग और उनके फैक्टरी क्षेत्र के निकट निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु विभिन्न सामाजिक जिम्मेदारी उपायों पर प्राथमिकता देती है। एमएफएल एक रुग्ण और हानि बनाने वाली एक कंपनी है और इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 135 के उप धारा 5 के अंतर्गत प्रावधान एमएफएल को लागू नहीं है। तथापि, कंपनी सीएसआर नीति का अंतिम रूप दे रही है।
- सीएसआर समिति का गठन :
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, बोर्ड की सीएसआर समिति में 3 या अधिक निदेशक शामिल हैं, जिनमें से एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा। सीएसआर समिति 05 जून, 2019 तक उपस्थित रहेगी। इसके अलावा, एमएफएल स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के साथ सख्ती से पालन कर रहा है। डीओएफ द्वारा स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति किए जाने के बाद, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी सीएसआर समिति का पुनर्गठन करेगी।
- पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ : लागू नहीं
- निर्धारित सीएसआर व्यय लागू नहीं
- वित्तीय वर्ष 2019 - 20 के लिए सीएसआर व्यय का विवरण : निम्नानुसार
वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि ₹ 9.24 लाख

(₹ लाखों में)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं.	पहचान की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि	सेक्टर के अंतर्गत परियोजना	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उल्लिखित करें कि किस राज्य और जिला में परियोजना या कार्यक्रम जारी है	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवार	परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि उप-शीर्ष: (1) परियोजना या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) ऊपरी खर्च	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष या क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	नीलगिरी जिले में बाढ़ प्रभावित जनता के लिए खाद्य सामग्री का दान	-	अय्यनकोली गाँव, नीलगिरी जिला	-	-	-	1.61
2	सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि	-	तिरुवल्लियूर तालुक	-	-	-	1.00
3	हरिकृष्णापुरम गाँव (लगभग 500 परिवारों) को पाइपलाइनों के माध्यम से पेय जल की आपूर्ति	-	मणलि, चेन्नै के पास	5.43	-	-	5.43
4	राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के लिए माधुर में सरकारी स्कूल के छात्रों को स्कूल बैग और किट की आपूर्ति	-	मणलि, चेन्नै के पास	-	-	-	1.20
	कुल						9.24

हस्ताक्षर/-
यू सरवणन

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
DIN : 07274628

चेन्नै

अगस्त 28, 2020



सेबी (लिस्टिंग आब्लिगेशन और डिस्कलेशर रेक्वायरमेंट्स) विनियम 2015, विनियम 17 (8) के अनुसार सीईओ और सीएफओ द्वारा प्रमाण-पत्र

निदेशकगण

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

मणलि,चेन्नै-600 068

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

- (ए) हमने, 31.03.2020 को वर्ष की समाप्ति पर हमारे ज्ञान और विश्वास हेतु वित्तीय विवरणी और नकदी प्रवाह विवरणी की समीक्षा की है।
- (i) इन विवरणियों में कोई भी भौतिक रूप से असत्य या किसी भी भौतिक तथ्य को छोड़ दिया गया हो या विवरणी जो भ्रामक हो सकता है।
- (ii) इन विवरणियों के सूचिबद्ध हेतु कंपनी का सच्चा और निष्कष दृष्टिकोण है और वर्तमान लेखा मानकों, अनुमेय विधि एवं विनियम के अनुपालन में है।
- (बी) हमारे, ज्ञान और विश्वास में, वर्ष की समाप्ति पर कंपनी द्वारा कोई लेनदेन नहीं की गयी है, जो संस्था के आचार संहिता के धोखाधडी, अवैध या उल्लंघनकारी है।
- (सी) हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है और हमने कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा हमने इस संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी विवरण को लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षा समिति को प्रकटन किया है आंतरिक नियंत्रण और उसके परिचालन या डिजाइन की कमी, अगर हो तो, हमें पता है और इस संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं या इन कमियों को सुधारने के लिए प्रस्ताव लिया जा रहा है।
- (डी) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षक समिति को सूचित किया है कि:
- i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है;
- ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है ; उसी को वित्तीय विवरणी में सूचित किया गया है तथा
- iii) वित्तीय धोखाधडी का कोई सूचना नहीं है और हम इसके बारे में जागरुक हो गए हैं और उसमें कोई सम्मिलन यदि कोई हो, प्रबंधन की या कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में किसी एक कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका हो तो

स्थान : चेन्नै

तारीख : अगस्त 28, 2019

यू सरवणन

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रिया रंजन पांडा

यू महाप्रबंधक - एफ व ए (ए/सी)



निर्देशकों का गैर-अनर्हता प्रमाण-पत्र

नियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी क्लॉज (10) (i) सेबी के सूचीबद्ध करने के लिए (सूची और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015)

सेवा में
सदस्य,

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

मणलि, चेन्नै-600 068

हमने मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, CIN L32201TN1966GOI005469, के निर्देशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्टर, रिकॉर्ड, फार्म, विवरणियां और प्रकटीकरण की जांच की है तथा मणलि, चेन्नै - 600 068 में पंजीकृत कार्यालय स्थित है और हमारे पास कंपनी द्वारा इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के उद्देश्य से दी सेक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया (लिस्टिंग अक्विजेशन एण्ड डिशक्लोशर रिकवायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2015 के अनुसार अनुसूची निर्मित, नियमन 34 (3) पैरा-सी, उप-खंड 10 (10) के साथ पढ़ा जाए

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार (कंपनी www.mca.gov.in पोर्टल) पर (निर्देशकों की पहचान संख्या सहित सत्यापन) (डीआईएन) के अनुसार, कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें आवश्यक और स्पष्टीकरण के रूप में, हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक, दी सेक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय या कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निर्देशकों के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तारीख
1	उलगनाथन सरवणन	07274628	13/08/2015
2	फ़ारजाद बहरामी बवानी	05352239	18/02/2017
3	मोहम्मद बाधर दखिली	07704367	18/02/2017
4	लाल संगलूर	08118636	10/04/2018
5	सिया सरण	07401363	21/12/2018
6	बावक बहपुर	08341090	23/10/2018
7	हर्ष मल्होत्रा	08520873	22/07/2019

बोर्ड के प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करें। यह प्रमाण-पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक 'आश्वासन' है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के साथ, जिसके लिए प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

वी.ईसकी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

sd/-

वी.ईसकी

सदस्यता संख्या: : 30353

CP No : 11022

UDIN : A030353B000549740

स्थान : चेन्नै

तारीख: : 04/08/2020



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

वार्षिक व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट (एबीआआर) - वित्तीय वर्ष 2019-20

खंड ए: कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1	कंपनी का कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L32201TN1966GOI005469
2	कंपनी का नाम	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
3	पंजीकृत पता	पोस्ट बक्स नं. 2 मणलि, चेन्नै - 600 068
4	वेबसाइट	www.madrasfert.co.in
5	ई-मेल आईडी	cs@madrasfert.co.in; cosec@madrasfert.co.in
6	वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट	2019-20
7	जिस सेक्टर में कंपनी (औद्योगिक गतिविधि कूट-वार) में लगी हुई है।	ग्रुप - 241 श्रेणी - 2412 उप श्रेणी - 24123 - यूरिया और अन्य जैव उर्वरकों का उत्पादन और 24124 मिश्रित, यौगिक या मिश्रित उर्वरक
8	तीन प्रमुख उत्पादों / सेवाओं की सूची जिन्हें कंपनी उत्पाद / प्रदान करती है (तुलन पत्र के अनुसार)	यूरिया और मिश्रित उर्वरक
9	जहां कंपनी द्वारा व्यवसायिक गतिविधि की जाती है उनका कुल विवरण (अ) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या प्रमुख 5 का विवरण प्रदान करें (आ) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	एक
10	कंपनी द्वारा सेवा प्रदान किए गए बाजार - स्थानीय / राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय	राज्य - तमिलनाडु, तेलुंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और पुदुच्चेरी

खंड बी: कंपनी का वित्तीय विवरण

1	भुगतान की गई पूंजी (₹)	₹ 161.10 करोड़
2	कुल कारोबार (₹)	₹ 1287.39 करोड़
3	करों के बाद कुल लाभ (₹)	(₹ 134.88 करोड़)
4	कर (%) के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय	₹ 9.24 लाख
5	उन गतिविधियों की सूची जिनमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है।	नीलगिरी जिले में बाढ़ प्रभावित जनता के लिए खाद्य सामग्री का दान, सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि, हरिकृष्णापुरम गाँव को पाइपलाइनो के माध्यम से पेय जल की आपूर्ति और राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के लिए माथुर में सरकारी स्कूल के छात्रों को स्कूल बैग और किट की आपूर्ति



खंड सी: अन्य विवरण

1	क्या कंपनी के पास कोई सब्सिडियरी कंपनी / कंपनियाँ हैं ?	लागू नहीं
2	क्या सब्सिडियरी कंपनी / कंपनियाँ मूल कंपनी के बी आर पहल में भाग लेती हैं यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी की संख्या को इंगित करें!?	लागू नहीं
3	क्या कोई अन्य संस्था / संस्थाएं (जैसे आपूर्तिकर्ता वितरक आदि) कंपनी के साथ व्यापार करती हैं जो कंपनी के बीआर पहल में भाग लेते हैं ? यदि हाँ तो ऐसी इकाई/संस्थाओं का प्रतिशत इंगित करें (30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक)	लागू नहीं

खंड डी: बीआर सूचना

1	बीआर के लिए जिम्मेदारी निदेशक / निदेशकों का विवरण	
	बीआर नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशक का विवरण	
	• डीन नं.	07274628
	• नाम	श्री यू. सरवणन
	• पदनाम	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ए) बीआर शीर्ष का विवरण

क्रम सं.	विषय	विवरण
1	डीन नं. (अगर हो तो)	लागू नहीं
2	नाम	डॉ. गिरिश कुमार
3	पदनाम	कंपनी सचिव
4	दूरभाष	044-25945489
5	ई-मेल आईडी	cs@madrasfert.co.in

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति / नीतियां (हाँ/नहीं में उत्तर)

सिद्धांतों का नाम :

- पी 1 व्यवसायों को आचार-विचार, पारदर्शित और जवाबदेही के साथ आचरण और शासन करना चाहिए,
- पी 2 व्यवसायों को माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जा सुरक्षित हैं और अपने पूरे जीवनकाल में स्थिरता में योगदान करती हैं,
- पी 3 व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए,
- पी 4 व्यवसायों के हितों में सम्मान करना चाहिए, और सभी हितधारकों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, विशेष रूप से वे जो वंचित, सुभेद्य और हाशिए पर हैं।
- पी 5 व्यवसायों को मानवाधिकारियों का सम्मान और बढ़ावा देना चाहिए
- पी 6 व्यवसायों को बहाल करने के लिए सम्मान, सुरक्षा और प्रयास करना चाहिए
- पी 7 व्यवसाय जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हुए हैं तो उन्हें एक जिम्मेदार तरीके से करना चाहिए
- पी 8 व्यवसायों को एक जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ संलग्न होना चाहिए और मूल्य प्रदान करना चाहिए
- पी 9 व्यवसायों को एक जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जुड़कर होना चाहिए और मूल्य प्रदान करना चाहिए



क्रम सं..	प्रश्न	पी	पी	पी	पी	पी	पी	पी	पी	पी
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	क्या आप के पास कोई नीति / नीतियाँ हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ
2	क्या संबंधित हितधारकों के परामर्श से नीति तैयार की जा रही है	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ
3	क्या नीति किसी भी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ? यदि हाँ, तो निर्दिष्ट करें? (50 शब्द)	कंपनी की नीतियों को भारत सरकार के लागू कानूनों / दिशानिर्देशों / नियमों / विनियमों के अनुपालन में तैयार किया गया है। इन नीतियों को उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था।								
4	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है ? हाँ क्या प्रबंध निदेशक/स्वामी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी / उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ
		बोर्ड की प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार कंपनी की नीतियाँ बोर्ड / सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित की गई हैं।								
5	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बोर्ड / निदेशक / अधिकारी की एक निर्दिष्ट समिति है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ
6	ऑनलाइन देखी जाने वाली नीतियों के लिए लिंक का संकेत दें ?	www.madrasfert.co.in								
7	क्या नीति को सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाह्य हितधारकों के लिए औपचारिक रूप से सूचित किया गया है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ
8	क्या कंपनी के पास नीति / नीतियों को लागू करने के लिए इन-हाऊस में संरचना है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ
9	क्या कंपनी के पास नीति / नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए नीति / नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं	हाँ	हाँ
10	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्य का स्वतंत्र लेखापरीक्षा / मूल्यांकन किया है ?	एक जिम्मेदार सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, कंपनी काम की स्थितियों में सभी नीतियों का पालन करती है। आंतरिक और बाहरी एजेंसियों द्वारा प्रतिवर्ष कंपनी के संचालन का लेखापरीक्षा किया जाता है।								

नोट: पी 7 को लागू नहीं अंकित किया गया है। कंपनी हमेशा वैधानिक निकायों द्वारा जारी किए गए सभी लागू नियमों का अनुपालन करती है। यह सार्वजनिक प्लेटफार्मों में अपने पर्यावरण और सामाजिक मापदंडों को पारदर्शी रूप से प्रकट करता है।

3. बीआर से संबंधित शासन-प्रणाली

*	उस आवृत्ति को इंगित करें की कंपनी के बीआर निष्पादन का आकलन करने के लिए निदेशक मंडल समिति या बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किया जाता है। 3 महीने के भीतर, 3-6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक।
*	क्या कंपनी बीआर या संवहनीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है ? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होता है ? व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित की जा रही है, इसका आकलन हमारी कंपनी को वेबसाइट www.madrasfert.co.in पर किया जा सकता है।



खंड ई : सिद्धांत-वार निष्पादन

सिद्धांत 1

1. यह नैतिकता रिश्त और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को ही है? हाँ/नहीं क्या यह ग्रूप/संयुक्त वेंचर्स / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार/गैर सरकारी संगठनों/अन्य तक लागू होता है?
हाँ, यह हितधारकों तक लागू है।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत संतोषजनक रूप से समधान किया गया है? यदि हाँ तो इसके बारे में 50 शब्दों या उसके बाद का विवरण प्रदान करें।
कंपनी को 127 शिकायतें मिली हैं और सभी शिकायतों को पूरी तरह से निवारण किया गया है और 31 मार्च, 2020 तक कोई शिकायत लंबित नहीं है।

सिद्धांत 2

1. अपने उन 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची बनाएं जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और / या अवसरों को शामिल किया गया है।
 - i. यूरिया
 - ii. काम्प्लेक्स उर्वरक
 - iii. जैविक उर्वरक
2. इस तरह के प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद के प्रति (वैकल्पिक), संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें।:
 - i. मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष से प्राप्त स्रोत / उत्पादन / वितरण के दौरान हुई कमी?
 - ii. कंपनी ने अपने सभी प्रतिष्ठानों के नियमित जांच द्वारा पूरक अपनी ऊर्जा खपत को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं।
 - iii. उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के दौरान कमी (ऊर्जा, पानी) पिछले वर्ष से प्राप्त की गई है
कंपनी ने अपने सभी प्रतिष्ठानों के नियमित जांच द्वारा पूरक अपनी ऊर्जा खपत को कम करने के लिए उपाय किए हैं।
3. क्या कंपनी के पास स्थायी स्रोत (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं हैं?
 - i. यदि हाँ, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से प्राप्त किया गया था? इसके अलावा 50 शब्दों में या उसके बाद का विवरण प्रदान करें।
हाँ, स्थिरता और संवहनीय विकास को एक कॉर्पोरेट मंत्र के रूप में कार्य पद्धति में सन्निहित किया गया है।
4. क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपास के समुदाय शामिल हैं?
हाँ, एक केंद्रीय सार्वजनिक श्रेत्र उद्यम (सीपीएसई) होने के नाते, कंपनियों की खरीद नीति और पद्धतियों को सरकार की नीतियों और पद्धतियों द्वारा निर्देशित किया जाता है। ये पारदर्शी खरीद तंत्र पर आधारित हैं जो तकनीकी रूप से सक्षम आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को बढ़ावा देता है। हालांकि, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के रूपरेखा के भीतर स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के हित का भी ध्यान रखा जाता है।
 - i. यदि हाँ, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और क्षमता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
कंपनी ने हमेशा सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी निविदा प्रक्रिया में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित और बढ़ावा दिया है।
 - ii. क्या कंपनी के पास उत्पादों और रद्दी को रीसायकल करने का एक तंत्र है? यदि हाँ तो उत्पादों और रद्दी के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है (अलग से <5%, 5-10%, > 10%)।
इसके अलावा, लगभग 50 शब्दों में या उसके बाद का विवरण प्रदान करें।
हां, ठोस रद्दी जैसे अनुपयोगी उपकरण और पैकिंग सामग्री को कंपनी की प्रक्रिया के अनुसार नीलाम किया जाता है और अपशिष्ट जल का उपचार टीटीपी योजना के माध्यम से किया जाता है।

सिद्धांत 3

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या इंगित करें - 571
2. कृपया अस्थायी / संविदात्मक / आकस्मिक आधार पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या को इंगित करें - 2000 (लगभग)
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या इंगित करें - 42
4. कृपया विकलांग कर्मचारियों की संख्या इंगित करें - 5
5. क्या आपके पास एक कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है - हाँ
6. आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ का सदस्य है? - 95%
7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित इंगित करें



संख्या.	वर्ग	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रम / मजबूर श्रम / अनैच्छिक श्रम	कुछ नहीं	
2	यौन उत्पीड़न		
3	विभेदकारी रोजगार		

8. पिछले वर्ष में निम्नलिखित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया?

अप्रैल 2019 - मार्च 2020 की अवधि के दौरान 522 कर्मचारियों को संगठन के स्थायी लाभ और विकास के लिए नरम और जीवन कौशल में प्रशिक्षण दिया गया है। यानी 91.42%.

सिद्धांत 4

- क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों की मैपिंग की है?
- उपरोक्त में से, कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए के हितधारकों की पहचान की है।
- क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिए के हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है। यदि हां, तो इसके बारे में 50 शब्दों या उसके बाद का विवरण प्रदान करें।
हां, कंपनी समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सरकारी निर्देशों का अनुपालन करती है। यह समाज के हाशिए और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सभी हितधारकों के हित को संबोधित करने के लिए कंपनियों के पास कई नीति हैं। सीपीएसई के रूप में, कंपनी सरकार द्वारा अनिवार्य किए गए ऐसे सभी नियमों का पालन करती है। भारत सरकार की नीतियों की मेज़बानी के साथ-साथ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास समाज के वंचित, कमजोर और हाशिए के वर्गों के लिए निर्देशित है।

सिद्धांत 5

- क्या मानव अधिकार पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को ही है या ग्रूप/संयुक्त वेंचर्स / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एनजीओ / अन्य को भी लागू होता है?
- पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितने प्रतिशत का समाधान किया गया है?
कंपनी की सभी नीतियां मानव अधिकार को ध्यान में रखते हुए न केवल कर्मचारियों को बल्कि लोगों को भी कंपनी के संचालन से प्रभावित होने की संभावना है। कंपनी ने मानव अधिकार, बाल श्रम, भ्रष्टाचार और पर्यावरण के क्षेत्र में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए गए सिद्धांतों के साथ अपने व्यापार संचालन और रणनीतियों का संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी उन सिद्धांतों को विशेष रूप से ग्रहण करती है और उनका समर्थन करती है जो मानव अधिकार पर हैं और व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित मानव अधिकारों के संरक्षण का समर्थन और सम्मान करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे मानवाधिकारों के हनन में उलझे नहीं हैं। कंपनी ने सेवा नियम, अवकाश नियमों जैसी विभिन्न इन-हॉउस नीतियों को भी लागू किया। मानवाधिकारों के मूल्यों की पुष्टि करने के लिए ग्रेच्युटी नियम, पीएफ नियम आदि। कंपनी ने ठेकेदारों को मजदूरी और अन्य वैधानिक और गैर-वैधानिक लाभ प्रदान करने के लिए उचित मजदूरी नीति भी लागू की है।

सिद्धांत 6

सिद्धांत 6 से संबंधित

- क्या सिद्धांत 6 से संबंधित कंपनी की नीति केवल कंपनी को ही है या ग्रूप/संयुक्त वेंचर्स / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एनजीओ / अन्य को भी लागू होता है?
कंपनी लागू पर्यावरणीय कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन कर रही है और यह हितधारकों तक बढ़ती है।
- क्या कंपनी के पास पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, आदि को निपटाने के लिए रणनीति / पहल है? हाँ/नहीं यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज के लिए हाइपरलिंक दें।
- क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और निर्धारित करती है? हाँ/नहीं
कंपनी अनुमेय पर्यावरण कानूनों का पत्राचार और विधि सार-तत्व का पालन कर रही है। इसलिए कंपनी ने संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन नहीं किया है।
- क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो लगभग 40 शब्दों में या उसके बाद का विवरण प्रदान करें। इसके अलावा, यदि हाँ, क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दर्ज की गई है?
- क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है। हाँ/नहीं, यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज के लिए हाइपरलिंक दें।
अभी तक शुरू किया जाना है
- क्या वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन / अपशिष्ट रिपोर्ट किए जा रहे हैं?



हाँ, यह अनुमेय सीमा के भीतर है।

7. वर्षा के अंत में सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त लंबित कारण बताओ/कानूनी नोटिस की संख्या (जो कि संतुष्टि से समाधान नहीं हुई है) कुछ नहीं

सिद्धांत 7

1. क्या आपकी कंपनी किसी भी ट्रेड और चैम्बर या एसोसिएशन का सदस्य है? यदि हाँ, तो केवल उन प्रमुख नामों का उल्लेख करें जिनसे आपका व्यवसाय संबंधित है:
(ए) उर्वरक एसोसिएशन ऑफ इंडिया
2. क्या आपने सार्वजनिक भलाई की उन्नति या सुधार के लिए उपरोक्त संघों के माध्यम से वकालत / पैरवी की है? हाँ/नहीं; यदि हाँ व्यापक क्षेत्र निर्दिष्ट करें (ड्रॉप बॉक्स: शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार सिद्धांत, अन्य)
हाँ, व्यापक क्षेत्र है
क) उर्वरक के संतुलन और कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए,
ख) अधिक और बेहतर संयंत्र खाद्य पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए
ग) कृषि प्रथाओं और अच्छे योगदान करने वाले सभी सवालों के विचार और चर्चा को बढ़ावा देने के लिए
घ) सार्वजनिक भलाई की उन्नति / सुधार के लिए पौधों के पोषक तत्वों के संतुलित और कुशल उपयोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

सिद्धांत 8

1. क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं हैं? यदि हाँ, तो उसका विवरण।
हाँ
2. क्या कार्यक्रम / परियोजनाएं इन-हाउस टीम / स्वयं की नींव / बाहरी एनजीओ / सरकारी संरचनाओं / किसी अन्य संगठन के माध्यम से की जाती हैं?
सरकारी ढाँचे
3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आकलन किया है?
समय-समय पर हाँ।
4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - राशि रुपयों में और किए गए परियोजनाओं का विवरण
5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया जाए? कृपया 50 शब्दों में व्याख्या करें।
4 और 5 के लिए
कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के तहत सामुदायिक विकास सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं जैसे नीलगिरी जिले में बाढ़ प्रभावित जनता के लिए खाद्य सामग्री का दान, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के लिए योगदान, हरिकृष्णपुरम गांव को पाइपलाइनों के माध्यम से पेय जल की आपूर्ति और राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के लिए माथुर में सरकारी स्कूल के छात्रों को किट और स्कूल बैग की आपूर्ति।

सिद्धांत 9

1. वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राहकों की शिकायतों / उपभोक्ता मामलों का कितना प्रतिशत लंबित है।
शून्य
2. कंपनी के उत्पाद की जानकारी उत्पाद लेबल पर, स्थानीय कानूनों के अनुसार, किसके ऊपर और क्या अनिवार्य है? हां / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)
हाँ।
3. यदि पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर-जिम्मेदाराना विज्ञापन और / या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के बारे में कंपनी के खिलाफ किसी भी हितधारक द्वारा कोई मामला दायर नहीं किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित है। यदि हां, तो इसके बारे में 50 शब्दों या उसके बाद का विवरण प्रदान करें।
कुछ नहीं
4. क्या आपकी कंपनी ने किसी भी उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि के रुझान को अंजाम दिया है?
यथा लागू।



31 मार्च, 2020 को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अनुसार मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च 2020 को समाप्ति पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी की जिम्मेदारी प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम के धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर तथा धारा 143 (10) हेतु स्वतंत्र लेखापरीक्षक के आधार पर मानकों के अनुसार निर्धारित लेखापरीक्षा पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा अपनी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 9 अक्टूबर 2020 को रद्द करने के लिए कहा गया है जो 28 अगस्त 2020 की उनकी पहले की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अधिलिखित कर देता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के वित्तीय वक्तव्यों का पूरक लेखापरीक्षा किया है। यह अनुपूरक अंकेक्षण वैधानिक लेखा परीक्षकों के काम के कागजात तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कमियों की छूटाछ और लेखांकन रिकॉर्डों में से कुछ की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है। अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया गया है।

इसके अलावा, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखापरीक्षा की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।

A. वित्तीय स्थिति की टिप्पणियाँ

(1) संपत्ति

चालू संपत्ति

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

दावा योग्य (नोट 5 डी): ₹ 556.04 करोड़

उक्त दावे में भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त सब्सिडी शामिल है जो यूरिया के इनपुट मूल्यों में डी-एस्केलेशन के आधार पर वर्ष 2019-20 के सब्सिडी दरों में संशोधन को समायोजित करने के बाद किया गया है। 26 फरवरी 2020 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के आधार पर डी-एस्केलेशन के लिए ₹ 144.46 करोड़ का समायोजन किया गया था। हालांकि, कंपनी ने 30 जून 2020 को भारत सरकार (जीओआई) द्वारा जारी अधिसूचना पर विचार नहीं किया, जिसमें वर्ष 2019-20 के दावा हेतु संशोधित दरों के एस्केलेशन या डी-एस्केलेशन दी गई थी। चूंकि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख से पहले 30 जून 2020 (यानी 28 अगस्त 2020) को भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी, इनपुट मूल्यों में डी-एस्केलेशन के समायोजन के लिए फरवरी 2020 के बजाय जून 2020 की अधिसूचना में दिए गए दरों के आधार पर किया जाना चाहिए था। 30 जून 2020 अधिसूचना में अधिसूचित दरों के आधार पर डी-एस्केलेशन का दावा ₹ 129.32 करोड़ है।

2019-20 के लिए डी-एस्केलेशन की गणना के लिए जून 2020 अधिसूचना की संशोधित दरों को गैर-विचार न करने हेतु इंड एस -10 और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति - 3 (f) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। इसके फलस्वरूप ₹ 15.14 करोड़ (₹ 144.46 करोड़ घट ₹ 129.32 करोड़) का अंडरस्टेटमेंट का 'दावा प्राप्य (जीओआई सब्सिडी)' और ओवरस्टेटमेंट 'कर के बाद हानि' हुआ है।

(2) इक्विटी और देयता

चालू देयताएं

अन्य चालू देयताएँ (नोट -14): ₹ 47.94 करोड़

उपर्युक्त में ₹ 4.40 करोड़ की राशि शामिल नहीं है जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को लागत के परिनियोजन के कारण मार्च 2020 तक की देय ब्याज के भुगतान हेतु देय है। कंपनी ने 'आकस्मिक देयताओं' के तहत राशि दिखाई थी। चूंकि कंपनी निर्देशों के अनुसार दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी और सीआईएसएफ ने 2 अप्रैल, 2020 को दंडात्मक ब्याज के लिए अपना दावा दोहराया था, इसलिए कंपनी को 'आकस्मिक देयताओं' के तहत समान दिखाने के बजाय पुस्तकों में दंडात्मक ब्याज के लिए देयता का प्रावधान करना चाहिए था।

दंडनीय ब्याज के लिए देयता का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.40 करोड़ की 'अन्य कर देयताएं' और 'कर के बाद हानि' की अंडरस्टेटमेंट हुई है। इसके अलावा आकस्मिक देयताएं ₹ 4.40 करोड़ से अधिक हैं।



B. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

- (i) संचालन से राजस्व (टिप्पणी -15) : उर्वरक विभाग (डीओएफ), भारत सरकार द्वारा पत्र सं.(एफए)/2016/ डीबीटी दिनांक 17 मार्च, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खुदरा विक्रेताओं/थोक विक्रेताओं द्वारा उर्वरकों की वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक विनिर्माण/आयात करने वाली कंपनियों को सब्सिडी का 100 प्रतिशत भुगतान करने के लिए लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर जोर देता है। उर्वरक सब्सिडी का दावा निपटान भारत सरकार द्वारा लाभार्थी को बिक्री की गई वास्तविक मात्रा के आधार पर किया जाता है।

'सब्सिडी से राजस्व' में ₹ 107.86 करोड़ की राशि शामिल है जो डीलरों को टाइटल और ट्रांसफर किए गए उत्पादों के जोखिम के साथ जारी किए गए उर्वरक स्टॉक के लिए भारत सरकार से सब्सिडी प्राप्त करने का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु 31 मार्च 2020 की समाप्ति पर लाभार्थी तक बिक्री नहीं हुआ। हालांकि डीओएफ पत्र, दिनांक 17 मार्च, 2017 के अनुसार लाभार्थी को वास्तविक बिक्री के बाद सब्सिडी देय और व्यवस्थित हो गई। तथ्यों कि 'सब्सिडी से राजस्व' में ₹ 107.86 करोड़ की राशि शामिल है, जिसके लिए सब्सिडी लाभार्थी को वास्तविक बिक्री के बाद भारत सरकार द्वारा जारी किए जाएगी और कंपनी द्वारा 'नोट -9५ वित्तीय विवरण' में प्रकट नहीं किया गया है। इस प्रकार 'नोट -15 से वित्तीय विवरण' सीमा तक अपूर्ण है।

- (ii) 1 जनवरी 2017, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 अगस्त, 2017 के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे वाले कार्यकारी अधिकारियों तथा गैर-संगठित पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन के लिए निर्देश जारी किया है। कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 में कहा गया है कि बीमार सीपीएसई के संबंध में, वेतनमान का संशोधन इन पैकेजों में वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय के लिए प्रदान करने के बाद सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के अनुसार होना चाहिए। कंपनी ने अपने कर्मचारी के लिए वेतन संशोधन लागू नहीं किया है क्योंकि यह पुनर्वास पैकेज आज तक अनुमोदित नहीं किया गया है। वित्तीय विवरणी 43 (एफ) के अनुसार, कंपनी नेशनल कंपनी विधि प्राधिकरण में पुनरुद्धार प्रस्ताव दायर करने के लिए कानूनी विकल्पों पर लगी रही थी। कंपनी ने उर्वरक विभाग, भारत सरकार को वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव भी विचार के लिए प्रस्तुत किया है।

कंपनी ने 'वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी' में तथ्यों को प्रकट नहीं किया है। डीपीई का कार्यालय ज्ञापन - 3 अगस्त, 2017 के बाद कर्मचारियों के वेतन संशोधन को पुनरुद्धार / वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव के लंबित अनुमोदन के कारण लागू नहीं किया गया है। इस प्रकार 'वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी' विवरण सीमा तक अपूर्ण है।

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
ह/ --
(अमिताभ प्रसाद)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(कृषि, खाद्य और जल संसाधन)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: : 04.12.2020



31 वर्ष 2020 की समाप्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड (143) (6) (बी) के अधीन मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

सीवरजी की टिप्पणी	उत्तर
<p>A. वित्तीय स्थिति की टिप्पणियाँ</p> <p>(1) संपत्ति चालू संपत्ति अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ दावा योग्य (नोट 5 डी): ₹ 556.04 करोड़</p> <p>उक्त दावे में भारत सरकार (जीओआई) से प्राप्त सब्सिडी शामिल है जो यूरिया के इनपुट मूल्यों में डी-एस्केलेशन के आधार पर वर्ष 2019-20 के सब्सिडी दरों में संशोधन को समायोजित करने के बाद किया गया है। 26 फरवरी 2020 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के आधार पर डी-एस्केलेशन के लिए ₹ 144.46 करोड़ का समायोजन किया गया था। हालाँकि, कंपनी ने 30 जून 2020 को भारत सरकार (जीओआई) द्वारा जारी अधिसूचना पर विचार नहीं किया, जिसमें वर्ष 2019-20 के दावा हेतु संशोधित दरों के एस्केलेशन या डी-एस्केलेशन दी गई थी। चूंकि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख से पहले 30 जून 2020 (यानी 28 अगस्त 2020) को भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी, इनपुट मूल्यों में डी-एस्केलेशन के समायोजन के लिए फरवरी 2020 के बजाय जून 2020 की अधिसूचना में दिए गए दरों के आधार पर किया जाना चाहिए था। 30 जून 2020 अधिसूचना में अधिसूचित दरों के आधार पर डी-एस्केलेशन का दावा ₹ 129.32 करोड़ है।</p> <p>2019-20 के लिए डी-एस्केलेशन की गणना के लिए जून 2020 अधिसूचना की संशोधित दरों को गैर-विचार न करने हेतु इंड एस -10 और कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति - 3 (f) के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। इसके फलस्वरूप ₹ 15.14 करोड़ (₹ 144.46 करोड़ घट ₹ 129.32 करोड़) का अंडरस्टेटमेंट का 'दावा प्राप्य (जीओआई सब्सिडी)' और ओवरस्टेटमेंट 'कर के बाद हानि' हुआ है।</p>	<p>वर्ष 2019-20 के दौरान वास्तविक इनपुट लागतों पर विचार करने के बाद प्रति एनपीएस नीति सब्सिडी अनुमानित मूल्य (रियायत मूल्य) पर आधारित है।</p> <p>रियायत मूल्य की अंतिम अधिसूचना अभी तक एफएफसी से एमएफएल को प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए, 2019-20 के लिए एमएफएल द्वारा अनुमानित रियायत मूल्य के आधार पर सब्सिडी आय की गणना और हिसाब किया जाता है।</p> <p>30-06-2020 की अधिसूचना अंतिम नहीं है और यह केवल 2019-20 की तीसरी तिमाही तक की इनपुट कीमतों पर आधारित है। IV तिमाही की इनपुट कीमतों के आधार पर अंतिम अधिसूचना का इंतजार है। अंतिम अधिसूचना की प्राप्ति के बाद सटीक डी-एस्केलेशन राशि ज्ञात की जाएगी।</p> <p>वर्ष 2019-20 के दौरान कच्चे माल की इनपुट कीमतों में कमी के आधार पर 29-02-2020 की अधिसूचना हेतु लेखा बहियों में डी-एस्केलेशन दावों की ओर एमएफएल ने पहले ही ₹ 144.46 करोड़ का प्रावधान किया है। हालाँकि, लेखापरीक्षा द्वारा संदर्भित 30-06-2020 की अधिसूचना में अप्रैल से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए घटती इनपुट कीमतों को ही मानती है और शेष रहे तीन महीनों की कटौती को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, जिसका प्रभाव ₹ 15.14 करोड़ अनुमानित है।</p> <p>टिप्पणी में दी गई राजस्व मान्यता की कंपनी की महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार, दरों में एस्केलेशन/ डी-एस्केलेशन के कारण अभी तक अधिसूचित किए जाने के लिए, सब्सिडी का अनुमान आधार पर लगाया गया है जो औद्योगिक तरीके के अनुरूप है और कंपनी लगातार उसी का अनुसरण पिछले दो दशकों से कर रही है।</p> <p>कंपनी, पूरे वर्ष 2019-20 के डी-एस्केलेशन का लेखा-जोखा किया गया है, हमारी राय में ₹ 15.14 करोड़ का अंडरस्टेटमेंट का 'दावा प्राप्य (जीओआई सब्सिडी)' और ओवरस्टेटमेंट 'कर के बाद हानि' हुआ है और उसी में से एक 'सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण' को दर्शाता है।"</p>



<p>(2) इक्विटी और देयता चालू देयताएं अन्य चालू देयताएँ (नोट -14): ₹ 47.94 करोड़</p> <p>उपर्युक्त में ₹ 4.40 करोड़ की राशि शामिल नहीं है जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को लागत के परिनियोजन के कारण मार्च 2020 तक की देय ब्याज के भुगतान हेतु देय है। कंपनी ने 'आकस्मिक देयताओं' के तहत राशि दिखाई थी। चूंकि कंपनी निर्देशों के अनुसार दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी और सीआईएसएफ ने 2 अप्रैल, 2020 को दंडात्मक ब्याज के लिए अपना दावा दोहराया था, इसलिए कंपनी को 'आकस्मिक देयताओं' के तहत समान दिखाने के बजाय पुस्तकों में दंडात्मक ब्याज के लिए देयता का प्रावधान करना चाहिए था।</p> <p>दंडनीय ब्याज के लिए देयता का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप ₹4.40 करोड़ की 'अन्य कर देयताएं' और 'कर के बाद हानि' की अंडरस्टेटमेंट हुई है। इसके अलावा आकस्मिक देयताएं ₹ 4.40 करोड़ से अधिक हैं।</p>	<p>चूंकि, मामला अभी भी दोनों पक्षों के बीच सक्रिय जारी है, और अभी तक निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, कंपनी ने दंडात्मक ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।</p> <p>हालाँकि, दंडात्मक ब्याज को 'आकस्मिक देयता' के तहत अलग से शामिल और प्रदर्शित किया गया है</p>
<p>प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ</p> <p>(i) संचालन से राजस्व (टिप्पणी -15) : उर्वरक विभाग (डीओएफ), भारत सरकार द्वारा पत्र सं.(एफए)/2016/ डीबीटी दिनांक 17 मार्च, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खुदरा विक्रेताओं/थोक विक्रेताओं द्वारा उर्वरकों की वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक विनिर्माण/आयातकरने वाली कंपनियों को सब्सिडी का 100 प्रतिशत भुगतान करने के लिए लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर जोर देता है। उर्वरक सब्सिडी का दावा निपटान भारत सरकार द्वारा लाभार्थी को बिक्री की गई वास्तविक मात्रा के आधार पर किया जाता है।</p> <p>सब्सिडी से राजस्व में ₹ 107.86 करोड़ की राशि शामिल है जो डीलरों को टाइटल और ट्रांसफर किए गए उत्पादों के जोखिम के साथ जारी किए गए उर्वरक स्टॉक के लिए भारत सरकार से सब्सिडी प्राप्त करने का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु 31 मार्च 2020 की समाप्ति पर लाभार्थी तक बिक्री नहीं हुआ। हालांकि डीओएफ पत्र, दिनांक 17 मार्च, 2017 के अनुसार लाभार्थी को वास्तविक बिक्री के बाद सब्सिडी देय और व्यवस्थित हो गई। तथ्यों कि 'सब्सिडी से राजस्व' में ₹ 107.86 करोड़ की राशि शामिल है, जिसके लिए सब्सिडी लाभार्थी को वास्तविक बिक्री के बाद भारत सरकार द्वारा जारी किए जाएगी और कंपनी द्वारा 'नोट -15 वित्तीय विवरण' में प्रकट नहीं किया गया है। इस प्रकार 'नोट -15 से वित्तीय विवरण' सीमा तक अपूर्ण है।</p>	<p>प्रकटीकरण पर लेखापरीक्षा टिप्पणी नोट की गई है।</p> <p>किसी भी अस्पष्टता के बिना एक स्पष्ट उत्तर देने के लिए, इस संबंध में प्रकटीकरण भविष्य में किया जाएगा।</p>



<p>(ii) 1 जनवरी 2017, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 अगस्त, 2017 के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे वाले कार्यकारी अधिकारियों तथा गैर-संगठित पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन के लिए निर्देश जारी किया है। कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 में कहा गया है कि बीमार सीपीएसई के संबंध में, वेतनमान का संशोधन इन पैकेजों में वेतन संशोधन के कारण अतिरिक्त व्यय के लिए प्रदान करने के बाद सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के अनुसार होना चाहिए। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन लागू नहीं किया है क्योंकि यह पुनर्वास पैकेज आज तक अनुमोदित नहीं किया गया है। वित्तीय विवरणी 43 (एफ) के अनुसार, कंपनी नेशनल कंपनी विधि प्राधिकरण में पुनरुद्धार प्रस्ताव दायर करने के लिए कानूनी विकल्पों पर लगी रही थी। कंपनी ने उर्वरक विभाग, भारत सरकार को वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव भी विचार के लिए प्रस्तुत किया है।</p> <p>कंपनी ने 'वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी' में तथ्यों को प्रकट नहीं किया है। डीपीई का कार्यालय ज्ञापन - 3 अगस्त, 2017 के बाद कर्मचारियों के वेतन संशोधन को पुनरुद्धार / वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव के लंबित अनुमोदन के कारण लागू नहीं किया गया है। इस प्रकार 'वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी' विवरण सीमा तक अपूर्ण है।</p>	<p>प्रकटीकरण पर लेखापरीक्षा टिप्पणी नोट की गई है।</p> <p>एक प्रकटीकरण है कि वेतन संशोधन 1.1.2017 से होने वाला है और बाद के वर्षों में कंपनी द्वारा पुनरुद्धार / वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव के लंबित अनुमोदन के कारण लागू नहीं किया गया है।</p>
--	---

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(अमिताभ प्रसाद)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा

(कृषि, खाद्य और जल संसाधन)

स्थान : New Delhi

दिनांक : 04.12.2020

निदेशक मंडल की ओर से

यू.सरवणन

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान: चेन्नै

दिनांक : 05.12.2020



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

<p>वर्ष 2019-20 के लिए मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के लेखे के संबंध में मेसर्स जे.वी. रामानुजम एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, चेन्नै, वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट</p>	<p>कंपनी अधिनियम 2013, धारा 134 (3) (एफ) के अधीन कंपनी का उत्तर</p>
<p>हम वित्तीय विवरणों के नोट 34 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो यह वर्णित करता है कि भारतीय पोटाश लिमिटेड के निर्विरोध शेयरों में निवेश का उचित मूल्यांकन बाहरी मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया गया है। 31.03.2020 को मूल्यांकनकर्ता ने निवल संपत्ति मूल्य (एनएवी) और कम्पैरेबल कंपनी मार्केट (सीसीएम) बहुभागी प्रणाली का उपयोग करते हुए उचित मूल्य का अनुमान लगाया था और मूल्यांकन किए गए मूल्य क्रमशः रु.1325.95 प्रति शेयर और रु.1783.49 प्रति शेयर था। 31.03.2020 को निवेश के उचित मूल्य का अनुमान हेतु कंपनी ने सीसीएम बहुभागी प्रणाली अपनाया। हमने देखा कि (i) 2018-19 के लिए 2019-20 बनाम वास्तविक बिक्री के लिए अनुमानित बिक्री में 33% की वृद्धि हुई है जब 2018-19 में 18.98% बनाम 2017-18 की तुलना में और (ii) अनुमानित पीएटी में वृद्धि हुई है 2019-20 के लिए 90.88% बनाम 2018-19 के लिए वास्तविक 1.22%, 2018-19 बनाम 2017-18 की तुलना में थी। चूंकि बिक्री और पीएटी में इस तरह की उच्च वृद्धि का अनुमान है इसलिए पर्याप्त प्रमाण के साथ समर्थन किया जाना चाहिए। उसी के अभाव में हम इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के इक्विटी शेयरों के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट में फेयर मूल्य पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। अगे हम जानकारी के अभाव में आईपीएल के उचित मूल्य का आकलन करने में सक्षम नहीं हैं। उपर्युक्त के कारण हम कुल व्यापक आय और वित्तीय परिसंपत्तियों पर वित्तीय प्रभावों को निर्धारित करने में असमर्थ हैं।</p>	<p>कंपनी के कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, कंपनी बाजार-अवलोकन डेटा का उपयोग उस सीमा तक करती है, जब तक यह उपलब्ध हो। जहां अवलोकन योग्य इनपुज उपलब्ध नहीं है, कंपनी मूल्यांकन करने के लिए तीसरे पक्ष के योग्य मूल्यांकनकर्ता को नियमित करती है।</p> <p>कंपनी ने इंडीयन पोटाश लिमिटेड में 15,84,000 नग शेयरों निवेश किया है। कंपनी ने आईपीएल में निवेश के मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष के योग्य पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता को नियमित की है और लेखा पुस्तकों में एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया है और उसी का महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में प्रकटीकरण की है।</p> <p>चूंकि मूल्यांकन स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाता है और पिछले 3 वर्षों से किया जा रहा है। डेटा की अनुपलब्धता के कारण मूल्यांकन विशुद्ध रूप से मान्यताओं पर आधारित है। मूल्यांकन पद्धति जो कि इकाई के लिए लाभदायक है, को अपनाया गया है और उसी को लेखे के नोट में बताया गया है। दी गई मान्यताओं और औचित्स को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने रिपोर्ट को अपनाया है और उसी के अनुरूप है और क्रम में है।</p>

हस्ताक्षर
प्रिया रंजन पांडा
महाप्रबंधक - एफ एंड ए (एसी)

जे वी रामानुजम एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षर
श्री नारायणा झखोटिया
साझेदार
M. No. 233192
FRN 0002947S
28 अगस्त, 2020

हस्ताक्षर
यू. सरवणन
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

28 अगस्त, 2020



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

लेखापरीक्षा योग्यता के प्रभाव पर बयान (संशोधित राय के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए) वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के साथ प्रस्तुत किया गया - (स्टैंडअलोन और अलग से समेकित)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षा योग्यताओं के प्रभाव पर विवरण

डसेबी (एलओडीआर) (संशोधन) विनियम, 2016 के विनियमन 33/52 देखें.

I. क्रम सं.	विवरण	लेखा परीक्षित आंकड़े (योग्यता के लिए समायोजन करने से पहले रिपोर्ट किए गए)	समायोजित आंकड़े (योग्यता के लिए समायोजन के बाद अंकेक्षित आंकड़े)सब्सडी
		(करोड़ रुपये)	(करोड़ रुपये)
1.	कुल आय	1287.39	1287.39
2.	कुल खर्च	1422.27	1422.27
3.	कुल लाभ (हानि)	(55.62)	(55.62)
4.	प्रति शेयर आय	(8.37)	(8.37)
5.	कुल संपत्ति	1527.79	1527.79
6.	कुल देयताएँ	1527.79	1527.79
7.	निवल मूल्य	(630.89)	(630.89)
8.	कोई भी अन्य वित्तीय मद (जैसा कि प्रबंधन द्वारा उचित लगा)क्रम		

II. खापरीक्षा योग्यता (प्रत्येक लेखापरीक्षा योग्यता अलग से):

ए) लेखापरीक्षा योग्यता का विवरण:

हम वित्तीय विवरणों के नोट 34 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो बताता है कि भारतीय पोटाश लिमिटेड के निर्विरोध शेयरों में निवेश का उचित मूल्यांकन बाहरी मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया गया है। 31 मार्च, 2020 तक मूल्यांकनकर्ता निवल संपत्ति मूल्य (एनएवी) और तुलनीय कंपनी मार्केट (सीसीएम) विभिन्न प्रणाली का उपयोग करते हुए उचित मूल्य का अनुमान लगाया था और मूल्यांकन किया गया मूल्य क्रमशः रु 1325.95 प्रति शेयर और रु .783.49 प्रति शेयर था। कंपनी ने 31 मार्च, 2020 तक आयोजित निवेश के उचित मूल्य का पता लगाने के लिए ण्ण विभिन्न प्रणाली अपनाया। हमने पाया कि (i) 2019-20 के लिए अनुमानित बिक्री में 33% की वृद्धि बनाम 2018-19 के लिए वास्तविक बिक्री, 2018-19 में 16.88% बनाम 2017-18 की तुलना में, और (ii) अनुमानित पीएटी में 2019-20 के लिए 90.88% की वृद्धि हुई है और 2018-19 के लिए वास्तविक है। चूंकि बिक्री और पीएटी में इस तरह की उच्च वृद्धि का अनुमान है, इसलिए पर्याप्त प्रमाण के साथ समर्थन किया जाना चाहिए। उसी के अभाव में हम इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के इक्विटी शेयरों के लिए आ उचित मूल्य के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आगे हम जानकारी के अभाव में आईपीएल के उचित मूल्य का आकलन करने में सक्षम नहीं हैं। उपर्युक्त के कारण हम कुल व्यापक आय और वित्तीय परिसंपत्तियों पर वित्तीय प्रभावों को निर्धारित करने में असमर्थ हैं।

बी) लेखापरीक्षा योग्यता का प्रकार: अन्तःप्राप्त राय / अस्वीकृति राय/ प्रतिकूल राय

योग्य

सी. योग्यता की बारंबारता: चाहे पहली बार/ दोहराए गए / कब से जारी है

पहली बार

डी. लेखापरीक्षा योग्यता के लिए जहां लेखापरीक्षक द्वारा प्रभाव निर्धारित किया जाता है, प्रबंधन के दृश्य:

लेखापरीक्षक द्वारा प्रभावित नहीं किया गया प्रभाव।

इ. लेखापरीक्षा योग्यता के लिए जहां लेखापरीक्षक द्वारा प्रभाव निर्धारित नहीं किया गया है:

(ग) लेखापरीक्षा योग्यता के प्रभाव पर प्रबंधन का अनुमान:

मात्रात्मक नहीं।



(ग) यदि प्रबंधन प्रभाव का अनुमान लगाने में असमर्थ है, तो इसके कारण:

वित्तीय साधनों का उचित मूल्य इंडस्ट्रीज़ 113 - उचित मूल्य माप में उचित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। उचित मूल्य को इंडस्ट्रीज़ 113 के तहत उचित मूल्य माप के रूप में परिभाषित किया गया है और आम तौर पर यह उस इक्विटी निवेश की कीमतों को उद्धृत किया जाएगा जो कि मूल्यांकन किए गए इक्विटी निवेश के मामले में मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके गणना या उचित मूल्य के रूप में की जाती है।:

अवलोकन योग्य जानकारी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, कंपनी मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र तृतीय पक्ष अहता मूल्यांकनकर्ता की व्यावसायिक सेवाओं को लेती है~ जैसा कि कंपनी ने भारतीय पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) में 15,84,000 इक्विटी शेयरों की संख्या में निवेश किया है, जो कि वह एक कंपनी है और खुले बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, उचित मूल्य के मापन के लिए अवलोकन योग्य इनपुट आसानी से उपलब्ध नहीं है।।

तदनुसार, एमएफएल ने आईपीएल में निवेश के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र प्रमाणित मूल्यांकनकर्ता की नियुक्त की है और लेखा बहियों में अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया है और इसका महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में प्रकट किया है।

मूल्यांकनकर्ता द्वारा पिछले तीन वर्षों के लिए निवेश का उचित मूल्यांकन किया गया है और रिपोर्ट में दी गई मान्यताओं और औचित्य को ध्यान में रखा गया है। मूल्यांकनकर्ता ने निवल संपत्ति मूल्य (एनएवी) और तुलनीय कंपनी मार्केट (सीसीएम) विभिन्न प्रणाली का उपयोग करते हुए उचित मूल्य का मूल्यांकन किया था और उपरोक्त दोनों विधियों के उच्च मूल्य पर वैल्यूएशन के लिए सिफारिश की थी।

जैसा कि 31 मार्च, 2020 को आयोजित निवेश के उचित मूल्य का पता लगाने के लिए कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा सीसीएम प्रणाली को अपनाने के विरोध में, यह उसी के लिए मूल्यांकनकर्ता की सिफारिश है और कंपनी ने रिपोर्ट को अपनाया है और उसी का हिसाब लगाया है।

दो तरीकों के उच्च मूल्य पर मूल्यांकन की विधि का पालन पिछले तीन वर्षों से लगातार किया जाता है और पिछले वर्षों के दौरान लेखा परीक्षकों द्वारा भी स्वीकार किया गया है। मौजूदा वर्ष के लिए नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

जानकारी के अभाव में न तो कंपनी और न ही लेखापरीक्षक इंडियन पोटाश लिमिटेड के उचित मूल्य का आकलन करने में सक्षम नहीं है। कंपनी इक्विटी शेयरों का उचित मूल्यांकन करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है।

इसलिए, लेखांकन क्रम में है।

(गग) लेखा परीक्षकों की टिप्पणी (ग) या (गग) उपरोक्त:

हमने पाया कि (i) 2019-20 के लिए अनुमानित बिक्री में 33% की वृद्धि बनाम 2018-19 के लिए वास्तविक बिक्री, 2018-19 में 16.88% बनाम 2017-18 की तुलना में, और (ग) अनुमानित पीएटी में 2019-20 के लिए 90.88% की वृद्धि हुई है और 2018-19 में 1.22% की कमी की तुलना में 2018-19 बनाम 2017 - 18 के लिए है। चूंकि बिक्री और पीएटी में इस तरह की उच्च वृद्धि का अनुमान है, इसलिए पर्याप्त प्रमाण के साथ समर्थन किया जाना चाहिए। उसी के अभाव में हम इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के इक्विटी शेयरों के लिए आ उचित मूल्य के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते हैं।

हम पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता नहीं हैं इसलिए आईपीएल के इक्विटी शेयर के उचित मूल्य की गणना करने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं। हालाँकि, जब से हम बाहरी मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन से उचित रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं, हमें इस तथ्य के कारण एक योग्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रदान करनी होगी कि मूल्य शामिल है।

III हस्ताक्षरकर्ता:

ह/-

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

ह/-

महाप्रबंधक - एफ एंड ए (ए/सी)

ह/-

अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति

ह/-

सांविधिक लेखापरीक्षक

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 28 अगस्त, 2020



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के सदस्यगण को, क्वालिफाइड ऑपिनियन

हमने, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के साथ जिसमें 31 मार्च 2020 का तुलन-पत्र (अन्य व्यापक आय शामिल) और उसी दिनांक को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह तालिका तथा उल्लेखनीय लेखांकन नीतियाँ और अन्य विवरणात्मक सूचनाएँ शामिल हैं, को लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार, हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के 'क्वालिफाइड ऑपिनियन के आधार' खंड में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, पूर्वोक्त संशोधित और बहाल वित्तीय आवश्यक जानकारी देते हैं। 31 मार्च, 2020 तक कंपनी के मामलों की स्थिति में भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक आवश्यक तरीके से कार्य करना और सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देना, और कर के बाद इसकी हानि, कुल व्यापक नुकसान, इक्विटी के बदलाव और वर्ष के लिए नकद प्रवाह उस तारीख को समाप्त होता है।

क्वालिफाइड ऑपिनियन के आधार पर

हम वित्तीय विवरणों के नोट 34 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो यह वर्णित करता है कि भारतीय पोटाश लिमिटेड के निर्विरोध शेयरों में निवेश का उचित मूल्यांकन बाहरी मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया गया है। 31.03.2020 को मूल्यांकनकर्ता ने निवल संपत्ति मूल्य (एनएवी) और कम्पैरेबल कंपनी मार्केट (सीसीएम) बहुभागी प्रणाली का उपयोग करते हुए उचित मूल्य का अनुमान लगाया था और मूल्यांकन किए गए मूल्य क्रमशः रु.1325.95 प्रति शेयर और रु.1783.49 प्रति शेयर था। 31.03.2020 को निवेश के उचित मूल्य का अनुमान हेतु कंपनी ने सीसीएम बहुभागी प्रणाली अपनाया। हमने देखा कि (i) 2018-19 के लिए 2019-20 बनाम वास्तविक बिक्री के लिए अनुमानित बिक्री में 33% की वृद्धि हुई है जब 2018-19 में 18.98% बनाम 2017-18 की तुलना में और (ii) अनुमानित पीएटी में वृद्धि हुई है 2019-20 के लिए 90.88% बनाम 2018-19 के लिए वास्तविक 1.22%, 2018-19 बनाम 2017-18 की तुलना में थी। चूंकि बिक्री और पीएटी में इस तरह की उच्च वृद्धि का अनुमान है इसलिए पर्याप्त प्रमाण के साथ समर्थन किया जाना चाहिए। उसी के अभाव में हम इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के इक्विटी शेयरों के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट में फेयर मूल्य पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। अगे हम जानकारी के अभाव में आईपीएल के उचित मूल्य का आकलन करने में सक्षम नहीं हैं। उपर्युक्त के कारण हम कुल व्यापक आय और वित्तीय परिसंपत्तियों पर वित्तीय प्रभावों को निर्धारित करने में असमर्थ हैं।

मामले पर जोर

i. हम नोट 47 पर ध्यान आकर्षित करते हैं

ए. हम, इनपुट किमतों की वृद्धि के लिए ₹144.46 करोड़ की राशि वर्ष की समाप्ति पर उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) से प्राप्य हुआ है।

31 मार्च, 2020 - यूरिया के लिए नए मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) के अंतर्गत है। उपर्युक्त के अंतिम भुगतान हेतु भविष्य में समायोजन हो सकता है।

बी. 02 अप्रैल, 2014 में उर्वरक विभाग द्वारा उदघोषित संशोधित एनपीएस I।। नीति के अनुसार हम, यूरिया के अतिरिक्त नियत लागत ₹350/एमटी के लिए सब्सिडी दावा राशि ₹ 16.26 करोड़ की राशि है

ii. हम, दीर्घकालिक उधार और भारत सरकार से अन्य वर्तमान देयताएँ, व्यापार प्राप्य/देनदार, वसूली योग्य ऋण और तथा अग्रिम जो पुष्टि और परिणामी समायोजन के अधीन हैं जिनके बारे में नोट 43 (जी) के तहत ध्यान आकर्षित करते हैं।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में हमारे राय कोई संशोधन नहीं किया है

वित्तीय विवरण के पुनःकथन

अपनी राय को संशोधित किए बिना, हमे टिप्पणी 55 के संशोधित और बहाल वित्तीय विवरणों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो बताते हैं कि वर्ष के लिए संशोधित और बहाल वित्तीय विवरण समाप्त हो गए हैं। 31 मार्च, 2020 से उन लोगों को बहाल कर दिया गया है जो मूल रूप से 19 जून, 2020 को रिपोर्ट किए

राय के लिए आधार

हमने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) में विदिष्टानुसार लेखा मानकों और विवरणों हेतु लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारे वित्तीय अनुभागों के विवरणों को लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे विर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रसंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा मामल

मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय, विवरणों के हमारे लेखा-जोखा के संदर्भ में संशोधित किया गया था, और हमारी राय में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।



क्रम सं.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया
1	<p>राजस्व मान्यता - माल की बिक्री</p> <p>माल की बिक्री से होने वाले राजस्व को तब पहचाना जाता है जब ग्राहकों पर माल का नियंत्रण स्थानांतरित किया जाता है। नए राजस्व लेखांकन मानक इंड एस 115 ग्राहकों के साथ सविदासे राजस्व, कुछ सविदाओं के लिए, नियंत्रण तब स्थानांतरित किया जाता है जब उत्पाद ग्राहक की स्थान पर वितरित किया जाता है या जब उत्पाद को भेज दिया जाता है, तो लागू शर्तों होने पर निर्भर करता है।</p>	<p>हमने मान्यता प्राप्त राजस्व के संबंध में निम्नलिखित प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का दर्शाया गया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> राजस्व मान्यता प्रक्रिया को समझ गए, मान्यता प्राप्त राजस्व से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और कार्यान्वयन तथा संचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। चयनित नमूनों और नियंत्रण के हस्तांतरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। हमने इन नियंत्रणों के संचालन के संबंध में जांच, अवलोकन और सक्षय के निरीक्षण से संबंधित प्रक्रियाओं का एक संयोजन किया। संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियंत्रण, स्वचालित नियंत्रण और रिकार्डिंग और राजस्व प्रकट करने में उपयोग की जाने वाली संबंधित जानकारी का परीक्षण किया। लेन-देन में चयनित नमूने के संबंध में: <ul style="list-style-type: none"> परीक्षण किया गया कि क्या ग्राहक को नियंत्रण हस्तांतरण पर राजस्व की मान्यता है। हमने इस अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व के लिए सविदाओं के वितरण और शिपिंग शर्तों का मूल्यांकन किया है। हमने कंपनी के गोदामों के स्थान स्टॉक रिपोर्ट का भी परीक्षण किया है, जहां लागू है वर्ष के दौरान की गई बिक्री का मात्रा की पुष्टि की। अनुमेय रिबेट और डिस्काउंट पर विचार करने के बाद दर्ज किए गए राजस्व का परीक्षण किया गया अवधि की समाप्ति के पहले उपलब्ध नमूनों के लिए, ग्राहकों की स्वीकार्यता का परीक्षण किया।
	<p>सब्सिडी आय/सरकारी सब्सिडियों और संबंधित प्राय्य</p> <p>वित्तीय विवरणों में नोट 3 (एफ) 'राजस्व' और नोट 2 (डी) (iv) 'अनुमानों और निर्णयों का उपयोग' को देखें। पोषक तत्वों और अन्य संबद्ध व्यवसाय से संबंधित सब्सिडी आय को उर्वरक विभाग, भारत सरकार ('भारत सरकार') द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों के आधार पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी ('एनबीएस') नीति के अनुसार मान्यता प्राप्त है। कंपनी द्वारा उस अवधि के लिए बिक्री हेतु उर्वरकों की मात्रा पर, जिसके लिए अधिसूचना जारी की गई है और शेष अवधि के लिए, अनुमानों के आधार पर, जब एक उचित आश्वासन मिलता है कि कंपनी सब्सिडी से जुड़ी सभी आवश्यक शर्तों का पालन करेगी जिसमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शामिल है ('डीबीटी') प्रणाली जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी।</p>	<p>सब्सिडी की आय मान्यता के संबंध में हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं की गई हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> हमने सब्सिडी नीतियों के संबंध में समय-समय पर 'भारत सरकार' द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों और अधिसूचनाओं को पढ़ा है। हमारे पास कंपनी के संबंधित कर्मियों के साथ 'भारत सरकार' के अद्यतन संबंधित परिपत्रों और सूचनाओं की उनकी व्याख्या के संबंध में ठोस सहभागिता है। प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी सामान्य नियंत्रण, स्वचालित नियंत्रण और संबंधित आय दर्ज करने और प्रकटीकरण करने में उपयोग की जाने वाली संबंधित जानकारी का परीक्षण किया। हमने कंपनी द्वारा उत्पाद अनुदान हेतु एनबीएस दरों पर लागू परिपत्रों और अधिसूचनाओं का परीक्षण किया है। हमने कंपनी द्वारा की गई वास्तविक बिक्री के साथ सब्सिडी आय के लिए विचार की गई बिक्री मात्रा को सहसंबद्ध किया है। हमने उर्वरक विभाग के आईएफएमएस पोर्टल के अनुसार ग्राहक स्वीकृति के साथ कंपनी की लेखों के अनुसार बिक्री की गई मात्राओं पर भी सहमति व्यक्त की है और कंपनी द्वारा किए गए डीबीटी दावों का परीक्षण किया है। हमने प्रबंधन से पूछताछ और निदेशक मंडल के साथ चर्चा की है, सब्सिडी आय को मान्यता देने के लिए लागू सब्सिडी दरों की उपयुक्तता



क्रम सं.	मुख्य लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षकों की प्रतिक्रिया
		सब्सिडी प्राप्ति का मूल्यांकन: सब्सिडी प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु परीक्षण पर निम्नलिखित मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं: <ul style="list-style-type: none">हमने प्रबंधन के साथ वकाया सब्सिडी प्राप्ति की स्थिति और इसकी वास्तविकता का विश्लेषण और चर्चा की है।
		<ul style="list-style-type: none">हमने रसीदों के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन टिप्पणियों का परीक्षण किया है।हमने बैंक विवरणों में प्राप्ति के क्रेडिट का परीक्षण किया है।हमने परीक्षण किया है कि क्या 'भारत सरकार' द्वारा की गई कटौती को लेखा बहियों में समायोजित किया है।
3	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण संपत्ति, संयंत्र और उपकरण अमूर्त संपत्ति और उनके संबंधित मूल्यवस/परिशोधन दरों के वहन मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रबंधन निर्णय का उपयोग किया जाता है। इनमें लागत को पूंजीकरण या खर्च करने का निर्णय शामिल है, वार्षिक संपत्ति अवधि की समीक्षा, संपत्ति के पूंजीकरण की समयसीमा और सक्रिय अनुपयोग परिसंपत्तियों के लिए माप और मान्यता मानदंड। कृपया लेखांकन नीति देखें।	हमने नियत परिसंपत्तियों के स्थान पर नियंत्रणों का सत्यापन किया है, पूंजीकरण प्रक्रिया की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया है, पूंजीगत लागतों को सत्यापित करने के लिए परीक्षण किए हैं, परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की समयसीमा का आकलन किया है और सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के मान्यता मानदंडों का आकलन किया है। प्रबंधन द्वारा परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि की समीक्षा का आकलन किया गया है। इन प्रक्रियाओं को करने में, हमने प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों की समीक्षा की जिसमें अतिरिक्त लागतों की प्रकृति भी शामिल है, सक्रिय उपयोग से अनुपयोग परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य का निर्धारण, मूल्यवस/परिशोधन की गणना में लागू परिसंपत्ति अवधि की उपयुक्तता, और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित संपत्ति अवधि है।
4	प्रावधान और आकस्मिक देयताएं कंपनी कुछ कानूनी और कर विवादों में संबंधित है और मुकदमों से जुड़े जोखिमों का आकलन प्रबंधन की धारणाओं पर आधारित है, जिसके लिए निर्णय के उपयोग की आवश्यकता होती है और इस तरह के निर्णय का संबंध मुख्य रूप से कार्यवाही के परिणाम के विषय पर जुड़ी अनिश्चितताओं के आकलन से होता है।	इस संबंध में, अन्य के अलावा हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया भी शामिल है। <ul style="list-style-type: none">कानूनी और कर मुकदमों और लंबित प्रशासनिक कार्यवाही की पहचान करने के लिए प्रक्रिया का आकलन।कंपनी के कानूनी और कर विभाग द्वारा किए गए संभावित कानूनी और कर जोखिमों के मूल्यांकन में समान मामलों में कानूनी पूर्वता और अन्य निर्णयों/निर्णय पर विचार करते हुए की जाने वाली मान्यताओं का आकलन।जहां उपलब्ध हो, कर परामर्शदाता से प्राप्त राय का विश्लेषणवित्तीय विवरणों के टिप्पणियों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता की समीक्षा।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदारी है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण और कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों में हमारी राय अन्य जानकारी को हिसाब में नहीं लिया जाता है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत है या हमारे लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत होना।

यदि, हमने जो काम किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस तथ्य को रिपोर्ट करने के लिए हमें कोई गलत जानकारी नहीं है। हमें इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, वित्तीय प्रदर्शन, (इक्विटी में परिवर्तन) और कंपनी के नकदी प्रवाह को आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन, निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण है।



वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए, प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदारी मामला, प्रकटीकरण के रूप में जारी रखने के लिए जिम्मेदारी है, जो लागू हो रहा है, संबंधित मामले और लेखांकन के मामले के आधार पर उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा रखता है। संचालन, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदारी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण भौतिक अशुद्ध वर्णन से मुक्त है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसाएएस के अनुसार किया गया लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतियां धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री, यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, तो वे न वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती हैं।

इस एसाएएस के पैरा 40 (बी) स्पष्ट है कि नीचे छायांकित सामग्री लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में परिशिष्ट में उपलब्ध हो सकती है। अनुच्छेद 40 (सी) स्पष्ट है कि जब कानून, विनियमन या लागू लेखा परीक्षा मानक स्पष्ट रूप से अनुमति देते हैं, तो संदर्भ को एक उपयुक्त प्राधिकारी की वेबसाइट पर बनाया जा सकता है, जिसमें लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस सामग्री को शामिल करने के बजाय लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों का विवरण है, बशर्ते कि वेबसाइट के पते पर विवरण, और लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के विवरण के साथ असंगत नहीं है।

एसाएएस के अनुसार एक लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षा में वयावसायिक संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:

- धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण, चाहे वे जोखिमों के लिए उत्तरदायी हों, लेखा परीक्षा प्रक्रिया को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवराइड शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण के औचित्य का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के मामले के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता हेतु निष्कर्ष निकालें, और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या कोई घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक मामला का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि हस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को इस मामले का विषय बना रह सकता है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखा परीक्षा की योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के उन आरोपों को भी प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय उन सभी रिशतों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है।

हम शासन के उन आरोपों को लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं, जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत अपूर्व परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों का यथोचित परिणाम अपेक्षित होगा और इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों को आगे बढ़ाने की अपेक्षा की जाएगी।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

(1) जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') के अनुसार, हम 'अनुबंध' जहां लागू हो, में आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण देते हैं

(2) अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- ए) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों को मांग और प्राप्त किया है जो हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे ज्ञान और विश्वास के लिए सर्वोत्तम थे।
- बी) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की आवश्यकतानुसार उचित लेखा बहियों को अभी तक रखा गया है, क्योंकि यह उन लेखा परीक्षा से प्रकट होता है
- सी) तुलन-पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन और इस रिपोर्ट द्वारा दिए गए नकदी प्रवाह के विवरण लेखे बहियों के साथ अनुबंध में है
- डी) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।



- ई) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि धारा 164 (कंपनी) अधिनियम, 2013 की उप धारा (2) के प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं।
- एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में, 'अनुबंध बी' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- जी) कंपनी लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है।
 - जैसा कि लागू कानून और लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक है, दीर्घकालिक हानि, सामग्री की हानि के लिए कंपनी ने प्रावधान किया है
 - कंपनी द्वारा निवेशक की शिक्षा और सुरक्षा निधि में, हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं की गई है।

(3) अधिनियम की धारा 143 (5) के अनुसार आवश्यक है, हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशों पर विचार किया और कंपनी के लेखों और वित्तीय विवरणियों में उसका प्रभाव -।

क्रम सं.	जांच की गई क्षेत्र	सुझाए गए उत्तर
1	क्या कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है ? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की संपूर्णता पर सूचना प्रौद्योगिकी के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	हां, कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है।
2	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन हो या कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि के छूट/मामलों को लिखना हो ? यदि हां, तो वित्तीय संबंधी प्रभाव को बताया जा सकता है	इस वर्ष के दौरान, मद्रास फर्टिलाइजर्स को कोई ऋणदाता द्वारा किए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि की मौजूदा ऋण या छूट के मामले में कोई पुनर्स्थापना नहीं की गई थी।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के तहत प्राप्त धनराशि/प्राप्त की गई थी या नहीं ? विचलन के मामलों की सूची दी जाए।	इस वर्ष के दौरान, केंद्रीय या राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के तहत कोई धन प्राप्त नहीं हुआ या प्राप्त नहीं है।

(4) कंपनी के अधिनियम, 2013 के अधिनियम 143 (5) द्वारा सी व एजी द्वारा अतिरिक्त कंपनी विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए।

क्रम सं.	निर्देश	सुझाए गए उत्तर
4	क्या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के प्रावधानों के अनुसार सॉल्विडी को मान्यता दी गई थी ?	भारत सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के तहत, डीलर को प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणों के माध्यम से अंतिम लाभार्थी को उर्वरक की बिक्री पर सॉल्विडी प्राप्त करने का अधिकार है। हालांकि, कंपनी डीलरों को बिक्री के समय आय से रूप में पहले की योजना के अनुसार सॉल्विडी का हिसाब जारी रखती है, इस उचित आश्वासन को देखते हुए कि बिक्री हागी और सॉल्विडी उद्योग के अभ्यास और पिछले अनुभव के आधार पर प्राप्त होगी।

उपरोक्त निर्देश सीएजी की दिशा के आधार पर रिपोर्ट में शामिल है।

कृते जे.वी.रामानुजम एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पं.सं. 02947S

(श्री नारायणा झखोटिया)
साझेदार
एम.सं. 233192

चेन्नै
9 अक्टूबर, 2020

UDIN: 20233192AAAAAJ4792



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "क"

(31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय विवरणों पर मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मणलि ("कंपनी") की हमारी समसंख्यक रिपोर्ट के परिच्छेद 1 में संदर्भित के अधीन "अन्य विधि और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट" हेतु रपट)

- i) (ए) कंपनी के स्थिर परिसम्पत्तियों के परिणामी विवरण और स्थिति सहित विवरण दिखानेवाले उचित अभिलेख चालू रखे गये हैं।
- बी) हमें बताई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, तीन वर्षों में एक बार, कंपनी के आकार और उसकी परिसम्पत्तियों की प्रकृति के अनुसार प्रबंधन द्वारा जांची जाती है। हमारी राय में, कंपनी के आकास और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में उचित है। प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्तमान में यह प्रगति पर है। अचल संपत्तियों जैसे संयंत्र और मशीनरी की जांच स्वतंत्र सनदी इंजीनियर द्वारा हर साल किया जाता है।
- सी) कंपनी के अचल संपत्तियों से संबंधित विवरण जांच के लिए नहीं दिया है अतः इस संबंध में हम अपनी राय प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं।
- ii) (ए) वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा कारखाने के परिसर और चेन्नै पोर्ट में वस्तुसूची की भौतिक जांच स्वतंत्र सर्वेक्षक द्वारा की गई और भण्डार एवं फुटकर पुर्जों की भौतिक जांच एक सनदी लेखाकार फर्म द्वारा की गई। एक वर्ष के अंतर्गत सभी वस्तुओं की पूर्णरूप से जांच की जा सके। भण्डारघर के प्रमाणितानुसार संपूर्ण पदार्थ लिया जा रहा है। कुछ मामलों में भण्डारघर प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए, जो बहरहाल मूल्य में उल्लेखनीय नहीं हैं।
- (बी) हमारी राय में, और हमें दी गई सूचना और जानकारी के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन के लिए अपनाई गई पद्धति उचित है और वह कंपनी के व्यापार की प्रकृति से संबंधित है।
- (सी) हमारी राय में, कंपनी द्वारा वस्तुसूची के उपयुक्त अभिलेख रखे गये हैं। हमें सूचित किया गया है कि स्टॉकों की भौतिक जांच के दौरान देखी गई विसंगतियों का कोई महत्वपूर्ण नहीं और उनको लेखा बहियों में उचित ढंग से निपटाया गया है।
- iii) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत चालू में रहनेवाली बहियों में शामिल की गई कंपनियों अथवा पार्टियों से प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण नहीं लिया है। अतः उप-धारा 3 (iii) (ए), (iii) (बी) और (iii) (क) के आदेश लागू नहीं हैं।
- iv) कंपनी ने ऋण, निवेश, गारन्टी और सेक्युरिटी के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आम जनता से स्वीकृत की जानेवाली जमाओं के संबंध में अधिनियम की धारा 73 से 76 तक के प्रावधान और कंपनी (जमाओं का सहमत) नियम 2014 अन्य संबंधी प्रावधान का अनुसरण करती है। वर्ष के दौरान, धारा 73 से 76 तक या कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (जमाओं का सहमत) नियम 2014 के अंतर्गत कंपनी ने आम जनता से किसी प्रकार की मयादी जमा स्वीकृत नहीं की है।
- vi) हमने, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनियों (लागत रिकार्ड और लेखा परीक्षा) नियम 2014 के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) के तहत अभिलेखों के रखरखाव के लिए कंपनी द्वारा चालू रखी गयी लेखा बहियों की, मोटे तौर पर, समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथमतः निर्धारित प्रकार के लेखे और अभिलेख चालू रखे गये हैं। हमें, अतः, ऐसे अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं किया है जिससे वे सही या पूर्ण रूप से हो।।
- vii) ए) हमें दिये गये सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे राय में, कंपनी पर लागू होनेवाले भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य विधि के तहत निर्विवादित बकाये नियमित है।
- बी) हमें दिये गये विवरण और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त विसंगत रकम भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर और अन्य वैधानिक बकाय देय नहीं है, 31 मार्च, 2020 के अनुसार, जिस दिन से वे देय बनते हैं, उस दिन से छः महीने से अधिक समय के लिए बकाये में रहे हैं जो निम्न प्रकार है:-

बकाय राशि की प्रकृति	करोड़ रुपयों में
प्रवेश कर (तमिलनाडु)	2.53
वैट (तमिलनाडु)	2.51
कर टिएनजीएसटी अधिनियम के तहत विक्री कर	7.79
कुल	12.83

(सी) तदनुसार, हमें दिये गये विवरण और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, विक्री कर और सेवा कर का देय है और कुछ विसंगत के कारण उचित अधिकारियों को जमा नहीं किया गया है,

- viii) हमारे लेखा परीक्षा और हमें दिये गये विवरण और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा निम्नलिखित भारत सरकार (जीओआई) ऋण के मूल पूंजी के रकम की अदायगी पर देय है और इसके अलावा. ऋण या किसी वित्तीय संस्थानों से लिए ऋण, बैंक, या डिबन्चर धारकों को देय नहीं है।



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

ऋण के प्रकार	चूक का वर्ष	रकम (करोड़ में)	चूक का वर्ष	रकम (करोड़ में)
भारत सरकार ऋण	2004-05	23.49	2012-13	38.33
भारत सरकार ऋण	2005-06	23.48	2013-14	45.78
भारत सरकार ऋण	2006-07	24.89	2014-15	32.68
भारत सरकार ऋण	2007-08	26.07	2015-16	32.68
भारत सरकार ऋण	2008-09	27.03	2016-17	31.28
भारत सरकार ऋण	2009-10	26.44	2017-18	30.09
भारत सरकार ऋण	2010-11	27.34	2018-19	29.14
भारत सरकार ऋण	2011-12	28.63	2019-20	28.25
			कुल *	475.62

* उपर्युक्त ऋण में योजना ऋण, गैर-योजना ऋण और रिवैम्प ऋण शामिल हैं।

- ix) वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा प्रारंभ पब्लिक आफर या आगे पब्लिक आफर (ऋण साधनों सहित) के माध्यम से कोई रकम वसूली नहीं की गई है। तदनुसार, परिच्छेद 3 (ix) के आदेश लागू नहीं होगा।
- x) कंपनी के बहियों और रिकार्डों की जांच के दौरान, भारत में लेखा परीक्षा के लिए लागू सामान्य नियमों और हमें दिये गये विवरण और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी या कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा धोकाघड़ी संबंधी विवरण लेखा परीक्षा के दौरान सूचित किया है।
- xi) क्रम सं. (Xi) के संबंध में, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी, अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अंतर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर 463 (ई) दि. 05.06.2015 के तहत कंपनी के लिए लागू नहीं है।
- xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। अतः कंपनी (लेखा परीक्षा रपट) आदेश, 2016 के अंतर्गत धारा 3 (xii) में दिए गए प्रावधानों का कंपनी पर लागू नहीं होगा।

xiii) हमारे द्वारा कंपनी की रिकार्डों की जांच की गई और हमें दिए गए सूचना और स्पष्टीकरण हेतु पार्टियों से कोई लेन-देन नहीं है तदनुसार कंपनी (लेखा परीक्षा रपट) आदेश, 2016 के अंतर्गत धारा (xi) में दिए गए आदेश लागू नहीं होगा।

xiv) हमें दिये गये विवरण और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के अंतर्गत शेयरों का अधिमान्य या प्राईवेट आबंटन या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तित डिविडेंड का आबंटन नहीं किया है और अतः कंपनी (लेखा परीक्षा रपट) आदेश, 2016 के अंतर्गत धारा 3 (xii) में दिए गए प्रावधानों का कंपनी पर लागू नहीं होगा।

xv) हमें दिये गये विवरण और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के अनुसार कंपनी ने निदेशकों या संबंधित व्यक्ति से कोई नकद संबंधी लेन-देन नहीं की है। अतः कंपनी (लेखा परीक्षा रपट) आदेश, 2016 के अंतर्गत धारा 3 (xv) में दिए गए प्रावधानों का कंपनी पर लागू नहीं होगा।

xvi) हमारी राय में, और हमें दिये गये विवरण और स्पष्टीकरण के अनुसार, रिसर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1934 के अधीन धारा 45 - आई ए के अंतर्गत कंपनी पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

कृते जे.वी.रामानुजम एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पं.सं. 029475

(श्री नारायणा झखोटिया)

चेन्नै

9 अक्टूबर, 2020

साक्षेदार

एम.सं. 233192

UDIN: 20233192AAAAAJ4792



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के समसंख्यक दिनांक स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणी रिपोर्ट के लिए अनुबंध “बी”

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 के उप-धारा 3 (i) के अंतर्गत अंतरिम वित्तीय नियंत्रक रपट।

हमने, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (कम्पनी) के स्टैंड अलोन वित्तीय विवरणों के साथ जिसमें 31 मार्च 2020 और उसी दिनांक को समाप्त वर्ष तथा उल्लेखनीय लेखांकन नीतियाँ और अन्य विवरणात्मक सूचनाएँ शामिल हैं, को लेखा परीक्षा की है।

अंतरिम वित्तीय नियंत्रक के लिए प्रबन्धन का दायित्व

भारत के सनदी लेखाकार द्वारा जारी अंतरिम वित्तीय लेखा परीक्षा रपट हेतु मार्गदर्शन नोट पर अंतरिम नियंत्रक के लिए आवश्यक पद्धतियों के अनुसार, अंतरिम वित्तीय नियंत्रण संबंधी विषयों पर कंपनी प्रबंधक का दायित्व है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, यह दायित्व, डीजाइन, कारोबार से कुशल रूप से परिचालन संबंधी पर्याप्त रखरखाव का कार्यान्वयन, कंपनी के नीति संबंधी मामले, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाकड़ी तथा त्रुटि, लेखा अभिलेखों का पूर्णता और समय पर विश्वासनीय वित्तीय सूचना की तैयारी आदि शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय रपट पर कंपनी के अंतरिम वित्तीय नियंत्रण पर हमारे राय प्रकट करना हमारा दायित्व है। आईसीएआइ द्वारा जारी अंतरिम वित्तीय लेखा परीक्षा रपट हेतु (“मार्गदर्शन नोट”) पर अंतरिम नियंत्रक के लिए आवश्यक पद्धतियों के अनुसार, अंतरिम वित्तीय नियंत्रण संबंधी विषयों पर कंपनी प्रबंधक का दायित्व है और कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 143(10) के अधीन निर्धारित पद्धति, जो लेखा परीक्षा के अंतरिम वित्तीय नियंत्रक और, अंतरिम वित्तीय नियंत्रक दोनों भारत के सनदी लेखाकार द्वारा जारी। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हैं और योजना के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वित्तीय रिपोर्ट पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रक स्थापित और बनाए रखा गया था या नहीं और इस तरह के नियंत्रण सभी सामग्री के मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

मानक और मार्गदर्शन नोट के अनुसार, नैतिक आवश्यकता और योजना के अनुरूप क्या वित्तीय रपट के अंतर्गत अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग पर्याप्त है और इस संबंध में किए गए लेखा परीक्षा सभी सामग्री पर प्रभावी हैं। हमारी लेखा परीक्षा पद्धति, वित्तीय रिपोर्टिंग पर, परिचालन प्रभाव और अंतरिम वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने हेतु है। हमारी लेखा परीक्षा पद्धति वित्तीय रिपोर्टिंग पर, अंतरिम वित्तीय नियंत्रण हेतु, संबंधित जोखिम के तहत सामग्री से संबंधी कमी और परीक्षण तथा परिचालन प्रभावी के अंतर्गत है। चयन की गई पद्धति, लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए वित्तीय संबंधी गलत विवरण शामिल हैं।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्ट पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित अंतरिम वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य:

लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर अंतरिम वित्तीय नियंत्रण पद्धति का तात्पर्य यह है कि वित्तीय रिपोर्टिंग और वित्तीय विवरण की तैयारी में उचित विश्वसनीयता से की गई है। कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक वित्तीय नियंत्रक की नीतियाँ और प्रक्रियाएँ यह हैं कि (1) अभिलेखों की रखरखाव से संबंधित है कि, पर्याप्त विवरण, कंपनी के सम्पत्ति संबंधी लेनदेन और विवरण सही हैं; (2) सामान्य तौर पर ली गई लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, वित्तीय विवरणों की तैयारी में आवश्यक आश्वासन प्रदान की गई है और कंपनी के निदेशकगण और प्रबंधन के प्राधिकरण से अनुसार प्राप्ति और व्यय की जा रही है; और (3) कंपनी के वित्तीय विवरणों में, समय-समय पर कंपनी के सम्पत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उद्योग या सामग्री का प्रभाव वित्तीय विवरणों में हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएँ हैं, मिलीभगत या प्रबंधन के नियंत्रण में अनुचित ओवरराइड, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुए सामग्री का गलत विवरण जो हिसाब में नहीं लाया गया हो, भी शामिल है। इसके आलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन के अनुमानों के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर जोखिम के कारण हुए शर्तों के परिवर्तन या नीतियों या पद्धतियों के अनुपालन में अपर्याप्त हो।

राय

हमारी राय में, कंपनी, सभी सामग्री संबंधी मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पर्याप्त और 31 मार्च, 2020 के दौरान ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से हैं और कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में भारत के सनदी लेखाकार और संयुक्त नियंत्रक कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियों द्वारा जारी अंतरिम वित्तीय लेखा परीक्षा रपट हेतु मार्गदर्शन नोट पर अंतरिम नियंत्रक के लिए आवश्यक पद्धतियों के अनुसार है।

कृते जे.वी.रामानुजम एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 02947S

श्री नारायणा जखोटिया
साझेदार
एम संख्या 233192
UDIN: 20233192AAAAJ4792

चेन्नै

9 अक्टूबर, 2020



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

तुलन पत्र

31 मार्च, 2020 तक

(₹ करोड़)

	टिप्पणी	मार्च 31,2020	मार्च 31,2019
परिसम्पत्तियाँ			
गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
संपत्ति, सयंत्र और उपकरण	1	198.72	146.40
पूजी-कार्य प्रगति पर	1	3.13	30.59
निवेश संपत्ति	1	1.22	1.22
वित्तीय संपत्ति	2		
निवेश	2ए	282.50	197.91
ऋण	2बी	-	0.01
अन्य वित्तीय संपत्ति	2सी	0.28	0.24
अन्य गैर वित्तीय संपत्ति	3	16.47	17.03
कुल गैर चालू संपत्ति		502.32	393.40
चालू संपत्ति			
सूची	4	250.76	280.86
वित्तीय संपत्ति	5		
व्यापार प्राप्तियां	5ए	50.87	27.21
नकद और नकद समक्ष	5बी	133.31	36.82
ऋण	5सी	7.07	0.91
अन्य वित्तीय संपत्ति	5डी	556.04	815.31
अन्य चालू संपत्ति	6	27.42	13.78
कुल चालू संपत्ति		1025.47	1,174.89
कुल संपत्ति		1,527.79	1,568.29



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

ईक्विटी और देयताएँ

ईक्विटी

ईक्विटी शेयर पूंजी	7	162.14	162.14
अन्य ईक्विटी	8		
प्रतिधारित कमाई		(805.42)	(749.80)
अन्य भंडार		12.39	12.39
कुल ईक्विटी		(630.89)	(575.27)

तुलन पत्र

31 मार्च, 2019 तक (जारी)

(₹ करोड में)

देयताएँ

गैर चालू देयताएँ

	टिप्पणी	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
वित्तीय देयताएँ	9		
ऋण	9 ए	51.28	78.62
प्रावधान	10	42.44	38.61
अन्य गैर चालू देयताएँ	11	1.78	2.55
कुल गैर चालू देयताएँ		95.50	119.78

चालू देयताएँ

वित्तीय देयताएँ	12		
श्रण	12 ए	1,749.49	1,572.97
व्यापार देय	12 बी	115.88	276.97
अन्य वित्तीय देयताएँ	12 सी	139.80	125.56
प्रावधान	13	10.07	8.76
अन्य चालू देयताएँ	14	47.94	39.52
कुल चालू देयताएँ		2,063.18	2,023.78
कुल ईक्विटी व देयताएँ		1,527.79	1,568.29



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

टिप्पणी 1 से 55 तक इस वित्तीय विवरणी का एक भाग है.

/कृते एवं बोर्ड की तरफ से/

यू सरवणन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

लाल संगलूर
निदेशक

प्रिया रंजन पांडा
महाप्रबंधक - एफ व ए (ए/सी)

डॉ. गिरीश कुमार
कंपनी सचिव

अगस्त 28, 2020

समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.वी. रामानुजम एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002947एस

सीए श्री नारायण जखोटिया
साझेदार
एम नं. 233192

अगस्त 28, 2020



लाभ व हानि विवरण

दि. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड में)

	टिप्पणी	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
परिचालनों से राजस्व	15	1274.39	1,593.00
अन्य आय	16	13.00	17.80
कुल आय		1287.39	1610.80
व्यय			
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	17	1152.43	1318.88
स्टॉक में व्यापार की खरीदी	18	5.57	3.82
स्टॉक में व्यापार की वस्तुसूचियों में परिवर्तन	19	(78.60)	46.16
कर्मचारी सुविधा व्यय	20	95.97	100.54
वित्तीय लागत	21	90.29	100.03
मूल्याह्रास	22	26.38	22.99
अन्य व्यय	23	130.23	148.20
कुल व्यय		1422.27	1740.62
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ/(हानि)		(134.88)	(129.82)
अपवादी मदें	24	-	0.00
असाधारण वस्तुओं और कर के बाद लाभ/(हानि)		(134.88)	(129.82)
कर पूर्व लाभ			
वर्तमान कर		-	-
अस्थगित कर		-	-
मैट क्रेडिट		-	-
आयकर खर्च		-	-
कर के बाद लाभ/ (हानि) (ए)	ले जाई/0	(134.88)	(129.82)



लाभ व हानि विवरण

दि.31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए (जारी)

(₹ करोड में)

टिप्पणी	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
अन्य व्यापक आय ("ओसीआई")		
मदें लाभ और हानि के बाद में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
पारिभाषित लाभ के दायित्व का उपाय (निवल कर)	25	(5.33)
आईपीएल निवेश का उचित मूल्यांकन		84.59
पारिभाषित लाभ के दायित्व का उपाय (निवल कर)		-
कुल अन्य व्यापक आय, लाभ और हानि के बाद में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (बी)	79.26	46.58
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (ए + बी)	(55.62)	(83.24)
प्रति शेयर आय	26	
प्रति शेयर मूल आमदनी (₹)		(8.37)
प्रति शेयर कम की गई आमदनी (₹)		(8.37)

1 से 55 तक के नोट इन वित्तीय विवरणों के भाग हैं।

/कृते एवं बोर्ड की तरफ से/

यू सरवणन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

लाल संगलूर
निदेशक

प्रिया रंजन पांडा
महाप्रबंधक - एफ व ए (ए/सी)

डॉ. गिरीश कुमार
कंपनी सचिव

अगस्त 28, 2020

समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.वी.रामानुजम एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002947एस

सीए श्री नारायण जखोटिया
साझेदार
एम नं. 233192

अगस्त 28, 2020



31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाहतालिका

(₹ करोड में)

	2019-20	2018-19
नकद प्रवाह - परिचालन क्रियाकलापों से		
वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ/ (हानि)	134.88	(129.82)
समायोजन:		
मूल्यह्रास	26.38	22.99
असाधारण मद (मूल्यह्रास)	0.00	0.00
स्थिर समाप्ति को बिक्री से हानि/ (लाभ)	(0.13)	(0.01)
ब्याज व्यय	90.29	100.03
ब्याज आय	(3.68)	(0.49)
एफवीटीपीएल द्वारा अनिवार्य से मापे गए वित्तीय संपत्ति से प्राप्त निवल लाभ	0.00	0.00
अवास्तविक विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव नुकसान	0.00	2.94
डिविडेण्ड आय	(0.24)	(0.24)
कार्य-पूँजी परिवर्तनों के पहले परिचालन लाभ	(22.26)	(4.60)
कार्य-पूँजी समायोजन		
वस्तुसूचियों में गिरावट / (वृद्धि)	30.10	(61.00)
व्यापार प्राप्त में गिरावट / (वृद्धि)	(23.66)	(7.16)
ऋण एवं अग्रिमों में गिरावट / (वृद्धि)	(6.16)	0.12
अन्य सम्पत्तियों में गिरावट / (वृद्धि)	181.22	131.16
प्रावधानों में वृद्धि / (गिरावट)	(0.19)	4.48
व्यापार देयों में वृद्धि / (गिरावट)	(161.09)	(107.78)
अन्य देयताओं में वृद्धि / (गिरावट)	21.89	22.15
परिचालनों से प्रजनित / (उपयोग किये) नकद	84.82	(22.63)
प्रत्यक्ष कर प्रदत्त (वापसियों का निवल)	-	-
वित्तीय क्रियाकलापों से/में निवल नकद प्रवाह (ए)	84.82	(22.63)
वित्तीय क्रियाकलापों के नकद प्रवाह		
स्थाई संपत्तियों की खरीद	(51.24)	(21.83)
स्थाई संपत्तियों की बिक्री से	0.13	7.96
ब्याज प्राप्त	3.68	0.49
लाभान्श प्राप्त	0.24	0.24
निवल नकद प्रवाह से/निवेश कार्यकलापों (बी) में (प्रयुक्त)	(47.19)	(13.14)



31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह तालिका (जारी. .)

(₹ करोड में)

	2019-20	2018-19
वित्तीय क्रियाकलापों के नकद प्रवाह		
शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आय	0.00	0.00
अवधि उधार से/ (वापसी की गई राशि) कुल प्राप्ति	0.00	0.00
वित्तीय संपत्तियों से कुल प्राप्ति	(0.03)	0.27
कार्यशील पूंजी और अल्पकालिक उधार से कुल प्राप्ति	94.60	90.56
ब्याज भुगतान	(35.71)	(45.45)
निवल नकद प्रवाह से/निवेश कार्यकलापों में (प्रयुक्त) (सी)	58.86	45.38
नकद और नकद समतुल्य) में निवल वृद्धि/ (गिरावट) (ए + बी + सी)	96.49	9.61
अप्रैल 1, (अधशेष) नकद और नकद समतुल्य	36.82	27.21
मार्च, 31 (इतिशेष) नकद और नकद समतुल्य	133.31	36.82
नकद और नकद समतुल्य के घटक		
नकद	0.00	0.00
मार्गस्थ प्रेषण	0.00	0.00
बैंक में नकद :		
चालू खाते और नकद क्रेडिट खाते पर	0.08	0.07
मीयाद जमा जो 12 महिनो से कम	133.23	36.75
कुल नकद और नकद समतुल्य	133.31	36.82

1 से 55 तक का टिप्पणी इस वित्तीय विवरण का भाग है

/कृते एवं बोर्ड की तरफ से/

यू सरवणन

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

अगस्त 28, 2020

लाल संगलूर

निदेशक

प्रिया रंजन पांडा

महाप्रबंधक - एफ व ए (ए/सी)

डॉ. गिरीश कुमार

कंपनी सचिव

समादिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.वी.रामानुजम एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 002947एस

श्री श्री नारायण जखोटिया

साझेदार

एम नं. 233192

अगस्त 28, 2020



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

ईक्विटी के परिवर्तन का विवरण

31 मार्च 2020 वर्ष की समाप्ति के लिए

(₹ करोड़ में)

ए. ईक्विटी शेयर पूंजी

1 अप्रैल 2019 का शेष	162.14	162.14
वर्ष 2019-20 के दौरान ईक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
31 मार्च 2020 का शेष	<u>162.14</u>	<u>162.14</u>

बी. अन्य ईक्विटी

(₹ करोड़ में)

	भंडार और अधिशेष		
	प्रतिभूतियाँ प्रीमियम	प्रतिधारित आय	कुल
31 मार्च, 2019 वर्ष की समाप्ति के लिए कुल व्यापक आय	12.39	(749.80)	(737.41)
हानि	-	(134.88)	(134.88)
अन्य व्यापक आय (निवल कर)	-	79.26	79.26
कुल व्यापक आय	-	(55.62)	(55.62)
31 मार्च 2020 का शेष	12.39	(805.42)	(793.03)



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को संपत्ति, संयंत्र व उपकरण के लिए वित्तीय विवरण हेतु नोट-1

(₹ करोड़ में)

	धोक ब्लाक		संचित मूल्यह्रास		निवल धोक	
	31 मार्च, 2020 तक	जोड़	घटाव/समायोजन 31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक	वर्ष के घटाव/समायोजन 2020 तक दौरान	31 मार्च, 2020 तक
जमीन *	0.72		0.72	-	0.72	0.72
सड़क, ब्रिज और अन्य सुविधाएँ	2.38	0.49	2.87	0.09	2.35	2.29
रेलवे साईडिंग **	0.09		0.09	0.03	0.04	0.06
भवन	6.35	3.07	9.42	1.12	7.92	5.23
संयंत्र व मशीनरी	197.23	74.45	271.68	62.01	184.90	135.22
ऑटोमोटिव एवं सर्विस उपकरण	1.44	0.41	1.78	0.24	1.40	1.20
प्रयोगशाला उपकरण	0.53	0.03	0.50	(0.28)	0.52	0.80
कार्यालय उपकरण	1.03	0.03	1.06	0.69	0.20	0.35
फर्निचर एवं जुड़नार	0.45	0.23	0.68	0.13	0.48	0.32
वातानुकूलन एवं जलशीतीकरण	0.29	0.02	0.05	0.08	0.19	0.21
पूँजी कार्य - प्रगति में	30.59	30.79	3.13	-	3.13	30.59
विद्युत् आस्थियाँ	1.25		1.25	0.03	1.22	1.22
कुल	242.35	109.49	291.52	64.14	203.07	178.20

कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और पूँजी कार्य के लिए संक्रमण की तारीख पर लागत के रूप में पिछली जीएपी मात्रा को चुन है। इसलिए 31 मार्च, 2016 को निवल ब्लाक को 1 अप्रैल, 2016 तक सकल ब्लाक खोलने के रूप में माना जाता है।

** शामिल

(ए) तमिलनाडु सरकार द्वारा 329.40 एकड़ों में से 297.75 एकड़ों के लिए ₹ 0.12 करोड़ के भुगतान के रूप में कंपनी को सुदूर किये गये बर्तते सरकार द्वारा अंतिम रूप की सूचना दी जाए।

(बी) चेन्नै मेट्रोपालिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा आर्बिट 78 ग्राउंड जमीन के लिए ₹ 0.51 करोड़ का भुगतान किया गया और कंपनी को जमीन पर अधिकार दिया गया है

** रेलवे साईडिंग की कुल लागत के 5/24 शेयर के ₹ 0.08 करोड़ शामिल है। चेन्नै मेट्रोपालिटन निगम लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, स्टील आधारेटी आफ इण्डिया और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा प्रयुक्त है।

कंपनी ने अपनी निवेश संपत्ति के लिए उचित मूल्योक्तन किया है और मूल्यों का विवरण नीचे दिए गए हैं

ए.विजयवाडा जैव भवन	-	0.10 करोड़
बी. विजयवाडा जैव जमीन	-	4.88 करोड़
सी. सीपीसीएल को किराए पर जमीन	-	21.17 करोड़
डी. मणालि पर खाली जमीन	-	544.41 करोड़
ई. गुजरात पर खाली जमीन	-	0.05 करोड़
एफ. गिण्डि पर खाली जमीन	-	43.77 करोड़

परिसंपत्तियों में कोई हानि पहचाने गए



वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी

2 वित्तीय संपत्ति

(₹ करोड़ में)

ए. निवेश

31 मार्च,
2020 तक

31 मार्च,
2019 तक

व्यापार निवेश- गैर उद्धृत

इण्डिया पोटाश लिमिटेड 15,84,000 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 15,84,000) ₹ 10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर उचित मूल्य का मूल्यांकन। फार्चून वयो टेक लिमिटेड (12,50,000 ईक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त निवेश के उचित मूल्य को प्रबंधन द्वारा "कुछ नहीं" के रूप में मूल्यांकन किया है।)

282.50

197.91

-
282.50

-
197.91

बी. ऋण

सुरक्षित ऋण

(शीर्षक के बंधक के खिलाफ सुरक्षित)

अनुरक्षित

- कर्मचारी ऋण

-

0.01

-
-

-
0.01

सी. अन्य वित्तीय संपत्तियाँ

किराए जमाएँ

0.28

0.24

0.28

0.24

3 अन्य गैर-चालू संपत्तियाँ

सरकार विभाग व अन्य के साथ जमाएँ

14.75

14.70

सीमा शुल्क, पतन न्यास एवं उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों के साथ शेष

0.94

1.10

पट्टा समीकरण रिसर्व

0.78

1.21

प्रीपेड किराए

-

0.01

प्रीपेड कर्मचारी लागत

-

0.01

16.47

17.03

4 वस्तुसूचियाँ

भण्डार मसल

कच्ची सामग्री - हाथ में

67.82

118.94

कच्ची सामग्री मार्गास्थ में

-

62.46

कार्य प्रगति पर

65.47

13.45



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

संपूर्ण पदार्थ		
उर्वरक	30.11	3.53
कृषि रसायन	-	-
भण्डार और पुर्जे		
हाथ में	67.68	57.92
मार्गास्था में	6.59	18.00
फुटकर पुर्जे	0.21	0.29
अन्य		
उत्प्रेरक	10.20	1.21
पैकिंग सामग्री	2.68	5.06
	250.76	280.86
5 वित्तीय संपत्ति		(₹ करोड़ में)
	31	31
	मार्च, 2020	मार्च, 2019
ए. व्यापार प्राप्तियाँ (सुरक्षित)		
ए. उचित माना गया	50.87	27.21
बी. संदिग्ध माना गया	4.44	4.44
घट व्यापार प्राप्तियों पर हानि	(4.44)	(4.44)
	50.87	27.21
बी. नकद एवं नकद समरूप		
हाथ में नकद	0.00	0.00
अनुसूचित बैंकों में चालू खाता में शेष		
चालू खते में	0.08	0.07
मियादी जमा	133.23	36.75
	133.31	36.82
सी. ऋण		
ए. असुरक्षित		
कर्मचारी अग्रिम	7.07	0.91
उचित माना गया	7.07	0.91



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

डी.अन्य वित्तीय संपत्तियाँ		
वसूली दावे		
- भारत सरकार सब्सिडी	481.89	706.52
- भारत सरकार - आईटीसी	68.55	95.33
- अन्य	6.61	14.47
घटा - हानि के लिए प्रावधान	(1.01)	(1.01)
	556.04	815.31
6 अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ		
प्रीपेड खर्चे	14.13	11.11
प्रीपेड किराए	0.02	0.01
प्रीपेड कर्मचारी लागत	-	0.04
नकद या किसी तरह या मूल्य प्राप्त के लिए अग्रिम वसूली	12.84	2.36
पट्टा समीकरण रिसर्व	0.43	0.26
	27.42	13.78
7 इक्विटी शेयर पूंजी		(₹ करोड़ में)
	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
प्राधिकृत		
17,50,00,000 इक्विटी शेयर ₹10 प्रत्येक के	175.00	175.00
19,00,00,000 अधिमान शेयर ₹10 प्रत्येक के	190.00	190.00
	365.00	365.00
जारी अंशदान और प्रदत्त शेयर		
16,11,01,300 इक्विटी शेयर ₹10 प्रत्येक के	161.10	161.10
जब्त किए गए शेयर		
20,76,600 इक्विटी शेयर ₹5 प्रदत्त	1.04	1.04
	162.14	162.14



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

प्रारंभ में और विचाराधीन अवधि की समाप्ति पर बकाये शेयरों का समंजन

	मार्च 31, 2020 तक		मार्च 31, 2019 तक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
इक्विटी शेयर				
वर्ष के प्रारंभ में	16,11,01,300	161.10	16,11,01,300	161.10
नकद के लिए जारी शेयर	-	-	-	-
वापस खरीदी गई शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में	16,11,01,300	161.10	16,11,01,300	161.10
जोड़े: अवधि के शुरुआत में जल किए गए शेयर	20,76,600	1.04	20,76,600	1.04
	16,31,77,900	162.14	16,31,77,900	162.14

इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

	मार्च 31, 2020 तक		मार्च 31, 2019 तक	
	संख्या	कुल शेयरों का %	संख्या	कुल शेयरों का %
इक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक - पूर्ण प्रदत्त				
भारत सरकार	9,58,51,700	59.50	9,58,51,700	59.50
नाफिट्रान इन्टरट्रेड कंपनी लिमिटेड	4,15,16,500	25.77	4,15,16,500	25.77
पब्लिक (संकलन)	2,58,09,700	14.73	2,58,09,700	14.73

8 अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

प्रतिधारित कमाई

अन्य राजस्व

प्रतिभूति प्रिमियम

प्रारंभिक शेष

अवधि के दौरान जोड़े / (उपयोग)

अंतिम शेष

अन्य कुल इक्विटी

प्रतिभूति प्रिमियम

मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
(805.42)	(749.80)

12.39 12.39

- -

12.39 12.39

(793.03) **(737.41)**



शेयरों पर प्राप्त प्रिमियम को रिकार्ड करने हेतु प्रतिभूति प्रिमियम का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रवधानों के अनुसार किया जाता है।

9 वित्तीय देयताएँ

ए.उधार

असुरक्षित ऋण

भारत सरकार ('जीओआई') ऋण

51.28	78.62
51.28	78.62

भारत सरकार से ऋण संशोधित करने के लिए प्राप्त किए जाते हैं, जिसका विशेष रूप से उर्वरकों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले संयंत्र के पुनरुद्धार हेतु किया जाता है, योजना ऋण जो पूंजी और कंपनी की कार्यशील पूंजी के लिए गैर-योजना ऋण के लिए उपयोग किया जाता है। ये प्रकृति में अनुरक्षित हैं। निम्न प्रकार ऋण में ब्याज नियत किया गया है:

ऋण सुधार - 7%

योजना ऋण - I ट्रांच @ 7%, II ट्रांच @ 12.50% और III ट्रांच @ 11.50%

गैर योजना ऋण - I ट्रांच @ 7% और II ट्रांच @ 15.50%

ऋण 2003 से 2012 तक की अवधि में लिया गया था और 10 बराबर वार्षिक किश्तों में चुकाया जा सकता है जो 2 साल की अधिस्थगित अवधि के बाद शुरू होता है। एक वर्ष के भीतर भारत सरकार ऋण का वर्तमान हिस्सा नोट 12 ए के तहत खुलासा किया गया है।

10 प्रावधान - गैर-चालू

सेवानिवृत्त चिकित्सा लाभ	1.98	1.33
छुट्टी नकदीकरण	13.13	10.68
सेवा पुरस्कार	0.29	0.23
उपदान	27.04	26.37
	42.44	38.61

11 अन्य गैर-चालू देयताएँ

अग्रिम में प्राप्त किराए	0.89	1.01
पट्टा समीकरण रिसर्व	0.89	1.54
	1.78	2.55

12 वित्तीय देयताएँ

		(₹ करोड़ में)
	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
ए.उधार		
सुरक्षित		
वैको से नकद क्रेडिट	171.86	3.98
साख पत्र के तहत स्वीकार किए गए बिल	109.76	107.44

(वर्तमान और भविष्य दोनों मंगल में अचल संपत्तियों पर पहले प्रभार के साथ भारत सरकार सब्सिडी सहित प्राप्त वस्तुओं और पुस्ताक ऋणों के हाइपोथिकेशन द्वारा सुरक्षित)



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

विशेष बैंकिंग व्यवस्था	307.67	383.27
व्यवस्था (भारत सरकार सब्सिडी के खिलाफ सुरक्षित)		
असुरक्षित		
भारत सरकार ऋण - चालू स्थिति		
- मूल नकद	502.96	475.62
- अर्जित ब्याज और देय	657.24	602.66
	<u>1,749.49</u>	<u>1,572.97</u>

बी. व्यापार देय

व्यापार देय

सुरक्षित

असुरक्षित

69.62 158.16

46.26 118.81

115.88 276.97

निम्नलिखित के लिए सुरक्षित :

सीपीसीएल के बकाया ₹ 1.21 करोड़ (31 मार्च 2019 ₹ 99.65 करोड़) जिसके लिए कंपनी के लिए पुनर्वास योजना की स्वीकृति की तारीख तक 100 करोड़ रुपयों के लिए गिण्डि भूमि पर गिरवी और पहला शुल्क दिया गया है।

₹ 120 करोड़ की क्रेडिट सीमा हेतु आईओसी को ₹ 68.41 करोड़ (31 मार्च 2019 ₹ 58.32 करोड़) की देय राशि जिसके लिए संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर पहला शुल्क ₹ 50 करोड़ और अतिरिक्त ₹ 110 करोड़ बैंक गैरंटी पर दिया गया।

सी. अन्य वित्त देयताएँ

ब्याज अर्जित किया गया लेकिन ऋण पर नहीं

वैधानिक बकाया

अन्य

15.55 15.55

22.61 23.60

101.64 86.41

139.80 125.56

13 प्रावधान

सेवा निवृत्त के बाद चिकित्सा लाभ

छुट्टी भुनाना

सेवा पुरस्कार

अनुदान

0.27 0.18

3.43 2.45

0.10 0.08

6.27 6.05

10.07 8.76



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

14 अन्य चालू देयताएँ

	मार्च 31, 2020	(₹ करोड़ में) मार्च 31, 2019
	तक	तक
दावे नहीं की गई जमाएँ	-	0.03
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	-	0.01
अन्य देयताएँ	47.17	38.81
अग्रिम में प्राप्त किराया	0.13	0.13
पट्टा समीकरण रिसर्व	0.64	0.54
	<u>47.94</u>	<u>39.52</u>

15 संचालन से राजस्व

	मार्च 31, 2020 को वर्ष की समाप्ति पर	मार्च 31, 2019 को वर्ष की समाप्ति पर
उत्पादकों और सेवाओं की बिक्री		
विनिर्मित उत्पाद	329.00	281.82
व्यापारिक माल	6.25	4.17
घट: छूट	(1.70)	(0.81)
अन्य संचालन राजस्व		
सब्सिडी	940.84	1,307.82
	<u>1274.39</u>	<u>1,593.00</u>

16 अन्य आय

प्रभावी ब्याज पद्धति के तहत ब्याज आय:		
बैंक और अन्य से	3.68	0.49
किराए जमा के उचित मूल्यांकन		
कर्मचारी ऋण के उचित मूल्यांकन	-	0.05
लाभांश आय:		
गैर-चालू निवेश से	0.24	0.24
अन्य गैर-परिचालन आय:		
एफवीटीपीएल द्वारा मापित वित्तीय लाभ पर उत्पन्न निविल लाभ/ (हानि)		-
विनियम दर पर उतार चढ़ाव	0.01	1.97
संपत्ति की बिक्री पर लाभ	0.13	0.01
किराया	1.60	1.53
बट्टे खाते में	5.21	8.08
फुटकर आय	2.13	5.43
	<u>13.00</u>	<u>17.80</u>



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

17 उपभोग की गई सामग्रियों की लागत

	मार्च 31, 2020 को वर्ष की समाप्ति पर	(₹ करोड़ में) मार्च 31, 2019 को वर्ष की समाप्ति पर
प्रारंभ स्टॉक	118.94	98.23
जोड़े: खरीदी	881.20	852.52
	<u>1,000.14</u>	<u>950.75</u>
घटाएँ:		
स्टॉक हानि	-	-
अंतिम स्टॉक	67.82	118.94
	<u>67.82</u>	<u>118.94</u>
कच्ची सामग्री का कुल उपभोग	932.32	831.81
पॉवर, पानी और ईंधन	195.76	467.29
भण्डार, पुर्जे और पैकिंग सामग्री	24.35	19.78
	<u>1,152.43</u>	<u>1,318.88</u>

18 व्यापार में स्टॉक की खरीदी

कृषि रसायन	1.46	1.35
आर्मानिक खाद	0.90	0.36
सिटी कमपोस्ट	3.21	2.11
	<u>5.57</u>	<u>3.82</u>

19 संपूर्ण कार्य प्रगति में और व्यापार पर स्टॉक की वस्तुसूची में बदलाव

प्रारंभ स्टॉक		
संपूर्ण पदार्थ	3.53	43.86
कार्य प्रगति में	13.45	19.28
	<u>16.98</u>	<u>63.14</u>
घटाएँ : अन्तिम स्टॉक		
संपूर्ण पदार्थ	30.11	3.53
यूरिया स्टॉक में कमी	-	-
कार्य प्रगति में	65.47	13.45
	<u>95.58</u>	<u>16.98</u>
	<u>(78.60)</u>	<u>46.16</u>



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

20 कर्मचारी सुविधा व्यय:

वेतन, मजदूरी एवं बोनस	74.98	73.98
भविष्य निधि के लिए अंशदान	14.35	17.96
कर्मचारी कल्याण व्यय	6.64	8.60
	95.97	100.54

21 वित्तीय प्रभार

मियादी ऋण पर ब्याज

भारत सरकार ऋण

54.58

54.58

अन्य देयताएँ

बैंक देयताएँ

17.41

21.39

लीज जमा पर ब्याज व्यय स्वीकार किया गया

0.00

0.00

डीलर जमा पर ब्याज व्यय स्वीकार किया गया

8.36

7.91

व्यापार प्रगति पर ब्याज व्यय स्वीकार किया गया

0.06

0.40

स्थगित क्रेडिट पर ब्याज व्यय

6.44

9.18

अन्य

3.44

6.57

90.29

100.03

22 मूल्यहास

मूल्यहास

26.38

22.99

26.38

22.99

31 मार्च 2020 को
समाप्त वर्ष

31 मार्च 2019 को
समाप्त वर्ष

23 अन्य व्यय

मरम्मत एवं रखरखाव

संयंत्र एवं मशीनरी

22.47

29.48

भवन

0.53

0.56

कंप्यूटर व अन्य परिसम्पत्तियाँ

1.20

0.84

परिवहन एवं भण्डारण

परिवहन एवं गोदाम

50.34

54.74

सेकण्डरी भाडा

0.67

0.32

गोदाम किराया

0.16

0.40



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
संवैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान		
संवैधानिक लेखा परीक्षा	0.04	0.04
कर लेखा परीक्षा	0.01	0.01
प्रमाणिकरण	0.07	0.11
अन्य		
उत्पाद शुल्क	-	-
किराया	2.00	0.74
दर व कर	0.85	1.46
बीमा	8.37	2.66
निदेशकों का व्यय	0.04	0.17
निदेशकों बैठक उपस्थिति शुल्क	0.00	0.00
कृषि सेवाएँ/सूचना व्यय	0.06	0.04
विज्ञापन व प्रचार-प्रसार	1.40	1.43
देनदारों पर हानि के लिए प्रावधान	-	-
समाप्त उत्पाद हैंडलिंग	17.74	18.27
विनियम दर उतार चढ़ाव	0.00	0.00
वैक प्रभार	11.92	22.59
सुरक्षा शुल्क	2.87	3.39
ठेका मजदूर	1.60	2.07
किराए की गाड़ी	0.92	1.47
यात्रा व्यय	0.97	0.98
डाक और दूर संचार खर्च	0.41	0.45
विविध व्यय	5.59	5.98
पूँजी कार्य-प्रगति - भट्टे खाते में डाला गया	0.00	-
	130.23	148.20
24 अपवाद मदें		
अपवाद मदें	-	-
	-	-



25 अन्य व्यापक आमदनी

वास्तविक लाभ और ब्याज लागत का पूर्व मूल्यांकन	(5.33)	(2.39)
आईपीएल शेयरों का उचित मूल्यांकन	84.59	48.97
	79.26	46.58

26 प्रति शेयर कमाई

हानि - कर के बाद (₹ करोड़ में)	(134.88)	(129.82)
शेयरों की संख्या (करोड़ में)	16.11	16.11
प्रति शेयर कमाई	10.00	10.00
प्रति शेयर कमाई - बुनियादी और हानि (₹)	(8.37)	(8.06)

कंपनी के पास संभावित रूप से कमजोर शेयर नहीं है, इस प्रकार प्रति शेयर मूल और कम कमाई समान है।

27(ए) महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. रिपोर्टिंग इकाई

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ("एमएफएल" या "कंपनी"), भारत सरकार ('जीओआई') रसायन व उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग ('डीओएफ'), के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम ('पीएसयू') है और कंपनी अधिनियम 1956 के तहत मणिल औद्योगिक क्षेत्र, चेन्नै -600 068 में स्थित पंजीकृत कार्यालय है।

कंपनी ने इंक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई') पर सूचिवद्ध है। एलएफएल यूरिया और कॉम्प्लेक्स उर्वरकों के निर्माण में लगी हुई है। यह 'विजय' ब्रांड नाम के तहत जैव-उर्वरकों और व्यापार पर्यावरण अनुकूल कृषि रसायन और सिटी कंपोस्ट के निर्माण में भी लगा हुआ है।

2. तैयारी की आधार

ए) अनुपालन विवरण

इन वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनियों ('भारतीय लेखा मानक') नियम 2015 के अनुसार भारतीय मानक ('इंड एस') के अनुसार अधिनियम के प्रावधान के अधीन तैयार किया गया है।

19.06.2020 को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा जारी किए जाने के लिए वित्तीय विवरण अधिकृत किए गए थे।

कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण नोट 3 में शामिल किया गया है।

बी) कार्यात्मक तथा प्रदर्शन मुद्रा

यह वित्तीय विवरण भारतीय रूप ('आईएनआर') में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है। जब तक अन्यथा इंगित नहीं किया जाता है, तब तक सभी राशियों को निकटतम करोड़ों तक लिया जाता है।

सी) माप का आधार

किया वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित मर्कों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत के आधार पर तय किया गया है:

मर्दें	माप का आधार
कुछ वित्तीय संपत्तियाँ और देयताएँ	उचित मूल्य
कुछ वित्तीय संपत्तियाँ और देयताएँ	पारिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य योजना संपत्तियों के कम उचित मूल्य



डी) अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमान और निर्णय को बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तारीख और साथ ही आकस्मिक संपत्तियों और देनदारियों की आय और व्यय की राशि पर संबंधित वस्तुओं, देनदारियों और प्रकटीकरण की रिपोर्ट की गई राशि को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रभावित करते हैं। यद्यपि, यह अनुमान वर्तमान घटनाओं और कार्यों के प्रबंधन के सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित है, इन धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप परिणाम हो सकते हैं, जिसके लिए भविष्य की अवधि में परिसंपत्तियों या देनदारियों द्वारा ले जाने वाली मात्रा में भौतिक समायोजन की आवश्यकता होती है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसे परिणाम ज्ञान या भौतिक हो जाते हैं।

अनुमान और अंतरनिहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। भविष्य में प्रभावित किसी भी अवधि में लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में पहचाने जाते हैं, जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं

लेखांकन नीतियों को लागू करने में किए गए निर्णयों के बारे में जानकारी जिसके पास वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त रकम और धारणाओं और आकलन अनिश्चितताओं के बारे में जानकारी है जो 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एक भौतिक समायोजन के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण जोखिम रखते हैं, निम्नलिखित नोटिस में शामिल हैं

- i. पूंजीगत हिस्सों के रूप में सूची का पुनःवर्गीकरण :
कंपनी इंड एस 16 के अंतर्गत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत उल्लिखित संपत्ति के लिए प्रावधानों के आधार पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रारंभिक मान्यता पर मूल्यांकन करता है और ऐसी वस्तुओं जो संपत्ति की परिभाषा में पड़ती हैं इंड एस 2 की सूची के बजाय इंड एस 16 के तहत जिम्मेदार हैं।
- ii. निवल संपत्ति के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनः वर्गीकरण
कंपनी भूमि और भवन की पहचान और आकलन करती है जो किराए के लिए/अनिश्चित भविष्य के उपयोग/पूँजी सराहना के लिए निवेश संपत्ति के रूप में होती है और इसके लिए खातों के रूप में इंड एस 40 के तहत है।
- iii. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पूँजी स्पेयर सहित) और निवेश संपत्ति के उपयोग जीवन के अवशिष्ट मूल्य है
भविष्य में आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य विभिन्न कारणों जैसे उपयोगी, अप्रयोग, तकनीकी प्रगति और व्यय पर विचार किया जाता है।
कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख के अंत में समीक्षा करती है, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा निवेश संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य और परिवर्तन हो तो उसे संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।
- iv. उचित मूल्य का माप
कंपनी में कुछ वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी संपत्ति या देयता

के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, कंपनी बाजार-देखने योग्य डाटा का उपयोग उस सीमा तक करता है जो उपलब्ध है। जहां अवलोकन योग्य इनपुट उपलब्ध नहीं हैं, कंपनी मूल्यांकन करने के लिए तीसरे पक्ष के मूल्य निर्धारक द्वारा करती है।

- v. पारिभाषित लाभ योजनाएँ और अन्य दीर्घकालिक लाभ
प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में कर्मचारी लाभ के लिए दायित्व निर्धारित करने के लिए कंपनी वास्तविक विचारों का उपयोग करती है। इन मान्यताओं में छूट दर, योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की लंबी अवधि की दर, मुआवजे के स्तर में वृद्धि की दर, मृत्यु दर आदि शामिल हैं।
- vi. राजस्व
कंपनी उन डीलरों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिनका अनुमान लगाया जाता है और उनके विचार में भिन्नता की भविष्यवाणी करने के लिए अनुमान लगाया जाता है।
- vii. सब्सिडी आय
यूरिया की नई निर्धारण योजना (नई मूल्य योजना, 'एनपीएन') सब्सिडी के लिए प्रत्येक वर्ष तिमाही के आधार पर कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चूंकि किसी भी वर्ष के लिए सब्सिडी के लिए वास्तविक दरों की घोषणा केवल अगले वर्ष में की जाती है, कंपनी उस वर्ष के अनुमानित दर के आधार पर राजस्व रिकार्ड करती है। राजस्व की मान्यता के लिए कंपनी द्वारा उपयोग की जाने वाली अनुमानित दरों और सरकार द्वारा अनुमोदित वास्तविक दरों को उस वर्ष में इनपुट मूल्यों की वृद्धि/डी-एस्केलेशन के रूप में माना जाता है, जिसमें दर अधिसूचित की जाती है।
- viii. लीज वर्गीकरण
कंपनी ने भूमि और भवन की प्रकृति में मुख्य रूप से संपत्तियों के लिए एक पट्टाधाता और संपत्तियों के लिए एक पट्टेधारी की क्षमता में विभिन्न पार्टियों के साथ पट्टे समझौते कर लिया है। प्रबंधन ने इन लीजड परिसंपत्तियों को उचित रूप से परिचालन पट्टे या वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत करने के लिए इंड एस 17 लीज के तहत लागू सिद्धांतों के अनुरूप निर्णय लिया है।
- ix. कर
अप्रत्याशित कर परिसंपत्तियों को उपर्युक्त कर घाटे के लिए मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके पक्ष हानि का उपयोग किया जा सके। संभावित समय और भविष्य के कर योग्य लाभ के स्तर के आधार पर, स्थगित कर संपत्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।
- x. गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि
किसी भी सूचना हेतु प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर हानि के लिए आकलन किया जाता है कि एक गैर-वित्तीय संपत्ति हानि हो सकती है। हानि का आकलन करने के उद्देश्य से, परिसंपत्तियों का सबसे न्यूनतम पहचाना योग्य स्तर पर निरंतर उपयोग से नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है जो



अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों के स्तर के नकद प्रवाह से काफी स्वतंत्र होता है उसे नकद उत्पन्न करने वाली यूनिट के रूप में माना जाता है।

xi. वित्तीय संपत्तियों की हानि

एक वित्तीय संपत्ति को क्रेडिट के रूप में माना जाता है जब एक या अधिक संपत्ति के अनुमानित भविष्य के नकद प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि को पहचानने के लिए अपेक्षित हानि मॉडल का लागू करती है (अर्थात् देय संविदात्मक नकद प्रवाह के बीच की कमी और कंपनी द्वारा प्राप्त होनेवाली सभी नकदी प्रवाह (छूट) के बीच की कमी पर)

xii. उचित मूल्यांकन के लिए उपयोग की जानेवाली छूट दरें

छूट की दरों का अनुमान कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्यों के माप के लिए किया जाता है, जो प्रचलित बैंक ब्याज दरों पर आधारित होते हैं और यह भी परिवर्तन के अधीन है।

xiii. आकस्मिक देयताएँ

आकस्मिक देनदारियों की मान्यता इंड एस 37 के प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों के प्रावधानों क अनुसार की जाती है। इंड एस 37 को आकस्मिक स्थिति की संभावना के संबंध में निर्णय करने के लिए आवश्यकता होती है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक लाभों को जोड़ने वाले संसाधनों का संभावित परिणाम होता है। यदि परिसंपत्तियों में कोई परिवर्तन हो, तो अप्रत्याशित स्थिति क बाद, यह परिस्थिति बदल सकती है। कंपनी के पक्ष दावों जैसे आकस्मिक देय के रूप में वस्तुओं को पहचानता है।

ई) उचित मूल्यों का मापन

कंपनी की लेखांकन नीतियों और प्रकटीकरणों को वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के लिए उचित मूल्यों के माप की आवश्यकता होती है।

निष्पक्ष मूल्यों के माप के संबंध में कंपनी के पास एक स्थापित नियंत्रण ढाँचा है। कंपनी नियमित रूप से महत्वपूर्ण अनावश्यक इनपुट और मूल्यांकन समायोजन की समीक्षा करती है। ऐसे मामलों में जहां तीसरे पार्टी द्वारा प्राप्त साक्ष्य का आकलन करने के लिए निष्कर्षों का आकलन करती है कि यह मूल्यांकन इंड एस की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर शामिल है जिसमें मूल्यांकन और वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

मूल्यांकन मामलों में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर उचित मूल्यों को उचित मूल्य पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत निम्न प्रकार किया गया है:

- स्तर 1: समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)
- स्तर 2: उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य मूल्य स्तर:1 में शामिल है कि परिसंपत्तियों या देयता के लिए अप्रयोग है, या तो सीधे (अर्थात् जैसा मूल्य) या परोक्ष रूप से (अर्थात् मूल्यों से प्राप्त)

- स्तर 3: संपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो देखने योग्य बाजार डाटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित है।

किसी संपत्ति या देयता के उचित मूल्य को मापते समय कंपनी यथासंभव बाजार डाटा का उपयोग करती है। यदि किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले इनपुट उचित मूल्य पदानुक्रम के समान स्तर में निम्नतम वर्गीकृत किया जाता है जो निम्नतम स्तर इनपुट के रूप में होता है और पूरे माप करने योग्य बनता है।

कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के समाप्त में निष्पक्ष मूल्य पदानुक्रम के स्तर के बीच बदलाव को पहचानती है जिसके दौरान परिवर्तन हुआ है।

एफ) वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

सभी संपत्तियों और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन आवर्तन और वित्तीय विवरणों के इंड एस 1 प्रस्तुति में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

परिचालन आवर्तन:

परिचालन आवर्तन परिसंपत्तियों के अभिग्रहण और नकद या नकद समतुल्य में उनकी प्राप्ति के बीच का समय है। परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से कंपनी के सामान्य परिचालन आवर्तन को 12 महीने के रूप में माना जाता है।

संपत्तियों

एक संपत्ति को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जात है जब यह निम्नलिखित मानदंड में से किसी एक को पूरा करता है:

- 1) कंपनी के सामान्य परिचालन आवर्तन में बिक्री या खपत के लिए इसका अपेक्षित या साधित है;
- 2) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए आयोजित किया जाता है;
- 3) यह रिपोर्टिंग तारीख के 12 महीने के भीतर साधित किया जाने की अपेक्षित है ; तथा
- 4) नकद या नकद समक्ष जब तक कि इसे विनिमय या प्रतिबंधित होने के बाद कम से कम 12 महीने के लिए देयता का निपटारा करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।

अन्य सभी संपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

देयताएँ:

एक देयता को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जात है जब यह निम्नलिखित मानदंड में से किसी एक को पूरा करता है:

- 1) कंपनी के सामान्य परिचालन आवर्तन के साधित की अपेक्षित है;
- 2) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए आयोजित किया जाता है;
- 3) यह रिपोर्टिंग तारीख के 12 महीने के भीतर साधित किया जाना अपेक्षित है ; तथा



- 4) रिपोर्टिंग तारीख से कम से कम 12 महीने के लिए देयता के निपटारे को रोकने के लिए कंपनी के पास बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताएँ को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

मुख्य स्थगित कर संपत्ति/देनदारियों को हमेशा गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। ये लेखांकन नीतियाँ वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधि के लिए लगातार लागू की गई हैं।

ए. संपत्ति, संयंत्र व उपकरण

i. प्रारंभिक मान्यता व माप

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के समान शुरुआत में लागत पर मापा जाता है। बाद में, कम संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि यदि कोई हो, पर माप किया जाता है वर्ष के आवृत्त समायोजन में कर (जीएसटी को छोड़कर), सीमा शुल्क, भाड़ा, निर्माण प्राप्त के संबंध में स्थापन के आबंटन पर आकस्मिक व्यय और अंतिम समायोजन शामिल है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की लागत में डिकमिशनिंग, पुनःप्राप्ति और इसी तरह की देनदारियों से संबंधित देयताओं का वर्तमान मूल्य शामिल है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की लागत में कार्य स्थान से हटाने और पुनः रखने की अनुमानित लागत शामिल है। उन लागतों का वर्तमान मूल्य (डिकमिशन या पुनःप्राप्त) को संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया जाता है और संपत्ति के उपयोग के अनुसार मूल्य घटाया जाता है।

किसी संपत्ति के अभिग्रहण / निर्माण के लिए सीधे जिम्मेदार लागतों के आधार पर है और उस संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पंजीकृत होता है जब यह संभव है कि वे उद्यम के लिए भविष्य के आर्थिक लाभों का परिणाम लेंगे और लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

यदि संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के किसी मद के महत्वपूर्ण हिस्सों में अलग-अलग उपयोगी होते हैं, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग-अलग मद (प्रमुख घटक) के रूप में माना जाता है।

₹ 5,000 से कम लागत वाली संपत्तियों को पंजीकृत किया जाता है और इन्हें ₹ 1 के अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखकर खरीद के वर्ष में लाभ और हानि के विवरण में लिया जाता है।

लाभ, हानि के विवरण में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी समान के निपटारे पर कोई लाभ या हानि पहचानी जाती है।

मशीनरी स्पेयर

शुरुआत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के साथ खरीदे गए पुर्जों को संपत्ति के साथ पंजीकृत और मूल्य घटा दिया जाता है।

इंड एस16 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संपत्ति के उपयोग के बाद खरीदे गए स्पेयर को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माना जाता

है। अन्य स्पेयर पुर्जों को वस्तुसूची में लिया जाता है और उपयोग पर लाभ व हानि विवरण में पहचाना जाता है।

पंजीकृत कार्य-प्रगति

स्व-निर्मित संपत्तियों की लागत में सामग्रियों और प्रत्यक्ष श्रमिक की लागत शामिल है, किसी अन्य लागत को संपत्तियों को स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार है, जिसके लिए प्रबंधन और उधार की लागत के अनुसार काम करने में सक्षम होना आवश्यक है।

ii. बाद में व्यय

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद से संबंधित बाद के व्यय केवल तभी पंजीकृत होते हैं जब यह संभव है कि भविष्य में आर्थिक लाभ मौजूदा संपत्ति से कंपनी तक पहुंच जायेंगे जो पहले मूल्यांकन किए गए मानक से परे हैं।

सुधार/विस्तार पर संपत्तियों पर व्यय पंजीकृत होता है जब संबंधित संपत्ति वाणिज्य उत्पादन के लिए तैयार होती है और अन्य संपत्तियों के संबंध में जब वे नियत उपयोग के लिए तैयार होती हैं। इन लागतों को केवल तभी पंजीकृत किया जाता है जब इंड एस 16 के तहत अनुमोदित मान्यता मानदंडों को पूरा किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की दिन-प्रतिदिन की सेवा की लागत लाभ और हानि विवरण में पहचानी जाती है।

iii. मूल्यह्रास

स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसंधान में सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है। संयंत्र और मशीनरी, भवन, सड़क व पुल और रेलवे साइडिंग तथा अन्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में 5% के अवशेष मूल्य को छोड़ते हुए और अन्य स्थिर परिसम्पत्तियों के संबंध में ₹ 1 में किया गया है। परिसंपत्तियों के चालू/समाप्त के वर्ष में जिस अवधि के लिए परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है उसे यथानुपात के आधार पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है।

वर्तमान वर्ष और तुलनात्मक अवधि में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोग किए जानेवाले दिनों का विवरण निम्नप्रकार है:-।

संपत्ति कोटि	अनुमानित उपयोगी वर्ष
सड़क, पुल और अन्य सुविधाएँ	10 वर्ष
रेलवे साइडिंग	15 वर्ष
भवन	30 वर्ष
संयंत्र व मशीनरी	25 वर्ष
आटोमोटिव व सेवा उपकरण	10 वर्ष
लैब उपकरण	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
फर्नीचर और जुड़नार	10 वर्ष
एयर कंडिशनर्स और वाटर कूलर्स	10 वर्ष



हरेक रिपोर्टिंग तारीख पर मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी संबंधी और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है और उचित होने पर समायोजित किया जाता है। तकनीकी मूल्यांकन और परिणामी सहाल के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपयोगी संबंधी का अनुमान सर्वोत्तम अवधि का प्रतिनिधित्व है जिस पर प्रबंधन इस संपत्तियों का उपयोग काने की अपेक्षा करता है।

डी-रिकगनेशन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता रद्द किया जाता है या जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से कोई भविष्य आर्थिक लाभ उठाने की अपेक्षित नहीं है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की निपटान या निवृत्ति पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को बिक्री की आय और संपत्ति को ले जाने वाले राशि के बीच का अंतर निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

बी. निवेश संपत्ति

i. मान्यता और माप

निवेश संपत्ति और संपत्तियों (भूमि/भवन/दोनों) किराए पर लेने या पूंजी अभिमूल्य के लिए या दोनों के लिए आयोजित की जाती है, लेकिन व्यापार के सामान्य क्रम में बिक्री के लिए नहीं है, माल या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए है। प्रारंभिक मान्यता पर, एक निवेश संपत्ति लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्ति को कम संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि, यदि हो या मापा जाता है।

निवेश संपत्ति के निपटारे पर कोई लाभ या हानि को लाभ हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

ii. बाद के व्यय

निवेश संपत्ति के किसी मद से संबंधित व्यय बाद में उसके पुस्तक मूल्य से जोड़े जाते हैं, यदि वे मौजूदा संपत्ति से भविष्य के लाभों को अपने पहले मूल्यांकन किए गए मानक से परे बढ़ते हैं।

iii. मूल्यह्रास

निवेश संपत्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 अनुसूची 11 के प्रावधानों के अनुसार में सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है।

सी. वस्तुसूची

वस्तुसूची को कम लागत और निवल प्राप्य मूल्य पर मापा जाता है। वस्तुसूचियों की लागत वस्तुसूची, उत्पादन या परिवर्तन लागत और उन्हें अपने वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में किए गए अन्य खर्चों को प्राप्त करने में किए गए व्यय शामिल है। निर्मित वस्तुओं और कार्य-प्रगति के मामले में, लागत में परिचालन क्षमता के आधार पर निश्चित ओवरहेड का उचित हिस्सा शामिल है।

मद	आधार
कच्चे माल और पैकिंग सामग्रियाँ	फिफो आधार पर
भंडार, पुर्जे और उत्प्रेरक	मासिक चल भारित औसत आधार

खुदरे उपकरण और मरम्मत किए गए पुर्जे	प्रति वर्ष डब्ल्यू डी वी आधार पर पुनः मूल्यांकन
तैयार वस्तु	अंतिम/अनुमानित सॉल्विडी सहित लागत या निवल प्राप्य मूल्य के निचले स्तर

निवल प्राप्य मूल्य व्यापार के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य, पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत है। प्रगति पर कार्य का निवल प्राप्य मूल्य संबंधित तैयार उत्पादों की बिक्री कीमतों के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। तैयार उत्पादों के उत्पादन में उपयोग के लिए रखी गई कच्चे सामग्रियों, घटकों और अन्य आपूर्तियों को उन मामलों को छोड़कर नहीं लिखा गया है जहाँ वस्तु की कीमत घट गई है और अनुमान लगाया गया है कि तैयार उत्पादों की लागत उनके निवल प्राप्त मूल्य से अधिक हो जाएगी।

गैर-चालती/अप्रचलित भंडार और पुर्जे: तकनीकी समिति वर्ष में एक बार तकनीकी समिति पुर्जों की समीक्षा करेगी और ऐसे पुर्जों को अल्पसूची किया जाएगा, जिन्हे अप्रचलित/गैर-चालती माना जाता है, वही बोर्ड की देय अनुमोदन वाली बहियों में लिखा जाता है।

निवल प्राप्य मूल्य निम्नानुसार लिया जाता है:

फास्फेटिक और पोटैशिक उर्वरक

- फील्ड भण्डार वस्तुसूचियों कंपनी द्वारा विपणनकर्ताओं/डीलरों को, उत्पाद शुल्क सहित निर्धारित किये गये बिक्री दाम का न्यूनतम है
- फील्ड भण्डारणघर वस्तुसूचियों को पुनः पद्धतीकरण के लिए वापस लाया गट विपणनकर्ताओं/डीलरों/अनुमानित पोषक तत्व आधारित सॉल्विडी (एलबीएस) को कंपनी द्वारा निर्धारित बिक्री दाम के न्यूनतम अनुमानित पुनःपद्धतीकरण लागतों एवं लगे भाडा को काटकर
- यातायात में वस्तुसूचियों: कंपनी द्वारा विपणनकर्ताओं/डीलरों को निर्धारित किये गये बिक्री दाम का न्यूनतम उत्पाद शुल्क अन्तिम / अनुमानित एन बी एस - अनुमानित भाडा और भण्डारण व्यय को काटकर.
- संयंत्र पर बिक्री के लिए तैयार वस्तुसूचियों: कंपनी द्वारा विपणनकर्ताओं/डीलरों एवं अन्तिम/ अनुमानित एन बी एस -अनुमानित भाडा और भण्डारण व्यय को काटकर - बिक्री दाम का न्यूनतम.

यूरिया

- फील्ड भण्डारणघर वस्तुसूचियों: उत्पाद शुल्क सहित विपणनकर्ताओं/डीलरों के लिए बिक्री दाम का न्यूनतम
- मार्गस्थ में वस्तुसूचियों: विपणनकर्ताओं/ डीलरों को उत्पाद - शुल्क सहित बिक्री दाम का न्यूनतम प्लस अन्तिम / अनुमानित सॉल्विडी - अनुमानित भण्डारण व्यय को काटकर
- बिक्री के लिए तैयार संयंत्र पर वस्तुसूचियों: विपणनकर्ताओं / डीलरों को बिक्री दाम का न्यूनतम प्लस अन्तिम / अनुमानित सॉल्विडी - अनुमानित भाडा और भण्डारण व्यय को काटकर।
- संयंत्र पर थोक यूरिया: विपणनकर्ताओं/ बिक्री प्लस अन्तिम /अनुमानित सॉल्विडी प्राक्कलित वैगिंग, भाडा और भण्डारण व्यय को काटकर



अन्य

- बिक्री पर वितरित किये गये भण्डारण व्यय और अन्तिम स्टॉक
- अमोनिया की लागत पर मूल्यांकन किया जाता है जो कैपिटल रूप से उपभोग किया जाता है और बिक्री हेतु नहीं
- निपटान के लिए उद्देशित आफ-स्पेक उत्पाद का मूल्यांकन अनुमानित वसूलनीय मूल्य पर किया गया है।
- व्यापार किये गये उत्पादों की वस्तुसूचीयन का मूल्यांकन स्थल - विशेष लागत के निम्न पर अथवा निवल वसूलनीय मूल्य पर किया गया है। कृषि रसायन वस्तुसूचियाँ एफ.आई.एफ. ओ पद्धति पर मूल्य की है जिसमें खरीद लागत और अन्य संबंधित खर्च भी शामिल है।
- ऋण अनुज्ञापन योजना के तहत को रखने में उत्पादित और पड़े रहनेवाले पेट्रोलसाइडों की वस्तुसूची का मूल्यांकन उत्पाद शुल्क को छोड़कर लागत पर किया गया है
- मार्गस्थ / निरीक्षणार्थीन पर माल का मूल्यांकन लागत किया गया है।

डी. उधार लागत

अर्हकारी संपत्तियों के अभिग्रहण, निर्माण, विकास या निर्माण के लिए सीधे जिम्मेदार लागतों को उधार लेना ऐसी संपत्ति की लागत के रूप में पूंजीकृत है। संपत्ति उनके अभिप्रेत उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने हेतु प्रयात समय लेते हैं।

जब कंपनी विशेष रूप से योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से राशि को उधार लेती है, तो उधार लेने वाली लागत पूंजीकृत होती है। जब कंपनी आम तौर पर राशि उधार लेती है और योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है, उधार लेने की लागत का पूंजीकरण सामान्य उधार की औसत लागत पर गणना की जाती है जो अवधि के दौरान अभिग्रहण, निर्माण, विकास या योग्यता संपत्ति का निर्माण बकाया होती है

उधार लेने की लागत का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब उनके उपयोगों के लिए योग्यता संपत्ति तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियाँ पूरी होती हैं। उधार लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागत शामिल होती है जो निधि के उधार के संबंध में होती है। योग्यता संपत्तियों पर उनके व्यय के लंबित उधार के अस्थायी निवेश पर अर्जित आय पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागत से कटौती की जाती है। उधार लेने की लागत विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय शामिल है, जिन्हें वे व्याज लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

अन्य उधार लेने की लागत वर्ष में व्यय के रूप में पहचानी जाती है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

ई. वित्तीय साधन

1. पहचान और प्रारंभिक माप

सभी वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में पहचाना जाता है जब कंपनी उपकरण के संविदात्मक प्रावधानों के लिए एक पक्ष बन जाती है।

एक वित्तीय संपत्ति या वित्तीय देयता प्रारंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है, वस्तु के लिए लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं, लेनदेन लागत जो सीधे अभिग्रहण या मुद्दे के लिए जिम्मेदार होती है।

i. वित्तीय संपत्तियाँ

वर्गीकरण और बाद में माप

प्रारंभिक मान्यता पर, एक वित्तीय संपत्ति को मापित के रूप में वर्गीकृत किया जात है।

- परिशोधित लागत;
- लागत अन्य व्यापक आक के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओसीआई)
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)

वित्तीय संपत्ति को उनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय इसके कि जब कंपनी वित्तीय संपत्ति के प्रबंधन के लिए अपना व्यावसायिक मॉडल बदलती है।

एक वित्तीय संपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि यह निम्नलिखित दोनों स्थितियों को पूरा करता है और इसे एफवीटीपीएल के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

- संपत्ति व्यापार मॉडल के बीच रखी जाती है जिसका उद्देश्य संपत्ति को संविदात्मक नकद प्रवाह एकत्र करने के लिए रखी जाती है तथा
- संपत्ति व्यापार मॉडल के बीच रखी जाती है जिसका उद्देश्य संपत्ति को संविदात्मक नकद प्रवाह एकत्र करने के लिए रखी जाती है तथा
- वित्तीय संपत्ति की संविधात्मक शर्तों में निर्दिष्ट तारीखों पर नकद प्रवाह की वृद्धि होती है जो बकाया राशि के मूलधन और व्याज का भुगतान करते हैं

भुगतान एक ऋण निवेश एफवीओसीआई के माध्यम मापा जाता है यदि यह निम्नलिखित दोनों स्थितियों को पूरा करता है और इसे एफवीटीपीएल के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

- जो संपत्ति व्यापार मॉडल के बीच रखी जाती है जिसका उद्देश्य संपत्ति को संविदात्मक नकद प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय संपत्ति को बेचने के लिए रखी जाती है तथा
- वित्तीय संपत्ति की संविधात्मक शर्तों में निर्दिष्ट तारीखों पर नकद प्रवाह की वृद्धि होती है जो मूलधन में बकाया राशि के मूलधन और व्याज का भुगतान करते हैं

व्यापार के लिए नियत ईक्विटी निवेश की प्रारंभिक मान्यता कंपनी ओसीआई (एफवीओसीआई -ईक्विटी निवेश के रूप में नामित) में निवेश के उचित मूल्य में आने वाले परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए अपरिवर्तनीय ढंग से ले सकती है। यह लिए गए निवेश के आधार पर निवेश पर किया जाता है।

उपर्युक्त सभी लागत संपत्तियों को परिशोधित लागत या एफवीओसीआई में मापा गया है जिसे एफवीटीपीएल के माध्यम मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता पर, कंपनी एक वित्तीय संपत्ति को अपरिवर्तनीय रूप से नामित कर सकती



है जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीओसीआई पर एफवीटीपीएल पर मापी जानेवाली आवश्यकताओं को पूरा करती है, यदि ऐसा उत्पन्न होने वाले लेखांकन विभेद को काफी कम करता है।

वित्तीय संपत्ति: व्यापार मॉडल मूल्यांकन

कंपनी व्यावसाय मॉडल के उद्देश्य का आकलन करती है जिसमें एक संविभाग स्तर पर एक वित्तीय संपत्ति आयोजित की जाती है क्योंकि यह सर्वोत्तम तरीके से व्यावसाय को प्रबंधित करने के तरीके को दर्शाता है और प्रबंधन को सूचना प्रदान की जाती है।

माप और लाभ व हानि के बाद

एफवीटीपीएल में वित्तीय संपत्तियाँ	इन संपत्तियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी भी ब्याज या लाभांश आय सहित निवल लाभ और हानि, लाभ व हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।
परिशोधित लागत में वित्तीय संपत्तियाँ	इन संपत्तियों को बाद में प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत हानि के कारण कम हो जाती है। ब्याज आय, विदेशी मुद्रा लाभ व हानि और लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। लाभ व हानि और लाभ तथा हानि में मान्यता प्राप्त होने पर कोई लाभ व हानि पहचानी जाती है।
एफवीओसीआई में ऋण निवेश	इन संपत्तियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी ब्याज विधि, विदेशी मुद्रा लाभ व हानि तथा लाभ और हानि के तहत आय लाभ व हानि और लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है। अन्य निवल लाभ व हानि और ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त होने पर, ओसीआई में जमा लाभ व हानि और लाभ तथा हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत की जाती है।
एफवीओसीआई में इक्विटी निवेश	इन संपत्तियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभांश लाभ व हानि विवरण में आय के रूप में पहचाने जाते हैं जब तक कि लाभांश रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ओसीआई में अन्य निवल लाभ व हानि पहचानी जाती है और उन्हें लाभ व हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

कंपनी की वित्तीय संपत्ति में वर्तमान में व्यापार संपत्ति, कर्मचारी ऋण, जमा और इक्विटी निवेश शामिल हैं।

ii. वित्तीय देयताएँ

वर्गीकरण और बाद में लाभ व हानि का माप

वित्तीय देनदारियों को परिशोधित लागत या एफवीटीपीएल पर मापा गया तथा वर्गीकृत किया जाता है। एक वित्तीय देयता को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि इसे व्यापार के लिए आयोजित किया जाता है, या यह व्युत्पन्न है या इसे प्रारंभिक मान्यता के रूप में नामित किया गया है। एफवीटीपीएल में वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है और लाभ व हानि विवरण में निवल ब्याज व्यय सहित निवल लाभ व हानि होती है। प्रभावी वित्तीय ब्याज विधि का उपयोग करके अन्य वित्तीय देनदारियों को बाद में लागत में मापा जाता है। ब्याज व्यय और विदेशी मुद्रा लाभ व हानि तथा लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है। लाभ व हानि विवरण में मान्यता प्राप्त नहीं पर कोई लाभ व हानि भी पहचानी जाती है।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में वर्तमान में व्यापार और अन्य भुगतान और उधार शामिल हैं।

2. मान्यता अप्राप्त

i. वित्तीय संपत्तियाँ

कंपनी वित्तीय संपत्ति की समाप्ति से नकद प्रवाह के संविधात्मक हेतु वित्तीय संपत्ति को पहचान लेती है, या यह लेनदेन में संविधात्मक नकद प्रवाह प्राप्त करने पर उसे परिवर्तन करती है जिसमें वित्तीय संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कार हैं जिस परिवर्तन किया गया है या जिसमें कंपनी ने तो ट्रांसफर करती है और न ही स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखती है और वित्तीय संपत्ति पर नियंत्रण नहीं रखती है।

ii. वित्तीय देयताएँ

कंपनी वित्तीय देयता को पहचान लेती है जब कंपनी देयताओं को डिस्चार्ज या रद्द या समाप्त करती है।

जब कंपनी की शर्तों को संशोधित किया जाता है और संशोधित शर्तों के तहत नकदी प्रवाह काफी अलग होता है तो कंपनी वित्तीय देयता को भी पहचान लेती है। इस मामले में, संशोधित शर्तों के आधार पर एक नई वित्तीय देयता उचित मूल्य पर पहचानी जाती है। वित्तीय देयता और राशि के बीच समाप्त और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देयता लाभ व हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।



3. वित्तीय साधन का आफसेटिंग

वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देयता आफसेट होती है जब कंपनी तुलन पत्र में निवल राशि प्रस्तुत करती है।

- वर्तमान में मान्यता प्राप्त रकम को निर्धारित करने के लिए ; तथा
- निवल आधार पर निपटाने या एक साथ संपत्ति को प्राप्त करने और देयाता को निपटाने

4. हानि

i. वित्तीय संपत्ति (प्राप्ति सहित)

कंपनी परिशोधित लागत पर मापे वित्तीय संपत्ति पर अपेक्षित क्रेडिट हानि को मान्यता देती है।

प्रत्येक वित्तीय संपत्ति का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर क्रेडिट हानि के लिए किया जाता है। वित्तीय संपत्ति क्रेडिट हानि है जिसमें निम्नलिखित प्रत्यक्ष डाटा शामिल है:

- हानि उधारकर्ता की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई
- संविदा का उल्लंघन जैसे बकाया या 90 दिनों या उससे अधिक
- यह संभव है कि उधारकर्ता दिवाला या अन्य वित्तीय पुनःगठन होगा

कंपनी प्रारंभिक मान्यता के बाद से बैंक जोखिम जैसे कुछ वित्तीय संपत्तियों को छोड़कर अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर हानि भत्ते को मापती है। व्यापार संपत्ति के लिए हानि भत्ते अपेक्षित लाइफटाइम क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है। लाइफटाइम क्रेडिट हानि अपेक्षित हानि होती है जो वित्तीय साधन के अपेक्षित संभावित डिफाल्ट स्थिति के परिणामस्वरूप होती है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि क्रेडिट हानियों की संभावना भारित अनुमान है। क्रेडिट हानि को सभी नगद कमी के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है (अर्थात् संविदा के अनुसार कंपनी के कारण नकद प्रवाह के बीच का अंतर और कंपनी द्वारा प्राप्त होने वाली नकद प्रवाह के बीच का अंतर)

परिशोधित लागत पर मापा वित्तीय संपत्तियों के लिए हानि भत्ते संपत्ति की सकल राशि से घटा दी जाती है।

वित्तीय संपत्ति की सकल राशि इस सीमा तक (तक या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से) लिखी जाती है कि वसूली की कोई वास्तविक संभावना नहीं है।

ii. गैर-वित्तीय संपत्ति

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र पर आकलन करती है कि संपत्ति या संपत्तियों (नकद उत्पन्न इकाई) को कोई हानि प्रभावित किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई हो तो, कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है, जो इसके उपयोग में अधिक मूल्य और इसकी निवल बिक्री मूल्य है। यदि संपत्ति की ऐसी वसूली योग्य राशि या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि जिसके लिए संपत्तित्त संबंधित है, उसकी राशि से कम है, तो राशि इसकी वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है। कमी को हानि के रूप में माना जाता है और लाभ व हानि विवरण में पहचाना जाता है। यदि तुलन पत्र की तारीख पर यह अनुमानित हानि अब मौजूदा नहीं है, तो वसूली योग्य राशि का पुनःमूल्यांकन किया जात है और संपत्ति प्रतिमानित करने योग्य राशि पर

अधिकतम लागत के अधीन है।

5. उचित मूल्य माप

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी संपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या प्राप्त तारीख पर बाजार प्रतिभागियों के बीच लेने देने में देयाता को ट्रांसफर करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य माप उचित मूल्य का उपयोग है जो मापन की तारीख से इकाई की संपत्तियों और देनदारियों को मापने में होती है। कंपनी उपरोक्त टिप्पणियों में बताए गए अनुसार वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देयताओं के संबंध में इंड एस 113 के अनुसार मूल्य माप का विकल्प है।

एफ. सरकारी अनुदान / सब्सिडी

संपत्तियों से संबंधित

संपत्तियों से संबंधित अनुदान सरकारी अनुदान है जिनकी प्राथमिक शर्त यह है कि उनके लिए अर्हता प्राप्त करने वाली इकाई को लंबी अवधि की संपत्तियों खरीदना, निर्माण करना या अन्यथा हासिल करना चाहिए। सहायक स्थितियों को संपत्ति के प्रकार या स्थान या उन अवधि के दौरान प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिनके दौरान उन्हें अभिग्रहण या रखा जाता है।

संबंधित अनुदान आय के रूप में अनुदान की स्थापना करके तुलन पत्र में प्रस्तुत किए जाते हैं।

आय से संबंधित

आय से संबंधित अनुदान वे हैं जो संपत्ति से संबंधित नहीं हैं।

उर्वरक और माल ढुलाई के रूप में सरकारी अनुदान मान्यता प्राप्त है जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे संबंधित शर्तों का पालन करेगी और सब्सिडी प्राप्त की जाएगी। कंपनी के मामले में मान्यता की स्थिति फैक्टरी के बाहर ले जा रहे वस्तुओं पर है।

लाभ व हानि विवरण में अनुदान को उस अवधि के दौरान यथाक्रम आधार पर पहचाना जाता है, जिसमें इकाई संबंधित लागतों के रूप में मान्यता देती है जिसके लिए अनुदान से संबंधित शर्तों को पूरा करने के दौरान या उस अवधि के दौरान अनुमानित किया जाता है।

जी. कर्मचारी सुविधा

i. अल्पावधि कर्मचारी सुविधाएँ

अल्पावधि कर्मचारी लाभ का विस्तार किया जाता है क्योंकि संबंधित सेवा प्रदान की जाती है। यदि कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप कंपनी को वर्तमान, कानूनी या कार्य है तो भुगतान करने की राशि पहचानी जाती है और दायित्व को अनुमानित किया जाता है। अल्पकालिक कर्मचारी लाभ मजदूरी, वेतन, प्रोत्साहन, अल्पकालिक छुट्टी वेतन आदि शामिल है।

ii. रोजगार के बाद लाभ

पारिभाषित योगदान योजनाएँ

पारिभाषित योगदान योजना एक रोजगार के बाद का लाभ योजना है जिसके तहत अलग-अलग संस्थाओं में निश्चित योगदान देती है और आगे की रकम का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या दायित्व नहीं होगा। पारिभाषित



योगदान योजनाओं के लिए दायित्व कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अवधि के दौरान उस अवधि में लाभ व हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

अधिर्वर्षित और भविष्य निधि की ओर योगदान है पारिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में माना जाता है।

पारिभाषित लाभ योजनाएँ

योजनाएँ पारिभाषित लाभ योजना रोजगार लाभ योजना के अलावा एक पारिभाषित लाभ योजना है।

अनुदान योगदान को पारिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में माना जाता है और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदान किया जाता है। कंपनी में पारिभाषित लाभ योजनाओं में से केलस अनुदान वित्त पोषित लाभ योजना है।

पारिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की निवल दायित्व की गणना प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग गणना की जाती है, जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधि में अर्जित भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाया है और उस राशि को छूट और योजना संपत्ति के उचित मूल्य को घटाकर किया जाता है।

अनुमानित लाभ दायित्व की राशि अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके एक बीमाकिक द्वारा वार्षिक रूप से गणना की जाती है।

निवल पारिभाषित लाभ देयता का पुनःमूल्यांकन जिसमें वास्तविक लाभ व हानि, योजना संपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) पर वापसी और संपत्ति (यदि कोई है, ब्याज को छोड़कर) का प्रभाव अन्वय व्यापक आय (ओसीआई) में तत्काल मान्यता प्राप्त है। निवल ब्याज व्यय/आय, सेवा लागत और पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्वय खर्च लाभ व हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

जब किसी योजना के लाभ बदल दिए जाते हैं या जब कोई योजना कम हो जाती है, तो पिछली सेवा से संबंधित लाभ में परिणामी परिवर्तन या कटौती पर लाभ/हानि को लाभ व हानि विवरण में तुरंत पहचानी जाती है। समझौता होने पर कंपनी पारिभाषित लाभ योजना के निपटारे पर लाभ व हानि को पहचानती है।

अन्वय दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारी कंपनी की अर्जित छुट्टी के तहत लाभ, सेवानिवृत्त चिकित्सा लाभ और सेवा पुरस्कार के बाद अन्वय दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ होते हैं और अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके एक वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचाने जाते हैं। यह कार्यवाही लाभ या हानि उस अवधि में लाभ व हानि विवरण में पहचानी जाती है।

एच. लेखांकन नीतियों में पहले अवधि के समान, लेखांकन अनुमान और परिवर्तन का प्रभाव

अवधि के पहले त्रुटियों को पूर्व अवधि के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः स्थापित करके परिवर्तित रूप से सही किया जाता है जिसमें त्रुटि उत्पन्न होती है या यदि त्रुटि पहले की गई पूर्व अवधि से पहले हुई हो तो संपत्तियों, देनदारियों और ईक्विटियों के शुरुआत शेष को पूर्व अवधि के पहले प्रस्तुत करना है।

लेखांकन अनुमान में परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि विवरण में संभावित रूप से पहचाना जाता है, सिवाय इसके वे संपत्तियों और देनदारियों से

संबंधित हैं, वही परिवर्तन की अवधि में संबंधित देयता / ईक्विटी की राशि को समायोजित करके मान्यता प्राप्त है।

इंड एस के शुरुआत उपयोग के कारण लेखांकन नीति में परिवर्तन विशिष्ट संक्रमणकालीन प्रावधानों के अनुसार अगर हो तो, इंड एस को निपटाए जाते हैं। अन्य मामलों में, लेखांकन नीतियों में परिवर्तन पूर्व-निरीक्षण किए जाते हैं, इस तरह के परिवर्तन का व्यावहारिक समय तक सीमित है।

आई. तुलन पत्र के तारीख के बाद हुए घटनाएँ

तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाले घटनाएँ होती हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बीच होती हैं और उस तारीख को जब वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के बाद इंड एस 10 के रूप में घटनाओं के लिए प्रदान की गई वित्तीय विवरण में ऐसी घटनाओं का खुलासा या प्रभाव दिया जाता है।

जे. राजस्व

राजस्व को यह मान्यता प्राप्त है कि यह संभव है कि आर्थिक लाभ कंपनी के लिए प्रवाह होगा और जब भुगतान किया जा रहा है तो राजस्व को मापा जा सकता है।

राजस्व को प्राप्त या प्राप्त करने योग्य विचार के उचित मूल्य पर राजस्व मापा जाता है, जो पारिभाषित शर्तों को ध्यान में रखता है। भुगतान के लिए नकद छूट से संबंधित बकाया राशि के निपटारे के रूप में माना जाता है और राजस्व का निवल प्रस्तुत किया जाता है।

निर्मात और व्यापार उर्वरकों की बिक्री से राजस्व

विनिर्मित और व्यापारिक उर्वरकों की बिक्री से राजस्व को मान्यता दी जाती है जब स्वामित्व का मुख्य जोखिम और पुरस्कार स्थानांतरित किया जाता है। वर्तमान में, संबंधित प्राधिकारों द्वारा वेयर हाउस रीलिस आर्डर जारी करके के लिए उत्पाद स्वीकृति है जब जोखिम और पुरस्कार स्थानांतरित होता है और उस वर्ष के राजस्व पर पहचाना जाता है।

कंपनी परिणाम छूट की मात्रा, बिक्री के प्रारंभिक भुगतान छूट और ऐसी रकम में राजस्व निवल के खातों का अनुमान लगाती है। कंपनी नकद छूट और निश्चित परिवहन छूट भी प्रदान करती है जो प्रस्तुत करते समय राजस्व के पक्ष हो जाती है।

राजस्व माल और सेवा कर का निवल प्रस्तुत किया जाता है (1 जुलाई, 2017)

अन्वय प्रचालनात्मक राजस्व

एनपीएस के तहत यूरिया सब्सिडी को सरकार द्वारा निर्धारित माल गोदामों में प्राप्त पर माना जाता है। इनपुट कीमतों में वार्षिक वृद्धि/डी-एस्कलेशन के कारण बढ़ोतरी/कमी को सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के यथाथवादी अनुमानों के आधार पर माना जाता है। वर्ष के दौरान, यदि कोई हो, के संबंध में समायोजन प्रभावित होते हैं।

प्रभावित फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के लिए सब्सिडी सरकार की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति के अनुरूप है।

अन्वय आय

लाभांश आय उस तारीख को लाभ व हानि विवरण में पहचानी जाती है जिस पर कंपनी को भुगतान प्राप्त करने के लिए स्थापित किया जाता है।



परिशोधित लागत पर वित्तीय संपत्तियों के संबंध में ब्याज आय प्रभावी विधि का उपयोग करके मान्यता प्राप्त है। 'प्रभावी ब्याज दर' वह दर है जो वित्तीय साधन की समतल राशि के लिए वित्तीय संपत्ति की अपेक्षा अनुमानित भविष्य के नकद भुगतान या रसीदों को वास्तव में छूट देती है।

तीसरे पक्ष के पार्टियों को पट्टे पर दी गई संपत्तियों के लिए किराया से आय अर्जित आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ग्राहक पर कंपनी द्वारा किए गए दावों को निपटारे के दावे निश्चितता की स्वीकृति/लंबित

रेलवे पर दावा निपटारे पर है।

आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों के क्षतिग्रस्त क्षति के लिए दावों को उनके बिलों से वसूली के लिए जिम्मेदार माना जाता है और संपत्ति की लागत या सामग्रियों/कार्यों के मामले में समायोजित जाता है।

अन्य सभी क्षतिग्रस्त क्षति/जुर्माना प्राप्ति के आधार पर जिम्मेदार है।

के. विदेशी मुद्रा लेनदेन और अंतरण

प्रारंभिक मान्यता और माप

लेनदेन की तारीख पर कार्यात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विदेशी मुद्रा विनियम दर पर लागू करके, विदेशी मुद्रा लेनदेन कार्यात्मक मुद्रा में दर्ज किया जाता है।

मापन के बाद

विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं का प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर दा का उपयोग किया जाता है।

विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक वस्तुओं को लागत पर ले लिया जाता है और लेनेदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग किया जाता है।

विनिमय लाभ/हानि का पहचान

मौद्रिक वस्तुओं के निपटारे पर उत्पन्न होने वाले अंतरों का अंतर या मौद्रिक वस्तुओं का दरों से अलग है जिन पर उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर दर्ज गया था पिछले वित्तीय विवरणों में किया गया था, उस अवधि में लाभ व हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

एल.आयकर

आयकर व्यय में वर्तमान और अस्थिगत कर शामिल है। यह लाभ व हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है कि यह एक व्यापार संयोजन से संबंधित है, या सीधे इक्विटी या ओसीआई में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है।

वर्तमान कर

वर्तमान कर में कर योग्य आय या वर्ष के लिए कर योग्य या हानि या प्रायः अपेक्षित कर शामिल है और पिछले वर्ष के संबंध में देय कर या प्राप्त करने योग्य कर में कोई समायोजन शामिल है। देय या प्राप्त करने योग्य वर्तमान कर की राशि भुगतान या प्राप्त होने वाली कर राशि का सबसे अच्छा अनुमान है जो आयकर से संबंधित अनिश्चितता को दर्शाता है। इसे रिपोर्टिंग तारीख पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके मापा जाता है। वर्तमान कर संपत्तियों और देनदारी केवल तभी ऑफसेट होती है।

अस्थिगत कर

वित्तीय रिपोर्टिंग और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग रकम के लिए संपत्तियों और देनदारियों की रकम के बीच अस्थायी के संबंध में पहचाना जाता है। स्थिगत कर के लिए मान्यता नहीं है।

- लेनदेन में संपत्तियों या देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता पर अस्थायी अंतर है जो व्यापार संयोजन नहीं है और लेखांकन और न ही कर योग्य लाभ व हानि को प्रभावित करता है;
- सहायक कंपनियों में निवेश से संबंधित अस्थायी अंतर में समय परिवर्तन पर नियंत्रण करने में सक्षम है और यह संभव है कि निकट भविष्य में समय पर परिवर्तन नहीं है; तथा

अप्रत्याशित कर संपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर और अप्रयुक्त कर क्रेडिट कटौती योग्य अस्थायी मदों के लिए मान्यता प्राप्त है, यह संभव है कि भविष्य में कर योग्य लाभ होंगे जिनके पक्ष उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर संपत्ति की समीक्षा की जाती है और तदनुसार समायोजित की जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर न पहचाने गए स्थिगत कर संपत्तियों का पुनःमूल्यांकन किया जाता है और मान्यता प्राप्त होती है कि यह संभव हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके पक्ष उनका उपयोग किया जा सकता है।

स्थिगत कर को कर दरों हेतु मापा जाता है, जो रिपोर्टिंग तारीख पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों का उपयोग करते हुए अस्थायी अंतर पर लागू होने की अपेक्षित है।

स्थिगत कर संपत्तियों और देनदारियों केवल तभी ऑफसेट होती है जब इंड एस 12 आयकरों में इंडेक्स में निर्धारित कुछ मानदंडों को पूरा किया जाता है।

एम. पट्टे

वित्त पट्टे

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पट्टे जो कंपनी को हस्तांतरित हैं, स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कार वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत होते हैं। पट्टेदार संपत्तियों को प्रारंभिक रूप से उनके उचित मूल्य के निचले भाग और न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य के बराबर राशि पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, संपत्तियों को उस संपत्ति पर लागू लेखांकन नीति के अनुसार माना जाता है।

वित्त पट्टे के तहत किए गए न्यूनतम पट्टा भुगतान को वित्त शुल्क और बकाया देयता में कमी के बीच का बांटा जाता है। लीज अवधि के दौरान प्रत्येक अवधि को वित्त शुल्क आबंटित किया जाता है ताकि देयता के शेष पर ब्याज की निरंतर आवधिक दूर हो सके।

परिचालन लीज

अन्य पट्टे के तहत आयोजित संपत्ति को आपरेटिंग पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आपरेटिंग पट्टे के तहत बनाए गए/प्राप्त किए गए भुगतान/प्राप्तियाँ आम तौर पर लाभ व हानि विवरण में पहचानी जाती है जब तक कि इस तरह के भुगतान/रसीदों की अपेक्षित सामान्य मुद्रासंप्रतिता को क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार नहीं किया जाता है और अपेक्षित मुद्रासंप्रतिता



लागत में वृद्धि के लिए है। प्राप्त लीज प्रोत्साहन पट्टे की अवधि के दौरान खुला पट्टा का एक अन्य अंग माना जाता है।

एन. परिचालन सेगमेंट

इंड एस 108 परिचालन सेगमेंट के अनुसार, सेगमेंट की जानकारी करने के लिए प्रयुक्त परिचालन सेगमेंट को कंपनी के प्रबंधन द्वारा उपयोग की जानेवाली आंतरिक रिपोर्टिंग के आधार पर सेगमेंट में संसाधन आवंटित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पहचाना जाता है।

निदेशक मंडल जो पूर्ण रूप से कंपनी के 'मुख्य संचालन निर्माण कर्ता' या 'सीओडीएम' इंड एस 108 के अंतर्गत है। आंतरिक रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए संकेतम प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों के संबंध में विकसित हो सकते हैं।

सेगमेंट प्रदर्शन का मूल्यांकन लाभ या हानि के आधार पर किया जाता है और वित्तीय विवरणों में लाभ या हानि के साथ लगातार मापा जाता है।

ओ. प्रावधान (कर्मचारी लाभ के अलावा), आकस्मिक देयता और आकस्मिक संपत्तियाँ

एक प्रावधान तब पहचाना जाता है जब कंपनी के पास पिछले कार्य के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि संसाधनों का परिणाम दायित्व को सुलझाने के लिए आवश्यक होगा और जिसके संबंध में अनुमान बनाया जा सके। प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व को आवश्यक आय का अनुमान है। यदि पैसा के मूल्य का प्रभाव सामग्री किए जाते हैं, तो प्रावधान भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किए जाते हैं। छूट की वित्त लागत के रूप में मान्यता प्राप्त है। अपेक्षित भविष्य के परिचालन हानि के लिए प्रदान नहीं किया जाता है।

पिछले घटनाओं से उत्पन्न होने वाला संभावित दायित्व होने पर आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया जाता है, जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर-घटना द्वारा पुष्टि की जाएगी, पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में या वर्तमान दायित्व के भीतर नहीं होता है और पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जहां यह संभव नहीं है कि संसाधनों का परिणाम दायित्व को सुलझाने के लिए आवश्यक होगा या राशि का अनुमान नहीं बनाया जा सकता है।

आकस्मिक संपत्ति संभावित है जो पिछले घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर-घटना द्वारा पुष्टि की जाएगी, पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं है। आकस्मिक संपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। आकस्मिक संपत्ति से आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है।

प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख पर प्रावधान आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्ति की समीक्षा की जाती है।

पी. नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्षों में अल्पकालिक नकद प्रतिद्धिताओं को पूरा करने के उद्देश्य से रोकड़ शेष, वर्तमान और अल्पकालिक जमा खातों में नकद शामिल है। जमा में तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता होती है।

क्यू. प्रति शेयर आय

कंपनी अपने सामान्य शेयरों के लिए प्रति शेयर (ईपीएस) डाटा मूल और कम कीमत प्रस्तुत करती है।

मूलभूत ईपीएस की गणना वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कंपनी के सामान्य शेयरधारकों को लाभ व हानि को विभाजित करके, अपने शेयरों के लिए समायोजित की जाती है।

ईपीएस की गणना सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या लेकर की जाती है, जो प्रति शेयर मूल कमाई के लिए गणना की जाती है और सामान्य शेयरों में भारित औसत सामान्य शेयरों की औसत संख्या में समायोजित की जाती है। वित्तीय वर्ष के शुरुआत में संभावित सामान्य शेयरों का सामान्य शेयरों में परिवर्तित किया जाता है या यदि बाद में संभावित शेयरों के मुद्दों की तारीख से किया जाता है।

आर. असाधारण वस्तुएँ

यह आय या व्यय की मदें हैं जिनकी प्रकृति कंपनी के प्रदर्शन समझ को बढ़ाने हेतु प्रकटीकरण की गारंटी देती है। ऐसी आय या व्यय को असाधारण मदों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनुसार, वित्तीय विवरणों के साथ टिप्पणियों में खुलासा किया जाता है।

एस. नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण के इंड एस 7 विवरण के तहत निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकद प्रवाह की सूचना दी जाती है, जिससे अवधि के लिए लाभ/ (हानि) गैर-प्रवाह प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव, किसी भी डिफरल या पिछले या भविष्य की परिचालन नकद प्राप्तियाँ या भुगतान के आय और निवेश से जुड़े आय या व्यय के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के संचालन, निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह अलग हो गया है।

27 (बी) नोट

1 पट्टे किराया आय/खर्च की सीधी प्रणाली

इंड एस के तहत, पट्टा किराया वृद्धि जो कि सामान्य मुद्रास्फीति के लिए पूरी तरह से कारण नहीं है, जो पट्टे करार की अवधि के दौरान ठीक किया जाना है। कंपनी

ने पट्टेदार और पट्टेदाता दोनों की क्षमता में विभिन्न पक्षों के साथ पट्टे

के समझौते में दखिल किया है और कुछ पट्टों में वृद्धि होती है जो केवल न

सामान्य मुद्रास्फीति के कारण नहीं होते हैं। इस तरह की वृद्धि संबंधित पट्टे की

शर्तों को ठीक रखी जाती है, जो कि लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त

आय और बाद में प्रभावों के लिए ली गई संक्रमण की तारीख पर इसी प्रभाव

के साथ होती है।

2 ब्याज मुक्त/बाजार ब्याज दर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारों

इंड एस के तहत, जमा और अग्रिम को उचित मूल्य पर दर्ज करना होगा। तदनुसार, कंपनी ने उचित मूल्य मुक्तसुरक्षा जमा प्राप्त की है और कर्मचारियों को अग्रिम प्रदान की है। कर्मचारी अग्रिम और दी गई सुरक्षा जमा के मामले में लेनदेन के मूल्य और



उचित मूल्य के बीच का अंतर, क्रमशः प्रिपेड कर्मचारी लागत और प्रिपेड किराए के खर्च के रूप में पहचाना जाता है और अग्रिम/पट्टे की समाप्त अवधि में परिशोधित किया जाता है। प्राप्त सुरक्षा जामा के मामले में, इस तरह के अंतर को अग्रिम में प्राप्त आय के रूप में देखा जाता है और पट्टे की अवधि में लाभ व हानि के रूप में मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त उचित मूल्य के मामले में अन्य ब्याज आय/व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है, जो संबंधित परिसंपत्ति देयता के अवधि से अधिक होता है।

3 भारतीय पोटैश लिमिटेड के बिना कोट किए इक्विटी शेयरों में निवेश का उचित मूल्यांकन

इंड एस 109 के अनुसार, कंपनी ने भारतीय पोटैश लिमिटेड में आयोजित इक्विटी और लाभ व हानि (एफपीटीपीएल) निवेश के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में रखे गए इक्विटी शेयरों में निवेश को मापा है और तदनुसार प्रारंभिक मान्यता पर लाभ / हानि के लिए जिम्मेदार है। प्राप्त लाभ / (हानि) के विवरण को लाभ व हानि विवरण में हिसाब लिया गया है।

4 अवशिष्ट मूल्य का पुनर्निर्धारण

कंपनी ने पट्टेदारों से ली गई भूमि पर निर्मित संयंत्र के मामले में प्रदान किए गए अवशिष्ट मूल्य को फिर से मान लिया है और इस तरह के पुनर्निर्धारण पर प्रभाव शेष अवधि पर लाभ व हानि में मूल्यह्रास के रूप में लिया गया है।

5 कर्मचारी हितलभ

पिछले जीएएपी और इंड एस दोनों के तहत, कंपनी ने अपने पूर्व रोजगार परिभाषित हितलाभ को वीमांकिक आधार पर मान्यता दी। पिछले जीएएपी के तहत, लाभकारी और लाभ हानि सहित पूरी लागत, लाभ और हानि के विवरण में हिसाब में ले लिया गया है। इंड एस के तहत, पूर्वभुगतान (वीमांकिक लाभा और हानि संपत्ति की सीमा के प्रभाव को शामिल करते हुए, निवल परिभाषित लाभ देयाता पर निवल ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर वापसी) को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई है।

28 विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

लाभ और हानि विवरण में विनिमय दर डेबिट/(क्रेडिट) की राशि

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
	0.01	(1.97)

29 प्रावधानों, आकस्मिक संपत्तियों और आकस्मिक देनदारियों में संचलन वसूली दावा

प्रारंभिक शेष

वर्ष के दौरान जोड़

वर्ष के दौरान उपयोग की जाने वाली रकम

वर्ष के दौरान उलट/समायोजन

अंतिम शेष

	1.01	1.01
	-	-
	-	-
	-	-
	1.01	1.01

ए. इन सभी मामलों में, अगले एक वर्ष के भीतर आर्थिक लाभों का बहिर्वाह अपेक्षित है।

बी. पिछले वर्षों में वर्तमान अवधि से संबंधित प्रावधानों के लिए किए गए अनुमान के उन लोगों के अनुरूप हैं। ऐसे प्रावधानों की मान्यता के लिए उपयोग की जाने वाली मान्यताओं और अनुमान प्रकृति में गुणात्मक हैं और उनकी संभावना अगले वित्तीय वर्ष में बदल सकती है। इन प्रावधानों को पहचानने में किए गए अनुमानों और अनुमानों के संभावित प्रभाव की गणना करने के लिए कंपनी के लिए यह अव्यवहारिक है।

30 कच्चे माल और अतिरिक्त पूर्जा की खपत

स्वदेशी और आयातित पूर्जा का मूल्य खपत

स्वदेशी

आरएलएनजी / नापता

अन्य

कुल (%)

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
	781.03	780.51
	3.26	2.19
	84	94
	784.29	782.70



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

आयातित

यूरिया	34.89	13.30
पोटाश	47.46	14.37
पारस्परिक अम्ल	65.68	21.44
कुल (%)	16	6
	148.03	49.11
	100	831.81
अवयव और पूर्ज	12	20
	3.84	2.41
आयातित (%)	88	80
	27.98	9.93
स्वदेशी (%)	100	100
	31.82	12.34

31 आयात के सीआईएफ के मूल्य

कच्चे माल	31.18	115.15
घटक और पूर्ज	4.05	5.2
	35.23	120.35

32 विदेशी मुद्रा में व्यय

पुस्तकें और पत्रिकाएँ	0.12	0.03
यात्रा (व्यापार, संगोष्ठी, सम्मेलन आदि)	-	-
	0.12	0.03

33 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

ए) संबंधित पार्टियों की सूची मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी):

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

श्री यू सरवणन

निदेशक

श्री लाल संगलूर

श्री मोहम्मद बाघर दखिली

श्री फ़ारजाद बहरामी बवानी

श्री बाबक बहपुर

श्री हर्ष मनहोत्रा

महाप्रबंधक वित्त

श्री वी मुरलीधरण

कंपनी सचिव

डॉ. गिरीश कुमार



एमएफएल द्वारा प्रबंधित कर्मचारी लाभ ट्रस्ट

एमएफएल कर्मचारी समूह अनुदान सह जीवन एश्यूरेन्स योजना ट्रस्ट

एमएफएल कर्मचारी अधिवर्षिता योजना ट्रस्ट

सरकार के नियंत्रण संस्थाएँ

यह कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) है जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा शेयर आयोजित किए जाते हैं। इंडस्ट्रीस एएस 24 के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, जिन संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है, या महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, तो रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थानों को संबंधित पार्टियों के रूप में माना जाता है। कंपनी ने सरकारी संबंधित संस्थाओं के लिए इंडस्ट्रीस एएस 24 के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत उपलब्ध छूट लागू की है और विवैतय विवरणों में सीमित किया है।

बी) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ लेनदेन

i) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के मुआवजे

	मार्च 31, 2020 वर्ष की समाप्ति पर	मार्च 31, 2018 वर्ष की समाप्ति पर
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	0.81	0.79
रोजगार के बाद पारिभाषित लाभ	0.18	0.15
मुआवजा अनुपस्थिति	-	-
अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-
	0.99	0.94

सी) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के अलावा अन्य पार्टी लेनदेन

	(₹ करोड़ में)			
	लेनदेन मूल्य		बकाया राशि	
	मार्च 31, 2020 वर्ष की समाप्ति पर	मार्च 31, 2019 वर्ष की समाप्ति पर	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
माल और सेवाओं के लिए खरीद और भुगतान				
चेन्नै पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	-	806.14	1.21	99.65
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड	907.36	360.63	68.51	58.31
योगदान				
		2019-20		2018-19
एमएफएल कर्मचारी योगदान भविष्य निधि ट्रस्ट		5.83		5.67



34 वित्तीय उपकरण - उचित मूल्य प्रकटीकरण

प्रबंधन ने मूल्यांकन किया है कि वित्तीय परिसंपत्तियों, ऋण, नकद और नकद समकक्ष जैसे वित्तीय परिसंपत्तियों और उधार जैसे वित्तीय देनदारियों, वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त व्यापार देय उनके उचित मूल्यों का अनुमान लगाते हैं। निर्विवाद शेयरों में निवेश के संबंध में, कंपनी ने एक पेशेवर मूल्यवान की सेवाओं का लाभ उठाया है और निष्पक्ष मूल्यांकन किया है।

मार्च 31, 2020	वहन राशि			उचित मूल्य अनुक्रम	मूल्यांकन तकनीकी और किए गए प्रमुख निविष्टियाँ	
विवरण	अमूर्त लागत	लाभ और हानि माध्यम उचित मूल्य	ओसीआई माध्यम उचित मूल्य			कुल
ए. वित्तीय संपत्तियाँ						
निवेश		282.50		282.50	स्तर 3	निचे नोट देखें
ऋण	7.07			7.07	लागू नहीं	
व्यापार प्राप्तियाँ	50.87			50.87	लागू नहीं	
नकद और नकद समकक्ष	133.31			133.31	लागू नहीं	
अन्य बैंक शेष	556.32			556.32	लागू नहीं	
बी. वित्तीय देयताएँ						
उधार	1,800.77			1,800.77	लागू नहीं	निचे नोट देखें
व्यापार देय	115.88			115.88	लागू नहीं	
अन्य वित्तीय देयताएँ	139.80			139.80	लागू नहीं	

मार्च 31, 2019	वहन राशि			उचित मूल्य अनुक्रम	मूल्यांकन तकनीकी और किए गए प्रमुख निविष्टियाँ	
विवरण	अमूर्त लागत	लाभ और हानि माध्यम उचित मूल्य	ओसीआई माध्यम उचित मूल्य			कुल
ए. वित्तीय संपत्तियाँ						
निवेश		197.91		197.91	स्तर 3	निचे नोट देखें
ऋण	0.91			0.91	लागू नहीं	
व्यापार प्राप्तियाँ	27.21			27.21	लागू नहीं	
नकद और नकद समकक्ष	36.82			36.82	लागू नहीं	
अन्य बैंक शेष	815.55			815.55	लागू नहीं	
बी. वित्तीय देयताएँ						
उधार	1,651.59			1,651.59	लागू नहीं	निचे नोट देखें
व्यापार देय	276.97			276.97	लागू नहीं	
अन्य वित्तीय देयताएँ	125.56			125.56	लागू नहीं	



स्तर 3 के अधीन उतार चढ़ाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
प्रारंभिक लागत / उचित मूल्य	197.91	148.94
जोड़ें - लाभ हानि विवरण में मान्यता प्राप्त मूल्य अभिलाभ	84.59	48.97
घटाएँ - लाभ हानि विवरण में मान्यता प्राप्त मूल्य अभिलाभ	-	-
अंतिम उचित मूल्य	282.50	197.91

भारतीय पोटाश लिमिटेड गैर उद्धृत शेयरों में निवेश के उचित मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक और महत्वपूर्ण इनपुट

बाहर के मूल्य निर्धारक की सेवा का उपयोग करके कंपनी ने निम्नलिखित दो तकनीकों का उपयोग करके निवेश के उचित मूल्य की गणना की है:

i.) निवल संपत्ति मूल्य (एनएवी) पद्धति

इस पद्धति के तहत, एनएवी को प्राप्त करने के लिए कंपनी की कुल बाहरी देनदारियों को कुल संपत्तियों से घटाया जाता है। वैकल्पिक रूप से, भुगतान की गई पूंजी और भंडार की राशि भी एनएवी प्राप्त करने के लिए गणना की जाती है। कंपनी ने अपनी पुस्तक मूल्य पर सभी संपत्तियों और देनदारियों को ली है। प्रति शेयर उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए एनएवी बाकाया ईक्विटी शेयरों की कुल संख्या से विभाजित है।

ii.) तुलनीय कंपनी बाज़ार (सीसीएम) पद्धति

सीसीएम बहुविध सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली कंपनी के मूल्यांकन अनुपात का उपयोग करता है और उस अनुपात को कंपनी के मूल्य पर लागू करता है। मूल्यांकन अनुपात आम तौर पर मूल्यांकन को वित्तीय प्रदर्शन या पुस्तक मूल्य के रूप में व्यक्त करता है। सीसीएम विश्लेषण का एक प्रमुख लाभ यह है कि पद्धति वर्तमान बाजार स्टॉक मूल्य पर आधारित है। वर्तमान स्टॉक मूल्य को आम तौर पर सर्वोत्तम मूल्यांकन मेट्रिक्स में से देखा जाता है क्योंकि बाजारों को कुछ हद तक कुशल माना जाता है।

"कंपनी के मूल्यांकन विश्लेषण के लिए, उर्वरक उद्योग से संबंधित स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कुछ कंपनियों के साथ बाजार में बिक्री को मुकाबला करने हेतु उपयोग किया गया है।" वर्ष के दौरान मूल्यांकन सीसीएम विधि पर आधारित है।

35 पट्टे

i) परिचालन लीज

ए) पट्टेदार के रूप में

वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पट्टा किराया ₹ 0.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.74 करोड़) है। इन्हें 'अन्य खर्च' में 'किराए' के तहत वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित अवधि में से प्रत्येक के लिए देय भविष्य का पट्टा किराया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
एक वर्ष से कम	0.99	0.88
एक से पांच वर्ष के बीच	1.41	2.40
पांच वर्ष से अधिक	-	-

बी) पट्टा कर्ता के रूप में

सीपीसीएल को दी गई रिक्त स्थान के परिचालन पट्टे पर 'किराया' पर आय को 'अन्य आय' में किराए के तहत शामिल किया गया है। प्रत्येक अवधि के लिए प्राप्त भविष्य पट्टे किराए प्राप्य का विवरण निम्न प्रकार है:



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

ठेके के शेष अवधि के दौरान पट्टे किराया प्राप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
एक वर्ष से कम	1.08	0.98
एक से पांच वर्ष के बीच	5.16	4.78
पांच वर्ष से अधिक	5.58	7.03

संपत्ति का विवरण जारी किया गया

संपत्ति का विवरण	पट्टे पर दिया गया	पट्टे की अवधि	पट्टे का आधार
त्रिभुज प्लॉट - मनाली	चेन्नै पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	01.08.2008 से 20 वर्ष	8% गाइडलाइन मूल्य और हर वर्ष 8% बढ़
जर्व उर्वरक, विजयवाडा	हैयग्रिवा जैव आर्गानिक प्राइवेट लिमिटेड	5 वर्ष	हर वर्ष लगभग 5% बढ़

36. निर्मित और व्यापार हेतु किए गए माल की सूचना:

	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
	परिमाण एमटा	परिमाण एमटा
(ए) स्थापित क्षमताएँ:		
अमोनिया	3,46,500	3,46,500
यूरिया	4,86,750	4,86,750
एन पी के	8,40,000	8,40,000
जैव उर्वरक	400	400

	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
(बी) उत्पादन:		
अमोनिया	211,498	229,774
नीम-यूरिया	345,150	394,300
एनपीके 17-17-17	65,000	25,160
जैव उर्वरक	47	150



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

	मार्च 31, 2020		मार्च 31, 2019	
	परिमाण एमटी	रकम ₹	परिमाण एमटी	रकम ₹
(सी) व्यापार में स्टॉक की खरीद:				
कृषि रसायन		1,45,67,691		1,34,72,273
आर्गानिक उर्वरक	2,808	90,17,287	905	35,94,972
सिटी कम्पोस्ट	12,041	3,21,47,282	8,088	2,11,02,914
		5,57,32,260		3,81,70,159

	मार्च 31, 2020		मार्च 31, 2019	
	परिमाण एमटी	रकम	परिमाण एमटी	रकम
(डी) थोक बिक्री: निर्मित उत्पाद				
नीम यूरिया	3,23,764	1,75,73,02,757	4,19,766	2,19,98,96,135
एनपीके 17-17-17	65,517	1,53,12,93,440	27,430	58,67,04,270
कार्बन-डाई-आक्साइड*	-	-	8,797	2,69,58,244
जैव उर्वरक	46	14,41,608	150	46,65,730
खरीदा गया उर्वरक				
कृषि रसायन		2,22,35,017		1,95,43,285
आर्गानिक उर्वरक	2,808	1,28,29,744	905	46,22,001
सिटी कम्पोस्ट	12,041	2,74,08,418	8,088	1,75,65,836
		3,35,25,10,984		2,85,99,55,501

* उप उत्पाद

	मार्च 31, 2020		मार्च 31, 2019	
	परिमाण एमटी	रकम	परिमाण एमटी	रकम
(इ) स्टॉक:				
(i) प्रारंभिक स्टॉक				
(ए) संपूर्ण उत्पाद				
नीम यूरिया	446	24,29,022	25,821	35,74,66,367
एनपीके 17-17-17	1,314	3,28,25,522	3,599	8,11,59,463



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

(बी) कार्य प्रगति पर				
निर्मित उत्पाद				
अमोनिया	2,848	11,94,09,150	4,152	16,76,07,811
यूरिया - थोक	487	1,50,67,735	935	2,51,55,249
(ii) अंतिम स्टॉक				
(ए) संपूर्ण उत्पाद				
निर्मित उत्पाद				
नीम यूरिया	11,247	28,33,74,222	446	24,29,022
एनपीके 17-17-17	719	1,77,71,737	1,314	3,28,25,522
जैव उर्वरक	1	14,730	-	-
(बी) जैव उर्वरक कार्य प्रगति पर				
निर्मित उत्पाद				
अमोनिया	8,431	35,69,94,423	2,848	11,94,09,150
यूरिया - थोक	10,504	29,76,94,078	487	1,50,67,735
(सी) स्टॉक हानियाँ				
नीम यूरिया	568		357	
एनपीके 17-17-17	78		16	
एनपीके 20-20-0-13				

37 कर्मचारी सुविधा

(i) अन्तिम सुविधाएँ

कंपनी ने निम्नलिखित सुविधा योजनाओं को जारी किया है i) उपहार, ii) सेवा निवृत्त चिकित्सा लाभ, iii) मुआवजा अनुपस्थिति और iv) सेवा पुरस्कार

ए. अनुदान

अनुदान ही एकमात्र लाभ योजना है जिसे कंपनी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वित्त पोषण नीतियों में निर्धारित फंड के वीमांकिक मापन प्रेमवव पर वित्त पोषण आवश्यकताओं पर आधारित है। वित्त पोषण के लिए अलग रूप से निर्धारित वीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वित्त पोषण योजना की जाती है।

कंपनी ने निर्धारित किया है कि पारिभाषित लाभ योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार, और सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार, भविष्य में योगदान में धनवापसी या कटौती का वर्तमान मूल्य योजना संपत्ति के कुल उचित मूल्य के शेष से कम नहीं है और वर्तमान दायित्वों के कुल मूल्य से कम नहीं है।



बी.निवल पारिभाषित लाभ (संपत्ति) / देयताओं में उतार चढ़ाव

अनुदान

इस तरह के पारिभाषित लाभ प्रदान करने की लागत वर्ष के अंत में किए गए वास्तविक मूल्यांकन के अनुमानित यूनिट क्रेडिट तरीक का उपयोग करके निर्धारित की जाती है और इसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बनाए गए निधि के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। यह पारिभाषित लाभ योजना कंपनी को दीर्घकालिक जोखिम, मुद्रा जोखिम, ब्याज जोखिम और बाजार (निवेश) जोखिम जैसे वास्तविक जोखिमों के लिए उजागर करती है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन की वेतन (15/26 * अंतिम मूल वेन और महंगाई भत्ता) पर अनुदान का हकदार है, जो कि अधिवर्षिता, इस्तिफा, समाप्ति, अक्षमता या मौत पर ₹ 0.20 करोड़ पिछली अधिकतम सीमा के अधीन है। बढ़ी हुई अधिकतम सीमा पर विचार करते हुए कंपनी ने अनुदान लाभ का वास्तविक मूल्यांकन किया है।

अन्य सुविधाएँ

वर्ष की समाप्ति पर, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, मुआवजे की अनुपस्थिति और सेवा पुरस्कारों पर दायित्व के लिए अनुमानित यूनिट क्रेडिट तारीका के मूल्यांकन हेतु प्रदान किया जाता है। ये ही अनिधिक योजनाएँ हैं।

	पारिभाषित लाभ दायित्व		योजना संपत्ति का उचित मूल्य		निवल पारिभाषित लाभ (संपत्ति) देयता	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
अनुदान						
1 अप्रैल - शेष लाभ और हानि में शामिल	49.19	44.94	16.77	20.61	32.42	24.33
चालू सेवा लागत	1.87	1.86	-	-	1.87	1.86
ब्याज लागत	3.16	3.20	-	-	3.16	3.20
ब्याज आय	-	-	1.11	1.36	(1.11)	(1.36)
भुगतान की गई सुविधा	(4.62)	(5.24)	(4.62)	(5.24)	-	-
दिए गए योगदान	-	-	4.04	0.04	(4.04)	(0.04)
ओसीआई में शामिल						
निवल बीमांकित (लाभ)/हानि और ब्याज	1.15	4.43	0.14	-	1.01	4.43
31 मार्च - शेष अर्जित छुट्टी नकदीकरण	50.75	49.19	17.44	16.77	33.31	32.42
1 अप्रैल - शेष लाभ और हानि में शामिल						
चालू सेवा लागत	0.96	0.55	-	-	0.96	0.55
ब्याज लागत	0.77	1.06	-	-	0.77	1.06
ब्याज आय	-	-	-	-	-	-
भुगतान की गई सुविधा	(1.93)	(0.86)	-	-	(1.93)	(0.86)
ओसीआई में शामिल						
निवल बीमांकित (लाभ)/हानि और ब्याज	3.62	(2.07)	-	-	3.62	(2.07)



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

	पारिभाषित लाभ दायित्व		योजना संपत्ति का उचित मूल्य		निवल पारिभाषित लाभ (संपत्ति) देयता	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
31 मार्च - शेष	16.55	13.13	-	-	16.55	13.13
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ						
1 अप्रैल - शेष	1.51	1.39	-	-	1.51	1.39
लाभ और हानि में शामिल						
चालू सेवा लागत	0.05	0.02	-	-	0.05	0.02
ब्याज लागत	0.10	0.11	-	-	0.10	0.11
ब्याज आय	-	-	-	-	-	-
भुगतान की गई सुविधा	-	-	-	-	-	-
ओसीआई में शामिल						
निवल बीमांकित(लाभ)/हानि और ब्याज	0.59	(0.01)	-	-	0.59	(0.01)
31 मार्च - शेष	2.25	1.51	-	-	2.25	1.51

सेवा पुरस्कार						
1 अप्रैल - शेष	0.31	0.33	-	-	0.31	0.33
लाभ और हानि में शामिल						
चालू सेवा लागत	0.04	0.03	-	-	0.04	0.03
ब्याज लागत	0.02	0.02	-	-	0.02	0.02
ब्याज आय	-	-	-	-	-	-
भुगतान की गई सुविधा	-	-	-	-	-	-
ओसीआई में शामिल						
निवल बीमांकित (लाभ)/हानि और ब्याज	0.03	(0.07)	-	-	0.03	(0.07)
31 मार्च - शेष	0.40	0.31	-	-	0.40	0.31

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
द्वारा प्रतिनिधित्व :		
निवल पारिभाषित लाभ देयता		
- अनुदान	33.31	32.42
- अर्जित छुट्टी नकदीकरण	16.55	13.13
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	2.25	1.51
- सेवा पुरस्कार	0.40	0.31



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

I) योजना संपत्ति

निम्नलिखित में योजना संपत्तियाँ शामिल:

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
ईक्विटी प्रतिभूतियाँ	30%	30%
सरकारी करार	70%	70%

II) वास्तविक अनुमान

रिपोर्टिंग तारीख के समय अनुदान योजना के लिए प्रमुख अनुमानित मान्यताएँ निम्न प्रकार हैं:

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
प्रति वर्ष छूट दर	6.74%	7.50%
योजना संपत्ति पर प्रति वर्ष अपेक्षित वापसी	6.74%	8.00%
प्रति वर्ष वेतन वृद्धि	5.00%	6.00%
मृत्यु दर	IALM (2012-14) U	LIC 94-96 दर

रिपोर्टिंग तारीख के समय अन्य पारिभाषित योजनाओं के लिए प्रमुख अनुमानित मान्यताएँ निम्न प्रकार हैं:

	अर्जित छुट्टी नकदीकरण		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		सेवा पुरस्कार	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
मृत्यु दर (सेवा निवृत्ति के पहले)	आईएलएम (2012-14) यू	आईएलएम (2006-08) यू	आईएलएम (2012-14) यू	आईएलएम (2006-08) यू	आईएलएम (2012-14) यू	आईएलएम (2006-08) यू
मृत्यु दर (सेवा निवृत्ति के बाद)	लागू नहीं	लागू नहीं	आईएलएम (2012-14) यू	आईएलएम (2006-08) यू	लागू नहीं	लागू नहीं
रियायती दर	6.36%	7.56%	6.36%	7.56%	6.36%	7.56%
महंगाई दर	5.89%	5.89%	5.89%	5.89%	5.89%	5.89%

वास्तविक मूल्यांकन में माना जाने वाला वेतन वृद्धि का अनुमान, मुद्रास्फीति, वरियता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारण जैसे रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग हैं। इसके अलावा, योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न कई कारणों पर विचार किया जाता है, मुख्य रूप से योजना संपत्तियों की संरचना, परिसंपत्ति प्रबंधन का मूल्यांकन जोखिम और योजना संपत्ति से ऐतिहासिक रिटर्न से किया जाता है।



III) संवेदनशीलता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तारीख में से एक प्रासंगिक अनुमानों पर उचित रूप से संभावित परिवर्तन, अन्य कारणों को निरंतर रखते हुए, निम्नानुसार राशियों द्वारा निर्धारित लाभ दायित्व को प्रभावित किया होगा:

	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2019	
	बढ़	घट	बढ़	घट
अनुदान				
रियायती दर (+/- 100 बीपी)	48.68	53.01	47.15	51.42
प्रति वर्ष वेतन वृद्धि (+/- 100 बीपी)	52.19	49.27	50.69	47.61
मृत्यु दर (+/- 10%)	50.76	50.76	49.20	44.93
आकर्षक मूल्य (+/- 100 बीपी)	50.91	50.59	49.30	49.07
अर्जित छुट्टी नकदीकरण				
रियायती दर (+/- 100 बीपी)	15.54	17.68	12.52	13.80
प्रति वर्ष वेतन वृद्धि (+/- 100 बीपी)	17.63	15.57	13.54	12.73
मृत्यु दर (+/- 10%)	16.55	16.55	13.13	13.13
आकर्षक मूल्य (+/- 100 बीपी)	16.53	16.58	13.14	13.11
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ				
रियायती दर (+/- 100 बीपी)	2.19	2.32	1.42	1.60
प्रति वर्ष वेतन वृद्धि (+/- 100 बीपी)	-	-	-	-
मृत्यु दर (+/- 10%)	2.25	2.25	1.51	1.51
आकर्षक मूल्य (+/- 100 बीपी)	2.27	2.23	1.49	1.53
सेवा पुरस्कार				
रियायती दर (+/- 100 बीपी)	0.38	0.41	0.30	0.33
प्रति वर्ष वेतन वृद्धि (+/- 100 बीपी)	-	-	-	-
मृत्यु दर (+/- 10%)	0.40	0.40	0.32	0.32
आकर्षक मूल्य (+/- 100 बीपी)	0.40	0.39	0.32	0.31

हालांकि, योजना के अंतर्गत अपेक्षित नकदी प्रवाह के पूर्ण वितरण का विवरण नहीं लिया जाता है, दर्शाए गए धारणाओं की संवेदनशीलता का अनुमान प्रदान करता है।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण को एक तरीके के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली महत्वपूर्ण धारणाओं में उचित परिवर्तनों के रूप से पारिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव को फैलाता है। यह विश्लेषण पारिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि धारणाओं में परिवर्तन एक-दूसरे के अलगाव में होगा क्योंकि कुछ धारणाओं का सह संबंध हो सकता है।



भविष्य के वर्षों में पारिभाषित लाभ योजनाओं की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

₹ करोड़ में

	एक वर्ष से कम	1-2 के बीच	2-5 के बीच	पांच साल से अधिक	कुल
31 मार्च, 2020					
- अनुदान	7.32	4.81	17.06	21.56	50.75
- अर्जित छुट्टी नकदीकरण	2.05	1.28	5.16	8.06	16.55
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	0.29	0.18	0.59	1.19	2.25
- सेवा पुरस्कार	0.07	0.04	0.14	0.15	0.40
कुल	9.73	6.31	22.95	30.96	69.95

	एक वर्ष से कम	1-2 के बीच	2-5 के बीच	पांच साल से अधिक	कुल
31 मार्च, 2018					
- अनुदान	7.73	5.13	13.79	22.54	49.19
- अर्जित छुट्टी नकदीकरण	2.45	1.16	3.79	5.73	13.13
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	0.17	0.14	0.36	0.84	1.51
- सेवा पुरस्कार	0.01	0.02	0.03	0.25	0.31
कुल	10.36	6.45	17.97	29.36	64.14

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रोजगार के बाद लाभ योजनाओं में अपेक्षित योगदान ₹ 6.71 करोड़

रिपोर्ट अवधि के अंत में निर्धारित लाभ योजना दायित्व की औसत अवधि 10 वर्ष (31 मार्च 2019: 10 वर्ष)

वर्ष के अंत में सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, मुआवजे की अनुपस्थिति और सेवा पुरस्कारों पर दायित्व के लिए वास्तविक मूल्यांकन के अनुमानित यूनिट क्रेडिट तरीका का उपयोग करके प्रदान किया जाता है।

(ii) पारिभाषित योगदान योजनाएँ

भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि

भविष्य निधि एक निर्धारित योगदान योजना है जिससे कंपनी के योग्य कर्मचारी लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर मासिक योगदान देते हैं। कंपनी द्वारा योगदान ट्रस्ट के रूप में स्थापित भविष्य निधि में किए जाते हैं। सदस्यों को ट्रस्ट द्वारा घोषित और जमा ब्याज दरे केन्द्र सरकार द्वारा घोषित ब्याज की सांविधिक दर से अधिक है और इस खाते पर कोई कमी नहीं है और इसलिए इसे पारिभाषित रूप में माना जाता है।

कंपनी के पास अधिवर्षिता योजना है। अधिवर्षिता योजना के संबंध में कंपनी की देयात जीवन बीमा निगम द्वारा बनाए गए पारिभाषित लाभ योजना की ओर वार्षिक आधार पर कंपनी द्वारा चुकाए गए निश्चित लाभ तक ही सिमित है, जिसे अधिग्रहण पर लाभ/हानि विवरण पर लगाया जाता है।

वर्ष के दौरान भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि में नियोजित के योगदान के संबंध में खर्च की गई निवल राशि क्रमशः ₹5.83 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5.67 करोड़) और ₹6.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6.75 करोड़) है।

38 पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, पूंजी में ईक्विटी पूंजी और अन्य सभी रजस्व शामिल है। कंपनी का पूंजी प्रबंधन उद्देश्य लचीला पूंजी संरचना के माध्यम से पूंजी की लागत को अनुकूलित करके कुल शेयरधारक वापसी को अधिकतम करना है जो विकास का समर्थन करता है।



कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में बदलाव और वित्तीय समझौतों की आवश्यकताओं के समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वासप कर सकती है या नए शेयर जारी कर सकती है। कंपनी पूंजी पर नजर रखती है जो कुल पूंजी और निवल ऋण द्वारा विभाजित निवल ऋण है। कंपनी में निवल ऋण, ब्याज और ऋण तथा उधार कम नकद और अल्पकालिक जमा शामिल है।

कर्ज-भार अनुपात:	₹ करोड़ में	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
ऋण	1,800.77	1,651.59
घटाएँ: नकद और बैंक शेष	133.31	36.82
निवल ऋण	1,667.46	1,614.76
कुल ईक्विटी	(630.89)	(575.27)
निवल ऋण से कुल ईक्विटी तक का अनुपात	-	-

39 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

व्यापार के दौरान, कंपनी कुछ वित्तीय जोखिमों से अवगत करती है जो कंपनी के व्यापार और परिचालन / वित्तीय प्रदर्शन पर मुख्य प्रभाव डाल सकती है। इनमें बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और ईक्विटी मूल्य जोखिम सहित) क्रेडिट जोखिम और नकदी जोखिम शामिल हैं।

निदेशक मंडल इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे और नीतियों की समीक्षा और अनुमोदन करता है और संभावित प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और लाभ के लिए प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए उपर्युक्त कार्यों पर नजर रखता है।

समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे और नीतियों के अनुरूप, निधि व्यापार की सेवाएँ प्रदान करता है, जोखिमों की मात्रा और परिणाम से एक्सपोजर के विश्लेषण के माध्यम से निगरानी करता है।

उधार, व्यापार देय और अन्य वित्तीय देनदारियाँ कंपनी की प्राथमिक वित्तीय देनदारियों और ईक्विटी शेयरों, व्यापार प्राप्तियों, ऋण, नकद और नकद समक्ष और अन्य वित्तीय संपत्ति में निवेश संपत्ति हैं।

ऋण जोखिम

व्यापार प्राप्य

क्रेडिट जोखिम कंपनी को प्राप्तियों पर जोखिम को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि हो सकता है। 31 मार्च, 2020 ₹ 481.88 (31 मार्च, 2019 ₹ 706.52 करोड़ है)

व्यापार संपत्तियाँ मुख्य रूप से भारत सरकार से और सब्सिडी और व्यापारिक उर्वरकों की बिक्री से डीलरों / अन्य ग्राहकों को प्राप्त सब्सिडी बनाती है। ऋण जोखिम, जोखिम क्रेडिट स्वीकृति के माध्यम से नियत किया जा रहा है, क्रेडिट सीमा स्थापित करने पर ग्राहकों के क्रेडिट योग्यता पर निगरानी रखी जाती है ताकि व्यावसाय के सामान्य शर्तों में क्रेडिट की अनुमति दी जा सके। कंपनी के मामले में क्रेडिट अवधि 30 से 60 दिनों के बीच होती है और हानि पर कोई मुख्य मामला नहीं रहा है।

अनगिनत ईक्विटी शेयरों में निवेश

भारतीय पोटाश लिमिटेड के अनगिनत ईक्विटी शेयरों में कंपनी का एक ही निवेश है। कंपनी निवेशक द्वारा गैर-प्रदर्शन से होने वाली किसी भी हानि की अपेक्षा नहीं करती है और इसलिए कोई हानि नहीं पहचानी जाती है।

ऋण और अग्रिम

कंपनी रियायती या ब्याज मुक्त आधार पर अपने कर्मचारियों को आवास और अन्य ऋण प्रदान करती है। कंपनी कई पूर्व निर्धारित किस्तों में वसूली के माध्यम से कर्मचारियों को ऐसे ऋणों के संबंध में अपने क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करती है।



बैंकों के साथ नकद और नकद समक्ष और जमा

नकद और बैंक शेष पर क्रेडिट जोखिम सीमित है क्योंकि संपत्तियो उच्च क्रेडिट दर वाली बैंक है। इसलिए चूक पर जोखिम नगण्य माना जाता है। नीचे दी गई वित्तीय संपत्तियो का सारांश :

वित्तीय संपत्ति	को अनावृति	
	₹ करोड में	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
निवेश	282.50	197.91
ऋण	7.07	0.91
व्यापार प्राप्य	50.87	27.21
नकद और नकद समक्ष	133.31	36.82
अन्य वित्तीय संपत्ति	556.32	815.55
कुल	1030.07	1,078.40

अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान

वित्तीय संपत्तियों जिसके लिए हानि भात्ता अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करने मापा जाता है।

कंपनी भारत सरकार और कई डीलरो कंपनी के ग्राहक है। ऐतिहासिक रूप से चूक का जोखिम नगण्य या शून्य है। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार और ग्राहक क्रेडिट जोखिम के व्यापक विश्लेषण के आधार पर 60 दिनों से अधिक की वजह से वांछित राशि पूरी तरह से एकत्रीत होती है। इसलिए, प्राप्तियों के संबंध में रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कोई हानि पहचानी नहीं है।

(ii) व्यापार प्राप्य का विश्लेषण की अवधि कम होना

नीति के रूप में, कंपनी देनदारों की अवधि कम होने की विश्लेषण करती है जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

व्यापार प्राप्तियों की कम होने की अवधि के विश्लेषण नीचे दिए गए हैं :

अवधि	अवधि	
	₹ करोड में	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
6 महीने से कम	37.57	15.99
6 महीने से अधिक	-	-
कुल देनदार	37.57	15.99

चल निधि जोखिम

चल निधि जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य यह है कि पर्याप्त चल निधि को बनाए रखना और यह सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यकतों के अनुसार निधि उपयोग के लिए उपलब्ध है। कंपनी लगातार पूर्वानुमान और वास्तविक नकद प्रवाह की निगरानी करके नकद क्रेडिट सीमाओं और अनधिकृत उधार सुविधाओं की माध्यम से चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। कंपनी बैंक के सावध जमा में अपने अधिशेष निधि का निवेश करती है जो बाजार जोखिमों से न्यूनतम है।



मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

वित्तीय देय परिपक्वता

सांविधात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देयताओं के सांविधात्मक परिपक्वता (भारत सरकार ऋण के मामले में मूलधन और ब्याज) निम्नप्रकार हैं:

₹ करोड़ में

31 मार्च, 2020		सांविधात्मक नकदी प्रवाह					
वित्तीय देय की सांविधात्मक परिपक्वता	लिए गए राशि	एक वर्ष से कम	1-2 के बीच	2-3 के बीच	3-5 के बीच	पांच साल से अधिक	कुल
भारत सरकार ऋण	1,227.03	1,175.74	26.04	16.35	8.90	-	1,227.03
व्यापार देय	115.88	115.88					115.88
अन्य वित्तीय देयताएँ	124.25	124.25					124.25
कुल	1,467.15	1,415.86	26.04	16.35	8.90	-	1,467.15

₹ करोड़ में

31 मार्च, 2019		सांविधात्मक नकदी प्रवाह					
वित्तीय देय की सांविधात्मक परिपक्वता	लिए गए राशि	एक वर्ष से कम	1-2 के बीच	2-3 के बीच	3-5 के बीच	पांच साल से अधिक	कुल
भारत सरकार ऋण	1,172.45	1,276.98	27.34	26.04	16.35	8.90	1,355.61
व्यापार देय	276.97	276.97	-	-	-	-	276.97
अन्य वित्तीय देयताएँ	110.01	110.01	-	-	-	-	110.01
कुल	1,559.42	1,663.95	27.34	26.04	16.35	8.90	1,742.58

बाज़ार जोखिम

बाज़ार कीमतों की उचित मूल्य या वित्तीय नकद प्रवाह की उतार-चढ़ाव में बदलाव आने की वजह से हुए जोखिम को बाज़ार जोखिम कहा जाता है। कंपनी के लिए बाज़ार जोखिम दो प्रकार की जोखिम होती हैं: मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और ईक्विटी मूल्य जोखिम है। बाज़ार जोखिम से वित्तीय उपकरणों में हुई प्रभाव का कारण उधार, विदेशी मुद्रा में व्यापार देय और दूसर तरफ से ईक्विटी शेयरों में निवेश से है। बाज़ार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है कि वापसी का अनुकूलन करते समय स्वीकार्य मानकों के आधार पर बाज़ार ऋण जोखिम को नियंत्रण करना है।

मुद्रा जोखिम

कंपनी कच्चे माल की खरीद के उद्देश्य से आयात समझौतों को निष्पादित करती है। ऐसी विदेशी मुद्रा लाभ/हानि मूल्यों की भौतिकता के कारण कंपनी द्वारा बचाव नहीं किया जाता है।

वित्तीय देनदारियों की मुद्रा रूपरेखा नीचे दी गई है:

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
व्यापार देय (₹ करोड़ में)	35.35	120.38



संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च को नीचे दर्शाये अनुसार विदेशी मुद्रा के पक्ष भारतीय रूपए को मजबूत कराने हेतु निम्न प्रकार राशियों के ईक्विटी और लाभ या हानि में वृद्धि (कमी) होगी। यह विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनिमय दर भिन्नताओं पर आधारित है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी को उचित रूस से संभव माना जाता है। विश्लेषण यह मानता है कि विशेष रूप से अन्य सभी भिन्नताओं में से ब्याज दर सीमित रहता है। विश्लेषण पिछले वर्ष हेतु समान आधार पर किया जाता है, इसके सिवाय नीचे दर्शाए अनुसार उचित रूप से विदेशी मुद्रा दर पर भिन्नताएँ थीं।

31 मार्च, 2020	लाभ और हानि	
	सुदृढ़	कमज़ोर
10% संचलन		
विदेशी मुद्रा में अंकित व्यापार देय	(3.54)	3.54
31 मार्च, 2019	लाभ और हानि	
	सुदृढ़	कमज़ोर
10% संचलन		
विदेशी मुद्रा में अंकित व्यापार देय	(12.04)	12.04

व्यापार दर जोखिम

कंपनी किसी भी ब्याज दर के जोखिम से अवगत नहीं है क्योंकि भारत सरकार से एकमात्र उधान लेने पर ब्याज दर नियत की गई है। रिपोर्टिंग तारीख पर कंपनी के ब्याज संबंधी वित्तीय उपकरणों की ब्याज दर की रूपरेखा निम्नानुसार है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
वित्तीय संपत्तियाँ		
नियत-दर उपकरण		
कर्मचारी ऋण	7.07	0.91
वित्तीय देयताएँ		
नियत-दर उपकरण		
भारत सरकार अवधि ऋण	1,211.48	1,156.90

निश्चित दर उपकरणों के लिए उचित मूल्य संवेदनशीलता उपकरण

कंपनी की निर्धारित उपकरणों को परिशोधित लागत के रूप में लिया जाता है। इसलिए वे ब्याज दर के जोखिम के अधिन नहीं लिया जाता है चूंकि बाज़ार दरों में बदलाव की वजह से न तो लिए गए राशि या भविष्य में नकद प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा।

ईक्विटी मूल्य जोखिम

उद्कृत ईक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश के बाज़ार संबंधी मूल्य में परिवर्तन हेतु ईक्विटी मूल्य जोखिम निर्भर है। कंपनी के मामले में, ईक्विटी शेयरो में एकमात्र निवेश अनिश्चित है और कंपनी को ईक्विटी मूल्य जोखिमों का प्रकट नहीं करना है, हालांकि संचालन और सामान्य कारोबार के कारण विभिन्न रिपोर्टिंग अवधि में किए गए मूल्योत्कन के आधार पर ईक्विटी मूल्य में बदलाव हो सकते हैं जिसमें निवेशक संचालित होता है। सामान्य तौर पर, निवेश व्यापारिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता है।

ईक्विटी मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 को ईक्विटी उपकरणों की कीमतों में 5% परिवर्तन के परिणामस्वरूप क्रमशः ₹ 13.20 करोड़ और ₹ 9.90 करोड़ की बढ़ोतरी/कमी होगी।



40. आकस्मिक देयताएँ, आकस्मिक संपतियाँ और प्रतिबद्धता

₹ करोड़ में

	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
ए. प्रतिबद्धता		
कंपनी के प्रतिकूल दावों के संबंध में आकस्मिक देयताएँ जैसे आयकर, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और अन्य (₹ 198.39 करोड़ भारत सरकार ऋण पर दंड रूप ब्याज) को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया है।	218.09	203.72
बी. प्रतिबद्धताएं		
एल/सी बकाया (के लिए प्रदान नहीं)	3.30	5.09
पूँजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले ठेकों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं की गई (अग्रिम समायोजन के बाद)	21.32	54.56

41 31 मार्च, 2020 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय कुल राशि पहचाना गया और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार निम्न प्रकार प्रदान किया गया है।:

₹ करोड़ में

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
i. बकाया जो 45 दिनों से अधिक से है	-	-
ii. वर्षान्त में भुगतान नहीं की गई रकम		0.01
मूल रकम		
ब्याज रकम		
iii. धारा 18 की शर्तों में आदा की गई ब्याज की रकम वर्ष के दौरान, नियुक्त दिनांक के बाद आपूर्तिकारों को किये गये भुगतान की रकम के साथ	-	-
iv. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज और देय राशि		
अनुबंध की शर्तों के अनुसार		
जैसा की अधिनियम में विनिर्दिष्ट है		
v. वर्षान्त में उपार्जित ब्याज और अदायगी नहीं की गई ब्याज का रकम	-	-

42 भारत सरकार ऋण का मूलधन और ब्याज का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं चुकाए गए विवरण निम्नप्रकार है:

₹ करोड़ में

	मूलधन	ब्याज	कुल
पुनर्नवीकृत ऋण	122.30	145.54	267.84
योजना ऋण	359.89	492.93	852.82
गैर-योजना ऋण	20.77	34.32	55.09
कुल	502.96	672.79	1175.75



43 अन्य प्रकटीकरण :

- ए. भारत सरकार ने ऋणों पर दण्ड स्वरूप ब्याज ₹ 198.39 करोड़. (पिछले वर्ष ₹ 183.15 करोड़) की मांग नहीं उठाई है। हालांकि, यह वास्तविक में आकस्मिक देयाताओं के तहत दिखाया गया है।
- बी. वर्ष के दौरान, यूआईआईसी से वार्धा चर्कवात के पूर्ण और अंतिम निपटान के 50% शेष प्राप्य ₹ 7.50 करोड़ के मुकाबले के लिए ₹ 6.74 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 0.75 करोड़ रूपये के अंतर का दावा किया गया था।
- सी. अन्य आय ₹ 0.58 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.58 करोड़) जिसमें सीपीसीएल को एलपीजी पाइपलाइन के लिए आवंटित क्षेत्र के लिए प्राप्य किराया शामिल है, करार का पुनरीक्षण कार्य जारी है।
- डी. कंपनी विहित वर्ष 2020-21 के लिए उर्वरक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है और अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है।
- ई. वर्ष 1989 में चेन्नै मेट्रोपालिटन वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड (सीएमडब्ल्यूएसएसबी) द्वारा कोडुंगैयूर में टीटीपी संयंत्र के लिए 43.13 एकड़ भूमि को 33 वर्षों की लीज अवधि के लिए आवंटित किया गया था। कंपनी द्वारा टीटीपी संयंत्र के लिए 20.224 एकड़ के अधिशेष भूमि का उपयोग न करने हेतु भूमि को वापस दिया गया, मगर सीएमडब्ल्यूएसएसबी ने उसे वापस लेने में इनकार कर दिया। समझौता बातचीत होने के बाद, सीएमडब्ल्यूएसएसबी ने जून 2017 तक लीज किराया की भुगतान के लिए चरणबद्ध ढंग से ₹ 5.64 करोड़ थी और उस पर आधारित कंपनी ने अब तक ₹ 3.10 करोड़ की राशि की भुगतान किया गया। जुलाई 2017 से लीज किराया का भुगतान तिमाही आधार पर किया जा रहा है। इस संबंध में समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर कार्य देय है। पट्टे के किराए के प्रति देयता अभी तक निर्धारित नहीं हुई है, कंपनी ने 1989 से 2017 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे के किराए पर सेवा कर के लिए आकस्मिक देयता के तहत ₹ 0.85 करोड़ दिखाए हैं।
- एफ. 01 दिसंबर, 2016 से रूग्ण औद्योगिकी कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम (एसआईसीए) को निरस्त किया गया है और उक्त तारीख से औद्योगिकी और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीएफआईआर) को विघटित किया गया है। नेशनल कंपनी विधि प्राधिकरण (एनसीएलटी) को कंपनी द्वारा रिवाईवल प्रस्ताव फाइल करने के लिए विकल्प अनुसरण पर है। हालांकि, पीडीआईएल की रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी ने अपने विचार के लिए उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के साथ वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
- जी. भारत सरकार, व्यापार प्राप्य/देय और ऋण और अग्रिम के लिए ऋण के संबंध में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

44 विनियम दर उतार चढ़ाव

दावा अन्य आय में शामिल विनियम दर में उतार चढ़ाव INR 0.01 करोड़ है। (पिछले वर्ष व्यय INR 1.97 करोड़)

45. एस 108 'अपरेटिंग सेगमेंट' के रूप में इंडस्ट्रीस के रूप में प्रकटीकरण

ए विभाजन के आधार

कंपनी के मामले में, निदेशक मंडल/सीएमडी को सीओडीएम माना जाता है। निदेशक मंडल/सीएमडी कंपनी की कार्य निष्पादन की समीक्षा करता है और कंपनी के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई विभिन्न प्रबंध सूचना रिपोर्टों के आधार पर संसाधन आवंटित करता है।

सीओडीएम मुख्य रूप से दो खंडों के रूप में कंपनी के कार्य निष्पादन की समीक्षा करता है:

- उर्वरक (यूरिया और एनपीके)
- अन्य क्रियाकलाप (व्यापार क्रियाकलाप और जैव उर्वरक)

हालांकि, रिपोर्टित राजस्व के अन्य गतिविधियों से प्राप्त राजस्व 5% से कम है और इन गतिविधियों के लिए कोई महत्वपूर्ण संपत्ति नियोजित नहीं की जाती है, इसलिए प्रबंधन का मानना है कि कंपनी के पास केवल एक रिपोर्ट करने योग्य खंड है जो उर्वरक की बिक्री के निर्माण से संबंधित है।

बी भौगोलिक सूचना

रिपोर्टित भौगोलिक सूचना कंपनी के राजस्व (अर्थात भारत) और अन्य देशों द्वारा कंपनी के राजस्व तथा गैर-चालू परिसंपत्तियों का विश्लेषण करती है। भौगोलिक सूचना को पेश करने में, राजस्व ग्राहकों के भौगोलिक स्थान पर आधारित है और गैर-चालू संपत्तियों का विवरण संपत्तियों के भौगोलिक स्थान पर आधारित है। चूंकि कंपनी भारत के भीतर उर्वरकों के निर्माण और बिक्री के संचालन में है, इसलिए पूरा राजस्व घरेलू है और सभी गैर-चालू संपत्तियाँ केवल भारत में स्थित हैं।

सी प्रमुख ग्राहक - लागू नहीं

46 आयकर

वर्ष के दौरान आयकर देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि संचालन के परिणामस्वरूप हानि हुई है और रूग्ण कंपनी होने के कारण कंपनी एमएटी के लिए उत्तरदायी नहीं है।



47 सरकारी अनुदान और सब्सिडी

भारत सरकार द्वारा निर्धारित पद्धतियों में गोदामों में प्राप्त यूरिया पर नए मूल्य निर्धारण योजना के तहत सब्सिडी दी जाती है। इनपुट कीमतों वार्षिक वृद्धि / डी-एस्केलेशन के लिए क्रेडिट/डेबिट को सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के पहले अनुमानों के आधार पर माना जाता है। प्राप्त वर्ष पर, अगर हो तो, भिन्नता पर समायोजन किया जाता है।

सरकार के पोषक युक्त सब्सिडी नीति (एनबीएस) के अंतर्गत फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के लिए सब्सिडी दी जा रही है।

नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस) के अंतर्गत यूरिया के लिए सब्सिडी

इनपुट मूल्यों में वृद्धि/डी-एस्केलेशन का कारण वास्तविक मूल्यों के वार्षिक संशोधन के आधार पर निर्भर है। तदनुसार ₹144.46 करोड़ (पिछले वर्ष देय ₹144.92 करोड़) की राशि को वर्ष 2019 - 20 के लिए एफआईसीसी से इनपुट मूल्यों की वार्षिक वृद्धि के लिए प्राप्त किया गया है।

02 अप्रैल, 2014 को उर्वरक मंत्रालय द्वारा घोषित संशोधित एनपीएस।। नीति में प्रस्तावित ₹ 350/एमटी की अतिरिक्त निश्चित लागत होने के साथ सब्सिडी में ₹16.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹14.14 करोड़) की राशि शामिल है और 13 मार्च, 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडल समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित और नाथ्या से आरएलएनजी मे फीड स्टॉक के रूपांतर के लिए रु. 150/एमटी का अतिरिक्त निश्चित लागत लाभ होने पर रु.4.88 करोड़ की राशि सीसीईए की उक्त स्वीकृति के अनुसार रु.350/एमटी का यह अतिरिक्त मुआवजा 2014-15 से लंबित है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	वर्ष	राशि (₹ करोड़)
1	2014-15	11.43
2	2015-16	13.62
3	2016-17	15.70
4	2017-18	15.46
5	2018-19	14.14
	कुल	70.35

I संपत्तियों का हानि

एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड इंजीनियर और मूल्यांकक द्वारा एक विस्तृत मूल्यांकन किया गया है और उनकी रिपोर्ट के अनुसार 31.03.2020 को कंपनी द्वारा हानि की ओर कोई समायोजन नहीं माना जाता है। प्रमुख संयंत्र और उपकरणों की निवल बिक्री मूल्य का आकलन उस तारीख के पुस्तक मूल्य के अनुसार किया गया है, जो नीचे दिया गया है:

संयंत्र	31.03.2020 तक		31.03.2019 तक	
	निवल बिक्री मूल्य	पुस्तक मूल्य	निवल बिक्री मूल्य	पुस्तक मूल्य
अमोनिया	399.20	136.24	330.12	93.01
यूरिया	75.88	24.82	70.59	25.04
एनपीके	15.30	3.68	13.98	4.56
उपयोगिता औ	30.28	9.50	28.17	9.70

48 वित्तीय विवरणों में प्रति शेयर डाटा को छोड़कर और बताए गए अनुसार ₹ करोड़ (दो दशमलव तक) में प्रस्तुत की जाती है। कुछ राशि को राउंडेड ऑफ करने के कारण दिखाई नहीं देती है, उसे अलग से प्रकट की जाती है।

49 मानकों को जारी किया गया लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं है

एस 116 'पट्टे'

कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों के बाद लेखांकन नीतियों पर इंड्स एस 116 के रूप में स्वीकृत की है और संभावित प्रभाव का मूल्यांकन किया है तथा यह उसी स्वीकृति पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं होने की उम्मीद करता है।

इंड एस 21 'विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन'

इंड एस 21 के रूप में संशोधन अग्रिम में भुगतान या प्राप्त विदेशी मुद्रा विचारों के लिए संस्थाओं पर लागू होता है। इस तरह के लेनदेन की तारीख के अनुसार स्पॉट दर का उपयोग करके संशोधन को अग्रिम भुगतान या स्थगित देयता की आवश्यकता होती है। कंपनी ने वित्तीय नीतियों में लेखांकन नीतियों पर इंड एस 21 को अपनाने के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन किया है और इसकी अपेक्षा करने के लिए कोई प्रभाव नहीं है।



50 पुनःसमूल/पुनः वर्गीकरण

पिछले वर्ष के आंकड़े वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण और प्रकटीकरण के अनुरूप होने के लिए पुनःसमूहित /पुनः वर्गीकृत किए गए हैं।

51 विशेष बैंकिंग व्यवस्था

वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार के उर्वरक सब्सिडी के लिए ₹ 307.67 करोड़ पंजाब नैशनल बैंक के विशेष बैंकिंग व्यवस्था ऋण प्राप्त हुआ। (₹ 307.47 करोड़ का यूरिया सब्सिडी और ₹ 0.20 करोड़ एनपीके में सब्सिडी)

52 चल अचल संपत्ति और भंडार व पुर्जों का भौतिक सत्यापन

भंडार और पूजा और आंतरिक लेखापरीक्षा और स्टॉक लेखापरीक्षा के लिए वर्ष के दौरान एक स्वतंत्र सीए फर्म को नियुक्त किया गया है। भौतिक सत्यापन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है और वर्ष के दौरान 310 वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित रूप से चल संपत्ति और भंडार और पुर्जों के एक हिस्से को मंजूरी दे दी गई थी।

53 वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान भुगतान के लिए प्रदान किए गए ₹ 2.52 करोड़ का प्रवेश कर नहीं हटाया गया है, क्योंकि इस संबंध में आईटीसी लिमिटेड द्वारा तमिलनाडु सरकार के खिलाफ दायर अपील का निपटारा नहीं किया गया है। मांग के अनुसार, भुगतान के लिए कंपनी द्वारा लेखांकन में प्रावधान के रूप में उक्त राशि वरकरार रखी गई है।

2009-10 से 2017-18 की अवधि के लिए लेख में प्रदान किए गए ₹ 2.51 करोड़ के अन्य आईटीसी-वैट का भुगतान, उपोत्पाद कार्बन-डाइ-ऑक्साइड की बिक्री पर प्राप्त आईटीसी की ओ. बिक्री के पूरा होने पर प्रभावित होगा संबंधित वर्षों का कर निर्धारण और मांग नोटिस जारी करना। इसलिए उक्त राशि को कंपनी की लेखों में प्रावधान के रूप में रखा गया है।

टीएनजीएसटी अधिनियम, 1959 के 3(4) के अधीन वर्ष 2002-03 से 2005-06 तक के लिए कर ₹ 7.78 करोड़ जो कि सामान्य रूप से अपनाए गए भटकाव द्वारा वाणिज्यकी कर अधिकारियों द्वारा 2001-02 तक अधिकारियों द्वारा निहित एक सूत्र से मांग की गई अंतर कर का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि उक्त वर्षों के बिक्री कर निर्धारण के दौरान उसी का अंतिम रूप दिया जाएगा, यह राशि लेखांकन में देयता के रूप में रखी गई है।

54 निवेश संपत्ति

विजयवाड़ा में जैव उर्वरक संयंत्र में निवेश संपत्ति एक स्वतंत्र सनदी इंजीनियर द्वारा संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया है और मणिलि में निवेश संपत्ति सरकार के दशानिर्देश मूल्य के आधार पर है।

55 कंपनी ने टीएनटीआरएनएससीओ द्वारा 400 केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए भूमि आर्बिट करने पर सहमति चकत्त की है, क्योंकि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए टीएनटीआरएनएससीओ द्वारा अनुमान लगाया गया है। टॉवर कंपनी के परिसर के अंदर और लगभग 410 मीटर ट्रांसमिशन लाइन कंपनी परिसर के अंदर से निकाला गया है।

/कृते एवं बोर्ड की तरफ से/

यू सरवणन
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

लाल संगलूर
निदेशक

श्री प्रिया रंजन पांडा
महाप्रबंधक - वित्त और लेखा (ए/सी)

डॉ. गिरीश कुमार
कंपनी सचिव

अगस्त 28, 2020

हमारे रिपोर्ट की समसंख्या तारीख

कृते जे वी रामानुजम एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार,
एफआरएन 002947S

सी.ए.श्री नारायणा जकोटिया
साझेदार
एम.सं- 233192

अगस्त 28, 2020



This page is intentionally kept blank



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

BOARD OF DIRECTORS (As on 04.12.2020)

CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Shri U Saravanan

DIRECTORS

Shri Lalsanglur

Shri Harsh Malhotra

Shri Mohammad Bagher Dakhili

Shri Babak Bagherpour

Shri Farzad Bahrami Bavani

EXECUTIVES

Shri U Saravanan
Chairman & Managing Director

Shri Harsh Malhotra
Director (Technical)

Shri A L Prabhakar
Chief Vigilance Officer

Shri Priya Ranjan Panda
General Manager - Finance & Accounts (a/c)

Dr. Girish Kumar
Company Secretary



CONTENTS

	Page No
Chairman's Speech	3
AGM Notice	5
Directors' Report	11
Report on Corporate Governance	26
Comments of the Comptroller and Auditor General of India	58
Independent Auditors' Report	67
Balance Sheet	78
Statement of Profit & Loss	80
Cash Flow Statement	82
Notes to the Financial Statements	85

Registered Office

Manali, Chennai – 600 068
Tamil Nadu, India

Principal Bankers

State Bank of India

Auditors

J V Ramanujam & Co
Chartered Accountants
F1, "Lakshmi", New No. 56, Old No.28
Third Main Road
Raja Annamalaipuram
Chennai 600 028



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

MANALI, CHENNAI 600068

54th Annual General Meeting

Chennai

29th December 2020

CHAIRMAN'S SPEECH



SHRI U SARAVANAN
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Dear Shareholders, Ladies & Gentlemen

Very good morning to all of you!

It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to you all to the 54th Annual General Meeting of your company. The Directors' Report and the Audited Accounts for the Financial Year ended March 31, 2020 have been with you and, with your consent; I shall take them as read.

In view of the massive outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, AGM is being held through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM).

Before I speak to you about the performance of your company, let me briefly highlight the economic scenario in which your Company is operating.

Economic Scenario

The important economic measures announced by the Government of India in 2019-20 were hike in minimum support price of agriculture crops, reduction in corporate tax rate, special programs for MSMEs and digital payment.

Fertilizers remain indispensable for agriculture productivity. In other words availability of sufficient Fertilizers were absolutely essential for sowings of Kharif and Rabi Crops. However, Agriculture and Fertilizers Sectors continue to face challenges due to COVID 19 pandemic.

During 2019-20, the country received very good rainfall with prolonged monsoon. Excessive rains received in North and Central Kerala, Kodagu, Chickamagalur and Hassan. Due to adequate water in Reservoirs, crop coverage of Rabi seasons was normal during summer in irrigated belt and good consumption of fertilizer was observed.

The consumption of Urea and NPK have increased in MFL's territory because of favourable agricultural situation prevailed. The consumption of Urea has increased in MFL's territory over Corresponding Period Last Year (CPLY) by 10.5% and NPK by 20.3% over CPLY.

Production Performance Highlights of MFL in Financial Year 2019-20

I am happy to say that your Company has, after a long awaited time, achieved and successfully completed the feedstock conversion from Naphtha to RLNG for Ammonia production.

Further, some of the activities undertaken to bring down energy levels are listed below:

- Installation of CT Cells M & N: After commissioning of these 2 cells during July 2019, the availability of Total Number of Fans increased to 14, High cooling water temperature problem totally eliminated even during summer and taking preventive maintenance of fans becomes easy without affecting plant loads;
- The replacement of RO Stream membranes along with TTRO water for CW make up from Oct 19, has made significant improvement in CW quality & Cooling Tower Cycles of Concentration which helped in reduction of chemical consumption and frequent leaking / failure of CW exchangers. This has improved the on-stream efficiency of the exchanger and ultimately plant loads;
- RLNG feed as fuel for 110 Boiler & PC Boiler in place of FO, has resulted in reduction of stack temperature, thereby boiler efficiency improved with good environmental conditions;



- Replacement of Urea Reactor Liner has improved the conversion ratio thereby reduction in energy & increase in on-stream efficiency of Urea plant;
- After Feed stock and Fuel conversion to reformers, burner conversion efficiency has increased excess air levels brought down which resulted in fuel consumption;
- Installation of Advance Process Control for Ammonia and Urea Plants have fetched considerable energy reduction to the tune of 0.2 Gcal per MT Urea;

Your Company's operations ended up with a loss of ₹ 55.62 Cr during Fiscal 2019-20 as against a loss of ₹ 83.24 Cr in the previous year due to incurrance of huge interest cost and Complex Fertilizer Plants were not in line for the first two quarters owing to working capital crisis.

At the close of March 31, 2020, totally 2181 days were completed without any lost time accident covering 7.78 million man-hours (Previous best achieved was 5.66 million man-hours).

Sales Performance

I am proud to state that your Company has achieved sales of 3.24 Lakh MT of Vijay Neem Coated Urea and 66,000 MT of Vijay 17-17-17, which is 139% increase over previous year.

Your company is taking up intensive promotional campaigns which help in improving our products' branding.

Apart from selling agricultural inputs, farmer services like soil sample analysis and recommendation of fertilizer dosage based on soil test report, educating the farmers on weather, crop insurance and other improved farm technologies were offered.

As part of "Swachh Bharat Mission", Marketing of City Compost, a product from Municipality / Factory waste has been undertaken and 12040 MT sold, which is 49% increase over previous year. With respect to City Compost sale, Your Company stood as topper in Tamil Nadu and has reached the 6th position on All India basis.

As part of the Government of India's initiative, MFL organized Farmers Interactive Session in co-ordination with State Department of Agriculture.

During the countrywide lockdown due to COVID 19 pandemic from March 25, 2020, Your Company Plants were running successfully and products were transported and dispatched to dealer point with the support of Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India and Government of Tamil Nadu. The above achievement could be made with sheer dedication of employees coupled with the appropriate and adequate precautionary measures taken by the Management.

Corporate Social Responsibility (CSR)

During the year 2019-20, your Company has spent a total sum of ₹ 9,24,000/- in various CSR activities viz., donations of food materials for flood affected public

in Nilgiris District, contribution to Armed Forces Flag Day Fund, supply of potable water through pipelines to Harikrishnapuram Village in Manali and supply of school bags and kits to Students of Government School at Mathur.

Future Outlook

Dear Shareholders, your Company has submitted a Revival Proposal to Government of India through Department of Fertilizers, for its favorable consideration.

- Your Company has initiated the study of Business Diversification keeping in view of Atma Nirbhar Bharat Abhiyan. After in-depth deliberations, by an Expert Working Committee a report has been submitted in which three products have been emerged viz., Methanol, Liquid Nitrogen Production and Production of special grades of Complex Fertilizers. Subsequently, the High Level Execution Committee has been formed to explore the possibility of execution of above mentioned products in future.
- Further, your Company has, in addition to production of Complex fertilizers, also proposed to start trading of complex fertilizers to augment revenue.
- Your Company has awarded Energy Reduction scheme study to M/s HTAS to bring down energy further down to 6.3 Gcal per MT Urea;
- Replacement of E1901 (Ammonia condenser) and K1601 (Syn Gas compressor) intercoolers with Duplex tubes improved metallurgy to prevent frequent tube failures and improve on-stream efficiency of Ammonia Plant;
- Fuel conversion from FO to RLNG for Utility Boiler 2 for energy efficiency and environmental friendly;
- Installation of Dedicated RO Plant to improve water quality.

Acknowledgement

On behalf of the Board of Directors, I sincerely thank the shareholders, customers and all stakeholders for their continued support in the Company's future endeavours. I would like to place on record the sincerity, hard work, commitment and dedication of the employees. I am grateful to the Government of India and the Government of Tamilnadu for their assistance and cooperation.

I also express my sincere thanks to SEBI, NSDL, Stock Exchanges, State Bank of India, Indian Oil Corporation and Institutions for the support and coordination given to the company regularly. It will certainly be our endeavor to put in our best efforts for sustained growth, expansion and prosperity of the Company benefitting all stakeholders.

I look forward to seeing you in person at the next year AGM.

Thank you and Jai Hind!

U Saravanan
Chairman & Managing Director



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

(A Government of India Undertaking)

CIN – L32201TN1966GOI005469

Regd. Office : Post Bag No.2, Manali, Chennai 600 068 Tel.044-25942281 / 25945489

Website : www.madrasfert.co.in email: cs@madrasfert.co.in

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 54th Annual General Meeting (AGM) of Madras Fertilizers Limited will be held on 29th December, 2020 at 11.00 a.m. through Video Conference ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following businesses:-

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet of the Company as at March 31, 2020 and the Statement of Profit & Loss for the year ended on that date together with the Reports of Directors' and the Auditors thereon.
2. To fix remuneration of Statutory Auditors for the Financial Year 2020-21 and in this regard to consider if thought fit to pass with or without modification(s), the following resolution as an ORDINARY resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 142(1) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the Statutory Audit Fee for the financial year 2020-21 be and is hereby fixed at ₹ 4,00,000/- to M/s.Anand & Ponnappan (MD 0327), Statutory Auditors, subject to other terms and conditions laid down by the C&AG vide letter No.CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, MFL(1)/89 dated 10.08.2020".

3. To appoint a Director in place of Shri Lalsanglur (DIN 08118636), Director, who retires by rotation and being eligible offers himself for re-appointment in this regard, to consider and if thought fit, to pass the following resolution as an Ordinary Resolution.

"RESOLVED THAT Shri Lalsanglur (DIN 08118636) who retires by rotation in terms of Section 152 of Companies Act, 2013 and being eligible, be and is hereby re-appointed as Director of the Company whose office shall be liable to retirement by rotation".

SPECIAL BUSINESS

4. To consider and, if thought fit, to pass with or without modifications the following resolution as an Ordinary resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of section 148 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act 2013 read with Companies (Audit and Auditor) Rules 2014, Mrs. Aruna Prasad (M No.11816), Cost Accountant, appointed by the Board as Cost Auditor to consider the cost audit of the Company for fertilizers for the financial year 2020-21 as per the directions issued by the Central Government at a fee of ₹ 1,00,000/- plus taxes besides reimbursement of travelling and out of pocket expenses at actuals be and is hereby ratified."

By Order of the Board

Chennai

Dec 04, 2020

U Saravanan

Chairman & Managing Director

DIN : 07274628

Note :

1. In view of the massive outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, physical attendance of the Members to the AGM venue is not required and annual general meeting (AGM) be held through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM). In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM.
2. Pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs, the



- facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.
3. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.
 4. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
 5. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as venue voting on the date of the AGM will be provided by NSDL.
 6. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Company at www.madrasfert.co.in. The Notice can also be accessed from the website of the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and the AGM Notice is also available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.
 7. The Register of Member and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23.12.2020 to 29.12.2020 (both days inclusive).
 8. As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listed companies can be transferred only in dematerialized form with effect from, April 1, 2019, except in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with physical shares and for ease of portfolio management, members holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Members can contact the Company or M/s. Integrated Registry Management Services Pvt Ltd., (IRMSPL) Kences Towers, II Floor, No.1, Ramakrishna Street, T Nagar, Chennai 60017, the Registrar and Transfer Agents and Depository Participants of the Company for assistance in this regard and all correspondences with regard to transfer of physical / electronic shares etc. may be addressed to them directly.
 9. To support the 'Green Initiative', Members who have not yet registered their email addresses are requested to register the same to their DPs in case the shares are held by them in electronic form. In case the shares are held by them in physical form, members are requested to register their email address to IRMSPL, Registrar and Transfer Agents and Depository Participants of the Company.
 10. Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., to their DP in case the shares are held by them in electronic form and to IRMSPL, in case the shares are held by them in physical form.
 11. Members holding shares in physical form, in identical order of names, in more than one folio are requested to send to the Company or IRMSPL, the details of such folios together with the share certificates for consolidating their holdings in one folio. A consolidated share certificate will be issued to such Members after making requisite changes.



12. In case of joint holders, the Member whose name appears as the first holder in the order of names as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the AGM.
13. Members seeking any information with regard to the accounts or any matter to be placed at the AGM, are requested to write to the Company on or before 23.12.2020 through email on cs@madrasfert.co.in. The same will be replied by the Company suitably.
14. In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020, Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories. Members may note that the Notice and Annual Report 2019-20 will also be available on the Company's website www.madrasfert.co.in, website of the Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, and on the website of NSDL <https://www.evoting.nsdl.com>.
15. The Board of Directors has appointed M/s. V Esaki & Associates (M No.30353), Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer to scrutinize the voting during the AGM and remote e-voting process in a fair and transparent manner.
16. Members attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.
17. Since the AGM will be held through VC / OAVM, the Route Map is not annexed in this Notice.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The remote e-voting period begins on 26.12.2020 at 09.00 A.M. and ends on 28.12.2020 at 05.00 P.M. During this period, the members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on 22.12.2020 i.e. cut-off date, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Log-in to NSDL e-Voting system at <https://www.evoting.nsdl.com/>

Step 2: Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

Details on Step 1 are mentioned below:

How to Log-in to NSDL e-voting website?

1. Visit the e-voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a personal computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under "Shareholders" section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen. Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-voting and you can proceed to Step 2 i.e. cast your vote electronically.
4. Your User ID details are given below :
 - A) For Members who hold shares in demat account with NSDL - 8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID. For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
 - B) For Members who hold shares in demat account with CDSL - 16 Digit Beneficiary ID. For example, if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
 - C) For Members holding shares in Physical Form - EVEN Number followed by Folio Number registered with the Company. For example, if EVEN is 123456 and folio number is 001*** then user ID is 123456001***.
5. Your password details are given below:
 - a) If you are already registered for e-voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
 - b) If you are using NSDL e-voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you by NSDL. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.



- c) How to retrieve your 'initial password'?
- If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL in your mailbox from evoting@nsdl.com. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
 - In case you have not registered your email address with the Company/Depository, please follow instructions mentioned below in this notice.
6. If you are unable to retrieve or have not received the 'initial password' or have forgotten your password:
- Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - "Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.
 - Members can also use the one-time password (OTP) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
7. After entering your password, click on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on "Login" button.
9. After you click on the "Login" button, Home page of e-voting will open.

Details on Step 2 are mentioned below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-voting system?

- After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-voting. Click on e-voting. Then, click on Active Voting Cycles.

- After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
- Select "EVEN" of the Company for which you wish to cast your vote.
- Now you are ready for e-voting as the Voting page opens
- Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
- Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for Shareholders

- Government / Institutional / Corporate Shareholders (i.e. other than individuals / HUF, NRI, etc.) are required to send a scanned copy (PDF/JPG Format) of its Board or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to attend the AGM through VC / OAVM on its behalf and to vote through remote e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Scrutinizer by email through its registered email address to esakics@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on <https://www.evoting.nsdl.com> to reset the password.
- In case of any queries relating to e-voting you may refer to the FAQs for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of <https://www.evoting.nsdl.com> or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in.



Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice :

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to corpserv@integratedindia.in.
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to corpserv@integratedindia.in.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access the same at <https://www.evoting.nsdl.com> under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and

Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush. Further members can also use the OTP based login for logging into the e-Voting system of NSDL.

2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
5. Shareholders who would like to express their views/ have questions may send their questions in advance mentioning their name demat account number/folio number, email id, mobile number at (company email id). The same will be replied by the company suitably.

Other information:

1. The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the AGM, first count the votes cast during the AGM, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the AGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.
2. The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.madrasfert.co.in and on the website of NSDL <https://www.evoting.nsdl.com> immediately. The Company shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited.
3. **The Explanatory Statement pursuant to Section 102 (1) of the Companies Act, 2013:**

Item No.4: Appointment of Cost Auditor for the year 2020-21

As per Sec. 148(3) of the Companies Act, 2013 read with Companies (Cost Records and Cost Audit) Rules,



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

2013, the cost Auditor should be appointed by the Board on such remuneration which may be ratified by the members in General Meeting.

Accordingly, the Board in its 312th meeting held on August 13, 2020 has approved the appointment of Mrs. Aruna Prasad, Cost Auditor, for conducting the Cost Audit of the Company for the year 2020-21 at the remuneration of ₹ 1,00,000/- plus taxes besides reimbursement of travelling and out of packet expenses at actuals. Mrs. Aruna Prasad, has also communicated her willingness to take up the assignment.

In accordance with the provisions of Sec 148(3) of the Companies Act, 2013 the remuneration fixed for the Cost Auditor has to be ratified by the members in the General Meeting. Accordingly, the above proposal has been submitted for ratification of the members.

Chennai
Dec 04, 2020

By Order of the Board
U Saravanan
Chairman & Managing Director
DIN : 07274628



DIRECTORS' REPORT

The Shareholders
Madras Fertilizers Limited

Your Directors have pleasure in presenting herewith the 54th Annual Report together with the Balance Sheet as at March 31, 2020 and the Statement of Profit & Loss for the year 2019-20.

SUMMARY OF FINANCIAL RESULTS

	₹ Cr	
	2019-20	2018-19
Turnover	1274.39	1593.00
Profit Before Interest, Depreciation, Exceptional items and Tax	(18.21)	(6.80)
Interest	90.29	100.03
Depreciation	26.38	22.99
Exceptional items	-	-
Other Comprehensive Income	(79.26)	(46.58)
Profit / (Loss) Before Tax	(55.62)	(83.24)
Provision for Tax	-	-
Profit / (Loss) After Tax	(55.62)	(83.24)
Cash Profit / (Loss)	(29.24)	(60.25)

The Company's operations for the year ended with a loss of ₹ 55.62 Cr.

REVIVAL

The Company has submitted a Revival Proposal to Department of Fertilizers, Government of India, for its consideration.

DIVIDEND

The Company does not propose to declare any Dividend to shareholders during the fiscal 2020, as per the Companies (Declaration and Payment of Dividend) Rules, 2014, due to huge accumulated losses (₹ 805.42 Cr) and negative net worth (₹ 630.89 Cr) as on March 31, 2020.

HIGHLIGHTS OF PLANT PERFORMANCE

- During the year 2019-20 MFL has produced **345150 MT** of Neem Coated Urea and **65000 MT** of NPK 17-17-17 Complex fertilizers.
- Feed Stock Conversion from Naphtha to RLNG was successfully completed, and plants were started back smoothly and Urea production commenced on July 28, 2019.
- Urea production of 46040 MT in Feb 2020 is the highest-ever in any February month since inception.
- NPK A train was started back after a long shutdown of 7 years and Production commenced on 6th Jan 2020.
- During the countrywide lockdown due to COVID 19 pandemic situation from March 25, 2020, Urea production and despatch were not affected, because of the appropriate and adequate precautionary measures taken by the management.
- Achieved Ammonia and Urea Energy of **10.659 & 7.873 GCal/MT** respectively.
- Urea plant production of 100% and above was achieved for 146 Days out of 243 days during this year.
- TTRO water from M/s CMWSSB receipt commenced from October 2019, and Cooling water cycles of Concentration has improved, thereby reduction in make up water quantity and other chemicals.
- At the close of Mar 31, 2020, 2181 days were completed without any lost time accident covering 7.78 million man-hours. (Previous best Achieved - 5.66 million man-hours.)

MARKETING PERFORMANCE

Fertilizer Sales

- ❖ Achieved 3,23,764.200 MT of Vijay Neem Coated Urea sales. (Total consumption 2019-20 : 56,30,671 MT and CPLY : 50,96,421 MT).



- ❖ Sold the total available quantity of 65,516.65 MT of Vijay 17-17-17, which is **139 % increase** over CPLY of 27,429.55 MT

Organic Manures, Neem Pesticides & Bio-Fertilizers Sales

- ❖ Under “Swachh Bharat Mission”, **marketing of City Compost**, a product from Municipality/Factory waste, has been undertaken and 12040.50 MT was sold, which is **49% increase** over CPLY of 8087 MT
- ❖ With respect to City Compost sales, MFL **proud to be a TOPPER in Tamilnadu and reached 6th position on All INDIA basis.**
- ❖ In addition to City Compost, under “Basket Approach” sold 2807.80 MT of Vijay Organic, which is 210% increase over CPLY of 905 MT.
- ❖ Sold 73.42 KL of Vijay Neem,
- ❖ Sold 46.40 MT of Vijay Bio Fertilizers.

MARKET DEVELOPMENT & AGRO-SERVICE PROGRAMMES:

MFL’s Marketing personnel have contacted 25107 farmers during the year and continuously imparted knowledge to farmers on use of eco-friendly products for soil health, soil fertility, Soil vitality and balanced fertilization (Integrated Nutrient Management), by direct farmer contact, soil sample collection, method demonstrations and farmer seminar in coordination with State/Central Agricultural extension departments.

Under corporate social responsibility to farming community, Marketing personnel had collected 4036 soil samples, got analyzed and communicated to the farmers about the micro & macro nutrient recommendations of various crops to farmers during the year.

In pursuance to the Prime Minister’s Mission on empowering the Farmers vide Supportive Schemes & Education on farming techniques, MFL continues its service to the farmers through “Kisan Suvidha Kendra” at Gangavathy and Shimoga in Karnataka State. Farmer

services like soil sample analysis and recommendation of fertilizer dosage based on soil test report, educating the farmers on weather, crop Insurance and other improved farm technologies were offered.

As a part of Government of India’s initiative for strengthening farming community, MFL organized a Farmers’ Interaction Session in coordination with State department of Agriculture, where the standing parliamentary committee on Chemicals & Fertilizers headed by Mrs. Kanimozhi Karunanidhi made a study tour visit on 24.01.2020 and had an interaction with around 1000 farmers at a village nearby Vellore of Tamilnadu regarding present demand and availability of fertilizers.

DBT Implementation

- ❖ In order to sustain sales thru PoS machines and to comply with PAN India implementation through DBT, MFL is educating the wholesalers and retailers on importance of PoS sales consistently.
- ❖ Generated all subsidy bills up to date. We are much ahead among many of our competitors and no issues of DBT pending with NIC / DOF.

	Vijay Neem Coated Urea	Vijay 17-17-17
Bills generated - Qty (MT)	3,29,752.218	62,843.816
Bills generated - Value (Cr.)	1,062.98	48.33

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

The Company entered into MOU with Department of Fertilizers (DOF), Government of India for the year 2019-20 on May 05, 2019 setting up targets for performance of the Company in terms of static and dynamic parameters.

VIGILANCE

ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF VIGILANCE DEPARTMENT DURING 2019-20

- ❖ Complaints received were attended and reports submitted as per Complaints Handling Policy of the



Company / Central Vigilance Commission (CVC) guidelines.

- ❖ Continuously monitoring the progress of the Disciplinary Proceedings in respect of Vigilance Cases for timely completion.
- ❖ Agreed List of Suspected Officers and List of Officers of Doubtful Integrity were finalised and sent to DoF.
- ❖ CVC Guidelines / Circulars on Tenders and Disciplinary Proceedings and other matters as and when received were communicated to Management for necessary action.
- ❖ As per the Central Vigilance Commission, CVO had four Structured Meetings with the CMD, MFL on 21.05.2019, 27.09.2019, 13.12.2019 & 29.01.2020 and pending issues were discussed and suggestions given to the Management.
- ❖ For all the Tenders with value more than Rs. 2 lacs e-Tendering and e-reverse auction method is being followed.
- ❖ Annual Property Returns of the Officers were scrutinized as per CVC guidelines.
- ❖ For easy reference, CVC Guidelines / Circulars on Tenders were uploaded in MFL's Online Integrated System (OLIS).
- ❖ MFL observed Vigilance Awareness Week 2019 from 28.10.2019 to 02.11.2019 as directed by CVC. The following are the highlights:
 - On October 28, 2019, Vigilance Awareness Week pledge was administered to all employees at 1100 hours in the Administrative Building by Shri A L Prabhakar, CVO, MFL.
 - On Oct 28, 2019, a Workshop was conducted by **Shri C Kamal Kumar, IOFS, Director – Vigilance (South), Ordnance Factory, Chennai, on Preventive Vigilance**. The Workshop was well received by a house full attendance in the Training Centre Auditorium of MFL.
- On Oct 29, 2019, a Quiz Competition was conducted for the Employees at the Training Centre. Six Teams consisting of 2 Employees per Team enthusiastically participated in the competition.
- On Oct 30, 2019, a Keynote Address on **“Integrity – A way of life”** was delivered by **Shri M Rathinasamy, IRS, Additional Director General, Income Tax (Vig) South, Chennai**. In this lecture, he dealt at length the topic of Integrity. The lecture was well received by the audience in the Training Centre Auditorium of MFL.
- Essay competitions (in English & Tamil) on the topic viz., “Integrity – A way of life” was held for students of two neighbouring schools to create awareness and to involve the youth in Vigilance awareness.
- MFL Regional Offices (11) were also involved in the Vigilance Awareness Week programmes. Banners were displayed in all the Regional Offices of MFL and Customers and Citizens were educated on “Integrity – A way of life”. The Regional Offices also enabled a number of Customers and Citizens to undertake e-Pledge.
- As an endeavour of Youth Outreach, the Regional Offices organized events related to this year's VAW Theme, “Integrity – A way of life”.
- Prizes and Certificates were distributed to the Winners of the Vigilance Awareness Week competition on 15.11.2019 by Director - Technical.
- ❖ MFL Vigilance organized three Workshops as detailed below :
 - Workshop on **“e-auction”** to Officials of F&A, Technical Services, Personnel, Marketing, Maintenance, Production & Materials Management on 27.06.2019 at MFL Training Centre. Smt E Babitha Rani, M.Sc., M.B.A, Chief Manager, MSTC Ltd, A Government of India Undertaking was the Faculty.
 - Workshop on **“Rules of Public Procurement from MSME in PSUs”** to Officials of F&A, Technical Services, Personnel, Marketing, Maintenance,



Production & Materials Management on 27.08.2019 at MFL Training Centre. Dr V Ramakrishnan, Dy Director, MSME – Development Institute, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Government of India, Guindy, Chennai was the Faculty.

- Workshop on “**Tender Concepts, Public Procurement and Arbitration in PSUs**” was conducted in MFL Training Centre on 11.03.2020 by Shri K Rama Subramonia Pillai, Retd. IRAS, FA & CAO, Southern Railways, Chennai. Around 45 officials ranging from Senior Officers to DGM level participated in this highly interactive session. The Workshop covered Dos and Don'ts and common pitfall in Public Procurement, right from estimate stage to post contract stage. Many case studies were also shared during the session, enriching the awareness of the participants.

HUMAN RELATIONS AND INDUSTRIAL RELATIONS MANPOWER & TRAINING

- The total strength of MFL as on 31.03.2020 is 571 as against 593 as on 31.03.2019. 522 employees have been trained during the period Apr 2019 to Mar 2020 on Technical, Soft and Life skills for the enduring benefit and development of the Organisation.

INDUSTRIAL RELATIONS

- During the year, the overall Industrial Relation situation in the Company has been normal and cordial.

SC / ST WELFARE ACTIVITIES

- The Presidential Directives and various guidelines issued by the Government of India from time to time relating to the welfare of SC / ST employees are being scrupulously followed. A Liaison Officer for SC / ST has been posted to ensure implementation of Government Directives. SC/ST cell has been constituted for redressing the grievances of SC/ST employees.

- ₹ 60,000/- was granted for celebrating Dr. Ambedkar Jayanthi on 15th April 2019 at our Board Room and conducted in a grand manner in commemoration of National Leader.

BC/MBC/OBC WELFARE ACTIVITIES

- ₹ 30,000/- was granted for celebrating Thanthai Periyar E V Ramasamy's Birthday on 17TH September 2019 in a grand manner in commemoration of National Leader.

OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

The target fixed by Department of Official Language for letter correspondence in Hindi and other implementation programs is being taken care positively. Hindi fortnight was celebrated at Head Office and Regional Offices. Various competitions were organised and prizes were distributed. OL Inspection was done and Hindi Workshop was conducted by Shri D P Mishra, Assistant Director (OL), Department of Fertilizers, and 24 Executives participated in the Workshop. Efforts have been taken to improve the percentage of Noting in Hindi.

INVESTOR RELATIONS CELL (IRC)

IRC is functioning in the Company under the Company Secretary to create awareness of the Company's strength and ensuring timely communication to shareholders.

IMPACT OF COVID 19

MFL Products / Services are coming under the ambit of Essential Commodities Act, 1955. Accordingly, we are committed to run our Plants and production of fertilizers, its transportation and distribution as per the directives of the Government of India.

Despite of many hurdles, MFL Plants are running with the support of the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India, Government of Tamilnadu and sheer dedication of employees.



STATUTORY INFORMATION

Annual Evaluation of Board

MFL being a Government Company, all appointments in the Board are made by the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers. The performance of Directors are evaluated by the Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Fertilizers, Government of India. As per Government of India, Ministry of Corporate Affairs notification dated 5th June 2015, clause (e) and (p) of sub-section 3 of Section 134 of Companies Act 2013 relating to appointment, remuneration and Annual evaluation of Board on its performance are not applicable to MFL. However, the company is evaluating the performance of its Directors as per the guidelines issued by SEBI.

Business Responsibility Report

Clause (f) of sub-regulation (2) of regulation 34 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, stipulates that the Annual Report shall contain a Business Responsibility Report describing the initiatives taken by the listed entity from an environmental, social and governance perspective in the format specified. Accordingly, the Business Responsibility Report for FY'20 has been appended to this Annual Report.

Meeting of the Board

During the year 2019-20, five meetings of the Board of Directors were convened and held. The details of the meetings of the Board of Directors are given in the report on Corporate Governance, which is part of this report. The intervening gap between the meetings was within the period prescribed under the Companies Act 2013.

Particulars of Employees and Related Disclosures

In terms of the provisions of Section 197 (12) of the Companies Act 2013 read with Rules 5 (2) and 5 (3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, it is stated that no employee of your Company was in receipt of remuneration for any part of the year at a rate which is more than ₹ 5 lacs per month.

Directors' Responsibility Statement

Pursuant to Section 134(3)(c) of the Companies Act, 2013, your Directors hereby state that

- a) in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2020, the applicable accounting standards (Ind AS) had been followed along with proper explanation relating to material departures.
- b) the directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that year;
- c) the directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d) the directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.
- e) the directors have laid down internal financial control to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and
- f) the directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Prevention of Sexual Harassment

Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 have been provided in the Report on Corporate Governance report.



Energy, Technology & Foreign Exchange

The data on Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo in accordance with the provisions of Section 134 of Companies Act 2013 are given in the **Annexure – I** forming part of this report.

Management Discussion and Analysis Report

Management Discussion and Analysis Report, as required under Listing Agreement is enclosed as **Annexure - II** forming part of this report.

Corporate Governance

The Company is committed to maintain the highest standard of Corporate Governance and adhere to the Corporate Governance requirements set out by SEBI. The Board lays emphasis on transparency and accountability for the benefit of all stakeholders of the Company. The Report on Corporate Governance as stipulated under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 has been enclosed as **Annexure – III** forming part of the report.

Code of Conduct

Declaration affirming compliance with the code of conduct pursuant to the provisions of Regulation 17(5) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”) is enclosed as **Annexure - IV** forming part of this report.

Extract of Annual Return

As provided under Section 92 (3) of the Act, the details of extract of the Annual Return in form **MGT 9** is enclosed as **Annexure V** forming part of this report.

Auditors

a) The Comptroller & Auditor General of India has appointed M/s Anand & Ponnappan (MD 0327), Chartered Accountants, Chennai, as Statutory Auditors of the Company for the year 2020-21.

b) Mrs. Aruna Prasad Cost Accountant, has been re-appointed as Cost Auditor of the Company for the year 2020-21.

c) In terms of the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder, a Secretarial Report in the prescribed format, obtained from a Company Secretary in practice, is required to be annexed to the Board’s Report. In view thereof, your Board at its 312th meeting held on 13.08.2020 has appointed M/s. V. Esaki & Associates (M.No.30353), Practicing Company Secretary, as the Secretarial Auditor of your Company. The Secretarial Auditors’ Report (**Form No.MR-3**) for the year 2019-20 is enclosed as **Annexure – VI** forming part of this report. Further, in terms of SEBI LODR Regulations, Secretarial Compliance Report has also been obtained from M/s. V. Esaki & Associates for the year 2019-20.

Audit Committee

In line with the provisions of Section 177 of the Companies Act 2013, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 an Audit Committee of the Board has been constituted. Details of Members / Meetings of the Audit Committee are elaborated in the report on Corporate Governance. The Board has accepted all recommendations of Audit Committee.

Public Deposit

The Company has not accepted any deposits from public and as such, no amount on account of principal or interest on deposits from public was outstanding as on the date of the balance sheet.

Contract or arrangement with Related Parties

The transactions entered with related parties for the year under review were on arms length basis and in the ordinary course of business. The disclosure in **Form No.AOC-2** for the transactions with related parties during the period under review is enclosed as **Annexure - VII** of the report.



Corporate Social Responsibility (CSR)

As per Section 135 of Companies Act, 2013, the CSR Committee of the Board consisting of 3 or more directors out of which one director shall be an independent Director. CSR Committee was present till June 05, 2019. Further, MFL is vigorously following up with Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India, for appointment of Independent Directors. Once the Independent Directors are appointed by DOF, GOI the Company will reconstitute the CSR Committee as per the Companies Act, 2013.

However, The Company has carried out the following CSR activities during the financial year 2019-20. The details are contained in the Annual Report on CSR activities is enclosed as **Annexure – VIII** forming part of this report.

Material changes and commitments

There were no material changes and commitments affecting the financial position of the company between the end of financial year (March 31, 2020) and the date of the report.

CEO/CFO Certification

As required by Regulation 17(8) of the SEBI Regulation, a Certificate on the Financial Statements and Cash Flow Statement of the Company for the year ended March 31, 2019 duly signed by the Chairman & Managing Director and General Manager - Finance & Accounts (a/c) was submitted to the Board of Directors at their meeting held on 28.8.2020 is enclosed as **Annexure – IX** forming part of this report.

Certificate from Company Secretary in practice pursuant to clause 10 of part c of schedule V of SEBI (LODR) Regulations, 2015

The certificate dated Aug 04, 2020 received from M/s. V Esaki & Associates, Practising Company Secretaries, confirming that none of the Directors on the Board of the company have been debarred or disqualification from

being appointed or continuing as Director of the Company by the Board / Ministry of Corporate Affairs (MCA) or any such Statutory Authority is enclosed as **Annexure - X**.

Vigil Mechanism

MFL is having vigil mechanism for directors and employees to report their concerns. The Directors and employees can approach Chairman Audit Committee of the Board directly and report their concern in appropriate case. The vigil mechanism and whistle blower policy is published in the website of the Company www.madrasfert.co.in.

Prevention of Insider Trading

No instances of insider trading have been reported on MFL shares till date. None of the directors and key managerial personnel is holding any shares in MFL. A code of conduct of prevention of insider trading and code for corporate disclosure is published in the website of the Company www.madrasfert.co.in.

APPRECIATION

Your Directors wholeheartedly place on record their appreciation for the continued and unstinted support of Department of Fertilizers, Government of India, Government of Tamilnadu, NICO, Financial Institutions, Banks, Depositors and all stakeholders during the year. It is most appropriate to mention that the Directors convey their gratitude to the Department of Fertilizers for settlement of subsidy bills on priority basis and to the dealers and farmers for their sustained support to Vijay products. Last but not the least that your Directors also place on record their appreciation for the dedication, commitment and sincere services rendered by the employees for sustained improvements.

By order of the Board

Chennai
Aug 28, 2020

U Saravanan
Chairman & Managing Director
DIN : 07274628



THE COMPANIES (DISCLOSURE OF PARTICULARS IN THE REPORT OF DIRECTORS) RULES 1988
FORM - A

Disclosure of Particulars with respect to Conservation of Energy.

		Financial Year 2019-20	Previous Year 2018-19
A. Power and fuel consumption			
1. Electricity			
(a) Purchased			
Unit (lakhs) *		878.628	944.428
Total amount (₹ in lakhs)		6913.768	7361.449
Rate / unit (₹)		7.87	7.79
* Includes power consumed at TTP, Kodungaiyur			
(b) Own generation			
(i) Through diesel generator			
Units (lakhs)		25.968	8.154
Diesel consumption (KL)		779.040	244.620
Units per ltr. of diesel oil		3.333	3.333
Cost/unit (₹)		20.56	21.36
2. Coal		Not applicable	Not applicable
3. Furnace oil & LSHS			
Quantity (tonnes)		35572	104195
Total cost (₹ in lakhs)		10002.381	37765.446
Average rate (₹ per tonne)		38118.69	36244.97
4. Others/generation:		Nil	Nil
B. Consumption per unit of production			
	FICC Norm	2019-20	2018-19
(a) Product : Ammonia			
Electricity (KWH) *	115.000	113.912	130.687
Fuel oil + LSHS (MT)	0.2341	0.0787	0.2444
Naphtha (MT)	0.7829		0.7608
* includes own generation			
RLNG(MMSCM)		0.001089	
(b) Product: Urea			
Electricity (KWH)	202.000	155.478	156.581
Fuel oil + LSHS (MT)	0.1309	0.0434	0.1211
RLNG(MMSCM)		0.000092	
(c) Product: NPK			
Electricity (KWH)	43.410	63.145	106.299
Fuel oil + LSHS (MT)	0.0069	0.0087	0.0087



FORM - B

DISCLOSURE OF PARTICULARS WITH RESPECT TO RESEARCH & DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY ABSORPTION

RESEARCH & DEVELOPMENT

1	Specific areas in which R&D carried out by the Company	NIL
2	Benefits derived as a result of the above R&D	
3	Future plan of action	
4	Expenditure on R&D	
	Capital	
	Recurring (in lacs)	
	Total (in lacs)	
	Total R&D expenditure as a percentage of total turnover	

TECHNOLOGY ABSORPTION, ADAPTATION AND INNOVATION:

1	Efforts in brief made towards technology absorption, adaptation and innovation.	Nil
2	Benefits derived as a result of the above efforts, e.g. product improvement, cost reduction, product development, import substitution, etc.	Nil
3	Details of imported technology (imported during the last 5 yrs reckoned from the beginning of the financial year	Nil

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

	2019-20
1. Activities relating to export	NIL
2. Total Foreign Exchange used	(₹ Cr)
Raw Materials	31.18
Components & Spare Parts	4.05
Books & Periodicals / Travel	0.12
Total	----- 35.35 -----
3. Total Foreign Exchange earned	NIL



MANAGEMENT DISCUSSIONS AND ANALYSIS

Business

Madras Fertilizers Limited (MFL) incorporated in the year 1966 is a PSU under the administrative control of the Department of Fertilizers (DOF), Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India.

MFL is engaged in the manufacture of Ammonia, Urea and Complex Fertilizers at Manali, Chennai. MFL is also engaged in manufacturing Bio-fertilizers and marketing of eco-friendly Organic fertilizers and Neem Pesticides under the brand name “VIJAY”.

Introduction

Agricultural Situations prevailed :

In Tamilnadu, Shortage of 15-20% rainfall during Kharif'19 impacted the coverage of major crops like paddy, maize, sugarcane, groundnut, cotton, turmeric, tapioca .etc.. But the rains received during Rabi increased the water level in all dams particularly Cauvery delta region which is mainly catered by Mettur Dam in which water has been released on 19th July 2019 against customary date of June 12th. So the major crop paddy acreage in delta districts in different seasons like Kuruvai, Samba, Thaladi & Navarai was very well covered as per normal acreage, with that the overall crop coverage and agriculture production in TN was at satisfactory level.

Telenagna State observed 15% deficit rains in kharif'19, however the rains received overall and especially in catchment areas during Rabi season resulted increased water level in major dams like Nagarjuna Sagar, Sriram Sagar and all minor reservoirs. With that, the crop coverage was normal during Kharif and 70-80% increase during Rabi 2019-20 observed.

In Andhra Pradesh, with the on the onset of South-West monsoon on 21st June 2019, Good amount of rainfall received in overall districts during August & Sept.2019, and North-East monsoon commenced in adjoining areas of Anadhra Pradesh on 16th October 2019, The water levels in all major reservoirs i.e. Srisailam and Nagarjunasagar reached full level. Overall wide crop coverage during Kharif and Rabi noticed. Paddy area increased and good farm productivity noticed during Rabi season.

In Karnataka, Monsoon was delayed and very lesser rainfall received between April to July'2019 which affected the sowings of Potato, Greengram, Maize, Sunflower, Ragi, Cotton. However, from August'2019 onwards very good rainfall received resulted in filling up of all reservoirs i.e., KRS, Kabini, Harangi and Hemavathi. Heavy rainfall in Kodagu, Chickamagalur and Hassan caused damage to Coffee, Pepper and Potato crops. Thus, 20 – 40% of yields reduced. Due to adequate water in Reservoirs, crop coverage of Paddy & Sugarcane was normal during summer in irrigated belt. Good consumption of fertilizer was observed.

North and Central Kerala affected by floods during the month of Jul-Aug'19 due to heavy rains which affected crops like Cardamom, Banana & Ginger resulted in low yield. Cardamom prices increased to Rs.4000/- per Kg due to low production, Rubber prices were as low as Rs.120/- per Kg resulting in slipping of fertilizer application. Kole paddy area reduced and summer paddy area was normal in Kerala.

**Fertilizer Sector**

(Lac MT)

PRODUCT	UREA		NPK	
	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
Sales in MFL Marketing Territory	50.96	56.31	40.99	49.33
MFL Sales	4.19	3.24	0.27	0.65

For Complex fertilizers, NBS is applicable from 1.4.2010 where subsidy is being fixed by Government on yearly basis and the MRP is allowed to be fixed by manufacturers based on market dynamics. During the year 2019-20, the subsidy for 17-17-17 allowed was Rs.7691/- as same as 2018-19.

The consumption of UREA and NP/NPK has increased in MFL's territory because of favorable agricultural situation prevailed. The consumption of UREA has increased in MFL's territory over CPLY by 10.5% and NPK/NPKS by 20.3% over CPLY. MFL's market share on Urea has decreased from 8.24% to 5.75% due to lack of production in extension of Feedstock conversion process till July 2019 and the share of NPK has increased from 0.67% to 1.33% in MFL territory

- ❖ During the year, MFL achieved Rail : Road ratio of 83:17 for Urea movement compared to CPLY of 75:25 which is an ever highest achievement against the DoF norms of 80:20.
- ❖ MFL Drastically reduced the rebates. By excluding interest rebates offered for Trade advance already collected, we allowed only Rs.0.65 lakhs against CPLY of Rs.36.54 lakhs, Rs.12.15 Crores during 2018-19, thereby a huge outgo on marketing costs has been saved.
- ❖ No Major credit periods was offered by MFL during the financial year, whereas Competitors offered various discounts/ rebates and extended credit facilities very liberally.
- ❖ Achieved 100 % for 2nd consecutive year that, all the sales transactions done by MFL were made thru RTGS only.

Global Scenario

During 2019-20, the International FoB price of Urea was in comfortable trend compared to 2018-19. It was USD 262 PMT during April'19, reached a high of USD 294 PMT by July'19, subsequently reduced to 250 USD PMT in Dec'19 and finally settled at USD 257 PMT during Jan-Mar'2020. This is in comparison with previous year range of USD 260-356 PMT.

Phosphoric acid CFR price was in downward trend. It was USD 728 PMT during April 2019 and subsequently started reducing every quarter and finally settled at USD 590 PMT during Jan-Mar'2020. This is in comparison with previous year range of USD 678-768 PMT.

MOP CFR price was USD 290 PMT during Apr-Oct'2019 and remained stable during the year and finally settled at USD 280 PMT during Nov'19 – Mar'2020. This is in comparison with previous year range of USD 240-290 PMT.



Production, Imports and Consumption of Major Fertilizers (All India Basis)

The figures of production, imports and consumption of major fertilizers viz. Urea, complexes in India for the years 2018-19 and 2019-20 are given below:

(Lakh MT)

PRODUCT	UREA		DAP		NP/NPK (Other than DAP)		MOP *	
	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20
Production	238.99	244.55	38.98	45.50	89.79	86.93	-	-
Imports	74.81	91.23	66.02	48.70	5.46	7.46	42.14	36.70
Consumption	320.13	336.95	87.34	100.99	90.41	98.57	27.34	27.87

* For direct application only, Excludes supply to NPK/Complex fertilizers units.

MFL Production of Urea / NP / NPK Fertilizers

(Lakh MT)

Year	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
NC UREA	4.07	4.68	4.19	3.94	3.45
NP/NPK	0.35	0.49	0.62	0.52	0.65

Production of Vijay Bio Fertilizers

(MT)

Year	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Quantity	349.14	276.52	110.74	83.00	150	46.400

All India Demand Forecast For Fertilizer Nutrients for the Periods 2019-20 to 2021-22

(Lakh MT)

Period	N	P	K	Total	Ratio (NPK)
2019-20 (Est.) *	191.48	76.62	26.07	294.17	7.3:2.9:1
2020-21	194.09	77.63	27.17	298.89	7.1:2.9:1
2021-22	196.42	79.12	28.12	303.65	7.0:2.8:1

* DBT sale

All India Product-Wise Demand Forecast For 2020-21 To 2021-22

(Lakh MT)

PERIOD	UREA	DAP	SSP	MOP	COMPLEX FERTILIZERS
2019-20 (Est.)*	336.95	100.10	44.03	27.87	98.57
2020-21	340.55	102.31	45.12	29.30	101.51
2021-22	343.82	104.32	46.48	30.41	103.03

* DBT sale

The Demand forecast for fertilizers and corresponding nutrients are based on onset of monsoon, availability of irrigation, production, imports, cropping patten etc.. and it is based on existing product nutrient ratio also. However, with Nutrient



Based subsidy scheme and programs like soil health management and promotion of balanced fertilizer nutrients application, the demand for complex fertilizers will get rationalized in the coming years.

Nutrient Based Subsidy (NBS) For Phosphatic & Potassic Fertilizers

The Government of India introduced the Nutrient Based Subsidy Phase-I with effect from 1.4.2010. This scheme is applicable for DAP, MOP, MAP, SSP, TSP and for other twelve grades of Complex fertilizers.

Under NBS, the subsidy is fixed for the year without any escalation / de-escalation and market price is open. The manufacturers are having freedom to fix the reasonable market price based on input prices and they are required to print Maximum Retail Price (MRP) along with applicable NBS per bag on each fertilizer bag.

The per kg Nutrient Based Subsidy for Nutrients 'N' 'P' 'K' for 2018-19, 2019-20 and 2020-21 is given below:

Sl.No.	Nutrients	2018-19	2019-20	2020-21
1	N	18.901	18.901	18.789
2	P	15.216	15.216	14.888
3	K	11.124	11.124	10.116
4	S	2.722	3.562	2.374

Accordingly, NBS was finalized for different P&K fertilizers and additional subsidy was given for fortified fertilizers with secondary & micro-nutrients like Sulphur, Boron & Zinc. However, the additional compensation for using Naphtha based Captive Ammonia by MFL has not been announced since 1.4.2012 to till the date of feed stock conversion executed which is under consideration of GOI.

For the current year 2020-21, GOI has fixed Rs.7445/- as subsidy for 17-17-17 against the CPLY of Rs.7691/- which is a reduction of Rs.246/- MT

Risk Management

Major challenges that fertilizer industry is facing are increasingly volatile International market for fertilizers and raw materials, steep depreciation in rupee value, increasing prices of NPK fertilizers due to new NBS policy and rise in the working capital requirements of fertilizer firms in addition to the historical challenges associated with the rural markets. The Company has a well laid down Risk Management System with Risk Assessment & Risk Mitigation procedures to evolve suitable strategies for mitigating associated risks through better management practices and achieve corporate objectives.

The identified potential risks such as Operational, Input, Utilities, Project Implementation, Business, Competition, Assets, Internal Control, Environmental, Financial, Human Resources, Legal, Regulatory, MIS and Market Risks and their impact on the Company's performance and Stakeholders' interest is assessed on continual manner. The reporting of Risk Assessment and Risk Mitigations under the policy is reviewed by the Audit Committee and the Board periodically.

Internal Control System

The Company has an Internal Control System designed to ensure security of the assets of the Company and efficiency of operations. The Internal Control System includes proper delegation of authority, supervision, Online Integration System (OLIS) and checks and procedures through documented policy guidelines and manuals.



The Company has an Internal Audit function, managed by a team of professionals, which is empowered to examine the adequacy and compliance with the policies, procedures and statutory requirements. Internal Audit conducts regular audit across Company's operations and the management duly considers and takes appropriate action on the recommendations made by the Government Auditors, Statutory Auditors, Internal Auditors and the Audit Committee of the Board of Directors for the improvement of the same.

Prevention of Sexual Harassment

The Company has zero tolerance for sexual harassment at the work place and has following the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the Rules thereunder for prevention and redressal of complaints of sexual harassment at workplace.

Internal Compliance Committee (ICC) is in place at MFL to redress complaints received regarding sexual harassment. All women associates (permanent, temporary, contractual and trainees) as well as any woman visiting the Company's premises are covered under this provision.

Summary of sexual harassment issues raised, attended and dispenses during the financial year 2019-20 :

No. of complaints received	:	Nil
No. of complaints disposed off	:	Nil
No. of cases pending for more than 90 days	:	Nil



CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

TO THE MEMBERS OF MADRAS FERTILIZERS LIMITED

1. We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Madras Fertilizers Limited (“the Company”), for the year ended on 31st March, 2020, as stipulated in Part C of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 of the said Company with the stock exchanges.
2. The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to a review of the procedures and implementations thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Company.
3. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and the representations made by the Directors and the management, We certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Regulations.
4. We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

for **J.V. Ramanujam & Co.**
Chartered Accountants
FRN No.02947S

Place: Chennai
Date: June 19, 2020

(Sri Narayana Jakhotia)
Partner
M. No : 233192
UDIN: 20233192AAAAAI9625

Declaration affirming Compliance with the Code of Conduct in terms of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

The Board had laid down a code of conduct for all Board Members and Senior Management of the Company. The code of conduct is posted on the website of the Company.

All the Board Members and Senior Management personnel affirmed compliance with the code for the financial year 2019-20.

Chennai
Aug 28, 2020

U Saravanan
Chairman & Managing Director
DIN : 07274628



REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Company's Philosophy

The Company adopts well-established corporate governance principles and practices developed over a period of time, which are constantly updated in the changing scenario. The Company's citizen charter provides for transparency, integrity and accountability in all spheres of corporate functions. The Company's Corporate Governance principle and practice include internal empowerment of middle level Officers.

Your Company is in compliance with the requirements of Corporate Governance stipulated in the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations').

Board of Directors

Composition

At present the strength of the Board comprises 6 members with varied and rich experience. Chairman and Managing Director and Director (Technical) are Executive Directors and all other Directors are Non-Executive Directors. The Board of Directors comprise of Two GOI Nominee Directors and Two functional Directors viz. Director – Technical and CMD appointed by the Government of India, three Directors appointed by the Naftiran Intertrade Co. Ltd., Co-Promoter and four independent Non-official directors appointed by the Government of India.

Other Details relating to the Board

Details regarding tenure, number of other Directorships/Committee Memberships (viz. Audit Committee and Shareholders Grievance Committee as per SEBI's Corporate Governance Code) held by Directors during the year 2019-20 are tabulated below:

S.No.	Director	Category	Tenure		In other Boards / Committees		
			From	To	Director-ship	Member-ship	Chairman-ship
1	Shri U Saravanan (DIN 07274628)	CMD	01.11.2018	Continuing	2	-	-
2	Shri Siya Sharan (DIN 07401363)	NED-Govt. Nominee	21.12.2018	**	-	-	-
3	Shri Lalsanglur (DIN 08118636)	NED-Govt. Nominee	10.04.2018	Continuing	1	-	-
4	Shri Harsh Malhotra (DIN 08520873)	Director (Technical)	22.07.2019	Continuing	1	-	-
5	Shri Mohammad Bagher Dakhili (DIN 07704367)	NED-NICO Nominee	18.02.2017	Continuing	1	-	-
6	Shri Babak Bagherpour (DIN 08341090)	NED-NICO Nominee	23.10.2018	Continuing	1	-	-
7	Shri Farzad Bahrami Bavani (DIN 05352239)	NED-NICO Nominee	18.02.2017	Continuing	-	-	-
8	CA Sunil Vashisht (DIN 01967138)	Non-official Director	06.06.2016	05.06.2019	-	-	-
9	Dr Hemant A Thakore (DIN 07565337)	Non-official Director	06.06.2016	05.06.2019	-	-	-
10	Shri C Ramesh (DIN 06558099)	Non-official Director	06.06.2016	05.06.2019	-	-	-
11	Smt. Vanathi Srinivasan (DIN 07614954)	Non-official Director	06.06.2016	05.06.2019	-	-	-



Meetings Held

During the year, Five (5) meetings of the Board were held on 27.05.2019, 14.08.2019, 19.09.2019, 08.11.2019, 07.02.2020. The Annual General Meeting was held on 19th September 2019. Details of attendance of directors at the Board Meetings and Annual General Meeting are as follows:-

S.No.	Director	Category	Tenure		Board Meetings during respective tenure of Directors		Whether attended last AGM held on 19.09.2019
			From	To	Held	Attended	
1	Shri U Saravanan	CMD	01.11.2018	Continuing	5	5	Yes
2	Shri Siya Sharan	NED-Govt. Nominee	21.12.2018	**	5	1	No
3	Shri Lalsanglur	NED-Govt. Nominee	10.04.2018	Continuing	5	4	No
4	Shri Harsh Malhotra	Director (Technical)	22.07.2019	Continuing	4	4	Yes
5	Shri Mohammad Bagher Dakhili	NED-NICO Nominee	18.02.2017	Continuing	5	1	No
6	Shri Babak Bagherpour	NED-NICO Nominee	23.10.2018	Continuing	5	2	No
7	Shri Farzad Bahrami Bavani	NED-NICO Nominee	18.02.2017	Continuing	5	-	No
8	CA Sunil Vashisht	Non-official Director	06.06.2016	05.06.2019	1	1	NA
9	Dr Hemant A Thakore	Non-official Director	06.06.2016	05.06.2019	1	1	NA
10	Shri C Ramesh	Non-official Director	06.06.2016	05.06.2019	1	1	NA
11	Smt.Vanathi Srinivasan	Non-official Director	06.06.2016	05.06.2019	1	-	No

**Audit Committee**

During the year 2019-20, the Audit Committee met on Five times i.e. 27.05.2019, 14.08.2019, 19.09.2019, 08.11.2019, 07.02.2020. Details of attendance of the members of Audit Committee Meetings are as follows:-

S.No.	Name of the Audit Committee Members	Status	Tenure		No. of meetings held	No. of meetings attended
			From	To		
1	Shri Lalsanglur	Chairman	14.08.2019	Continuing	4	3
2	Shri U Saravanan	Member	14.08.2019	Continuing	4	4
3	CA Sunil Vashisht	Chairman	06.06.2016	05.06.2019	1	1
4	Shri Siya Sharan	Member	21.12.2018	**	5	1
5	Shri Mohammad Bagher Dakhili	Member	18.02.2017	Continuing	5	4
6	Dr Hemant A Thakore	Member	06.06.2016	05.06.2019	1	1
7	Shri C Ramesh	Member	06.06.2016	05.06.2019	1	1
8	Smt. Vanathi Srinivasan	Member	06.06.2016	05.06.2019	1	-

** Shri Siya Sharan (DIN No.07401363) communicated vide his letter No.Or.AO/Fert/2019-20/P.File (CCA) dated July 31, 2019 that he was relieved from the Post of Chief Controller of Accounts of DOF, GOI and hence he has relinquished his charges as GOI Nominee Director on the Board of MFL effective 31.07.2019. However, an Office Order from Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India is awaited.

Nomination and Remuneration Committee

Being a Central Public Sector Undertaking, the Managerial Remunerations for the executives are fixed by the Government of India.

Payment of remuneration to the Chairman and Managing Director is as per the terms and conditions of appointment by the Government of India and approved by the Board.

The aggregate value of the salary, incentives, perquisites and other benefits paid by the Company to the Directors is ₹ 73,70,390/-.

No remuneration is paid (other than sitting fee) to non-executive directors for attending the Board / Committee Meetings during the year.

Stakeholders Relationship Committee

For the year 2019-20, one meeting of the Stakeholders Relationship Committee was held on 07.02.2020 as below:

S.No.	Name of the Stakeholders Relationship Committee Members	Status	Tenure		No. of meetings held
			From	To	
1	Shri Mohammad Bagher Dakhili	Chairman	18.02.2017	Continuing	-
2	Shri U Saravanan	Member	13.08.2015	Continuing	1
3	Shri Lalsanglur	Chairman/ Member	10.04.2018	Continuing	1



The scope and function of the Committee is as per Clause 20 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

For the year, 11 Share Transfer Committee Meetings have been held to consider share transfer and other share related matters.

Total number of complaints redressed by the Company and Share Transfer Agents during the period was 127 which include attending Loss of Share Certificate, Issue of Duplicate Share Certificate, Nomination and Procedure for transmission of shares, etc. All the complaints were redressed in full and there is no pending as of March 31, 2020.

Compliance Officer: Dr Girish Kumar, has been appointed as Company Secretary and Compliance Officer effective August 14, 2019.

General Body Meetings

The venue and the starting time of the last three Annual General Meetings were :

Year	Venue	Date	Time
2018-2019	Narada Gana Sabha No.314, TTK Road Alwarpet Chennai 600018	19/09/2019 (Thursday)	11.30 A.M.
2017-2018	MFL Training Centre Auditorium (North Gate Entrance) MFL Plant Manali, Chennai – 600 068	26/09/2018 (Wednesday)	11.30 A.M.
2016-2017	Rajah Annamalai Mandram (Tamil Isai Sangam) 5, Esplanade Road Chennai 600 108	22/09/2017 (Friday)	02.30 P.M.

During the year under review, three special resolutions were passed through postal ballot as below:

Date of Passing of Resolution	Purpose	Votes in favour of Resolution		Votes against the resolution	
		No.of votes	% total votes	No. of votes	% to total votes
13.08.2019	Sale of 70 Acres of Land	137515303	99.98	28505	0.02
13.08.2019	Amendment to Articles of Association of the Company in compliance with Minimum Public Shareholding requirement	137525568	99.99	17740	0.01
13.08.2019	Adoption of Articles of Association as per the provisions of the Companies Act, 2013	137525668	99.99	17640	0.01

In compliance with provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the Company had provided e-voting facility to its shareholders to cast their votes electronically through the NSDL e-voting platform. Postal ballot forms and business reply envelopes were sent to shareholders to enable them to cast their vote in writing on the postal ballot. The Company also published a notice in the newspapers declaring the details of completion of dispatch and other requirements as mandated under the Companies Act, 2013 and applicable Rules.



The Company had appointed Mr. C Prabhakar, Partner of BP Associates, Company Secretaries, Chennai as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer submitted his report to the Chairman, after completion of the scrutiny and the results of voting by posting ballot were then announced by the Chairman/ Authorised offices. The voting results were sent to the Stock Exchange and displayed on the Company's website. The date of declaration of the results by the Company is deemed to be the date of passing of the resolutions.

Related Party Transactions :

A transaction with a related party shall be considered material, if the transaction(s) entered into individually or taken together with previous transactions during the financial year, exceeds 10% of the annual consolidated turnover of the Company as per the last audited financial statements of the Company.

All related party transactions including the one existing with the Chennai Petroleum Corporation Ltd. (CPCL) that were entered into during the financial year were on arm's length basis and were in ordinary course of business of the Company. During the year, the Company had not entered into any contract / arrangement / transaction with related parties which could be considered material in accordance with the policy of the Company on materiality of related party transactions.

There were no materially significant transactions with Related Parties during the financial year 2019-20 which were in conflict with the interest of the Company.

Whistle Blower / Vigil Mechanism

The Company has established a vigil mechanism and adopted a whistle blower policy, pursuant to which whistle blowers can report concerns about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Company's code of conduct or ethics policy. The mechanism provides adequate safeguards against victimisation of persons who use this mechanism.

There were no instances of non-compliance by the Company on matters related to the capital market during the last three years and there were no penalties, strictures imposed by Stock Exchanges or SEBI or any statutory authority.

Disclosure in relation to Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

The Company has always believed in providing a safe and harassment-free workplace for every individual working in the Company. The Company has complied with the applicable provisions of the aforesaid Act and the Rules framed thereunder, including constitution of the Internal Complaints Committee (ICC).

Means of Communication

Whether half-yearly report sent to each household of shareholders: No.

Quarterly Financial Results :

Quarterly Financial results are published in one National Daily, Financial Express and one Regional Daily Maalaisudar. The financial results are made available on the Company's website: www.madrasfert.co.in.

Whether any presentation made to institutional investors or to the analyst: No.



General Shareholders Information

Annual General Meeting, Date, Time and Venue:

AGM Date : **December 29, 2020**

Time : 11.00 a.m.

Venue : Video Conferencing / OAVM

Financial Year : April 2019 – March 2020

Book Closure Date : 23.12.2020 To 29.12.2020 (both days inclusive)

Dividend Payment : Nil

Whether Management Discussion and Analysis is part of this report: Yes

Listing on Stock Exchanges: National Stock Exchange of India Ltd

The Company has paid the listing fees to the stock exchange in time.

Stock Code / Symbol :

National Stock Exchange of India Ltd : **MADRASFERT**

High / Low share prices during the year April 1, 2019 to March 31, 2020

National Stock Exchange of India Ltd

Month	NSE High (₹)	NSE Low (₹)	S & P CNX Nifty Index High	S & P CNX Nifty Index Low	Quantity	Value (₹ lakh)
Apr 2019	23.40	19.00	11856.15	11549.10	2777410	607.46
May	26.90	18.25	12041.15	11108.30	4304399	1008.33
Jun	26.95	21.10	12103.05	11625.10	3074926	748.51
Jul	31.50	20.45	11981.75	10999.40	14054682	3723.85
Aug	23.00	17.60	11181.45	10637.15	2154175	444.23
Sep	25.40	18.50	11694.85	10670.25	6748720	1524.39
Oct	23.00	19.55	11945.00	11090.15	4581335	953.55
Nov	21.25	19.05	12158.80	11802.65	2831149	567.92
Dec	20.95	18.20	12293.90	11832.30	2427972	476.62
Jan 2020	23.65	19.30	12430.50	11929.60	7914022	1701.63
Feb	21.85	13.60	12246.70	11175.05	2741200	495.96
Mar	14.55	9.00	11433.00	7511.10	2465399	282.87



Share Transfer System

M/s Integrated Registry Management Services Private Limited, a SEBI Registered Share Transfer Agent has been assigned the Share Transfer and Depository Registry related functions. Share Transfer Committee attends to share transfer formalities every fortnight.

Share Transfer Agent & Depository Registry:

M/s Integrated Registry Management Services Private Limited

2nd Floor, Kences Towers

No. 1, Ramakrishna Street

Off: North Usman Road

T Nagar, Chennai 600 017

Phone 091-044 - 2814 0801 to 803

Email : corpserv@integratedindia.in

Dematerialisation of Shares:

MFL has connectivity with both NSDL and CDSL

ISIN No : INE 414A01015

15,72,88,798 equity shares (representing 97.63 % of total shares) have been dematerialized as of March 31, 2020. In terms of number of shareholders, 75.81% of shareholders have dematted their shares.

Distribution of Shareholding:

The distribution of shareholding as on March 31, 2020 is as follows:

Dist	Physical			NSDL			CDSL			Total		
	Count	Shares	%	Count	Shares	%	Count	Shares	%	Count	Shares	%
Up to 500	427	681	0.00	3241	51763	0.03	3102	54001	0.03	6770	106445	0.06
501 - 1000	131	13088	0.01	2039	195247	0.12	1748	164359	0.10	3918	372694	0.23
1001 - 2000	3298	659600	0.41	2275	427677	0.27	1615	291035	0.18	7188	1378312	0.86
2001 - 3000	439	131700	0.08	1026	288465	0.18	783	214414	0.13	2248	634579	0.39
3001 - 4000	433	173133	0.11	554	214222	0.13	404	152283	0.09	1391	539638	0.33
4001 - 5000	1485	742500	0.46	1562	774933	0.48	991	489983	0.30	4038	2007416	1.24
5001 - 10000	1600	1564200	0.97	2079	1879475	1.17	1270	1090942	0.68	4949	4534617	2.82
Above 10000	232	527600	0.33	1539	147007430	91.25	987	3992569	2.48	2758	151527599	94.07
Grand Total	8045	3812502	2.37	14315	150839212	93.63	10900	6449586	3.99	33260	161101300	100.00



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

CATEGORY OF SHAREHOLDERS AS ON MARCH 31, 2020 AS FOLLOWS:

S No	Category	PHYSICAL				ELECTRONIC				TOTAL			
		No. of Holders	% of holders	Shares	% of Shares	No. of Holders	% of holders	Shares	% of Shares	No. of Holders	% of holders	Shares	% of Shares
1	BANK'S	13	0.04	34600	0.02	1	0.00	50	Nil	14	0.04	34650	0.02
2	BODIES CORPORATE	78	0.23	134000	0.08	211	0.63	1418622	0.88	289	0.87	1552622	0.96
3	CLEARING MEMBER	Nil	Nil	Nil	Nil	61	0.18	131450	0.08	61	0.18	131450	0.08
4	GOVERNMENT/PROMOTERS	Nil	Nil	Nil	Nil	1	0.00	95851700	59.50	1	0.00	95851700	59.50
5	EMPLOYEES	83	0.25	70900	0.04	Nil	Nil	Nil	Nil	83	0.25	70900	0.44
6	FINANCIAL INSTITUTIONS	Nil	Nil	Nil	Nil	1	0.00	63920	0.04	1	0.00	63920	0.04
7	MUTUAL FUND	1	0.00	2400	0.00	Nil	Nil	Nil	Nil	1	0.00	2400	0.00
8	N R I	Nil	Nil	Nil	Nil	147	0.44	414359	0.26	147	0.44	414359	0.26
9	FOREIGN PROMOTERS	Nil	Nil	Nil	Nil	1	0.00	41516500	25.77	1	0.00	41516500	25.77
10	RESIDENT INDIAN	7870	23.66	3570602	2.22	24790	74.53	17861197	11.09	32660	98.20	21431799	13.30
11	NBFCs	Nil	Nil	Nil	Nil	2	0.01	31000	0.02	2	0.01	31000	0.02
	TOTAL	8045	24.19	3812502	2.37	25215	75.81	157288798	97.63	33260	100.00	161101300	100.00

MODEWISE SHAREHOLDINGS AS ON 31-03-2020

MODE	COUNT	SHARES	%
PHYSICAL	8045	3812502	2.37
NSDL	14315	150839212	93.63
CDSL	10900	6449586	3.99
GRAND TOTAL	33260	161101300	100.00
CATEGORY	COUNT	SHARES	%
G O I	1	95851700	59.50
NAFTIRAN INTER TRADE COMPANY LTD	1	41516500	25.77
OTHERS	33258	23733100	14.73
GRAND TOTAL	33260	161101300	100.00

Plant Location : Manali, Chennai 600 068

The Address for correspondence is

Dr. Girish Kumar

Company Secretary

Madras Fertilizers Limited

Manali, Chennai 600 068

Tel : 044 2594 2281 / 044 25945489

Email : cs@madrasfert.co.in / cosec@madrasfert.co.in

**FORM NO. MGT 9****EXTRACT OF ANNUAL RETURN****As on financial year ended on 31.03.2020**

Pursuant to Section 92 (3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Company (Management & Administration) Rules, 2014.

I. REGISTRATION & OTHER DETAILS:

1	CIN	L32201TN1966GOI005469
2	Registration Date	12/8/1966
3	Name of the Company	MADRAS FERTILIZERS LIMITED
4	Category/Sub-category of the Company	Public Company Limited by shares / Central Public Sector Undertaking
5	Address of the Registered office & contact details	Post Bag No.2, Manali, Chennai 600068 Tel.044-25942281 / 25945203
6	Whether listed company	Yes
7	Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	M/s. Integrated Registry Management Services Private Ltd, Kences Towers, 2nd Floor, 1, Ramakrishna Street, Off. North Usman Road, T Nagar, Chennai 600017 Tel.No.044-28140801 to 803, Email : corpserv@integratedindia.in

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

(All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be stated)

S. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/service	% to total turnover of the Company
1	Chemical Fertilizers	2012	99%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

S. No.	Name and address of the Company	CIN/GLN	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares held	Applicable Section
1	NA	NA	NA	NA	NA



IV. SHARE HOLDING PATTERN

(Equity share capital breakup as percentage of total equity)

(i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year [As on 31-March-2019]				No. of Shares held at the end of the year [As on 31-March-2020]				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
a) Individual/ HUF	9,58,51,700	-	9,58,51,700	59.50%	9,58,51,700	-	9,58,51,700	59.50%	0.00%
b) Central Govt									
c) State Govt(s)									
d) Bodies Corp.									
e) Banks / FI									
f) Any other									
Sub Total (A) (1)	9,58,51,700	-	9,58,51,700	59.50%	9,58,51,700	-	9,58,51,700	59.50%	0.00%
(2) Foreign									
a) NRI Individuals									
b) Other Individuals									
c) Bodies Corp.	4,15,16,500	-	4,15,16,500	25.77%	4,15,16,500	-	4,15,16,500	25.77%	0.00%
d) Any other									
Sub Total (A) (2)	4,15,16,500	-	4,15,16,500	25.77%	4,15,16,500	-	4,15,16,500	25.77%	0.00%
TOTAL (A)	13,73,68,200	-	13,73,68,200	85.27%	13,73,68,200	-	13,73,68,200	85.27%	0.00%
B. Public Shareholding									
1. Institutions									
a) Mutual Funds	-	2,400	2,400	0.00%	-	2,400	2,400	0.00%	0.00%
b) Banks / FI	76,058	34,600	1,10,658	0.07%	84,161	34,600	1,18,761	0.07%	7.32%
c) Central Govt									
d) State Govt(s)									
e) Venture Capital Funds									
f) Insurance Companies									
g) FIs									
h) Foreign Venture Capital Funds									
i) Others (specify)									
Sub-total (B)(1):-	76,058	37,000	1,13,058	0.07%	84,161	37,000	1,21,161	0.08%	7.17%



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year [As on 31-March-2019]				No. of Shares held at the end of the year [As on 31-March-2020]				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
2. Non-Institutions									
a) Bodies Corp.									
i) Indian	13,36,863	1,34,000	14,70,863	0.91%	14,27,431	1,34,000	15,61,431	0.97%	6.16%
ii) Overseas									
b) Individuals									
i) Individual shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh	1,19,79,188	37,19,169	1,56,98,357	9.74%	1,25,16,663	36,41,502	1,61,58,165	10.03%	2.93%
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh	59,17,730	-	59,17,730	3.67%	53,46,684	-	53,46,684	3.32%	-9.65%
c) Others (specify)	5,33,092	-	5,33,092	0.33%	5,45,659	-	5,45,659	0.34%	2.36%
Sub-total (B)(2):-	1,97,66,873	38,53,169	2,36,20,042	14.66%	1,98,36,437	37,75,502	2,36,11,939	14.66%	-0.03%
Total Public (B)	1,98,42,931	38,90,169	2,37,33,100	14.73%	1,99,20,598	38,12,502	2,37,33,100	14.73%	0.00%
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs									
Grand Total (A+B+C)	15,72,11,131	38,90,169	16,11,01,300	100.00%	15,72,88,798	38,12,502	16,11,01,300	100.00%	0.00%

(ii) Shareholding of Promoter

SN	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change in shareholding during the year
		No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the Company	% of Shares Pledged / encumbered to total shares	
1	The President of India	9,58,51,700	59.50%	0	9,58,51,700	59.50%		0.00%
2	Naftiran Inter Trade Company Ltd	4,15,16,500	25.77%	0	4,15,16,500	25.77%		0.00%

(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

SN	Particulars	Date	Reason	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
				No. of shares	% of total shares	No. of shares	% of total shares
1	At the beginning of the year			No change during the year			
2	Changes during the year			No change during the year			
3	At the end of the year			No change during the year			



(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders as on March 31, 2020

(Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

S No	For each of the Top 10 shareholders		Shareholding at the beginning of the year		Shareholding at the end of the year	
	Name	PAN No.	No. of shares	% of total shares	No. of shares	% of total shares
1	KALI RAM GUPTA	AHNPG3758M	13,42,087	0.83	10,52,587	0.65
2	SHAKUNTLA GUPTA	AHNPG3753A	10,95,420	0.68	11,05,420	0.69
3	BHARAT JAMNADAS DATTANI	AABPD6008J	1,78,458	0.11	0	0.00
4	BHARAT JAMNADAS DATTANI	AAAHB0495E	1,74,667	0.11	0	0.00
5	BHARATI BHARAT DATTANI	AAAPD4798E	1,74,463	0.11	0	0.00
6	RUCHIT BHARAT PATEL	ANDPP9202F	1,70,226	0.11	1,70,226	0.11
7	KARVY STOCK BROKING LIMITED-CLIENT ACCOUNT-BSE CM	AABCK5190K	1,62,934	0.10	11,056	0.01
8	INDIAN SYNTAS INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	AAACI1775K	1,31,000	0.08	1,31,000	0.08
9	U S D PROJECTS AND FINANCE LIMITED	AAACU4199B	1,24,000	0.08	1,24,000	0.08
10	LAL TOLANI	AFJPT3594A	1,03,245	0.06	1,03,245	0.06
11	MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LTD-CLIENT ACCOUNT	AAECM2876P	91,537	0.06	50,438	0.03
12	PATTABHI RAMARAJU SARIKONDA	AGOPS2619F	87,000	0.05	0	0.00
13	VINOD KUMAR AGGARWAL	AAGPA7302R	78,000	0.05	78,000	0.05
14	BALAJI V PRASAD	ADMPV2744F	70,000	0.04	70,000	0.04
15	BANSURI MRUGANKUMAR MEHTA	AGSPD0605J	69,604	0.04	0	0.00
16	GLOBE CAPITAL MARKET LIMITED	AAACG4267G	17,631	0.01	2,26,364	0.14
17	KRISHNA INDIA PRIVATE LTD.	AAACK4798C	34,114	0.02	1,68,884	0.11
18	ADROIT FINANCIAL SERVICES PVT LTD	AABCA1156D	25,325	0.02	1,51,751	0.09
19	MAYRA PACKAGINGS PRIVATE LIMITED	AAICM5670K	0	0.00	92,530	0.06
20	R.K.GUPTA HUF	AANHR8767C	22,645	0.01	79,948	0.05
21	IRUKUMATI CHINNAKONDAIAH	AGWPC0724H	40,005	0.03	70,005	0.04
22	JANKIRAM A	AAAPJ3688D	51,000	0.03	68,000	0.04

(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

SN	Shareholding of each Directors and each Key Managerial Personnel	Date	Reason	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
				No. of shares	% of total shares	No. of shares	% of total shares
	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

V. INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment.

(₹ in Lacs)

Particulars	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) Principal Amount	-	55,424.00		55,424.00
ii) Interest due but not paid	-	60,266.00		60,266.00
iii) Interest accrued but not due	-	1,555.00		1,555.00
Total (i+ii+iii)	-	1,17,245.00		1,17,245.00
Change in Indebtedness during the financial year				
* Addition - Interest due but not paid	-	5,458.00		5,458.00
* Reduction	-	-		-
Net Change	-	5,458.00		5,458.00
Indebtedness at the end of the financial year				
i) Principal Amount		55,424.00		55,424.00
ii) Interest due but not paid		65,724.00		65,724.00
iii) Interest accrued but not due		1,555.00		1,555.00
Total (i+ii+iii)	-	1,22,703.00		1,22,703.00

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

(in ₹)

SN.	Particulars of Remuneration	U. Saravanan Chairman & Managing Director	Shri Harsh Malhotra, Director (Technical)
1	Gross salary		
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	28,69,377.00	16,22,335.00
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	1,80,000.00	Nil
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961	Nil	Nil
2	Stock Option		Nil
3	Sweat Equity		Nil
4	Commission		
	- as % of profit	Nil	Nil
	- others, specify	Nil	Nil
5	Others, please specify	22,35,891.00	4,62,787.00
	Total (A)	52,85,268.00	20,85,122.00
	Ceiling as per the Act	-	-



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

B. Remuneration to other Directors

SN.	Particulars of Remuneration	Name of Directors	Total Amount Paid (₹)
1	Independent Directors		
	Fee for attending Board/Committee meetings - Sitting Fee	1. CA. Sunil Vashisht 2. Dr. Hemant A Thakore 3. Shri. C. Ramesh 4. Smt. Vanathi Srinivasan	20,000.00 20,000.00 20,000.00 Nil
	Commission		-
	Others, please specify		-
	Total (1)		60,000.00
	2	Other Non-Executive Directors	
Fee for attending board committee meetings			-
Commission			-
Others, please specify			-
Total (2)			-
Total (B)=(1+2)			60,000.00
Total Managerial Remuneration			60,000.00

C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

(in ₹)

SN.	Particulars of Remuneration	Shri V Muralidharan, GM (F&A) & Company Secretary (Upto Aug 13, 2019)	Dr. Girish Kumar, Company Secretary (Effective August 14, 2019)
1	Gross salary		
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	8,68,140.00	8,56,439.00
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	44,843.00	
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income- tax Act, 1961	Nil	Nil
2	Stock Option	Nil	Nil
3	Sweat Equity	Nil	Nil
4	Commission		
	- as % of profit - others, specify	Nil Nil	Nil Nil
5	Others, please specify	3,33,745.00	3,82,921.00
	Total	12,46,728.00	12,39,360.00



VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
A. COMPANY					
Penalty	Section 17(1) of SEBI LODR Regulations 2015	Imposed penalty for non compliance by the company with regard to Regulation 17(1) of SEBI LODR Regulations, 2015	Penalty for the quarter ended June 2019 ₹ 5,31,000/- was paid.	National Stock Exchange	Nil
	Section 17(1), 18(1) and 19(1)/(2) of SEBI LODR Regulations 2015	Imposed penalty for non compliance by the company with regard to Regulation 17(1), 18(1) and 19 (1)/(2) of SEBI LODR Regulations, 2015	Penalty for the quarter ended September 2019 ₹ 6,65,520/- and for the quarter ended December ₹ 9,77,040/- was paid.	National Stock Exchange	Nil
	Listing Regulation 34 of SEBI LODR	Imposed penalty for non compliance of Listing Regulation 34 of SEBI LODR Regulations, 2015	Penalty of ₹ 75,520/- was paid.	National Stock Exchange	Based on the appeal made by the Company, NSE vide their letter No.NSE/ LIST-SOP/REG-34/REV/98622 dated Jan 01, 2020 withdrawn the fine levied under Reg 34 of SEBI LODR.
	Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010	TNPCCB directed the Company to deposit ₹ 1 Cr as Interim Environmental Compensator for Imposed penalty for violation of Environmental Standards.	Interim Environmental Compensation paid ₹ 1.00 Cr.	Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCCB), Ambattur, Chennai	Nil
Punishment	Nil				
Compounding					
B. DIRECTORS					
Punishment	Nil				
Compounding					
C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT					
Punishment	Nil				
Compounding					



**Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/03/2020**

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
MADRAS FERTILIZERS LIMITED
Manali
Chennai – 600 068

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable Statutory provisions and the adherence to good corporate practices by M/s. MADRAS FERTILIZERS LIMITED [CIN: L32201TN1966GOI005469] (hereinafter called the company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on our verification of the MADRAS FERTILIZERS LIMITED books, papers, Minutes book, forms and Returns filed and secretarial and other records maintained by the company and based on the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, We hereby report that in our opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31/03/2020 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has Board-processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, Minute Books, Forms and Returns filed and other records maintained by M/s. MADRAS FERTILIZERS LIMITED for the financial year ended on 31/03/2020 according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;
The company has complied with the procedure laid under the Companies Act, 2013
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made there under;
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made there under.
- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.
 - (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
 - (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
 - (d) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993.



(e) The SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

(vi) As informed to me the following other Laws specifically applicable to the Company as under

1. Factories Act, 1948
2. Industrial Dispute Act, 1947
3. Payment of Wages Act, 1936
4. The Minimum Wages Act, 1948
5. The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952
6. Employees' State Insurance Act, 1948
7. Equal Remuneration Act, 1976
8. Shop & Establishment Act, 1948
9. The Payment of Bonus Act, 1965
10. The Payment of Gratuity Act, 1972
11. The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
12. The Maternity Benefit Act, 1961
13. The Child Labour Prohibition and Regulation Act, 1986
14. The Industrial Employment (Standing Order) Act, 1946
15. The Employee Compensation Act, 1923
16. The Apprentices Act, 1961.
17. The Environment Protection Act 1986.
18. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
19. The Indian Boilers Act 1923.
20. GST Act 2017

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- (i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.
- (ii) The Listing Agreements entered into by the Company with National Stock Exchange of India Limited;

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observation.

- Charges appearing on the Index of Charges are not actual live charges; Company has not filed CHG 4 (towards Satisfaction of Charges) for most of the Cases. However, it was clarified by the Company that in respect of cases where charges have been created were fully settled.



Moreover there was a Fine imposed on the following Non Compliances.

- As per Notice issued by NSE Penalty of ₹ 5,31,000/- was paid,
- As per Notice issued by NSE Penalty for the quarter ended September 2019 ₹ 6,65,520/- and for the quarter ended December ₹ 9,77,040/- was paid, for non appointment of Independent Directors on the Board.
- Interim Environmental Compensation paid ₹ 1.00 Cr. against the Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB) letter T4/TNPCB/F2643/CEPI/EC/AMB/2020-14 dated 28.01.2020.

On account of pandemic "COVID 2019" and nationwide lockdown imposed by governments, the audit process has been modified, wherein certain documents /records etc were verified in electronic mode, and have relied on the representations received from the Company for its accuracy and authenticity.

We further report that:

The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review are not in accordance with the provisions of SEBI (LODR) Regulations.

In view of the above, NSE has levied penalty as referred above. Being a Government Company it has taken up certain matter with the Department of Fertilizers, Government of India to appoint sufficient number of Independent Directors to comply with the SEBI (LODR) Regulations.

Notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the Minutes.

We further report that there are systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, there were no specific events/ actions in pursuance of the above referred laws, rules, regulation, guidelines, etc, having a major bearing on the Company's affairs.

Yours Faithfully
For V.Esaki & Associates
Company Secretaries

(V.Esaki)

Place : Chennai
Date : 04/08/2020

Proprietor / Membership No: 30353
UDIN: A030353B000549377



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

Annexure 'A'

To,
The Members,
MADRAS FERTILIZERS LIMITED
Manali
Chennai – 600 068

My report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the company. My responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on the Secretarial Audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. I believe that the processes and practices, I followed provide a reasonable basis for my opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company.
4. Wherever required, I have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. My examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

Yours Faithfully
For V.Esaki & Associates
Company Secretaries

(V.Esaki)

Place : Chennai
Date : 04/08/2020

Proprietor / Membership No: 30353
UDIN: A030353B000549377



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

MANALI, CHENNAI 600 068

FORM NO. AOC – 2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for Disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transaction under third proviso thereto.

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at Arm length basis.

S.No.	Particulars	Details
a)	Name(s) of the related party & nature of relationship	Nil
b)	Nature of contracts/arrangements/trans- action	Nil
c)	Duration of the contracts/arrangements/ transaction	NA
d)	Salient terms of the contracts or arrangements or transaction including the value, if any	NA
e)	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	NA
f)	Date of approval by the Board	NA
g)	Amount paid as advances, if any	NA
h)	Date on which the special resolution was passed in General meeting as required under first proviso to section 188	NA

2. Details of contracts or arrangements or transactions at Arm's length basis

S.No.	Particulars	Details
a)	Name (s) of the related party	M/s. Indian Oil Corporation Ltd
	Nature of relationship	At arm's length price
b)	Nature of contracts/ arrangements/ transaction	Supplier of LNG
c)	Duration of the contracts/ arrangements/transactions	Continuous basis
d)	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions	Long term contract
e)	Date of approval by the board	Based on Gas Sales Agreement dated 06.02.2019
f)	Amount paid as advances, if any	Nil
g)	Amount incurred during the year	₹ 914.28 Cr

Chennai
Aug 28, 2020.

Sd/-
U Saravanan
Chairman & Managing Director
DIN : 07274628



**MADRAS FERTILIZERS LIMITED
MANALI, CHENNAI 600 068**

**Annual Report on CSR Activities of MFL
(Pursuant to Rule 9 of the Companies (Accounts) Rules 2014)**

1. A brief outline on Companies CSR Policy

Madras Fertilizers Ltd gives priority on various social responsibility measures for the benefit of weaker section of the Society and to improve the standard of living of the inhabitant near the factory area. MFL is a sick and loss making company and hence the provisions of Sub-Section 5 of Section 135 of the Companies Act is not applicable to MFL. However, the Company is finalising its CSR Policy.

2. Composition of CSR Committee :

As per Section 135 of Companies Act, 2013, the CSR Committee of the Board consisting of 3 or more directors out of which one director shall be an independent Director. CSR Committee was present till June 05, 2019. Further, MFL is vigorously following up with Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India, for appointment of Independent Directors. Once the Independent Directors are appointed by DOF, GOI the Company will reconstitute the CSR Committee as per the Companies Act, 2013.

3. Average net profit of the Company for the : Not applicable
last three financial years

4. Prescribed CSR Expenditure : Not applicable

5. Details of CSR Expenditure for the financial
year 2019-20 : As below

Total amount spent for the financial year : ₹ 9.24 lacs

(₹ in lacs)

1	2	3	4	5	6	7	8
S.No.	CSR Project or activity identified	Sector in which the Project covered	Project or programs (1) Local area or other (2) Specify the State and District where projects or programs was undertaken	Amount outlay (budget) Project or program wise	Amount spent on the projects or programs sub-heads : (1) Direct Expenditure on projects or programs (2) Overheads	Cumulative expenditure up to the reporting period	Amount spent : Direct or through implementing agency
1	Donation of food materials for flood affected public in Nilgiris District	-	Ayyankoli Village, Nilgiris Dist	-	-	-	1.61
2	Armed Forces Flag Day Fund	-	Tiruvottriyur Taluk	-	-	-	1.00



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

(₹ in lacs)

1	2	3	4	5	6	7	8
S.No.	CSR Project or activity identified	Sector in which the Project covered	Project or programs (1) Local area or other (2) Specify the State and District where projects or programs was undertaken	Amount outlay (budget) Project or program wise	Amount spent on the projects or programs sub-heads : (1) Direct Expenditure on projects or programs (2) Overheads	Cumulative expenditure up to the reporting period	Amount spent : Direct or through implementing agency
3	Supply of Potable Water through pipelines to Harikrishnapuram Village (Near 500 families)	-	Near Manali Chennai	5.43	-	-	5.43
4	Supply of School bags and kits to Students of Govt School at Mathur for National Unity Day Celebrations	-	Near Manali Chennai	-	-	-	1.20
	Total						9.24

Chennai
Aug 28, 2020

Sd/-
U Saravanan
Chairman & Managing Director
DIN : 07274628



CERTIFICATE BY CEO AND CFO PURSUANT TO REGULATION 17(8) OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

The Board of Directors
Madras Fertilizers Limited
Manali, Chennai 600 068

This is to certify that :

- (a) We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year ended 31.03.2020 and that to the best of our knowledge and belief,
- (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (ii) these statements together present a true and fair view of the listed entity's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Company during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Company's code of conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Company pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- (d) We have indicated to the Auditors and the Audit Committee:
- i) significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the company's internal control system over financial reporting.

Place : Chennai
Date : Aug 28, 2019

U Saravanan
Chairman & Managing Director

Priya Ranjan Panda
General Manager - F&A (a/c)



CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To
The Members,
MADRAS FERTILIZERS LIMITED
Manali
Chennai – 600 068

We have examined the relevant Registers, Records, Forms, Returns and disclosures Received from the Directors of M/s. MADRAS FERTILIZERS LIMITED, having CIN L32201TN1966GOI005469, and having registered office at Manali Chennai 600 068 produced before us by the Company for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Company & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Company as stated below for the Financial Year ending on 31st March, 2020 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs or any such other Statutory Authority.

Sr. No.	Name of Director	DIN	Date of appointment in Company
1	ULAGANATHAN SARAVANAN	07274628	13/08/2015
2	FARZAD BAHRAMI BAVANI	05352239	18/02/2017
3	MOHAMMAD BAGHER DAKHILI	07704367	18/02/2017
4	LALSANGLUR	08118636	10/04/2018
5	SIYA SHARAN	07401363	21/12/2018
6	BABAK BAGHERPOUR	08341090	23/10/2018
7	HARSH MALHOTRA	08520873	22/07/2019

Ensuring the eligibility of for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For V.Esaki & Associates
Company Secretaries

sd/
V.Esaki

Membership No : 30353

CP No : 11022

UDIN : A030353B000549740

Place : Chennai
Date : 04/08/2020



ANNUAL BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT (ABRR) – FY 2019-20

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1	Corporate Identity Number (CIN) of the Company	L32201TN1966GOI005469
2	Name of the Company	MADRAS FERTILIZERS LIMITED
3	Registered address	POST BOX NO.2 MANALI, CHENNAI 600068
4	Website	www.madrasfert.co.in
5	E-mail id	cs@madrasfert.co.in; cosec@madrasfert.co.in
6	Financial Year reported	2019-20
7	Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Group – 241 Class – 2412 Sub Class – 24123 – Manufacture of urea and other organic fertilizers & 24124 - Manufacture of mixed, compound or complex fertilizers
8	List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)	Urea & Complex Fertilizers
9	Total number of locations where business activity is undertaken by the Company (a) Number of International Locations (Provide details of major 5) (b) Number of National Locations	One
10	Markets served by the Company – Local/State/ National/International	States – Tamilnadu, Telengana, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka and Pondicherry

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

1	Paid up Capital (INR)	₹ 161.10 Cr
2	Total Turnover (INR)	₹ 1287.39 Cr
3	Total profit after taxes (INR)	(₹ 134.88 Cr)
4	Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)	₹ 9.24 lacs
5	List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred:-	Donation of food materials for flood affected public in Nilgiris District, Contribution to Armed Forces Flag Day fund, Supply of Potable water through pipelines to Harikrishnapuram Village and supply of school bags and kits to students of Government School at Mathur for National Unity Day celebrations.



SECTION C: OTHER DETAILS

1	Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?	N.A.
2	Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)	N.A.
3	Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]	N.A.

SECTION D : BR Information

1	Details of Director / Directors responsible for BR	
	Details of the Director/ Director responsible for implementation of the BR Policy / Policies	
	• DIN Number	07274628
	• Name	Shri U Saravanan
	• Designation	Chairman & Managing Director

a) Details of BR head

Sl. No.	Particulars	Details
1	DIN Number (if applicable)	NA
2	Name	Dr Girish Kumar
3	Designation	Company Secretary
4	Telephone number	044-25945489
5	E-mail ID	cs@madrasfert.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/Policies (Reply in Y/N)

Name of the principles :

- P 1 Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability;
- P 2 Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their lifecycle;
- P 3 Businesses should promote the well –being of all employees;
- P 4 Businesses should respect in the interests of, and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalised
- P 5 Businesses should respect and promote human rights
- P 6 Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment
- P 7 Businesses when engaged in influencing public and regulatory policy should do so in a responsible manner



P 8 Businesses should support inclusive growth and equitable development

P 9 Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

S.No.	Questions	P	P	P	P	P	P	P	P	P
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Do you have a policy/ policies for....	Y	Y	Y	Y	Y	Y	NA	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	NA	Y	Y
3	Does the policy conform to any national / international standards? If yes, specify? (50 words)	Company policies have been formulated in compliance to applicable statutes / guidelines / rules / regulations of the Government of India. These policies were formulated keeping in view industry best practices and standards.								
4	Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/ owner/ CEO/appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	NA	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	NA	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	www.madrasfert.co.in								
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	NA	Y	Y
8	Does the company have in-house structure to implement the policy/policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	NA	Y	Y
9	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/ policies to address stakeholders' grievances related to the policy/policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	NA	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit/evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	Being a responsible PSU, the Company follows all policies in working conditions. Company's operations are audited annually by internal and external agencies.								

Note: P 7 has been marked as NA. The company always complies with all applicable regulations issued by Statutory bodies. It transparently discloses its environmental and social parameters in public platforms.



3. Governance related to BR

*	Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3–6 months, Annually, More than 1 year Annually.
*	Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published? Business Responsibility Report is being published in the annual report may be assessed at the website of our company www.madrasfert.co.in .

SECTION E: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No. Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs /Others?
Yes. It extends to stakeholders.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.
The company has received 127 complaints and all the complaints were redressed in full (ie. 100%) and there is no pending as of March 31, 2020.

Principle 2

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.
 - i. Urea
 - ii. Complex Fertilizers
 - iii. Organic Fertilizers
2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional):
 - i. Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?
 - ii. The company has taken up various measures for reducing its energy consumption complemented by regular audit of all its installations.
 - iii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?
The company has taken up various measures for reducing its energy consumption complemented by regular audit of all its installations.



3. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?
- i. If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Yes, sustainability and sustainable development has been embedded in work practices as a corporate mantra.

4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?

Yes, being a Central Public Sector Enterprise (CPSE), the companies procurement policy and practices are guided by the Government Policies and practices. These are based on transparent procurement mechanisms which promotes procurement from technically competent suppliers. However, care is also taken for the interest of local suppliers and contractors within the frame work of the guidelines issued by the Government of India.

- i. If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

The Company has always encouraging and promoting local suppliers in its tendering process as per Government Guidelines.

- ii. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Yes, solid waste such as condemned equipment and packing materials are auctioned per procedure of the company and waste water are treated through TTP plant.

Principle 3

1. Please indicate the Total number of employees – 571
2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis. 2000 (approx.)
3. Please indicate the Number of permanent women employees – 42.
4. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities - 5
5. Do you have an employee association that is recognized by management. - Yes
6. What percentage of your permanent employees is members of this recognized employee association? – 95%
7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

No.	Category	No. of complaints filed during the financial year	No. of complaints pending as on end of the financial year
1.	Child labour/ forced labour/involuntary labour	Nil	
2.	Sexual harassment		
3.	Discriminatory employment		

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?

Training has been given to 522 employees during the period April 2019 – March 2020 soft and life skills for the enduring benefit and development of organisation. i.e. 91.42%.



Principle 4

1. Has the company mapped its internal and external stakeholders?
2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders.
3. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

Yes the company complies with government directives for upliftment of weaker sections of the society. It is fully committed to the welfare of marginalised and vulnerable sections of society. The company has number of policies in place to address the interest of all the stakeholders. As a CPSE, the company pursues all such policies as mandated by the Government. The Corporate Social Responsibility and Sustainable Development along with host of policies of the Government of India are directed towards disadvantaged, vulnerable and marginalised sections of the society.

Principle 5

1. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

All policies of the company take into account the human rights not only employees but also people likely to be affected by the operations of the company. The company committed to conduct its business operations and strategies with the universally accepted principles in the area of human rights, child labour, anti corruption and environment. The company embraces and supports those principles particularly that on human rights viz. businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights and make sure that they are not complicit in human rights abuses. Company also implemented various inhouse policies like service rules, leave rules. Gratuity rules, PF rules, etc., to conform to human rights values. The company has also implemented fair wage policy for contractors to provide them wages and other statutory and non-statutory benefits.

Principle 6

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/others.

The Company is complying with the provisions of applicable Environmental laws and it extends to Stakeholders.

2. Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.

Yet to be undertaken.

3. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N

Company is following in letter and spirit the applicable Environmental laws. Hence Company has not identified and assessed potential Environmental risks.

4. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?

Yet to be undertaken.



5. Has the company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.

Yet to be undertaken.

6. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

Yes. It is within the permissible limits.

7. Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.

Nil.

Principle 7

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:

(a) Fertilizer Association of India

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

Yes. The broad areas are

- a) to promote the balance and efficient use of fertilizer,
- b) to encourage the use of more and better plant foods
- c) to promote consideration and discussion of all questions that contribute to sound agricultural practices and
- d) Ensuring food security through balanced and efficient use of plant nutrients towards advancement / improvement of public good.

Principle 8

1. Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.

Yes

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?

Government structures

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

Yes from time to time.

4. What is your company's direct contribution to community development projects-Amount in INR and the details of the projects undertaken.



5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community?
Please explain in 50 words, or so.

For 4 & 5

The company has taken steps to ensure the Community development under CSR activities such as donation of food materials for flood affected public in Nilgiris District, Contribution to Armed Forces Flag Day fund, Supply of Potable water through pipelines to Harikrishnapuram Village and supply of school bags and kits to students of Government School at Mathur for National Unity Day celebrations

Principle 9

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year.
Nil
2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. /Remarks(additional information)
Yes.
3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.
Nil.
4. Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?
Yes as applicable.



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MADRAS FERTILIZERS LTD FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020

The preparation of financial statements of Madras Fertilizers Limited for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 9 October 2020 which supersedes their earlier Audit Report dated 28 August 2020.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Madras Fertilizers Limited for the year ended 31 March 2020 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records. The Audit Report has been revised by the statutory auditor to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit.

In addition, I would like to highlight the following significant matters under Section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

A. Comments of Financial Position

(1) Assets

Current Assets

Other Financial Assets

Claims Recoverable (Note 5D) : ₹ 556.04 Crore

The above includes claims recoverable on account of subsidy receivables from Government of India (GoI) after adjusting revision in subsidy rates for 2019-20 based on de-escalation of input prices of Urea. The adjustment of ₹ 144.46 crore for de-escalation was made on the basis of rates notified by GoI on 26 February 2020. However, Company did not consider the subsequent notification of 30 June 2020 issued by GoI carrying revised rates for escalation / de-escalation claim for 2019-20. Since notification of 30 June 2020 was issued by GoI before date of approval of financial statements by Board of Directors of the Company (i.e. 28 August 2020), the adjustment for de-escalation in input prices should have been made based on rates specified in latest notification of June 2020 instead of February 2020. The de-escalation claims based on rates notified in 30 June 2020 notification comes to ₹ 129.32 crore.

Non consideration of revised rates of June 2020 notification to calculate de-escalation for 2019-20 has violated provisions of Ind As-10 and Company's significant accounting policy – 3 (f). This has resulted in understatement of 'Claims Recoverable (GoI Subsidy)' and overstatement of 'Loss after Tax' by ₹ 15.14 crore (₹ 144.46 crore less ₹ 129.32 crore).



(2) Equity and Liabilities

Current Liabilities

Other Current Liabilities (Note –14) : ₹ 47.94 Crore

The above does not include an amount of ₹ 4.40 crore being payable to Central Industrial Security Force (CISF) on account of penal interest upto March 2020 on delayed payment of cost of deployment. Company had shown the amount under 'Contingent Liabilities'. As the Company was liable to pay penal interest as per instructions and CISF had also reiterated its claim for penal interest on 2 April 2020, Company should have made provision for liability for penal interest in books instead of showing the same under 'Contingent Liabilities'.

Non-provision of liability for penal interest payable has resulted in understatement of 'Other Current Liabilities' and 'Loss after Tax' by ₹ 4.40 crore. Further 'Contingent Liabilities' are overstated by ₹ 4.40 crore.

B. Comments on Disclosure

Notes to Financial Statements

- (i) **Revenue from Operations (Note-15) :** As per procedure prescribed by Department of Fertilizer (DoF), Gol vide letter No.D(FA)/2016/DBT dated 17 March 2017, Direct Benefit Transfer systems entails 100 per cent payment of subsidy to the fertilizer manufacturing / importing companies on the basis of actual sales of the fertilizers by the retailers/ wholesalers to the beneficiary. The fertilizer subsidy claims settlement is done by Gol on the basis of actual quantity sold to beneficiary.

The 'Revenue from Subsidy' includes an amount of ₹ 107.86 crore which represents subsidy receivable from Gol for Fertilizer stock issued to dealers with transfer of title and risk of products delivered but remained unsold to beneficiary as on 31 March 2020. Though according to DoF letter dated 17 March 2017, subsidy became due and settled after actual sales to beneficiary. The facts that 'Revenue from Subsidy' includes an amount of ₹ 107.86 crore for which subsidy would be due and released by Gol after actual sales to beneficiary, has not been disclosed by the Company in 'Note-15 to Financial Statements'. Thus 'Note-15 to Financial Statements' is deficient to the extent.

- (ii) Department of Public Enterprises (DPE), Gol vide OM dated 3 August 2017 issued instructions for pay revision of Board level and below Board level Executives and non-unionised Supervisors of central public sector enterprises w.e.f. 1 January 2017. Para 5 of the OM provides that in respect of sick CPSEs, the revision of pay scales should be in accordance with rehabilitation packages approved by the Government after providing for the additional expenditure on account of pay revision in these packages. The Company has not implemented pay revision for its employee as it rehabilitation packages has not been approved till date. As per Notes to Financial Statements 43(f), Company was pursuing legal options to file the revival proposal to National Company Law Tribunal. Company has also submitted financial restructuring proposal to Department of Fertilizers, Gol for consideration.

Company has not disclosed the facts in 'Notes to Financial Statements' the pay revision of employees in pursuance of DPE OM dated 3 August 2017 has not been implemented due to pending approval of revival / financial restructuring proposal. This 'Notes to Financial Statements' are deficient to the extent.

**For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

Place : New Delhi
Date : 04.12.2020

Sd/-
(Amitabh Prasad)

**Principal Director of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources)**



REPLIES TO THE COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MADRAS FERTILIZERS LTD FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020

COMMENTS OF C&AG	REPLY
<p>A. Comments of Financial Position (1) Assets Current Assets Other Financial Assets Claims Recoverable (Note 5D) : ₹ 556.04 Crore</p> <p>The above includes claims recoverable on account of subsidy receivables from Government of India (Gol) after adjusting revision in subsidy rates for 2019-20 based on de-escalation of input prices of Urea. The adjustment of ₹ 144.46 crore for de-escalation was made on the basis of rates notified by Gol on 26 February 2020. However, Company did not consider the subsequent notification of 30 June 2020 issued by Gol carrying revised rates for escalation / de-escalation claim for 2019-20 . Since notification of 30 June 2020 was issued by Gol before date of approval of financial statements by Board of Directors of the Company (i.e. 28 August 2020), the adjustment for de-escalation in input prices should have been made based on rates specified in latest notification of June 2020 instead of February 2020. The de-escalation claims based on rates notified in 30 June 2020 notification comes to ₹ 129.32 crore.</p> <p>Non consideration of revised rates of June 2020 notification to calculate de-escalation for 2019-20 has violated provisions of Ind As-10 and Company's significant accounting policy – 3 (f). This has resulted in understatement of 'Claims Recoverable (Gol Subsidy)' and overstatement of 'Loss after Tax' by ₹ 15.14 crore (₹ 144.46 crore less ₹ 129.32 crore).</p>	<p>Per NPS policy subsidy is accounted based on the estimated Retention Price (Concession Price) after considering actual input costs incurred during the year 2019-20.</p> <p>The Final Notification of Concession Price is not yet received by MFL from FICC. Hence, the subsidy income for 2019-20 is calculated and accounted based on the estimated concession price by MFL on accrual basis.</p> <p>The notification dated 30-06-2020 is not the final one and is based on the input prices up to the III quarter of 2019-20 only. The final notification is awaited based on the input prices of IV quarter. The exact de-escalation amount will be known after receipt of the final notification.</p> <p>MFL have already made provision of ₹ 144.46 Cr. towards the de-escalation claims in the books of accounts based on the reduction in input prices of raw materials during the year 2019-20 based on notification dated 29-02-2020. However, the notification dated 30-06-2020 as referred by the Audit considers the reduction input prices for the period from April to December 2019 only and the reduction for balance three months had not been notified yet, the impact of which is estimated at ₹ 15.14 Cr.</p> <p>As per Company's Significant Accounting Policy of revenue recognition given in note, for the rates yet to be notified due to escalation /de-escalation, subsidy has been accounted on estimated basis which is in line with the Industrial Practice and the Company consistently following the same for the past two decades.</p> <p>As the Company, has accounted the de-escalation of the entire year 2019-20, in our opinion there is no understatement of 'Claims Recoverable (Gol Subsidy)' and overstatement of 'Loss after Tax' by ₹ 15.14 Cr, and the accounting of the same reflects a "true and fair view".</p>



<p>(2) Equity and Liabilities Current Liabilities Other Current Liabilities (Note – 14) : ₹ 47.94 Crore</p> <p>The above does not include an amount of ₹ 4.40 crore being payable to Central Industrial Security Force (CISF) on account of penal interest upto March 2020 on delayed payment of cost of deployment. Company had shown the amount under 'Contingent Liabilities'. As the Company was liable to pay penal interest as per instructions and CISF had also reiterated its claim for penal interest on 2 April 2020, Company should have made provision for liability for penal interest in books instead of showing the same under 'Contingent Liabilities'.</p> <p>Non-provision of liability for penal interest payable has resulted in understatement of 'Other Current Liabilities' and 'Loss after Tax' by ₹ 4.40 crore. Further 'Contingent Liabilities' are overstated by ₹ 4.40 crore.</p>	<p>The Company is taking all efforts for one time settlement of CISF dues including penal interest.</p> <p>As the matter is still under active negotiation between both the parties, and has not been concluded yet, the Company has not made any provision for penal interest. However, the penal interest has been included and exhibited separately under Contingent Liability.</p>
<p>B. Comments on Disclosure</p> <p>Notes to Financial Statements</p> <p>(i) Revenue from Operations (Note-15) : As per procedure prescribed by Department of Fertilizer (DoF), Gol vide letter No.D(FA)/2016/DBT dated 17 March 2017, Direct Benefit Transfer systems entails 100 per cent payment of subsidy to the fertilizer manufacturing / importing companies on the basis of actual sales of the fertilizers by the retailers/ wholesalers to the beneficiary. The fertilizer subsidy claims settlement is done by Gol on the basis of actual quantity sold to beneficiary.</p> <p>The 'Revenue from Subsidy' includes an amount of ₹ 107.86 crore which represents subsidy receivable from Gol for Fertilizer stock issued to dealers with transfer of title and risk of products delivered but remained unsold to beneficiary as on 31 March 2020. Though according to DoF letter dated 17 March 2017, subsidy became due and settled after actual sales to beneficiary. The facts that 'Revenue from Subsidy' includes an amount of ₹ 107.86 crore for which subsidy would be due and released by Gol after actual sales to beneficiary, has not been disclosed by the Company in 'Note-15 to Financial Statements'. Thus 'Note-15 to Financial Statements' is deficient to the extent.</p>	<p>Audit comment on disclosure is noted.</p> <p>To give a clear picture without any ambiguity, a disclosure in this regard will be made in the subsequent years.</p>



<p>(ii) Department of Public Enterprises (DPE), Gol vide OM dated 3 August 2017 issued instructions for pay revision of Board level and below Board level Executives and non-unionised Supervisors of central public sector enterprises w.e.f. 1 January 2017. Para 5 of the OM provides that in respect of sick CPSEs, the revision of pay scales should be in accordance with rehabilitation packages approved by the Government after providing for the additional expenditure on account of pay revision in these packages. The Company has not implemented pay revision for its employee as it rehabilitation packages has not been approved till date. As per Notes to Financial Statements 43(f), Company was pursuing legal options to file the revival proposal to National Company Law Tribunal. Company has also submitted financial restructuring proposal to Department of Fertilizers, Gol for consideration.</p> <p>Company has not disclosed the facts in 'Notes to Financial Statements' the pay revision of employees in pursuance of DPE OM dated 3 August 2017 has not been implemented due to pending approval of revival / financial restructuring proposal. This 'Notes to Financial Statements' are deficient to the extent.</p>	<p>Audit comment on disclosure is noted.</p> <p>A disclosure that the wage revision is due from 1.1.2017 and has not been implemented due to pending approval of revival / financial restructuring proposal will be made by the Company in the subsequent years.</p>
--	--

**For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

**(AMITABH PRASAD)
Principal Director of Audit
(Agriculture, Food & Water Resources)**

Place : New Delhi
Date : December 04, 2020

For and on behalf of the Board of Directors

**U SARAVANAN
Chairman & Managing Director**

Place : Chennai
Date : December 05, 2020



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

COMMENTS OF THE STATUTORY AUDITORS M/s J V RAMANUJAM & CO., CHARTERED ACCOUNTANTS, CHENNAI ON THE ACCOUNTS OF MADRAS FERTILIZERS LIMITED FOR THE YEAR 2019-20	THE COMPANY'S REPLIES UNDER SECTION 134 (3)(f) OF THE COMPANIES ACT, 2013
<p>We draw attention to Note 34 of the financial statements, which discloses that fair valuation of investment in unquoted shares of Indian Potash Limited has been carried out by an external valuer. The Valuer, as on 31.03.2020 had fair valued the investment using Net Asset Value (NAV) and Comparable Company Market (CCM) Multiple Method and the value assessed was Rs.1325.95 per share and Rs.1783.49 per share respectively. The company adopted CCM Multiple Method to ascertain the fair value of the investments held as on 31.03.2020. We observed that there is (i) increase of 33% in projected Sales for 2019-20 vs Actual Sales for 2018-19, when compared to 16.88% in 2018-19 Vs 2017-18, and (ii) projected PAT has increased by 90.88% for 2019-20 Vs Actual for 2018-19 when compared to decrease of 1.22% 2018-19 vs 2017-18. Since such high growth in Sales and PAT is estimated, the same should be supported with adequate evidence. In the absence of the same we are not able to rely on the Valuation Report for Fair Value arrived for Equity shares of Indian Potash Limited (IPL). Further we are not able to assess the Fair Value of IPL due to lack of information. Due to the aforementioned we are unable to quantify the financial effects on the Total Comprehensive Income and Financial Assets.</p>	<p>Certain financial assets and liabilities in the Company are measured at fair value for financial reporting purposes. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Company uses market-observable data to the extent it is available. Where observable inputs are not available, the Company engages third party qualified valuers to perform the valuation.</p> <p>The Company has investments in Indian Potash Limited to the tune of 15,84,000 nos of shares. The Company has engaged third party qualified registered valuer for valuation of the investment in IPL and have classified in the books of accounts as FVOCI and the same is disclosed in Significant Accounting Policies.</p> <p>As the valuation is done by the independent registered valuer and the valuation is being done for the past 3 years. The valuation is purely based on assumptions due to non-availability of data. The valuation method which is beneficial to the entity is adopted and the same was also disclosed in notes to Accounts. Taking into account the assumptions and justifications given, the Company has adopted the report and accounted the same and is in order.</p>

Sd/-
Priya Ranjan Panda
General Manager - F&A (a/c)

For J V Ramanujam & Co
Chartered Accountants

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
CA. SRI NARAYANA JAKHOTIA
Partner

M. No. 233192
FRN 0002947S
Aug 28, 2020

Sd/-
U SARAVANAN
Chairman & Managing Director

Aug 28, 2020



Statement on Impact of Audit Qualifications (for audit report with modified opinion) submitted along-with Annual Audited Financial Results - (Standalone and Consolidated separately)

Statement on Impact of Audit Qualifications for the Financial Year ended March 31, 2020

[See Regulation 33 / 52 of the SEBI (LODR) (Amendment) Regulations, 2016]

I. Sl. No.	Particulars	Audited Figures (as reported before adjusting for qualifications)	Adjusted Figures (audited figures after adjusting for qualifications)
		(Rs Cr)	(Rs Cr)
1.	Total income	1287.39	1287.39
2.	Total Expenditure	1422.27	1422.27
3.	Net Profit/(Loss)	(55.62)	(55.62)
4.	Earnings Per Share	(8.37)	(8.37)
5.	Total Assets	1527.79	1527.79
6.	Total Liabilities	1527.79	1527.79
7.	Net Worth	(630.89)	(630.89)
8.	Any other financial item(s) (as felt appropriate by the management)		

II. Audit Qualification (each audit qualification separately):

a. Details of Audit Qualification:

We draw attention to Note 34 of the financial statements, which discloses that fair valuation of investment in unquoted shares of Indian Potash Limited has been carried out by an external valuer. The Valuer, as on March 31, 2020 had fair valued the investment using Net Asset Value (NAV) and Comparable Company Market (CCM) Multiple Method and the value assessed was Rs.1325.95 per share and Rs.1783.49 per share respectively. The company adopted CCM Multiple Method to ascertain the fair value of the investments held as on March 31, 2020. We observed that there is (i) increase of 33% in projected Sales for 2019-20 vs Actual Sales for 2018-19, when compared to 16.88% in 2018-19 Vs 2017-18, and (ii) projected PAT has increased by 90.88% for 2019-20 Vs Actual for 2018-19 when compared to decrease of 1.22% 2018-19 vs 2017-18. Since such high growth in Sales and PAT is estimated, the same should be supported with adequate evidence. In the absence of the same we are not able to rely on the Valuation Report for Fair Value arrived for Equity shares of Indian Potash Limited (IPL). Further we are not able to assess the Fair Value of IPL due to lack of information. Due to the aforementioned we are unable to quantify the financial effects on the Total Comprehensive Income and Financial Assets.

b. Type of Audit Qualification : Qualified Opinion / Disclaimer of Opinion / Adverse Opinion

Qualified



c. Frequency of qualification: Whether appeared first time / repetitive / since how long continuing
First time

d. For Audit Qualification(s) where the impact is quantified by the auditor, Management's Views:
Impact not quantified by the auditor.

e. For Audit Qualification(s) where the impact is not quantified by the auditor:

(i) Management's estimation on the impact of audit qualification:

Not quantifiable.

(ii) If management is unable to estimate the impact, reasons for the same:

Fair value of financial instruments should be determined in accordance with the principles enunciated in Ind As 113 – Fair Value Measurement. Fair value has been defined under Ind As 113 as “Fair Value Measurements” and generally it will be quoted prices of that equity investment which are quoted or fair value as calculated using valuation techniques in case Unquoted equity investments.

In case of observable inputs are not readily available, company engages the professional services of independent third party qualified valuers to perform the valuation.

As the company has investment to the tune of 15,84,000 number of equity shares in Indian Potash Limited (IPL), which is a closely held company and not traded in the open market, observable inputs are not readily available for measurement of the fair value.

Accordingly, MFL has engaged independent certified valuer for valuation of the investment in IPL and have classified in the books of accounts as Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI) and it is disclosed in significant Accounting Policies.

The fair valuation of the investment has been done by the valuer for past three years and taking into account the assumptions and justifications given in report. The Valuer, had fair valued the investment using Net Asset Value (NAV) and Comparable Company Market (CCM) Multiple Method and recommended for valuation at higher value of the above two methods.

As opposed to the auditor's observation of the company adopted CCM Method to ascertain the fair value of the investments held as on March 31, 2020, it is the recommendation of the valuer for the same and the company has adopted the report and accounted the same.

The method of valuation at higher value of the two methods same is followed consistently for last three years and also accepted by the auditors during the previous years. There is no change in the policy for the current year.

Neither the company nor the auditor is not able to assess the Fair Value of Indian Potash Limited due to lack of information. The company is also not technically competent to carry out fair valuation of Equity Shares.

Hence the accounting is in order.



(iii) Auditors' Comments on (i) or (ii) above:

We observed that there is (i) increase of 33% in projected Sales for 2019-20 vs Actual Sales for 2018-19, when compared to 16.88% in 2018-19 Vs 2017-18, and (ii) projected PAT has increased by 90.88% for 2019-20 Vs Actual for 2018-19 when compared to decrease of 1.22% 2018-19 vs 2017-18. Since such high growth in Sales and PAT is estimated, the same should be supported with adequate evidence. In the absence of the same we are not able to rely on the Valuation Report for Fair Value arrived for Equity shares of Indian Potash Limited (IPL).

We are not Registered Valuers hence not technically competent to calculate Fair Value of Equity share of IPL. However, since we are not reasonably satisfied with the Valuation carried out by the external valuer we had to provide a Qualified Audit Report owing to the fact that value involved is material.

III Signatories:

Sd/-
Chairman & Managing Director

Sd/-
General Manager – F&A (a/c)

Sd/-
Audit Committee Chairman

Sd/-
Statutory Auditor

Place : Chennai

Date : August 28, 2020



INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To the Members of Madras Fertilizers Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the accompanying amended and restated financial statements of **Madras Fertilizers Limited, Manali**, which comprise the amended and restated Balance Sheet as at March 31, 2020, and the amended and restated Statement of Profit and Loss (including Other Comprehensive Income), the amended and restated Statement of Changes in Equity and the amended and restated Statement of Cash Flows for the year then ended and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the matters mentioned in the 'Basis of Qualified Opinion' section of our report, the aforesaid amended and restated financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the company as at March 31, 2020; and its Loss after Tax, Total Comprehensive Loss, the changes in Equity, and Cash Flows for the year ended on that date.

Basis of Qualified Opinion

We draw attention to Note 34 of the financial statements, which discloses that fair valuation of investment in unquoted shares of Indian Potash Limited has been carried out by an external valuer. The Valuer, as on March 31, 2020 had fair valued the investment using Net Asset Value (NAV) and Comparable Company Market (CCM) Multiple Method and the value assessed was Rs.1325.95 per share and Rs.1783.49 per share respectively. The company adopted CCM Multiple Method to ascertain the fair value of

the investments held as on March 31, 2020. We observed that there is (i) increase of 33% in projected Sales for 2019-20 vs Actual Sales for 2018-19, when compared to 16.88% in 2018-19 Vs 2017-18, and (ii) projected PAT has increased by 90.88% for 2019-20 Vs Actual for 2018-19 when compared to decrease of 1.22% 2018-19 vs 2017-18. Since such high growth in Sales and PAT is estimated, the same should be supported with adequate evidence. In the absence of the same we are not able to rely on the Valuation Report for Fair Value arrived for Equity shares of Indian Potash Limited (IPL). Further we are not able to assess the Fair Value of IPL due to lack of information. Due to the aforementioned we are unable to quantify the financial effects on the Total Comprehensive Income and Financial Assets.

Emphasis of Matter

- i. We draw attention to Note 47 regarding
 - a. Accounting of a sum of Rs.144.46 Crores towards de-escalation in input prices which has been considered as payable to Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC) for the year ended March 31, 2020 under New Pricing Scheme (NPS) for Urea. Adjustments may arise in future in respect of the above on final payment.
 - b. Accounting of a sum of Rs.16.26 Crores of subsidy claim for additional fixed cost of Rs.350/ MT of Urea as envisaged in the modified NPS III Policy announced by DOF dated April 02, 2014, the notification of which is awaited.
 - ii. We draw attention to Note 43 (g) regarding balances in Long term borrowings and Other current liabilities from GOI, Trade Receivable/ Payables, Claim recoverable and loans and advances are subject to confirmation and consequential adjustments;
- Our opinion is not modified in respect of the above matters.



Restatement of Financial Statements

Without modifying our opinion, we draw attention to the following which explains that the amended and restated Financial Statements for the year ended March 31, 2020 have been restated from those which were originally reported on June 19, 2020.

The Company has accounted subsidy income of Rs.64.97 Crore towards additional compensation for Nutrient Based Subsidy (NBS) for producing P&K fertilizers. We observed that during FY 2015-16 based on the Order of SEBI dated December 16, 2015, regarding reversal of Additional Compensation for NPK, for the FY 2012-13, the Company has reversed entire amount of Additional Compensation recognized during FY 2012-13 (₹ 47.40 Cr), 2013-14 (₹ 20.80 Cr) and 2014-15 (₹ 23.80 Cr) totalling to ₹ 92 Cr. Hence SEBI has sought clarification regarding the same and directed the company to place the matter before its Audit Committee for further review. Based on the instructions issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), The Annual Accounts for FY 2019-20 was submitted for further review to the Audit Committee in its meeting held on August 13, 2020. Accordingly, the Audit Committee reviewed it and advised that the Company may restate the Annual Accounts and reverse the booking of Additional compensation of Rs.64.97 Crores. The Additional Compensation may be taken into account only as and when final order will be received from the Department of Fertilizers, Government of India.

The above restatement has been modified to include brief note instead of drawing attention based on the comments of the CAG. This report replaces our earlier Report dated August 28, 2020.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Sl. No	Key Audit Matter	Auditors' Response
1	Revenue Recognition – Sale of goods Revenue from sale of goods is recognized when the control of goods is transferred to the customers. In terms of the application of the new revenue accounting standard Ind AS 115 (Revenue from Contracts with Customers), for some contracts, control is transferred either when the product is delivered to the customer's site or when the product is shipped, depending on the	We have performed the following principal audit procedures in relation to revenue recognised. <ul style="list-style-type: none">• Understood the revenue recognition process, evaluated the design and implementation, and operating effectiveness of internal controls relating to revenue recognised.• Selected samples and tested the operating effectiveness of internal controls, relating to transfer



Sl. No	Key Audit Matter	Auditors' Response
	<p>applicable terms. The Management has exercised judgement in applying the revenue accounting policy while recognising revenue.</p>	<p>of control. We carried out a combination of procedures involving enquiry, observation and inspection of evidence in respect of operation of these controls.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tested the relevant information technology general controls, automated controls, and the related information used in recording and disclosing revenue. • In respect of the selected sample of transactions: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tested whether the revenue is recognised upon transfer of control to customer. ➤ We have evaluated the delivery and shipping terms of the contracts for revenue recognised during the period. ➤ We have also tested the location stock reports from Company warehouses, where applicable, for confirmation on sales quantity made during the year. ➤ Tested that the revenue recorded is after considering the applicable rebates and discounts. ➤ For samples near to period end, tested the acknowledgments of customers.
	<p>Subsidy income / Government subsidies and related receivables</p> <p>Refer to note 3 (f) 'Revenue' and note 2(d)(iv) 'Use of estimates and judgements' to the financial statements. Subsidy income pertaining to the Nutrient and other allied business is recognised on the basis of the rates notified from time to time by the Department of Fertilizers, Government of India ('GOI') in accordance with the Nutrient Based Subsidy ('NBS') policy on the quantity of fertilizers sold by the Company for the period for which notification has been issued and for the remaining period, based on estimates, when there is a reasonable assurance that the Company will comply with all necessary conditions attached to Subsidy including Direct Benefit Transfer ('DBT') System which was introduced by Government of India.</p>	<p>The following principal audit procedures have been performed by us in relation to subsidy income recognition.</p> <ul style="list-style-type: none"> • We have read the relevant circulars and notifications issued by GOI from time to time with regard to the subsidy policies. • We have had robust interactions with the relevant personnel in the Company with regard to updates of GOI Policy, their interpretations of the relevant circulars and notifications. • Tested the relevant information technology general controls, automated controls, and the related information used in recording and disclosing subsidy income. • We have tested the NBS rates considered by the Company for the product subsidy with the applicable circulars and notifications. • We have correlated the sales quantity considered for subsidy income with the actual sales made by the Company. • We have also agreed the quantities sold as per the Company books with the customer acknowledgements as per the iFMS portal of the Department of Fertilizers and tested the DBT claims made by the Company.



Sl. No	Key Audit Matter	Auditors' Response
		<ul style="list-style-type: none">We have enquired from the Management and discussed with the Board of Directors, the appropriateness of the subsidy rates applied to recognise subsidy income. <p>Valuation of subsidy receivables: Following are the principal audit procedures performed on testing of valuation of subsidy receivables:</p> <ul style="list-style-type: none">We have analysed and discussed the status of outstanding subsidy receivables and its realisability with the Management.We have tested the sanction notes received from the GOI for receipts.We have tested the credits in the bank statements for the receipts.We have tested whether the deductions made by the GOI have been adjusted in the books of accounts.
3	<p>Property, Plant and Equipment</p> <p>Management judgement is utilised for determining the carrying value of property, plant and equipment, intangible assets and their respective depreciation/ amortization rates. These include the decision to capitalise or expense costs; the annual asset life review; the timelines of the capitalisation of assets and the measurement and recognition criteria for assets retired from active use. Please refer accounting policy.</p>	<p>We have done verification of controls in place over the fixed assets cycle, evaluated the appropriateness of capitalisation process, performed tests to verify the capitalised costs, assessed the timelines of the capitalisation of the assets and assessed the derecognition criteria for assets retired from active use.</p> <p>Useful life review of assets has been assessed by the management. In performing these procedures, we reviewed the judgements made by management including the nature of underlying costs capitalised; determination of realizable value of the assets retired from active use; the appropriateness of asset lives applied in the calculation of depreciation/ amortization; and the useful lives of assets prescribed in Schedule II of the Companies Act, 2013.</p>
4	<p>Provisions and Contingent Liabilities</p> <p>The Company is involved in certain legal and tax disputes and the assessment of the risks associated with the litigations is based on Management assumptions, which require the use of judgement and such judgement relates, primarily, to the assessment of the uncertainties connected to the prediction of the outcome of the proceedings.</p>	<p>Our audit procedure in response to same is included, among others,</p> <ul style="list-style-type: none">Assessment of the process to identify legal and tax litigations, and pending administrative proceedings.Assessment of assumptions used in the evaluation of potential legal and tax risks performed by the legal and tax department of the Company considering the legal precedence and other rulings/judgement in similar cases.Analysis of opinion received from the tax consultant where available.Review of the adequacy of the disclosures in the notes to the financial statements.



Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's report, Management discussion and analysis and Report on corporate governance, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is no material misstatement of this other information we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance, (changes in equity) and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue

as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Paragraph 40(b) of this SA explains that the shaded material below can be located in an Appendix to the auditor's report. Paragraph 40(c) explains that when law, regulation or applicable auditing standards expressly permit, reference can be made to a website of an appropriate authority that contains the description of the auditor's responsibilities, rather than including this material in the auditor's report, provided that the description on the website addresses, and is not inconsistent with, the description of the auditor's responsibilities below.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.



- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We

describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- (1) As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
- (2) As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
 - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those;
 - c) the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, Statement of Changes in Equity and the Statement of Cash Flow dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
 - d) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act.
 - e) The Ministry of Corporate Affairs has clarified that the provisions of sub section (2) of Section 164 the Companies Act, 2013 are not applicable to Government Companies.
 - f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B".
 - g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of



the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements.
- ii. The Company has made provision, as required under the applicable law and Accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts.
- iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the investor's education and protection fund by the Company.

(3) As required by section 143(5) of the Act, we have considered the directions issued by the Comptroller and Auditor General of India, the action taken thereon and its impact on the accounts and financial statements of the company:

SI No	Areas Examined	Suggested Replies
1	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Yes, the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system.
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	During the year, there was no Restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to Madras Fertilizers.
3	Whether funds received/receivable for specific schemes from central/ state agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	During the year, No funds were received or are receivable for Specific Schemes from Central or State Agencies.

(4) Additional Company specific directions issued u/s 143(5) of the Companies Act, 2013 by C&AG:

Sl.No.	Sub Direction	Suggested Replies
4	Whether Subsidy was recognized as per the provisions of Direct Benefit Transfer Scheme?	Under Direct Benefit Transfer (DBT) scheme of GOI, the Company is entitled to receive subsidy only upon sale of fertilizer by the dealer to the ultimate beneficiary through Point of Sale (PoS) devices. However, the Company continues to account subsidy as income at the time of sale to dealers as in the earlier scheme, considering the reasonable assurance that the sale will take place and subsidy will be received based on the industry practice and past experience.

The above sub-direction is included in the report based on the direction of CAG.

for **J. V. RAMANUJAM & Co.,**
Chartered Accountants
FRN: 02947S

(SRI NARAYANA JAKHOTIA)
Partner

Chennai
Oct 09, 2020

M. No: 233192
UDIN: 20233192AAAAAJ4792



“ANNEXURE A” TO INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

(Referred to in Paragraph 1 under the heading “Report on Other Legal and Regulatory Requirements” of our report of even date on the accounts of Madras Fertilizers Limited, Manali (“the Company”), for the year ended March 31, 2020)

- i) (a) The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of its fixed assets.
- (b) According to the information and explanations given to us, physical verification of movable fixed assets is being conducted in a phased manner by the management under a programme designed to cover all the movable fixed assets over a period of three years, which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its business. As per the information and explanations provided by the management, the same has been carried out during the financial year. Immovable Fixed Assets like plant and machinery is being inspected every year by an independent chartered engineer.
- (c) Title deeds of immovable properties were not provided to us for verification; hence we are unable to comment on the same.
- ii) (a) Physical verification of inventories inside factory premises and at Chennai Port has been carried out by a independent surveyor at year end and the physical verification of stocks of stores and spare parts has been conducted by an independent firm of Chartered Accountants on a ongoing basis so as to complete the verification of all items over the period of one year. Finished goods at warehouse are taken as per warehousing certificates. Warehousing certificates has not been received in a few cases, which however is not significant in value.
- (b) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the procedures for physical verification of inventory followed by the management were reasonable and adequate in relation to the size of the company and the nature of its business.
- (c) In our opinion, the company has maintained proper records of inventory. We are informed that no major discrepancies were noticed on verification between the physical stock and book records.
- iii) According to the information given to us, the Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties covered in the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013. Therefore clauses (iii) (a), (iii) (b) and (iii)(c) of Paragraph 3 of the Order are not applicable to the Company.
- iv) The Company has complied with the provisions of the section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 in respect of loans, investments, guarantees, and security.
- v) According to the information and explanations given to us, the Company has complied with the provisions of Section 73 to 76, other relevant provisions of the Act and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 with regard to deposits accepted from public. The Company has not accepted any deposits from public during the year within the meaning of sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the Companies (Acceptance of Deposits) Rules 2014.
- vi) We have broadly reviewed the books of account and records maintained by the Company pursuant to the Companies (Cost Records and Audit) Rules 2014 prescribed by the Central Government under section 148(1) of the Companies Act, 2013, and are of the opinion that prima facie the prescribed accounts and records have been made and maintained. We have, however, not made a detailed examination of the cost records with a view to determine whether they are accurate and complete.
- vii) (a) According to the information and explanations given to us, in our opinion, the Company is generally regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues including Provident Fund, Employees’ State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, duty of Customs, duty of Excise, Value Added Tax, Cess and any other statutory dues as applicable to it.



(b) According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of Provident Fund, Employees State Insurance, Income Tax, Sales Tax, Service Tax, duty of Customs, duty of Excise, Value Added Tax, Cess and any other statutory dues were outstanding as at March 31, 2020 for a period of more than six months from the date they became payable except for the following:

Nature of Dues	INR Crores
Entry tax (Tamil Nadu)	2.53
VAT (Tamil Nadu)	2.51
Sales Tax under TNGST Act	7.79
Total	12.83

(c) According to the information and explanations given to us, there are no dues of Income Tax Act, Excise Duty, Customs Duty, Value Added Tax, Sales Tax and Service Tax which have not been deposited with the appropriate authorities on account of any dispute.

viii) Based on our audit procedures and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in repayment of loans or borrowings to a financial institution, bank, or dues to debenture holders except in respect of the default of repayment of principal amount of the following Government of India (GOI) Loans:

Nature of Loan	Year of Default	INR in Crores	Year of default	INR in Crores
GOI Loans	2004-05	23.49	2012-13	38.33
GOI Loans	2005-06	23.48	2013-14	45.78
GOI Loans	2006-07	24.89	2014-15	32.68
GOI Loans	2007-08	26.07	2015-16	32.68
GOI Loans	2008-09	27.03	2016-17	31.28
GOI Loans	2009-10	26.44	2017-18	30.09
GOI Loans	2010-11	27.34	2018-19	29.14
GOI Loans	2011-12	28.63	2019-20	28.25
			Total *	475.62

* The above loan consists of Plan loans, Non Plan Loans and Revamp Loans.

ix) The Company did not raise any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term loans during the year.

Accordingly, paragraph 3 (ix) of the Order is not applicable.

x) During the course of our examination of the books and records of the Company, carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India, and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Company or any fraud on the Company by its officers or employees has been noticed or reported during the course of our Audit.

xi) In respect of sl. no. (xi), being a Govt. Company, Section 197 of the Companies Act, 2013 is not applicable to the Company in view of Notification no. G.S.R. 463(E) dtd. 05-06-2015

xii) The company is not a Nidhi Company. Therefore clause 3 (xii) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 is not applicable to the Company.

xiii) According to the records of the Company examined by us and the information and explanations given to us, there are no related party transactions; accordingly clause (xi) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 is not applicable to the Company.

xiv) According to the information and explanations given to us, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review, and therefore clause 3(xiv) of the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 is not applicable to the Company.

xv) According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has not entered into non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, paragraph 3(xv) of the Order is not applicable.

xvi) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.

for **J. V. RAMANUJAM & Co.,**
Chartered Accountants
FRN: 02947S

(SRI NARAYANA JAKHOTIA)
Partner

Chennai
Oct 09, 2020

M. No: 233192
UDIN: 20233192AAAAAJ4792



“ANNEXURE B” TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT OF EVEN DATE ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF MADRAS FERTILIZERS LIMITED

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of M/s Madras Fertilizers Limited (“the Company”) as of March 31, 2020 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The Company’s management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company’s internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and

plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company’s internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A company’s internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company’s internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company’s assets that could have a material effect on the financial statements.



Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over

financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2020, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India and jointly controlled companies, which are companies incorporated in India, as of that date.

*for J. V. RAMANUJAM & Co.,
Chartered Accountants
FRN: 02947S*

(SRI NARAYANA JAKHOTIA)

Partner

Chennai
Oct 09, 2020

M. No: 233192

UDIN: 20233192AAAAAJ4792

**BALANCE SHEET**

as at March 31, 2020

(₹ Crores)

	Note	31 March 2020	31 March 2019
Assets			
Non-current assets			
Property, plant and equipment	1	198.72	146.40
Capital work-in-progress	1	3.13	30.59
Investment property	1	1.22	1.22
Financial assets	2		
Investments	2A	282.50	197.91
Loans	2B	-	0.01
Other financial assets	2C	0.28	0.24
Other non-current assets	3	16.47	17.03
Total non-current assets		502.32	393.40
Current assets			
Inventories	4	250.76	280.86
Financial assets	5		
Trade receivables	5A	50.87	27.21
Cash and cash equivalents	5B	133.31	36.82
Loans	5C	7.07	0.91
Other financial assets	5D	556.04	815.31
Other current assets	6	27.42	13.78
Total current assets		1025.47	1,174.89
Total assets		1,527.79	1,568.29
Equity and liabilities			
Equity			
Equity share capital	7	162.14	162.14
Other equity	8		
Retained earnings		(805.42)	(749.80)
Other reserves		12.39	12.39
Total equity		(630.89)	(575.27)

**BALANCE SHEET**

as at March 31, 2020 (Contd)

(₹ Crores)

	Note	31 March 2020	31 March 2019
Liabilities			
Non-current liabilities			
Financial liabilities	9		
Borrowings	9A	51.28	78.62
Provisions	10	42.44	38.61
Other non-current liabilities	11	1.78	2.55
Total non-current liabilities		95.50	119.78
Current liabilities			
Financial liabilities	12		
Borrowings	12A	1,749.49	1,572.97
Trade payables	12B	115.88	276.97
Other financial liabilities	12C	139.80	125.56
Provisions	13	10.07	8.76
Other current liabilities	14	47.94	39.52
Total current liabilities		2,063.18	2,023.78
Total equity and liabilities		1,527.79	1,568.29

Notes 1 to 55 form part of these financial statements.

/For and on behalf of the Board/

U SARAVANAN
Chairman & Managing Director**LALSANGLUR**
Director**PRIYA RANJAN PANDA**
General Manager-F&A (a/c)**Dr GIRISH KUMAR**
Company Secretary

Aug 28, 2020

As per our Report of even date

For **J V Ramanujam & Co.,**
Chartered Accountants
FRN 002947S**CA SRI NARAYANA JAKHOTIA**
Partner
M No 233192

Aug 28, 2020



STATEMENT OF PROFIT AND LOSS

for the year ended March 31, 2020

(₹ Crores)

	Note	for year ended 31 March 2020	for year ended 31 March 2019
Revenue from operations	15	1274.39	1,593.00
Other income	16	13.00	17.80
Total income		1287.39	1610.80
Expenses			
Cost of materials consumed	17	1152.43	1318.88
Purchase of stock - in - trade	18	5.57	3.82
Changes in inventories and finished goods	19	(78.60)	46.16
Employee benefit expenses	20	95.97	100.54
Finance costs	21	90.29	100.03
Depreciation	22	26.38	22.99
Other expenses	23	130.23	148.20
Total expenses		1422.27	1740.62
Profit/(Loss) before exceptional items and tax		(134.88)	(129.82)
Exceptional items	24	-	0.00
Profit/(Loss) after exceptional items and before tax		(134.88)	(129.82)
Tax expense:			
Current tax		-	-
Deferred tax		-	-
MAT credit		-	-
Income tax expense		-	-
Profit/(Loss) after tax (A)	C/o	(134.88)	(129.82)

**STATEMENT OF PROFIT AND LOSS**

for the year ended March 31, 2020 (Contd)

(₹ Crores)

	Note	for year ended 31 March 2020	for year ended 31 March 2019
Other comprehensive income (OCI)			
Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss			
Remeasurements of defined benefit obligation (net of tax)	25	(5.33)	(2.39)
Fair valuation of IPL Investment		84.59	48.97
Items that will be reclassified subsequently to profit or loss			
		-	-
Total other comprehensive income not to be reclassified subsequently to profit or loss (B)		79.26	46.58
Total comprehensive income for the year (A+B)		(55.62)	(83.24)
Earnings per share			
26			
Basic earnings per share (₹)		(8.37)	(8.06)
Diluted earnings per share (₹)		(8.37)	(8.06)

Notes 1 to 55 form part of these financial statements.

/For and on behalf of the Board/

U SARAVANAN
Chairman & Managing Director

LALSANGLUR
Director

PRIYA RANJAN PANDA
General Manager-F&A (a/c)

Dr GIRISH KUMAR
Company Secretary

Aug 28, 2020

As per our Report of even date

For **J V Ramanujam & Co.,**
Chartered Accountants
FRN 002947S

CA SRI NARAYANA JAKHOTIA
Partner
M No 233192

Aug 28, 2020

**CASH FLOW STATEMENT**

For the year ended 31 March 2020

(₹ Crores)

	2019-20	2018-19
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
Profit / (Loss) before Tax for the year	(134.88)	(129.82)
Adjustments for:		
Depreciation	26.38	22.99
Exceptional item (Depreciation)	0.00	0.00
Loss/(profit) from sale of Fixed Asset	(0.13)	(0.01)
Interest Expenses	90.29	100.03
Interest Income	(3.68)	(0.49)
Net gain arising on financial asset mandatorily measured at FVTPL	0.00	0.00
Unrealised Foreign Exchange Fluctuation Loss	0.00	2.94
Dividend Income	(0.24)	(0.24)
Operating Profit Before Working Capital Changes	(22.26)	(4.60)
Working capital adjustments		
(Increase)/Decrease in Inventories	30.10	(61.00)
(Increase)/Decrease in Trade Receivables	(23.66)	(7.16)
(Increase)/Decrease in Loans & Advances	(6.16)	0.12
(Increase)/Decrease in Other Assets	246.19	131.16
Increase/(decrease) in Provisions	(0.19)	4.48
Increase/(decrease) in Trade Payables	(161.09)	(107.78)
Increase/(decrease) in Other Liabilities	21.89	22.15
Cash generated from / (used in) Operations	84.82	(22.63)
Direct taxes paid (net of refunds)	-	-
Net Cash Flow from / (used) in Operating Activities (A)	84.82	(22.63)
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Purchase of Fixed Assets	(51.24)	(21.83)
Proceeds from sale of Fixed Assets	0.13	7.96
Interest Received	3.68	0.49
Dividend Received	0.24	0.24
Net Cash Flow from / (used) in Investing Activities (B)	(47.19)	(13.14)

**CASH FLOW STATEMENT**

For the year ended 31 March 2020 (Contd)

(₹ Crores)

	2019-20	2018-19
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Proceeds from Issue of Share Capital	0.00	0.00
Net proceeds from/ (Repayment of) Term Borrowings	0.00	0.00
Net proceeds from Financial Assets	(0.03)	0.27
Net proceeds from Working capital and Short-term borrowings	94.60	90.56
Interest paid	(35.71)	(45.45)
Net Cash Flow from / (used) in Financing Activities (C)	58.86	45.38
Net increase/(decrease) in Cash & Cash Equivalents (A+B+C)	96.49	9.61
Cash & Cash Equivalents as at 1st Apr (Op. Bal)	36.82	27.21
Cash & Cash Equivalents as at 31st Mar (Cl. Bal.)	133.31	36.82
COMPONENTS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS		
Cash on Hand	0.00	0.00
Remittance in Transit	0.00	0.00
Balance with banks:		
in Current and Cash Credit Accounts	0.08	0.07
in Term Deposits with less than 12 months maturity	133.23	36.75
Total Cash and Cash equivalents	133.31	36.82

Notes 1 to 55 form part of these financial statements.

/For and on behalf of the Board/

U SARAVANAN
Chairman & Managing Director**LALSANGLUR**
Director**PRIYA RANJAN PANDA**
General Manager-F&A (a/c)**Dr GIRISH KUMAR**
Company Secretary

Aug 28, 2020

As per our Report of even date

For **J V Ramanujam & Co.,**
Chartered Accountants
FRN 002947S**CA SRI NARAYANA JAKHOTIA**
Partner
M No 233192

Aug 28, 2020



Statement of Changes in Equity

For the year ended 31 March 2020

(₹ Crores)

a. Equity share capital

Balance as at 1 April 2019	162.14	162.14
Changes in equity share capital during 2019-20	-	-
Balance as at 31 March 2020	162.14	162.14

b. Other equity

(₹ Crores)

	Reserves and surplus		
	Securities Premium	Retained earnings	Total
Total comprehensive income for the year ended 31 March 2019	12.39	(749.80)	(737.41)
Loss	-	(134.88)	(134.88)
Other comprehensive income (net of tax)	-	79.26	79.26
Total comprehensive income	-	(55.62)	(55.62)
Balance as at 31 March 2020	12.39	(805.42)	(793.03)



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

Notes to the financial statements Property, plant and equipment As at 31 March 2020

Note -1

	Gross block		Accumulated depreciation		Net block	
	As at 31 March 2019	Additions Deductions / adjustments March 2020	As at 31 March 2019	For the year adjustments 31 March 2020	As at March 2020	As at 31 March 2019
Land *	0.72		-	-	0.72	0.72
Road, bridges and other facilities	2.38	0.49	0.09	0.43	2.35	2.29
Railway siding **	0.09	0.09	0.03	0.02	0.04	0.06
Buildings	6.35	3.07	1.12	0.38	7.92	5.23
Plant and machinery	197.23	74.45	62.01	24.77	184.90	135.22
Automotive and service equipment	1.44	0.41	0.24	0.21	1.40	1.20
Lab equipment	0.53		(0.28)	0.29	0.52	0.80
Office equipment	1.03	0.03	0.69	0.17	0.20	0.35
Furniture and fittings	0.45	0.23	0.13	0.07	0.48	0.32
Air conditioner and water cooler	0.29	0.02	0.08	0.04	0.19	0.21
Capital work in progress	30.59	30.79	-	-	3.13	30.59
Investment property	1.25	1.25	0.03	0.03	1.22	1.22
Total	242.35	109.49	64.14	26.38	203.07	178.20

The Company has elected the previous GAAP carrying amounts as deemed cost on the date of transition for Property, plant & equipment and Capital work in progress. Hence, net block as at March 31, 2016 is considered as opening gross block as at April 1, 2016

* Includes

- a) ₹ 0.12 Cr being payment for 297.75 acres out of 329.40 acres handed over to the Company by the Tamilnadu Government and is subject to communication of final value by the Government.
- b) ₹ 0.51 Cr being payment for about 78 grounds of land allotted by Chennai Metropolitan Development Authority, the title for which has since been passed to the Company.

** Includes ₹ 0.08 Cr representing 5/24 share of total cost of the Railway Siding commonly used by Chennai Petroleum Corporation Limited, Madras Fertilizers Limited, Madras Petrochem Limited, Steel Authority of India Limited and Rashtriya Ispat Nigam Limited.

The Company has performed fair valuation for its investment property and provided below are the values:

- a. Vijayawada bio building - 0.10 Crore
- b. Vijayawada bio land - 4.88 Crore
- c. Land rented to CPCL - 21.17 Crore
- d. Vacant land in Manali - 544.41 Crore
- e. Vacant land in Gujarat - 0.05 Crore
- f. Vacant land in Guindy - 43.77 Crore

There is no impairment loss identified for the assets.

**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS**

	(₹ Crores)	
	As at 31 March 2020	As at 31 March 2019
2 Financial assets		
A. Investments		
Trade investment- unquoted		
Indian Potash Limited 15,84,000 Equity Shares (P.Y 15,84,000) of ₹ 10 each fully paid. These are valued at the fair value at each reporting date.	282.50	197.91
Fortune Bio-Tech Ltd (12,50,000 shares of ₹ 10 each fully paid. The fair value of the investment has been assessed as 'Nil' by the management)	-	-
	<u>282.50</u>	<u>197.91</u>
B. Loans		
Secured loans (Secured against Mortgage of Title Deeds)	-	0.01
Unsecured:		
- Employee loans	-	-
	<u>-</u>	<u>0.01</u>
C. Other financial assets - Non current		
Rental deposits	0.28	0.24
	<u>0.28</u>	<u>0.24</u>
3 Other non-current assets		
Deposits with government departments and others	14.75	14.70
Balances with customs, port trust and excise authorities	0.94	1.10
Lease equalization reserve	0.78	1.21
Prepaid rent	-	0.01
Prepaid staff cost	-	0.01
	<u>16.47</u>	<u>17.03</u>
4 Inventories		
Stock in trade		
Raw materials on hand	67.82	118.94
Raw materials in transit	-	62.46
Work-in-progress	65.47	13.45
Finished products		
Fertilizers	30.11	3.53
Agro chemicals	-	-
Stores and spares		
On hand	67.68	57.92
In transit	6.59	18.00
Loose tools	0.21	0.29
Others		
Catalysts	10.20	1.21
Packing materials	2.68	5.06
	<u>250.76</u>	<u>280.86</u>



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

5 Financial assets	(₹ Crores)	
	As at 31 March 2020	As at 31 March 2019
A. Trade receivables		
Secured		
a. Considered good	50.87	27.21
b. Considered doubtful	4.44	4.44
Less: Impairment on trade receivables	(4.44)	(4.44)
	<u>50.87</u>	<u>27.21</u>
B. Cash and cash equivalents		
Cash on hand	0.00	0.00
Balances with scheduled banks		
In current account	0.08	0.07
Term deposits	133.23	36.75
	<u>133.31</u>	<u>36.82</u>
C. Loans		
a) Unsecured		
Staff advances		
i. Considered good	7.07	0.91
	<u>7.07</u>	<u>0.91</u>
D. Other financial assets		
Claims recoverable		
-GOI Subsidy	481.89	706.52
-GST-ITC	68.55	95.33
-Others	6.61	14.47
Less : Provision for impairment	(1.01)	(1.01)
	<u>556.04</u>	<u>815.31</u>
6 Other current assets		
Prepaid expenses	14.13	11.11
Prepaid rent	0.02	0.01
Prepaid staff cost	-	0.04
Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received	12.84	2.36
Lease equalization reserve	0.43	0.26
	<u>27.42</u>	<u>13.78</u>



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

7 Equity share capital

	(₹ Crores)	
	As at 31 March 2020	As at 31 March 2019
Authorised		
17,50,00,000 equity shares of INR 10 each	175.00	175.00
19,00,00,000 preference shares of INR 10 each	190.00	190.00
	<u>365.00</u>	<u>365.00</u>
Issued,Subscribed and paid up capital		
16,11,01,300 equity shares of INR 10 each fully paid up	161.10	161.10
Forfeited Shares		
20,76,600 equity shares of INR 5 paid up	1.04	1.04
	<u>162.14</u>	<u>162.14</u>

Reconciliation of shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting period

	<u>As at 31 March 2020</u>		<u>As at 31 March 2019</u>	
	Number	Amount	Number	Amount
Equity shares				
At the commencement of the year	16,11,01,300	161.10	16,11,01,300	161.10
Shares issued for cash	-	-	-	-
Shares bought back	-	-	-	-
At the end of the year	<u>16,11,01,300</u>	<u>161.10</u>	<u>16,11,01,300</u>	<u>161.10</u>
Add :Shares Forfeited at the beginning of the period	<u>20,76,600</u>	<u>1.04</u>	<u>20,76,600</u>	<u>1.04</u>
	<u>16,31,77,900</u>	<u>162.14</u>	<u>16,31,77,900</u>	<u>162.14</u>

Particulars of shareholders holding more than 5% shares of equity shares

	<u>As at 31 March 2020</u>		<u>As at 31 March 2019</u>	
	Number	% of total shares	Number	% of total shares
Equity shares of ₹ 10 each fully paid-up held by -				
Government of India	9,58,51,700	59.50	9,58,51,700	59.50
Nafiran Intertrade Co. Ltd	4,15,16,500	25.77	4,15,16,500	25.77
Public (collectively)	2,58,09,700	14.73	2,58,09,700	14.73



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

8 Other equity	(₹ Crores)	
	As at 31 March 2020	As at 31 March 2019
Retained earnings	(805.42)	(749.80)
Other reserves		
Securities premium		
Opening balance	12.39	12.39
Addition / (utilization) during the period	-	-
Closing balance	12.39	12.39
Total other equity	<u>(793.03)</u>	<u>(737.41)</u>
Securities premium		
Securities premium is used to record the premium received on issue of shares. It is utilized in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013		
9 Financial liabilities		
A. Borrowings		
Unsecured loans	<u>51.28</u>	<u>78.62</u>
Government of India ('GOI') loan	<u>51.28</u>	<u>78.62</u>
GOI loans are obtained for revamp which is specifically to be used for the revamp of plant used to manufacture fertilizers, plan loan which is used for capital expenditure and non plan loans for the working capital needs of the Company. These are unsecured in nature. The loan carries a fixed rate of interest as below:		
Revamp loan - 7%		
Plan loan - I Tranch @ 7%, II Tranch @ 12.50% and III Tranch @ 11.50%		
Non plan loan - I Tranch @ 7% and II Tranch @ 15.50%		
The said loans were availed in the period 2003 to 2012 and are repayable in 10 equal annual instalments which begin after a moratorium period of 2 years. The current portion of GOI loans due within one year have been disclosed under Note 12A		
10 Provisions - non current		
Retired medical benefits	1.98	1.33
Leave encashment	13.13	10.68
Service awards	0.29	0.23
Gratuity	27.04	26.37
	<u>42.44</u>	<u>38.61</u>
11 Other non-current liabilities		
Rent received in advance	0.89	1.01
Lease equalization reserve	0.89	1.54
	<u>1.78</u>	<u>2.55</u>

**12 Financial liabilities**

(₹ Crores)

**As at 31
March
2020** **As at 31
March
2019****A. Borrowings****Secured**

Cash credit from banks	171.86	3.98
Bills accepted under letter of credit (Secured by hypothecation of inventories and book debts including GOI subsidy receivable with first charge on all immovable properties at Manali both present and future.)	109.76	107.44
Special Banking Arrangements (Secured against GOI Subsidy)	307.67	383.27

Unsecured

GOI loan - current portion:		
- Principal	502.96	475.62
- Interest accrued and due	657.24	602.66
	<u>1,749.49</u>	<u>1,572.97</u>

B. Trade payables

Trade payables		
Secured	69.62	158.16
Unsecured	46.26	118.81
	<u>115.88</u>	<u>276.97</u>

Secured against the following:

Dues to CPCL ₹ 1.21 Cr (31 March 2019 ₹ 99.65 Cr) for which mortgage and first charge on Guindy land is given for ₹ 100 Cr till the date of sanction of a rehabilitation scheme for the Company.

Dues to IOC ₹ 68.41 Cr (31 March 2019 ₹ 58.32 Cr) against Credit Limit of ₹ 120 Cr, for which first charge on property, plant and equipment is given for ₹ 50 Cr and an additional ₹ 110 Cr against bank guarantee.

C. Other financial liabilities

Interest accrued but not due on loans	15.55	15.55
Statutory Dues	22.61	23.60
Others	101.64	86.41
	<u>139.80</u>	<u>125.56</u>

13 Provisions

Retired medical benefits	0.27	0.18
Leave encashment	3.43	2.45
Service awards	0.10	0.08
Gratuity	6.27	6.05
	<u>10.07</u>	<u>8.76</u>



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

14 Other current liabilities

	(₹ Crores)	
	As at 31 March 2020	As at 31 March 2019
Unclaimed deposits	-	0.03
Micro, small & medium enterprises	-	0.01
Other liabilities	47.17	38.81
Rent received in advance	0.13	0.13
Lease equalization reserve	0.64	0.54
	<u>47.94</u>	<u>39.52</u>

15 Revenue from operations

Sale of products and services

	For the year ended 31 March 2020	For the year ended 31 March 2019
Manufactured products	329.00	281.82
Traded goods	6.25	4.17
Less: discounts	(1.70)	(0.81)

Other operating revenue

Subsidy	940.84	1,307.82
	<u>1274.39</u>	<u>1,593.00</u>

16 Other income

Interest income under the effective interest method:

from banks and others	3.68	0.49
on fair valuation of rental deposits		
on fair valuation of employee loans	-	0.05

Dividend income:

from non-current investment	0.24	0.24
-----------------------------	------	------

Other non-operating income:

Net gain / (loss) arising on financial asset mandatorily measured at FVTPL		-
Exchange rate fluctuation	0.01	1.97
Profit on sale of assets	0.13	0.01
Rent	1.60	1.53
Write back of Accounts	5.21	8.08
Miscellaneous income	2.13	5.43
	<u>13.00</u>	<u>17.80</u>



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

17 Cost of materials consumed

	(₹ Crores)	
	For the year ended 31 March 2020	For the year ended 31 March 2019
Opening stock	118.94	98.23
Add: Purchases	881.20	852.52
	<u>1,000.14</u>	<u>950.75</u>
Less:		
Stock loss	-	-
Closing stock	67.82	118.94
	<u>67.82</u>	<u>118.94</u>
 Total consumption of raw materials	 932.32	 831.81
 Power, water & fuel	 195.76	 467.29
Stores, spares & packing materials	24.35	19.78
	<u>1,152.43</u>	<u>1,318.88</u>

18 Purchase of stock - in - trade

Agrochemicals	1.46	1.35
Organic manure	0.90	0.36
City compost	3.21	2.11
	<u>5.57</u>	<u>3.82</u>

19 Changes in inventories and finished goods

Opening stock		
Finished goods	3.53	43.86
Work in progress	13.45	19.28
	<u>16.98</u>	<u>63.14</u>
Less : Closing stock		
Finished goods	30.11	3.53
Urea stock loss	-	-
Work in progress	65.47	13.45
	<u>95.58</u>	<u>16.98</u>
	<u>(78.60)</u>	<u>46.16</u>

20 Employee benefit expenses

Salaries, wages and bonus	74.98	73.98
Contribution to provident and other funds	14.35	17.96
Welfare expenses	6.64	8.60
	<u>95.97</u>	<u>100.54</u>



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

	(₹ Crores)	
	For the year ended 31 March 2020	For the year ended 31 March 2019
21 Finance costs		
Interest on term loans:		
GOI Loan	54.58	54.58
Other borrowings:		
Bank borrowings	17.41	21.39
Interest expense on lease deposits accepted	0.00	0.00
Interest expense on dealer deposits accepted	8.36	7.91
Interest expense on trade advances accepted	0.06	0.40
Interest expense on deferred credit	6.44	9.18
Others	3.44	6.57
	<u>90.29</u>	<u>100.03</u>
22 Depreciation		
Depreciation	26.38	22.99
	<u>26.38</u>	<u>22.99</u>
	For the year ended 31 March 2020	For the year ended 31 March 2019
23 Other expenses		
Repairs and maintenance		
Plant and machinery	22.47	29.48
Buildings	0.53	0.56
Computers & other assets	1.20	0.84
Transportation and warehousing		
Transportation and warehousing	50.34	54.74
Secondary freight	0.67	0.32
Warehouse rent	0.16	0.40
Payment to statutory auditors		
Statutory audit	0.04	0.04
Tax audit	0.01	0.01
Certification	0.07	0.11
Others		
Excise duty	-	-
Rent	2.00	0.74
Rates and taxes	0.85	1.46
Insurance	8.37	2.66
Directors' expenses	0.04	0.17
Directors' sitting fees	0.00	0.00
Agro services/ information expenses	0.06	0.04
Advertising and publicity	1.40	1.43
Provision for impairment on debtors	-	-
	<u>88.21</u>	<u>93.00</u>
	c/o	



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

	For the year ended 31 March 2020	For the year ended 31 March 2019
b/f	88.21	93.00
Finished product handling	17.74	18.27
Exchange rate fluctuation	0.00	0.00
Bank charges	11.92	22.59
Security charges	2.87	3.39
Contract labour	1.60	2.07
Car rentals	0.92	1.47
Travel expenses	0.97	0.98
Postage and telecom expenses	0.41	0.45
Miscellaneous expenses	5.59	5.98
Capital work-in-progress written off	0.00	-
	<u>130.23</u>	<u>148.20</u>
24 Exceptional items		
Exceptional items	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
25 Other comprehensive income		
Remeasurement of actuarial gains and interest cost	(5.33)	(2.39)
Fair valuation of IPL shares	84.59	48.97
	<u>79.26</u>	<u>46.58</u>
26 Earning per share		
Loss after tax (₹ Crore)	(134.88)	(129.82)
Number of shares (Crore)	16.11	16.11
Face value of share (₹)	10.00	10.00
Earning per share - basic and diluted (₹)	(8.37)	(8.06)

The Company does not have any potentially dilutive shares, thus the basic and the diluted earnings per share is the same.



27(A) Significant Accounting Policies

1. Reporting entity

Madras Fertilizers Limited ("MFL" or "the Company"), is a Public Sector Undertaking ("PSU") under the administrative control of the Department of Fertilizers ("DOF"), Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India ("GOI") and is registered under the erstwhile Companies Act, 1956 with its registered office located at Manali industrial area, Chennai - 600 068.

The Company's equity shares are listed on the National Stock Exchange ('NSE'). MFL is engaged in the manufacture of Urea and Complex Fertilizers. It is also engaged in manufacturing Bio-fertilizers and trading eco-friendly Agro Chemicals and City Compost under the brand name 'Vijay'.

2. Basis of preparation

a) Statement of compliance

These financial statements have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") as per the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') and the relevant provisions of the Act.

The financial statements were authorized for issue by the Company's Board of Directors on 19.06.2020.

Details of the Company's significant accounting policies are included in Note 3.

b) Functional and presentation currency

These financial statements are presented in Indian Rupees ('INR'), which is also the Company's functional currency. All amounts have been rounded-off to the nearest crores, unless otherwise indicated.

c) Basis of measurement

The financial statements have been prepared on the historical cost basis except for the following items:

Items	Measurement basis
Certain financial assets and liabilities	Fair value
Net defined benefit (asset) / liability	Present value of defined benefit obligation less fair value of plan assets

d) Use of estimates and judgements

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported

amount of assets, liabilities and related disclosures concerning the items involved as well as contingent assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of income and expense during the reporting period. Although these estimates are based on the management's best knowledge of current events and actions, uncertainty about these assumptions and estimates could result in the outcomes, requiring a material adjustment in the carrying amounts of assets or liabilities in future periods. Difference between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known or materialized.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimates are revised and in any future periods affected.

Information about judgments made in applying accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements and information about assumptions and estimation uncertainties that have a significant risk of resulting in a material adjustment for the year ended March 31, 2020 are included in the following notes:

i. Re-classification of inventory as capital spares

The Company performs an assessment at initial recognition of spares to be classified as property, plant and equipment based on the provisions for capitalization for an asset as mentioned under Ind AS 16 Property, plant and equipment and such items that fall within the definition of an asset are accounted for under Ind AS 16 instead of Ind AS 2 Inventories.

ii. Re-classification of property, plant and equipment as investment property

The Company identifies and assesses land and building that is held for earning rentals / for an undetermined future use / capital appreciation as investment property and accounts for the same under Ind AS 40 Investment Property

iii. Useful life and residual value of property, plant and equipment (including capital spares) and investment property

The useful life and residual value is estimated considering several factors such as usage, obsolescence, technological advancements and expenditure to be incurred to maintain the asset in a condition to obtain future economic benefits.



The Company reviews at the end of each reporting date, the useful life and residual value of property, plant and equipment and investment property and changes if any are adjusted prospectively.

iv. *Fair value measurement*

Certain financial assets and liabilities in the Company are measured at fair value for financial reporting purposes. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Company uses market-observable data to the extent it is available. Where observable inputs are not available, the Company engages third party qualified valuers to perform the valuation.

v. *Defined benefit plans and other long term benefits*

The Company uses actuarial assumptions to determine the obligations for employee benefits at each reporting period. These assumptions include the discount rate, expected long-term rate of return on plan assets, rate of increase in compensation levels, mortality rates, etc.

vi. *Revenue*

The Company offers various incentives to dealers which is estimated and assessed to predict the variability in its consideration receivable arising on account of the same.

vii. *Subsidy income*

For the new pricing scheme of urea (New Pricing Scheme, 'NPS') subsidy, the rates are revised every year based on the actual input prices submitted by the Company on a quarterly basis. Since the actual rates for the subsidy for any given year is announced only in the subsequent year the Company records revenue based on an estimated rate for that year. The difference between the estimated rates used by the Company for recognition of revenue and the actual rates that are approved by the Government are accounted as escalation / de-escalation of input prices in the year in which the rate is notified.

viii. *Lease classification*

The Company has entered into lease agreements with various parties both in the capacity of a lessor and a lessee for assets predominantly in the nature of land and building. The management has exercised judgment in line with the principles enunciated under Ind AS 17 Leases to appropriately classify these leased assets as either operating lease or finance lease.

ix. *Taxes*

Deferred tax assets are recognized for unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits.

x. *Impairment of non-financial assets*

Assessment for impairment is done at each balance sheet date for any indication that a non-financial asset may be impaired. For the purpose of assessing impairment, the smallest identifiable group of assets that generates cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets is considered as a cash generating unit.

xi. *Impairment of financial assets*

A financial asset is regarded as credit impaired when one or more events that may have a detrimental effect on estimated future cash flows of the asset have occurred. The Company applies the expected credit loss model for recognizing impairment loss on financial assets (i.e. the shortfall between the contractual cash flows that are due and all the cash flows (discounted) that the Company expects to receive).

xii. *Discount rates used for fair valuation*

Estimates of rates of discounting are made for measurement of fair values of certain financial assets and liabilities, which are based on prevalent bank interest rates and the same are subject to change.

xiii. *Contingent liabilities*

Recognition of contingent liabilities are made in accordance with the provisions of Ind AS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. Ind AS 37 requires the application of judgment with regards to the likelihood of a contingent event resulting in potential outflow of resources embodying economic benefits. In case there are any changes to the circumstances, following unforeseeable developments, this likelihood could alter. The Company recognizes items such as claims against the Company, etc as contingent liabilities.



e) Measurement of fair values

The Company's accounting policies and disclosures require the measurement of fair values for financial assets and liabilities.

The Company has an established control framework with respect to the measurement of fair values. The Company regularly reviews significant unobservable inputs and valuation adjustments. In cases where fair values is to be computed by third parties, the Company assesses the evidence obtained by such third parties to support the conclusions that these valuations meet the requirements of Ind AS, including the level in the fair value hierarchy in which the valuations should be classified.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the inputs used in the valuation techniques as follows:

- Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- Level 3: inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Company uses observable market data as far as possible. If the inputs used to measure the fair value of an asset or a liability fall into different levels of the fair value hierarchy, then the fair value measurement is categorized in its entirety in the same level of the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement.

The Company recognizes transfers between levels of the fair value hierarchy at the end of the reporting period during which the change has occurred.

f) Current and non-current classification

All the assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in Ind AS 1 Presentation of Financial Statements.

Operating cycle:

Operating cycle is the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash or cash equivalents. The Company's normal operating cycle is considered as 12 months

for the purpose of current and non-current classification of assets and liabilities.

Assets:

An asset is classified as current when it satisfies any of the following criteria:

- 1) it is expected to be realized in, or is intended for sale or consumption in, the Company's normal operating cycle;
- 2) it is held primarily for the purpose of being traded;
- 3) it is expected to be realized within 12 months after the reporting date; and
- 4) cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date.

All other assets are classified as non-current.

Liabilities:

A liability is classified as current when it satisfies any of the following criteria:

- 1) it is expected to be settled in the Company's normal operating cycle;
- 2) it is held primarily for the purpose of being traded;
- 3) it is due to be settled within 12 months after the reporting date; and
- 4) the Company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months from the reporting date.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets / liabilities are always classified as non-current.

3. Significant accounting policies

A summary of the significant accounting policies applied in the preparation of the financial statements are as given below. These accounting policies have been applied consistently to all periods presented in the financial statements.

a. Property, plant and equipment

i. Initial recognition and measurement

Items of property, plant and equipment are initially measured at cost. Subsequent measurement is done at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Cost of acquisition is inclusive of taxes



(except GST), duties, freight, installation allocated incidental expenditure during construction / acquisition and necessary adjustments in the year of final settlement. The cost of property, plant and equipment also includes the present value of obligations arising, if any, from decommissioning, restoration and similar liabilities related to the same.

Cost of an item of property, plant and equipment includes estimated costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located. The present value of those costs (decommission or restoration costs) is capitalized as an asset and depreciated over the useful life of the asset.

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition/construction of an asset is capitalized as part of the cost of that asset when it is probable that they will result in future economic benefits to the enterprise and the costs can be measured reliably.

If significant parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, then they are accounted for as separate items (major components) of property, plant and equipment.

Assets costing less than INR 5,000 are capitalized and charged to the statement of profit and loss in the year of purchase by retaining a residual value of INR 1.

Any gain or loss on disposal of an item of property, plant and equipment is recognized in the statement of profit and loss.

Machinery spares

Initial spares purchased along with property, plant and equipment are capitalized and depreciated along with the asset.

Spares purchased subsequent to commission of the asset which meet the requirements set out in Ind AS 16 are treated as property, plant & equipment. Other spare parts are carried as inventory and recognized in the statement of profit and loss on consumption.

Capital work-in-progress

The cost of self-constructed assets includes the cost of materials & direct labor, any other costs directly attributable to bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management and borrowing costs.

ii. Subsequent expenditure

Subsequent expenditures related to an item of property, plant and equipment are capitalized only if it is probable that future

economic benefits would flow from the existing asset to the Company which is beyond its previously assessed standard of performance.

Expenditure on assets on revamp / expansion are capitalized when the respective assets are ready for commercial production and in respect of other assets when they are ready for its intended use. These costs are capitalized only when the recognition criteria as enunciated under Ind AS 16 are met. The costs of the day-to-day servicing of property, plant and equipment are recognized in the statement of profit and loss as incurred.

iii. Depreciation

Depreciation on property, plant and equipment is provided for in conformity with the provisions of Schedule II to the Companies Act, 2013 on the basis of useful life of the asset using the straight line method by retaining a residual value of 5% in respect of plant and machinery, buildings, roads & bridges and railway siding and ₹ 1 in respect of other property, plant and equipment. In the year of commissioning / retirement of assets, depreciation is calculated on pro-rata basis, for the period the asset is available for use.

The estimated useful lives of property, plant and equipment for the current year and the comparative period is as follows:

Asset Category	Estimated useful life
Road, bridges and other facilities	10 years
Railway siding	15 years
Buildings	30 years
Plant and Machinery	25 years
Automotive and service equipment	10 years
Lab equipment	10 years
Office equipment	5 years
Furniture and fittings	10 years
Air conditioners and water coolers	10 years

Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted if appropriate. Based on technical evaluation and consequent advice, the management believes that its estimates of useful lives best represent the period over which management expects to use these assets.

iv. De-recognition

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are



expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in the statement of profit and loss.

b. Investment property

i. Recognition and measurement

Investment property are properties (land / building / both) held either to earn rental income or for capital appreciation or for both, but not for sale in the ordinary course of business, use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes. Upon initial recognition, an investment property is measured at cost. Subsequent to initial recognition, investment property is measured at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any.

Any gain or loss on disposal of an investment property is recognized in the statement of profit and loss

ii. Subsequent expenditure

Subsequent expenditures related to an item of investment property is added to its book value only if they increase the future benefits from the existing asset beyond its previously assessed standard of performance.

iii. Depreciation

Depreciation on an item of investment property is provided on straight line basis in accordance to the useful lives as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013.

c. Inventories

Inventories are measured at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories includes expenditure incurred in acquiring the inventories, production or conversion costs and other costs incurred in bringing them to their present location and condition. In case of manufactured inventories and work in progress, cost includes an appropriate share of fixed production overheads based on normal operating capacity.

Item	Basis
Raw and packing materials	FIFO basis
Stores, spares and catalysts	Monthly moving weighted average basis.

Loose tools and reconditioned spares	Revalued on WDV basis annually
Finished products	Lower of cost or net realizable value including final / estimated subsidy

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale. The net realizable value of work in progress is determined with reference to the selling prices of related finished products. Raw materials, components and other supplies held for use in the production of finished products are not written down below cost except in cases where material prices have declined and it is estimated that the cost of the finished products will exceed their net realizable value.

Non-moving/obsolete stores and spares: The Technical Committee will review the spares once a year and shortlist such spares as are considered obsolete/non-moving, the same is written off from the books with due approvals of the Board.

Net realizable value is taken as under:

Phosphatic and Potassic Fertilizers

- Field warehouse inventories: The least of selling price fixed by the Company to marketers / dealers including excise duty.
- Field warehouse inventories to be brought back to plant for reprocessing: The least of selling price fixed by the Company to marketers / dealers plus final / estimated Nutrient Based Subsidy (NBS) less estimated reprocessing costs and freight incurred.
- Inventories in transit: The least of selling price fixed by the Company to marketers / dealers including excise duty plus final / estimated NBS less estimated warehousing expenses.
- Inventories at plant ready for sale: The least of selling price fixed by the Company to marketers / dealers plus final / estimated NBS less estimated freight and warehousing expenses.

Urea

- Field warehouse inventories: The least of selling price to marketers / dealers including excise duty.



- Inventories in transit: The least of selling price to marketers / dealers including excise duty plus final / estimated subsidy less estimated warehousing expenses.
- Inventories at plant ready for sale: The least of selling price to marketers / dealers plus final / estimated subsidy less estimated freight and warehousing expenses.
- Bulk urea at plant: Least of selling price to marketers / dealers plus final / estimated subsidy less estimated bagging, freight and warehousing expenses.

Others

- Warehousing expenses have been distributed over sales and closing stock.
- Ammonia is valued at cost as the same is captive consumed and not intended for sale.
- Off-spec products intended for disposal are valued at estimated realizable value.
- Inventory of traded products are valued at lower of location specific cost or net realizable value. Agrochemicals inventory is valued on FIFO method, which includes purchase cost and other related expenses.
- Inventory of pesticides manufactured and lying at factory under loan licensing scheme are valued at cost excluding excise duty.
- Goods in transit / under inspection are valued at cost.

d. Borrowing costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction, development or erection of qualifying assets are capitalized as cost of such asset until the assets are substantially ready for their intended use. Qualifying assets are those that take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale.

When the Company borrows funds specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset, the borrowing costs incurred are capitalized. When Company borrows funds generally and uses them for the purpose of obtaining a qualifying asset, the capitalization of the borrowing costs is computed based on the weighted average cost of general borrowing that are outstanding during the period and used for the acquisition, construction, development or erection of the qualifying asset.

Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for their intended uses are complete. Borrowing costs consist of interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds. Income earned on temporary investment of the borrowings pending their expenditure on the qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization. Borrowing costs include exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Other borrowing costs are recognized as an expense in the year in which they are incurred.

e. Financial Instruments

1. Recognition and initial measurement

All financial assets and financial liabilities are initially recognized when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

A financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus, for an item not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to its acquisition or issue.

i. Financial assets

Classification and subsequent measurement

On initial recognition, a financial asset is classified as measured at

- amortized cost;
- Fair value through other comprehensive income (FVOCI)
- Fair value through profit or loss (FVTPL)

Financial assets are not reclassified subsequent to their initial recognition, except if and in the period the Company changes its business model for managing financial assets.

A financial asset is measured at amortized cost if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- the asset is held within a business model whose objective is to hold assets to collect contractual cash flows and
- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.



A debt investment is measured at FVOCI if it meets both of the following conditions and is not designated as at FVTPL:

- the asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets; and
- the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

On initial recognition of an equity investment that is not held for trading, the Company may irrevocably elect to present subsequent changes in the investment’s fair value in OCI (designated as FVOCI – equity investment). This election is made on an investment by investment basis.

All financial assets not classified as measured at amortized cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL. On initial recognition, the Company may irrevocably designate a financial asset that otherwise meets the requirements to be measured at amortized cost or at FVOCI as at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch that would otherwise arise.

Financial assets: Business model assessment

The Company makes an assessment of the objective of the business model in which a financial asset is held at a portfolio level because this best reflects the way the business is managed and information is provided to management.

Subsequent measurement and gains and losses

Financial assets at FVTPL	These assets are subsequently measured at fair value. Net gains and losses, including any interest or dividend income, are recognized in the statement of profit and loss.
Financial assets at amortized cost	These assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. The amortized cost is reduced by impairment losses. Interest income, foreign exchange gains and losses and impairment are recognized in the statement of profit and loss. Any gain or loss on de-recognition is recognized in the statement of profit and loss.
Debt investments at FVOCI	These assets are subsequently measured at fair value. Interest income under the effective interest method, foreign exchange gains and losses and impairment are recognized in the statement of profit and loss. Other net gains and losses are recognized in OCI. On de-recognition, gains and losses accumulated in OCI are reclassified to the statement of profit and loss.
Equity investments at FVOCI	These assets are subsequently measured at fair value. Dividends are recognized as income in the statement of profit and loss unless the dividend clearly represents a recovery of part of the cost of the investment. Other net gains and losses are recognized in OCI and are not reclassified to the statement of profit and loss.

The Company’s financial assets currently include trade receivables, employee loans, deposits and an equity investment.

ii. Financial liabilities

Classification, subsequent measurement and gains and losses

Financial liabilities are classified as measured at amortized cost or FVTPL. A financial liability is classified as at FVTPL if it is classified as held for trading, or it is a derivative or it is designated as such on initial recognition. Financial liabilities at FVTPL are measured at fair value and net gains and losses, including any interest expense, are recognized in the statement of profit and loss. Other financial liabilities are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Interest expense and foreign exchange gains and losses are recognized in the statement of profit and loss. Any gain or loss

on de-recognition is also recognized in the statement of profit and loss.

The Company’s financial liabilities currently include trade and other payables and borrowings.

2. De-recognition

i. Financial assets

The Company derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or it transfers the rights to receive the contractual cash flows in a transaction in which substantially all of the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred or in which the Company neither transfers nor



retains substantially all of the risks and rewards of ownership and does not retain control of the financial asset.

ii. Financial liabilities

The Company derecognizes a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled, or expire.

The Company also derecognizes a financial liability when its terms are modified and the cash flows under the modified terms are substantially different. In this case, a new financial liability based on the modified terms is recognized at fair value. The difference between the carrying amount of the financial liability extinguished and the new financial liability with modified terms is recognized in the statement of profit and loss.

3. Offsetting of financial instruments

Financial asset and financial liability are offset and the net amount presented in the balance sheet when, and only when the Company:

- currently has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and
- intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

4. Impairment

i. Financial assets (including receivables)

The Company recognizes loss allowances for expected credit losses on financial assets measured at amortized cost.

All financial assets are assessed for credit impairment at each reporting date. Evidence that a financial asset is credit impaired includes the following observable data:

- significant financial difficulty of the borrower
- a breach of contract such as a default or being past due for 90 days or more
- it is probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization

The Company measures loss allowances at an amount equal to lifetime expected credit losses except for certain financial assets such as bank balances for which the credit risk has not increased significantly since initial recognition. Loss allowances for trade receivables are always measured at an amount equal to lifetime expected credit losses. Lifetime credit losses are the expected credit losses that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument.

Expected credit losses are a probability weighted estimate of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the Company in accordance with the contract and the cash flows that the Company expects to receive).

Loss allowances for financial assets measured at amortized cost are deducted from the gross carrying amount of the assets.

The gross carrying amount of a financial asset is written off (either partially or in full) to the extent that there is no realistic prospect of recovery

ii. Non-financial assets

The Company assesses at each balance sheet date whether there is any indication that an asset or a group of assets (cash generating unit) may be impaired. If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset, which is the greater of its value in use and its net selling price. If such recoverable amount of the asset or the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the statement of profit and loss. If at the balance sheet date there is an indication that if a previously assessed impairment loss no longer exists, the recoverable amount is reassessed and the asset is reflected at the recoverable amount subject to a maximum of depreciated historical cost.

5. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Fair value measurement is the use of fair value (i.e., is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants) at the measurement date in measuring the assets and liabilities of an entity. The Company opts to follow fair value measurement as per Ind AS 113 viz, in respect of financial assets and financial liabilities as stated in the notes above.

f. Government grants / subsidies

Related to assets

Grants related to assets are government grants whose primary condition is that an entity qualifying for them should purchase, construct or otherwise acquire long-term assets.



Subsidiary conditions may also be attached restricting the type or location of the assets or the periods during which they are to be acquired or held.

Grants related to assets are presented in the balance sheet by setting up the grant as deferred income.

Related to income

Grants related to income are those which are not related to assets.

Government grants in the form of fertilizer and freight subsidies are recognized when there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions relating to them and that the subsidy will be received. The point of recognition in the case of the Company is on the goods being moved outside the factory.

Grants are recognized in the statement of profit and loss on a systematic basis over the periods in which the entity recognizes as expenses the related costs for which the grants are intended to compensate or over the period during which the conditions related to the grant is fulfilled.

g. Employee benefits

i. Short term employee benefits

Short-term employee benefits are expensed as the related service is provided. A liability is recognized for the amount expected to be paid if the Company has a present, legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably. Short term employee benefits comprises of wages, salaries, incentives, short term leave salary etc.

ii. Post-employment benefits

Defined contribution plans

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan under which an entity pays fixed contributions into separate entities and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for contributions to defined contribution plans are recognized as an employee benefits expense in the statement of profit and loss in the period during which services are rendered by employees.

Contribution towards superannuation and provident fund are treated as defined contribution plans.

Defined benefit plans

A defined benefit plan is a post-employment benefit plan other than a defined contribution plan.

Contributions towards gratuity are considered as defined benefit plans and provided for in accordance with the Guidelines issued by Department of Public Enterprises. Out of the defined benefit plans in the Company only gratuity is a funded defined benefit plan.

The Company's net obligation in respect of defined benefit plans is calculated separately for each plan by estimating the amount of future benefit that employees have earned in the current and prior periods, discounting that amount and deducting the fair value of the plan assets.

The amount of defined benefit obligations is computed annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

Re-measurements of the net defined benefit liability, which comprise actuarial gains and losses, the return on plan assets (excluding interest) and the effect of the asset ceiling (if any, excluding interest), are recognized immediately in Other Comprehensive Income (OCI). Net interest expense / income, service cost and other expenses related to defined benefit plans are recognized in the statement of profit and loss.

When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that relates to past service or the gain / loss on curtailment is recognized immediately in the statement of profit and loss. The Company recognizes gains and losses on the settlement of a defined benefit plan when the settlement occurs.

Other long-term employee benefits

Benefits under the Company's earned leave, post-retirement medical benefits and service awards constitute other long term employee benefits and are recognized based on an actuarial valuation using the projected unit credit method. These actuarial gains or losses are recognized in the statement of profit and loss in the period in which they arise.

h. Prior period items, accounting estimates and effect of change in accounting policies

Prior period errors, are corrected retrospectively by restating the comparative amounts for the prior period(s) presented in which the error occurred or if the error occurred before the earliest prior period presented, restating the opening balances of assets, liabilities and equity for the earliest prior period presented.

The effect of change in accounting estimate is recognized prospectively in the statement of profit and loss except where



they relate to assets and liabilities, the same is recognized by adjusting the carrying amount of related assets/liability/equity in the period of change.

Changes in accounting policy due to initial application of Ind AS are dealt with in accordance with specific transitional provisions, if any in Ind AS. In other cases, the changes in accounting policy are done retrospectively, the application of such change is limited to the earliest period practicable.

i. Events occurring after the balance sheet date

Events occurring after the balance sheet date are those events that occur between the end of the reporting period and the date when the financial statements are approved by the Board of Directors. Such events are disclosed or given effect to in the financial statements as provided for in Ind AS 10 Events after the Reporting Period.

j. Revenue

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made.

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, taking into account contractually defined terms of payment. Cash discounts for prompt payments are accounted as and when the related dues are settled and presented net of revenue.

Revenue from sale of manufactured and traded fertilizers

Revenue from sale of manufactured and traded fertilizers are recognized when the significant risk and rewards of ownership are transferred. In the current case, the issuance of warehouse release order come product acceptance, by the respective authorities, is considered as the point when risk and reward is transferred and revenue is recognized at that particular point.

The Company estimates the amount of volume rebates, early payment rebates at the point of sale and accounts for revenue net of such amounts. The Company also provides cash discounts and fixed transport rebates which is also netted against revenue while presenting.

Revenue is presented net of goods and service tax (effective 1 July, 2017)

Other operating revenue

Urea subsidy under NPS is accounted on receipt at the warehouses per procedure prescribed by the Government.

Increase / decrease on account of annual escalation / de-escalation in input prices is considered based on realistic estimates pending issue of notification by the Government. Adjustments are effected in respect of difference, if any, in the year of receipt.

Subsidy for phosphatic and potassic fertilizers is accounted in line with the Nutrient Based Subsidy (NBS) policy of the Government.

Other income

Dividend income is recognized in the statement of profit and loss on the date on which the Company's right to receive payment is established.

Interest income with respect to financial assets at amortized cost is recognized using the effective interest method. The 'effective interest rate' is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument to the gross carrying amount of the financial asset.

Income from rentals for properties given on lease to third parties are recognized on accrual basis.

Claims by the Company on underwriters are accounted as income on acceptance of the claim / certainty of realisation, pending settlement.

Claims on railways are accounted on settlement.

Claims for liquidated damages against suppliers/contractors are accounted for on recovery of the same from their bills and adjusted to the cost of assets or to the materials/works as the case may be.

All other liquidated damages / penalties are accounted on realization basis.

k. Foreign currency transactions and translation

Initial recognition and measurement

Foreign currency transactions are recorded in the functional currency, by applying to the foreign currency exchange rate between the functional currency and the foreign currency at the date of the transaction.

Subsequent measurement

Foreign currency monetary items are translated using the closing rate at the end of each reporting period.

Foreign currency non-monetary items are carried at historical cost and translated using the exchange rate at the date of the transaction.



Recognition of exchange gain / loss

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items at rates different from those at which they were recorded on initial recognition during the period or translated in previous financial statements are recognized in the statement of profit and loss in the period in which they arise.

I. Income taxes

Income tax expense comprises current and deferred tax. It is recognized in the statement of profit and loss except to the extent that it relates to a business combination, or items recognized directly in equity or in OCI.

Current tax

Current tax comprises the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year and any adjustment to the tax payable or receivable in respect of previous years. The amount of current tax payable or receivable is the best estimate of the tax amount expected to be paid or received that reflects uncertainty related to income taxes, if any. It is measured using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date. Current tax assets and liabilities are offset only if certain criteria are met.

Deferred tax

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is not recognized for:

- temporary differences on the initial recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that affects neither accounting nor taxable profit and loss;
- temporary differences related to investments in subsidiaries to the extent that the Company is able to control the timing of the reversal of the temporary differences and it is probable that they will not reverse in the foreseeable future; and

Deferred tax assets are recognized for unused tax losses, unused tax credits and deductible temporary differences to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which they can be used. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are adjusted accordingly.

Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will be available against which they can be used.

Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and liabilities are offset only if certain criteria(s) set out in Ind AS 12 Income Taxes are met.

m. Leases

Finance lease

Leases of property, plant and equipment that transfer to the Company substantially all of the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. The leased assets are measured initially at an amount equal to the lower of their fair value and the present value of the minimum lease payments. Subsequent to initial recognition, the assets are accounted for in accordance with the accounting policy applicable to that asset.

Minimum lease payments made under finance leases are apportioned between the finance charge and the reduction of the outstanding liability. The finance charge is allocated to each period during the lease term so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability.

Operating lease

Assets held under other leases are classified as operating leases. Payments / receipts which are made / received under operating leases are generally recognized in the statement of profit and loss on a straight-line basis over the term of the lease unless such payments / receipts are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the lessor's expected inflationary cost increases. Lease incentives received are recognized as an integral part of the total lease expense over the term of the lease.

n. Operating segments

In accordance with Ind AS 108 Operating Segments, the operating segments used to present segment information are identified on the basis of internal reports used by the Company's Management to allocate resources to the segments and assess their performance.



The Board of Directors is collectively the Company's 'Chief Operating Decision Maker' or 'CODM' within the meaning of Ind AS 108. The indicators used for internal reporting purposes may evolve in connection with performance assessment measures put in place.

Segment performance is evaluated based on profit or loss and is measured consistently with profit or loss in the financial statements.

o. Provisions (other than employee benefits), contingent liability and contingent assets

A provision is recognized when the Company has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which a reliable estimate can be made. The amount recognized as a provision is the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the end of the reporting period. If the effect of the time value of money is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows. The unwinding of the discount is recognized as finance cost. Expected future operating losses are not provided for.

Contingent liabilities are disclosed when there is a possible obligation arising from past events, the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Company or a present obligation that arises from past events where it is either not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount cannot be made.

A contingent asset is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. Contingent assets are not recognized. They are disclosed only when an inflow of economic benefit is probable from such assets.

Provisions, contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each balance sheet date.

p. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprise of cash in hand, current and short term deposit accounts which are held for

the purpose of meeting short-term cash commitments. The deposits have an original maturity of three months or less.

q. Earnings per share

The Company presents basic and diluted earnings per share ('EPS') data for its ordinary shares.

Basic EPS is calculated by dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the FY, adjusted for own shares held.

Diluted EPS is calculated by taking the weighted average number of ordinary shares which is calculated for basic earnings per share and adjusted to the weighted average number of ordinary shares that would be issued on the conversion of all the dilutive potential ordinary shares into ordinary shares. Dilutive potential ordinary shares are deemed to have been converted into ordinary shares at the beginning of the FY or, if later, the date of the issue of the potential ordinary shares.

r. Exceptional items

These are items of income or expense the nature of which warrants a disclosure to enhance the understanding of the performance of the Company. Such income or expense is classified as exceptional items and accordingly, disclosed in the notes accompanying the financial statements.

s. Cash flow statement

Cash flow statement is prepared in accordance with the indirect method prescribed under Ind AS 7 Statement of Cash Flows.

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit / (Loss) for the period is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments and item of income or expenses associated with investing or financing cash flows. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated.



27 (B) Notes:

1 Straight lining of lease rental income / expense

Under Ind AS, lease rental escalations that are not solely to factor for expected general inflation need to be straight lined over the term of the lease agreement. The Company has entered into lease agreements with various parties in the capacity of both a lessee and a lessor and certain leases contain escalations that are not solely to factor general inflation. Such escalations are straight lined over the respective lease terms with the corresponding impact on transition date taken to retained earnings and subsequent impacts recognized in the statement of profit and loss.

2 Interest free / below market interest rate financial assets and liabilities

Under Ind AS, deposits and advances have to be recorded at fair value. Accordingly, the Company has fair valued interest free security deposits received and provided and staff advances. Difference between the transaction value and the fair value in case of staff advances and security deposits given are recognized as prepaid staff cost and prepaid rent expenses, respectively and amortised over the tenure of the advance / lease. In case of security deposits received, such difference is accounted for as income received in advance and recognized in the statement of profit and loss over the lease term. The other leg in case of the above fair valuations are recorded as interest income / expense which are accounted over the tenure of the respective asset / liability.

3 Fair valuation of investment in unquoted equity shares of Indian Potash Limited

In accordance to Ind AS 109, the Company has measured the investment in unquoted equity shares held in Indian Potash Limited as a fair value through other comprehensive income ('FVOCI') investment and accordingly accounted for the gain / (loss) on initial recognition in retained earnings. The subsequent gain / (loss) has been accounted in the statement of profit and loss under Other Comprehensive Income.

4 Reassessment of residual value

The Company has reassessed the residual value provided in case of the plants constructed on the land taken on lease from lessors and the impact on such reassessment has been taken prospectively over the remaining useful life as depreciation in the statement of profit and loss

5 Employee benefits

Both under previous GAAP and Ind AS, the Company recognised costs related to its post-employment defined benefit plan on an actuarial basis. Under previous GAAP, the entire cost, including actuarial gains and losses, were charged to the statement of profit and loss. Under Ind AS, remeasurements (comprising of actuarial gains and losses, the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability and the return on plan assets excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability) have been recognised in other comprehensive income

28 Effect of foreign exchange fluctuation

The amount of exchange rate difference debited / (credited) to the statement of profit and loss

	For the year ended 31 March 2020	(₹ Crores) For the year ended 31 March 2019
	0.01	(1.97)

29 Movement in provisions, contingent assets and contingent liabilities

Claims recoverable

Opening balance

Additions during the year

Amounts used during the year

Reversal / adjustments during the year

Closing balance

	1.01	1.01
	-	-
	-	-
	-	-
	<u>1.01</u>	<u>1.01</u>

a. In all these cases, outflow of economic benefits is expected within next one year

b. The assumptions made for provisions relating to current period are consistent with those in the earlier years. The assumptions and estimates used for recognition of such provisions are qualitative in nature and their likelihood could alter in next financial year. It is impracticable for the Company to compute the possible effect of assumptions and estimates made in recognizing these provisions.



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

(₹ Crores)

	For the year ended 31 March 2020		For the year ended 31 March 2019	
30 Consumption of raw material and spare parts				
Value of Indigenous and Imported Spares consumed				
Indigenous				
RLNG/ Naphtha		781.03		780.51
Others		3.26		2.19
Total (%)	84	784.29	94	782.70
Imported				
Urea		34.89		13.30
Potash		47.46		14.37
Phosphoric Acid		65.68		21.44
Total (%)	16	148.03	6	49.11
	100	932.32	100	831.81
Components and Spares	12	3.84	20	2.41
Imported (%)	88	27.98	80	9.93
Indigenous (%)	100	31.82	100	12.34
31 CIF value of imports				
Raw materials		31.18		115.15
Components and spares		4.05		5.2
		35.23		120.35
32 Expenditure in foreign currency				
Books and periodicals		0.12		0.03
Travel (Business, Seminar, Conference, etc.)		-		-
		0.12		0.03



33 Related party disclosures

a) List of related parties

Key Managerial Personnel (KMP):

Chairman and Managing Director

Shri U Saravanan

Directors

Shri Lalsanglur

Shri Mohammad Bagher Dakhili

Shri Farzad Bahrami Bavani

Shri Babak Bagherpour

Shri Harsh Malhotra

General Manager Finance

Shri V Muralidharan

Company Secretary

Dr. Girish Kumar

Employee benefit trusts managed by MFL

MFL Covered Employee Group Gratuity cum Life assurance Scheme Trust

MFL Employees Superannuation Scheme Trust

Entities under the control of same government

The Company is a Public Sector Undertaking (PSU) in which shares are held by the President of India. Pursuant to Paragraph 25 & 26 of Ind AS 24, entities over which the same government has control or joint control of, or significant influence, then the reporting entity and other entities shall be regarded as related parties. The Company has applied the exemption available under Paragraph 25 & 26 of Ind AS 24 for government related entities and have made limited disclosures in the financial statements.

b) Transactions with key management personnel

i) Key management personnel compensation

	For the year ended 31 March 2020	For the year ended 31 March 2019
		(₹ Crores)
Short-term employee benefits	0.81	0.79
Post-employment defined benefit	0.18	0.15
Compensated absences	-	-
Other long term benefits	-	-
	<u>0.99</u>	<u>0.94</u>



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

c) Related party transactions other than those with key management personnel

(₹ Crores)

	Transaction value		Balance outstanding	
	For the year ended 31 March 2020	For the year ended 31 March 2019	As at 31 March 2020	As at 31 March 2019
	Purchase and payment for goods and services			
Chennai Petroleum Corporation Limited	-	806.14	1.21	99.65
Indian Oil Corporation Limited	907.36	360.63	68.51	58.31

Contributions

(₹ Crores)

	2019-20	2018-19
MFL Employees Contributory PF Trust	5.83	5.67

34 Financial Instruments - Fair value disclosures

The management has assessed that the carrying amounts of financial assets such as trade receivables, loans, cash and cash equivalents and financial liabilities like borrowings, trade payables recognised in the financial statements approximate their fair values. With respect to the investment in unquoted shares, the Company has availed the services of a professional valuer and performed fair valuation.

March 31, 2020	Carrying amount			Fair value hierarchy	Valuation techniques and key inputs used	
	Amortised cost	Fair value through profit and loss	Fair value through OCI			Total
A. Financial Assets						
Investments		282.50		282.50	Level 3	Refer note below
Loans	7.07			7.07	NA	
Trade receivables	50.87			50.87	NA	
Cash and cash equivalents	133.31			133.31	NA	
Other financial assets	556.32			556.32	NA	
B. Financial Liabilities						
Borrowings	1,800.77			1,800.77	NA	
Trade payables	115.88			115.88	NA	
Other financial liabilities	139.80			139.80	NA	



March 31, 2019	Carrying amount			Fair value hierarchy	Valuation techniques and key inputs used	
Description	Amortised cost	Fair value through profit and loss	Fair value through OCI			Total
A. Financial Assets						
Investments		197.91		197.91	Level 3	Refer note below
Loans	0.91			0.91	NA	
Trade receivables	27.21			27.21	NA	
Cash and cash equivalents	36.82			36.82	NA	
Other financial assets	815.55			815.55	NA	
B. Financial Liabilities						
Borrowings	1,651.59			1,651.59	NA	
Trade payables	276.97			276.97	NA	
Other financial liabilities	125.56			125.56	NA	

Movement under Level 3

(₹ Crores)

Description	31 March 2020	31 March 2019
Opening cost / fair value	197.91	148.94
Add - Fair value gain recognized in statement of profit and loss	84.59	48.97
Less - Fair value loss recognized in statement of profit and loss	-	-
Closing fair value	282.50	197.91

Valuation technique and key inputs used for fair valuation of investment in unquoted shares of Indian Potash Limited

The Company by using the service of an external valuer has computed the fair value of the investment using the following two techniques:

i.) Net Asset Value (NAV) method

Under this method, total external liabilities of the Company are subtracted from the total assets to arrive at the NAV. Alternatively, the sum of paid up capital and reserves can also be calculated to arrive at the NAV. The Company has taken all assets and liabilities at their book value. The NAV is divided by the total number of outstanding equity shares to arrive at the fair value per share.

ii.) Comparable Company Market (CCM) method

CCM multiple uses the valuation ratios of a publicly traded company and applies that ratio to the Company being valued. The valuation ratio typically expresses the valuation as a function of a measure of financial performance or book value. A key benefit of CCM analysis is that the methodology is based on the current market stock price. The current stock price is generally viewed as one of the best valuation metrics because markets are considered somewhat efficient.

For valuation analysis of the Company, the methodology has been used by comparing the market cap to sales multiple vis-a-vis certain companies listed on the stock exchange belonging to the fertilizer industry. During the year the valuation is based on CCM method.

**35 Leases**

i) Operating lease

a) As lessee

The lease rent paid during the year is ₹ 0.96 Cr (Previous year ₹ 0.74 Cr). These have been classified under the line item 'Rent' in 'Other expenses'. The future lease rent payable for each of the following periods are:

(₹ Crores)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
Less than one year	0.99	0.88
Between one and five years	1.41	2.40
More than five years	-	-

b) As lessor

Rental income on operating leases of the spaces rented out to CPCL are included under 'Rent' in 'Other Income'. The future lease rent receivable for each of the following periods are:

Details of lease rental receivable over the remaining contract period is provided below:

(₹ Crores)

Particulars	31 March 2020	31 March 2019
Less than one year	1.08	0.98
Between one and five years	5.16	4.78
More than five years	5.58	7.03

Details of Property Leased out

Description of Property	Leased to	Period of Lease	Basis of Lease
Triangle Plot - Manali	Chennai Petroleum Corporation Limited	20 years from 01.08.2008	8% of Guideline Value & escalated @ 8% every year
Bio Fertilizer Vijayawada	Hayagreeva Bio Organics Pvt Ltd	5 Years	Approx. 5% escalated every year

36 Information of goods manufactured and traded :

	31 March 2020	31 March 2019
	Quantity MT	Quantity MT
(a) Installed capacities:		
Ammonia	3,46,500	3,46,500
Urea	4,86,750	4,86,750
NPK	8,40,000	8,40,000
Bio fertilizers	400	400



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

	31 March 2020	31 March 2019
(b) Production		
Ammonia	211,498	229,774
Neam-Urea	345,150	394,300
NPK 17-17-17	65,000	25,160
Bio fertilizers	47	150

	31 March 2020		31 March 2019	
	Quantity MT	Amount	Quantity MT	Amount
(c) Purchase of Stock in Trade :				
Agro chemicals		1,45,67,691		1,34,72,273
Organic manure	2,808	90,17,287	905	35,94,972
City compost	12,041	3,21,47,282	8,088	2,11,02,914
		5,57,32,260		3,81,70,159

	31 March 2020		31 March 2019	
	Quantity MT	Amount	Quantity MT	Amount
(d) Gross sales				
Manufactured product				
Neem Urea	3,23,764	1,75,73,02,757	4,19,766	2,19,98,96,135
NPK 17-17-17	65,517	1,53,12,93,440	27,430	58,67,04,270
Carbon-di-oxide *	-	-	8,797	2,69,58,244
Bio Fertilizers	46	14,41,608	150	46,65,730
Bought Fertilizers				
Agro chemicals		2,22,35,017		1,95,43,285
Organic manure	2,808	1,28,29,744	905	46,22,001
City compost	12,041	2,74,08,418	8,088	1,75,65,836
		3,35,25,10,984		2,85,99,55,501

*By product



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

	31 March 2020		31 March 2019	
	Quantity MT	Amount	Quantity MT	Amount
(e) Stocks				
(i) Opening stock				
(a) Finished product				
Neem Urea	446	24,29,022	25,821	35,74,66,367
NPK 17-17-17	1,314	3,28,25,522	3,599	8,11,59,463
(b) Work in progress				
Manufactured products				
Ammonia	2,848	11,94,09,150	4,152	16,76,07,811
Urea-bulk	487	1,50,67,735	935	2,51,55,249
(ii) Closing stock				
(a) Finished product				
Manufactured products				
Neem Urea	11,247	28,33,74,222	446	24,29,022
NPK 17-17-17	719	1,77,71,737	1,314	3,28,25,522
Bio Fertilizers	1	14,730	-	-
(b) Work in progress				
Manufactured products				
Ammonia	8,431	35,69,94,423	2,848	11,94,09,150
Urea-bulk	10,504	29,76,94,078	487	1,50,67,735
(c) Stock losses				
Neem Urea	568		357	
NPK 17-17-17	78		16	
NPK 20-20-0-13				

37 Employee benefits

(i) Defined benefit plans

The Company has floated the following defined benefit plans i) Gratuity, ii) Post retirement medical benefits, iii) Compensated absences and iv) Service awards

A. Funding

Gratuity is the only defined benefit plan that is funded by the Company. The funding requirements are based on the fund's actuarial measurement framework set out in the funding policies of the plan. The funding of the plan is based on a separate actuarial valuation for funding purpose.

The Company has determined that in accordance with the terms and conditions of the defined benefit plan, and in accordance with statutory requirements, the present value of refunds or reductions in future contributions is not lower than the balance of the total fair value of the plan asset less the total present value of obligations.



B. Movement in net defined benefit (asset) / liabilities

Gratuity

The cost of providing such defined benefit is determined using the projected unit credit method of actuarial valuation made at the end of the year and is administered through a fund maintained by Life Insurance Corporation of India. This defined benefit plan exposes the Company to actuarial risks, such as longevity risk, currency risk, interest rate risk and market (investment) risk. Every employee who has rendered continuous service of five years or more is entitled to gratuity at 15 days salary (15/26 * last drawn basic salary plus dearness allowance) for each completed year of service subject to a ceiling of ₹ 0.20 crore on superannuation, resignation, termination, disablement or on death. The Company has carried out actuarial valuation of gratuity benefit considering the enhanced ceiling.

Other benefits

Obligations on post - retirement medical benefits, compensated absences and service awards are provided using the projected unit credit method of actuarial valuation made at the end of the year. These are unfunded plans.

	Defined benefit Obligations		Fair value of plan asset		Net defined benefit (asset) liability	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Gratuity						
Balance as at April 1	49.19	44.94	16.77	20.61	32.42	24.33
Included in profit and loss						
Current service cost	1.87	1.86	-	-	1.87	1.86
Interest cost	3.16	3.20	-	-	3.16	3.20
Interest income	-	-	1.11	1.36	(1.11)	(1.36)
Benefits paid	(4.62)	(5.24)	(4.62)	(5.24)	-	-
Contributions made	-	-	4.04	0.04	(4.04)	(0.04)
Included in OCI						
Net actuarial (gain)/loss and interest	1.15	4.43	0.14	-	1.01	4.43
Balance at March 31	50.75	49.19	17.44	16.77	33.31	32.42
Earned leave encashment						
Balance as at April 1	13.13	14.45	-	-	13.13	14.45
Included in profit and loss						
Current service cost	0.96	0.55	-	-	0.96	0.55
Interest cost	0.77	1.06	-	-	0.77	1.06
Interest income	-	-	-	-	-	-
Benefits paid	(1.93)	(0.86)	-	-	(1.93)	(0.86)
Included in OCI						
Net actuarial (gain)/loss and interest	3.62	(2.07)	-	-	3.62	(2.07)
Balance at March 31	16.55	13.13	-	-	16.55	13.13



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

	Defined benefit Obligations		Fair value of plan asset		Net defined benefit (asset) liability	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Post retirement medical benefits						
Balance as at April 1	1.51	1.39	-	-	1.51	1.39
Included in profit and loss						
Current service cost	0.05	0.02	-	-	0.05	0.02
Interest cost	0.10	0.11	-	-	0.10	0.11
Interest income	-	-	-	-	-	-
Benefits paid	-	-	-	-	-	-
Included in OCI						
Net actuarial (gain)/loss and interest	0.59	(0.01)	-	-	0.59	(0.01)
Balance at March 31	2.25	1.51	-	-	2.25	1.51

Service award						
Balance as at April 1	0.31	0.33	-	-	0.31	0.33
Included in profit and loss						
Current service cost	0.04	0.03	-	-	0.04	0.03
Interest cost	0.02	0.02	-	-	0.02	0.02
Interest income	-	-	-	-	-	-
Benefits paid	-	-	-	-	-	-
Included in OCI						
Net actuarial (gain)/loss and interest	0.03	(0.07)	-	-	0.03	(0.07)
Balance at March 31	0.40	0.31	-	-	0.40	0.31

	March 31, 2020	March 31, 2019
Represented by :		
Net defined benefit liability		
- Gratuity	33.31	32.42
- Earned leave encashment	16.55	13.13
- Post retirement medical benefits	2.25	1.51
- Service award	0.40	0.31



I) Plan Asset

Plan assets comprises the followings:

	March 31, 2020	March 31, 2019
Equity securities	30%	30%
Government bonds	70%	70%

II) Actuarial Assumptions

The following are the principal actuarial assumptions for the gratuity plan at the reporting date:

	March 31, 2019	March 31, 2018
Discount rate per annum	6.74%	7.50%
Expected return per annum on plan asset	6.74%	8.00%
Salary escalation per annum	5.00%	6.00%
Mortality	IALM (2012-14) U	LIC 94-96 rates

The following are the principal actuarial assumptions for the other defined benefit plans at the reporting date:

	Earned leave encashment		Post retirement medical benefits		Service award	
	March 31, 2020	March 31, 2019	March 31, 2020	March 31, 2019	March 31, 2020	March 31, 2019
Mortality table (before retirement)	IALM (2012-14) U	IALM (2006-08) U	IALM (2012-14) U	IALM (2006-08) U	IALM (2012-14) U	IALM (2006-08) U
Mortality table (after retirement)	NA	NA	IALM (2012-14) U	IALM (2006-08) U	NA	NA
Discount rate	6.36%	7.56%	6.36%	7.56%	6.36%	7.56%
Inflation rate	5.89%	5.89%	5.89%	5.89%	5.89%	5.89%

The estimates of salary escalations considered in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market. Further, the expected return on plan assets is determined considering several applicable factors mainly the composition of plan assets held, assessed risk of asset management and historical returns from plan assets.



III) Sensitivity Analysis

Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding other assumptions constant, would have effected the defined benefit obligation by the amounts shown below.

	March 31, 2020		March 31, 2019	
	Increase	Decrease	Increase	Decrease
Gratuity				
Discount rate (+/- 100 BP)	48.68	53.01	47.15	51.42
Salary escalation per annum (+/- 100 BP)	52.19	49.27	50.69	47.61
Mortality (+/- 10%)	50.76	50.76	49.20	44.93
Attrition rate (+/- 100 BP)	50.91	50.59	49.30	49.07
Earned leave encashment				
Discount rate (+/- 100 BP)	15.54	17.68	12.52	13.80
Salary escalation per annum (+/- 100 BP)	17.63	15.57	13.54	12.73
Mortality (+/- 10%)	16.55	16.55	13.13	13.13
Attrition rate (+/- 100BP)	16.53	16.58	13.14	13.11
Post retirement medical benefits				
Discount rate (+/- 100 BP)	2.19	2.32	1.42	1.60
Salary escalation per annum (+/- 100 BP)	-	-	-	-
Mortality (+/- 10%)	2.25	2.25	1.51	1.51
Attrition rate (+/- 100BP)	2.27	2.23	1.49	1.53
Service award				
Discount rate (+/- 100 BP)	0.38	0.41	0.30	0.33
Salary escalation per annum (+/- 100 BP)	-	-	-	-
Mortality (+/- 10%)	0.40	0.40	0.32	0.32
Attrition rate (+/- 100BP)	0.40	0.39	0.32	0.31

Although the analysis does not take account of the full distribution of cash flows expected under the plan, it does provide an approximation of the sensitivity of the assumptions shown.

The sensitivity analysis above have been determined based on a method that extrapolates the impact on defined benefit obligation as a result of reasonable changes in key assumptions occurring at the end of the reporting period. This analysis may not be representative of the actual change in the defined benefit obligations as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Expected maturity analysis of the defined benefit plans in future years

₹ Crore

	Less than 1 year	Between 1-2 years	Between 2-5 years	Over 5 years	Total
31 March 2020					
- Gratuity	7.32	4.81	17.06	21.56	50.75
- Earned leave <i>encashment</i>	2.05	1.28	5.16	8.06	16.55
- Post retirement medical benefits	0.29	0.18	0.59	1.19	2.25
- Service award	0.07	0.04	0.14	0.15	0.40
Total	9.73	6.31	22.95	30.96	69.95



MADRAS FERTILIZERS LIMITED

	Less than 1 year	Between 1-2 years	Between 2-5 years	Over 5 years	Total
31 March 2019					
- Gratuity	7.73	5.13	13.79	22.54	49.19
- Earned leave encashment	2.45	1.16	3.79	5.73	13.13
- Post retirement medical benefits	0.17	0.14	0.36	0.84	1.51
- Service award	0.01	0.02	0.03	0.25	0.31
Total	10.36	6.45	17.97	29.36	64.14

Expected contributions to post-employment benefit plans for the year ending 31 March 2020 are ₹ 6.71 crore.

The weighted average duration of the defined benefit plan obligation at the end of the reporting period is 10 years (31 March 2019: 10 years)

Obligations on post-retirement medical benefits, compensated absences and service awards are provided using the projected unit credit method of actuarial valuation made at the end of the year.

(ii) Defined contribution plans

Provident fund and superannuation fund

"Eligible employees of the Company are entitled to receive benefits in respect of provident fund, a defined contribution plan, in which both employees and the Company make monthly contributions at a specified percentage of the covered employees' salary. The contributions are made to the provident fund set up as a trust by the Company. The interest rates declared and credited by trusts to the members have been higher than the statutory rate of interest declared by the Central Government and there have been no shortfalls on this account and hence treated as a defined contribution plan.

The Company also has a superannuation plan. The liability of the Company in respect of superannuation scheme is restricted to the fixed contribution paid by the Company on an annual basis towards the defined contribution scheme maintained by Life Insurance Corporation of India, which is charged to the statement of profit & loss statement on accrual basis.

The net amounts expended in respect of employer's contribution to the provident fund and superannuation fund during the year, are INR 5.83 Cr (Previous year INR 5.67 Cr) and INR 6.71 Cr (Previous year INR 6.75 Cr) respectively.

38 Capital Management

For the purpose of the Company's Capital management, capital includes equity capital and all other reserves. The Company's capital management objective is to maximise the total shareholder return by optimising cost of capital through flexible capital structure that supports growth.

The Company manages its capital structure and makes adjustments in the light of changes in economic conditions and the requirements of the financial covenants. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares. The Company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total capital plus net debt. The Company includes within net debt, interest bearing loans and borrowings less cash and short term deposits.

Gearing Ratio:	₹ Crore	
	March 31, 2020	March 31, 2019
Debt	1,800.77	1,651.59
Less: Cash and bank balances	133.31	36.82
Net debt	1,667.46	1,614.76
Total equity	(630.89)	(575.27)
Net debt to total equity ratio	-	-



39 Financial risk management

In course of its business, the Company is exposed to certain financial risks that could have significant influence on the Company's business and operational / financial performance. These include market risk (including currency risk, interest rate risk and equity price risk), credit risk and liquidity risk.

The Board of Directors reviews and approves risk management framework and policies for managing these risks and monitors suitable mitigating actions taken by the management to minimise potential adverse effects and achieve greater predictability to earnings.

In line with the overall risk management framework and policies, the treasury function provides services to the business, monitors and manages through an analysis of the exposures by degree and magnitude of risks.

Borrowings, trade payables and other financial liabilities constitute the Company's primary financial liabilities and investment in unquoted equity shares, trade receivables, loans, cash and cash equivalents and other financial assets are the financial assets.

Credit risk

Trade receivables

Credit risk refers to the risk of default on the receivables to the Company that may result in financial loss. The maximum exposure from trade receivables amounting to ₹ 481.88 crore as of March 31, 2020 (₹ 706.52 crore as of March 31, 2019).

Trade receivables mainly constitute subsidy receivable from Government of India and from sale of manufactured and traded fertilizers to dealers / other customers. Credit risk is being managed through credit approvals, establishing credit limits and monitoring the creditworthiness of customers to allow credit terms in the normal course of business. In the case of the Company, the credit period offered varies between 30 to 60 days and there have been no significant cases of impairment historically.

Investment in unquoted equity shares

The Company has a single investment in unquoted equity shares of Indian Potash Limited. The Company does not expect any losses from non-performance by the investee and hence no impairment is recognized.

Loans and advances

The company provides housing and other loans to its employees on concessional or interest free basis. The company manages its credit risk in respect of such loans to employees through recovery of the same in a number of predetermined instalments.

Cash and cash equivalents and deposits with banks

The credit risk on cash and bank balances is limited because the counterparties are banks with high credit ratings. Therefore the risk of default is considered to be insignificant.

Summary of exposures to financial assets provided below:

Financial asset	Exposure as at	
	March 31, 2020	March 31, 2019
Investments	282.50	197.91
Loans	7.07	0.91
Trade receivables	50.87	27.21
Cash and cash equivalents	133.31	36.82
Other financial assets	556.32	815.55
Total	1030.07	1,078.40



Provision for expected credit losses

Financial assets for which loss allowance is measured using life time expected credit losses

The Company's customer base is the Government of India and a number of dealers. Historically the risk of default has been negligible or nil. Further, management believes that the unimpaired amounts that are past due by more than 60 days are still collectible in full, based on historical payment behaviour and extensive analysis of customer credit risk. Hence, no impairment loss has been recognised during the reporting periods in respect of trade receivables.

(ii) Ageing analysis of trade receivables

As a policy, the Company does an ageing analysis of debtors, the details of which is stated below.

The ageing analysis of the trade receivables is as below:

₹ Crore

Interval	Ageing as at	
	March 31, 2020	March 31, 2019
Less than 6 months	37.57	15.99
More than 6 months	-	-
Total debtors	37.57	15.99

Liquidity risk

The objective of liquidity risk management is to maintain sufficient liquidity and ensure that funds are available for use as per requirements. The Company manages liquidity risk through cash credit limits and undrawn borrowing facilities by continuously monitoring forecast and actual cash flows. The Company invests its surplus funds in bank fixed deposit which carry minimal mark to market risks.

Maturities of financial liabilities

The following are the contractual maturities (principal and interest in the case of GOI loan) of non-derivative financial liabilities, based on contractual cash flows:

₹ Crore

31 March 2020		Contractual cash flows					
Contractual maturities of financial liabilities	Carrying amount	Less than a year	1-2 years	2-3 years	3-5 years	More than 5 years	Total
GOI Loan	1,227.03	1,175.74	26.04	16.35	8.90	-	1,227.03
Trade payables	115.88	115.88					115.88
Other financial liabilities	124.25	124.25					124.25
TOTAL	1,467.15	1,415.86	26.04	16.35	8.90	-	1,467.15

₹ Crore

31 March 2019		Contractual cash flows					
Contractual maturities of financial liabilities	Carrying amount	Less than a year	1-2 years	2-3 years	3-5 years	More than 5 years	Total
GOI Loan	1,172.45	1,276.98	27.34	26.04	16.35	8.90	1,355.61
Trade payables	276.97	276.97	-	-	-	-	276.97
Other financial liabilities	110.01	110.01	-	-	-	-	110.01
TOTAL	1,559.42	1,663.95	27.34	26.04	16.35	8.90	1,742.58



Market risk

Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk for the entity comprises two types of risk: currency risk, interest rate risk and equity price risk. Financial instruments affected by market risk include borrowings, trade payables in foreign currency and investment in unquoted equity shares. The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimising the return.

Currency risk

The Company executes import agreements for the purpose of purchase of raw materials. These are not hedged by the Company owing to the materiality of such foreign exchange gain / loss values.

The currency profile of financial liabilities are as below:

Particulars	31-Mar-20	31-Mar-19
Trade payables (₹ Crore)	35.35	120.38

Sensitivity analysis

A strengthening of the Indian Rupee, as indicated below, against the Foreign currency as at 31 March would have increased (decreased) equity and profit or loss by the amounts shown below. This analysis is based on foreign currency exchange rate variances that the Company considered to be reasonably possible at the end of the reporting period. The analysis assumes that all other variables, in particular interest rates, remain constant. The analysis is performed on the same basis for previous year, except that the reasonably possible foreign exchange rate variances were different, as indicated below.

31 March 2020	Profit and loss	
	Strengthening	Weakening
10% movement		
Trade payables denominated in foreign currency	(3.54)	3.54
31 March 2019	Profit and loss	
	Strengthening	Weakening
10% movement		
Trade payables denominated in foreign currency	(12.04)	12.04

Interest rate risk

The Company is not exposed to any interest rate risk as the interest rate on the sole borrowing from GOI is fixed in nature.

At the reporting date the interest rate profile of the Company's interest-bearing financial instruments is as follows:

Particulars	₹ Crore	
	31-Mar-20	31-Mar-19
Financial assets		
Fixed-rate instruments		
Employee loans	7.07	0.91
Financial liabilities		
Fixed-rate instruments		
GOI term loan	1,211.48	1,156.90

Fair value sensitivity analysis for fixed-rate instruments

The company's fixed rate instruments are carried at amortised cost. They are therefore not subject to interest rate risk, since neither the carrying amount nor the future cash flows will fluctuate because of a change in market interest rates.

Equity price risk

Equity price risk is related to the change in market reference price of the investments in quoted equity securities. In the case of the Company, the sole investment in equity shares is unquoted and does not expose the Company to equity price risks, however there can



be changes in the equity price based on valuations done at different reporting periods owing to the operations and general business environment in which the investee operates. In general, the investment is not held for trading purposes.

Equity price sensitivity analysis

A 5% change in prices of equity instruments held as at March 31, 2020 and March 31, 2019 would result in an increase/ decrease of Rs 13.20 Cr and Rs 9.90 Cr in fair value of the equity instrument respectively.

40 Contingent liabilities/Contingent assets and Commitments

₹ Crore

	As at 31 March 2020	As at 31 March 2019
A. Contingencies		
Contingent Liabilities in respect of claims against the Company not acknowledged as debts (Includes Penal Interest on GOI Loans ₹ 198.39 Cr).	218.09	203.72
B. Commitments		
L/Cs outstanding (not provided for)	3.30	5.09
Estimated amount of contracts remaining to be executed on Capital Account and not provided for (after adjusting advance made therefor)	21.32	54.56

41 The total amount payable to Micro, Small and Medium Enterprises as defined under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 as at March 31, 2018 as identified by the management and relied upon by the Auditors is provided below:

₹ Crore

	31 March 2020	31 March 2019
i. Dues outstanding more than 45 days	-	-
ii. Amount remaining unpaid as at the end of the year		
Principal Amount		0.01
Interest Amount		
iii. The amount of interest paid in terms of Section 18 along with the amounts of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the year	-	-
iv. The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment	-	-
As per the terms of the Contract		
As specified in the Act		
v. The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of the year	-	-

42 The Company defaulted repayment of loan principal and interest on GOI loans as detailed below:

₹ Crore

	Principal	Interest	Total
Revamp loans	122.30	145.54	267.84
Plan loans	359.89	492.93	852.82
Non plan loans	20.77	34.32	55.09
Total	502.96	672.79	1175.75

43 OTHER DISCLOSURES:

- Government of India has not so far raised any demand for penal interest amounting to ₹ 198.39 Cr (Previous Year ₹ 183.15 Cr). However, the same is shown under Contingent Liabilities per practice.
- During the year an amount of Rs 6.74 Cr has been received from UIIC towards full and final settlement of Vardha cyclone claim against 50% of balance receivable ₹ 7.50 Cr. The difference claim of Rs 0.75 Cr was charged off during the financial year.



- c. Other Income includes a sum of ₹ 0.58 Cr (Previous Year ₹ 0.58 Cr) being the rent receivable from CPCL for the area let out for their LPG pipeline, for which the renewal of agreement is under negotiation.
- d. The Company is in the process of signing MOU with DOF for the FY 2020-21 and is yet to be signed.
- e. Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board (CMWSSB) has allotted 43.13 acres of land for a lease period of 33 years at kodungaiyur for TTP Plant in the year 1989. The Company surrendered 20.224 acres of surplus land not used for TTP plant, but CMWSSB refused to take back that land. After negotiations CMWSSB agreed for payment of lease rent up to June 2017 amounting to ₹ 5.64 Cr in a phased manner and based on that, the Company has paid an amount of ₹ 3.10 Cr till date. From July 2017 onwards the lease rent is being paid on a quarterly basis. The MOU is yet to be signed.
- f. The Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act (SICA) has been repealed from December 01, 2016 and the Board for Industrial and Financial Restructuring (BIFR) stand dissolved from that date. The Company is pursuing legal options to file the Revival proposal to the National Company Law Tribunal (NCLT). However, based on PDIL report, The Company has submitted Financial restructuring proposal with DOF, GOI for their consideration.
- g. Confirmation of Balances has not been received in respect of Loans for GOI, Trade Receivables/Payables and Loans and Advances

44 Exchange rate fluctuation

Exchange rate fluctuation included in other income is INR 0.01 Cr (Previous year INR 1.97 Cr)

45 Disclosure as per Ind AS 108 'Operating segments'

A Basis for segmentation

In the case of the Company, the Board of Directors / CMD are considered to be the CODM. The Board of Directors / CMD review the performance of the Company and allocate resources based on the various management information reports provided by the respective departments of the Company.

The CODM reviews the performance of the Company primarily as two segments:

- i) Fertilizers (Urea and NPK)
- ii) Other activities (Trading activities and Bio fertilizers)

However, since the revenue from other activities constitute less than 5% of the reported revenue and no significant assets are employed for these activities, the management is of the view that the Company has only one reportable segment that relates to manufacture of sale of fertilizers.

B Geographical information

The geographical information analyses the Company's revenues and non-current assets by the Company's country of domicile (i.e. India) and other countries. In presenting the geographical information, revenue has been based on the geographic location of customers and non-current assets have been based on the geographical location of the assets. Since the Company is in the operation of manufacture and sale of fertilizers within India, the entire revenue is domestic and all non-current assets are situated in India only.

C Major customer NA

46 Income taxes

No provision towards income tax liability has been made during the year as the operations resulted in loss and being a sick company, the Company is not liable for MAT.

47 Government grants and subsidies

Urea Subsidy under New Pricing Scheme is accounted on receipt at the warehouses per procedure prescribed by the Government. Credit/Debit for annual escalation / de-escalation in input prices is considered based on realistic estimates pending issue of notification by the Government. Adjustments are effected in respect of difference, if any, in the year of receipt.

Subsidy for Phosphatic and Potassic fertilizers is accounted in line with the Nutrient Based Subsidy (NBS) policy of the Government. Subsidy under New Pricing Scheme (NPS) for Urea



Escalation/De-escalation in input prices is subject to annual revision based on the actual prices. Accordingly, a sum of ₹ 144.46 Cr (Previous year ₹ 144.92 Cr receivable) has been reckoned as payable to FICC for the year 2019-20 towards annual De-escalation of input prices.

Subsidy includes an amount of ₹ 16.26 Cr (Previous year ₹ 14.14 Cr) being the additional fixed cost of ₹ 350 / MT as envisaged in the modified NPS III Policy announced by DOF dated April 02, 2014, and approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on March 13, 2020 and an amount of Rs 4.88 Cr being the additional fixed cost benefit of Rs 150/MT for conversion of Feed Stock from Naptha to RLNG. as per the said approval of CCEA. This Additional compensation of Rs 350/MT is pending from 2014-15 onwards the details of which is given below:

SL. NO	YEAR	AMOUNT (₹ Cr)
1	2014-15	11.43
2	2015-16	13.62
3	2016-17	15.70
4	2017-18	15.46
5	2018-19	14.14
	TOTAL	70.35

1 Impairment of assets

A detailed valuation has been done by a reputed Chartered Engineer and valuer and as per his report no adjustment towards impairment loss is considered necessary by the Company as on 31.03.2020. Net selling price of the major Plant and equipment has been assessed against the book value on that date is detailed below:

₹ Crore

Plant	As on 31.03.2020		As on 31.03.2019	
	Net selling price	Book Value	Net selling price	Book Value
Ammonia	399.20	136.24	330.12	93.01
Urea	75.88	24.82	70.59	25.04
NPK	15.30	3.68	13.98	4.56
Utilities	30.28	9.50	28.17	9.70

48 Amount in the financial statements are presented in ₹ Crore (upto two decimals) except for per share data and as other-wise stated. Certain amounts, which do not appear due to rounding off, are disclosed separately.

49 Standards issued but not yet effective

Ind AS 116 'Leases'

The Company has evaluated the potential impact of the adoption of Ind AS 116 on accounting policies followed in its financial statements and it expects no material impact on adoption of the same.

Ind AS 21 'The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates'

The amendment to Ind AS 21 applies to entities for foreign currency consideration paid or received in advance. The amendment requires such advance paid or deferred liability to be restated using the spot rate as of the date of such a transaction. The Company has evaluated the potential impact of the adoption of Ind AS 21 on accounting policies followed in its financial statements and it expects no material impact on adoption of the same.

50 Regrouping / reclassification

The figures for the previous year have been regrouped/reclassified to correspond with the current year's classification and disclosure.

51 Special Banking Arrangements

Special Banking Arrangement Loan for Rs 307.67 Cr received from Punjab National Bank against fertilizer subsidy receivable from GoI for the year 2019-20 (Urea subsidy of ₹ 307.47 Cr. and NPK subsidy of ₹ 0.20 Cr.).



52 Physical Verification of Movable Fixed Assets and Stores & Spares

An Independent CA firm has been appointed to carry out the physical verification of movable fixed assets and stores & spares. The physical verification is being carried out in a phased manner and during the year a portion of movable assets and stores & spares were written off as approved in the 310th Board Meeting.

53 Entry tax of Rs.2.52 cr, provided for payment during the years 2013-14 to 2017-18, has not been remitted, since the appeal filed by ITC Ltd. against the Tamilnadu Government in this regard, has not been disposed off. The said amount is retained as provision in the books of accounts by the Company for payment, when demanded.

Payment of ITC-VAT others of Rs.2.51 Cr, provided in the books for the period 2009-10 to 2017-18, towards ITC availed on sale of by-product Carbon-di-oxide, will be effected only on completion of sales tax assessment of the respective years and issue of demand notice. Hence the said amount is retained as provision in the books of the Company.

Tax u/s 3(4) of the TNGST Act, 1959 of Rs.7.78 Cr for the period 2002-03 to 2005-06, provided for, represents the differential tax demanded by the Commercial tax authorities, by deviating from the normally adopted formula followed by the authorities upto 2001-02. Since the finalization of the same will be made during the sales tax assessment of the said years, the amount is retained as liability in the books of accounts.

54 Investment Property

Investment Property at Bio Fertilizers Plant in Vijayawada is valued on the basis of market value of the Property by an independent Chartered Engineer and Investment property at Manali is valued based on Govt Guideline value.

55 The Company has agreed to allot Land for erection of 400 KV DC Transmission line by TANTRANSCO, as the project is conceived by TANTRANSCO for public purpose. The Tower is erected inside the Company premises and approximately 410 meters transmission line crossing through the Company campus.

/For and on behalf of the Board/

U SARAVANAN
Chairman & Managing Director

LALSANGLUR
Director

PRIYA RANJAN PANDA
General Manager-F&A (a/c)

Dr GIRISH KUMAR
Company Secretary

Aug 28, 2020

As per our Report of even date

For **J V Ramanujam & Co.,**
Chartered Accountants
FRN 002947S

CA SRI NARAYANA JAKHOTIA
Partner
M No 233192

Aug 28, 2020



रसायन और उर्वरक पर संसदीय स्थाई समिति का अध्ययन कार्यक्रम

24, जनवरी, 2020 को तमिनाडु के वेल्लूर में आयोजित किसान इंटरैक्शन

Study tour programme of the Parliamentary Standing Committee on Chemicals & Fertilizers - Farmers Interaction Session held on 24th January 2020 at Vellore, Tamilnadu

कंपनी के कार्यपालकगण Executives of the Company



श्री ए.एल.प्रभाकर
मुख्य सतर्कता अधिकारी
SHRI A L PRABHAKAR
Chief Vigilance Officer



श्री प्रिय रंजन पाण्डेय
महाप्रबंधक - एफ व ए (ए/सी)
SHRI PRIYA RANJAN PANDA
General Manager-F&A (a/c)



डॉ. गिरीश कुमार
कंपनी सचिव
Dr. GIRISH KUMAR
Company Secretary



मद्रास फ़र्टिलाइज़र्स लिमिटेड
मणालि, चेन्नै - 600 068

MADRAS FERTILIZERS LIMITED

MANALI, CHENNAI - 600068